Tuesday, 14th July, 1992

दशम माला, खंड 8, अंक 4

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Fourth Session

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 5, मंगलवार, 14 जुलाई, 1992/23 आषाढ़, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	1-21
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 85:	
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्या: 86 से 100	22-48
अतारांकित प्रश्न संख्या: 832 से 867, 869 से 958 और 960 से 1063	49-241
सभा पटल पर रखे गये पत्र	241-254
सभापति तालिका के बारे में घोषणा	254
कार्य मंत्रणा समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	254
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
पाचवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	255
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	255
संविधान (72वां संशोधन) विधेयक	
(नए भाग 9 का अंतःस्थापन और ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—प्रस्तुत	255
संविधान (72वां संशोधन) विधेयक	
(नए भाग 9 का अंतःस्थापन और ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य—सभा पटल पर रखे गये	255
संविधान (73वां संशोधन) विधेयक	
(नए भाग 9 का अंतःस्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—प्रस्तुत	256
संविधान (73वां संशोधन) विधेयक	
(नए भाग 9क का अंतःस्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य—सभा पटल पर रखे गये	256

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने पूछा था।

	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
मध्य रेलवे के बडनेरा-वर्धा खंड पर 9 जुलाई, 1992 को 8033 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	256-257
श्री मल्लिकार्जुन	256
समितियों के लिए निर्वाचन	258
जो4(एक) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति—स्वीकृत	258
(दो) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड	258
विधेयक—पुरःस्थापित	259-260
(एक) संविधान (77वां संशोधन) विधेयक	259
(अनुच्छेद 323ख में संशोधन)	259
(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक	259
(तीन) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक	259
पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक	260
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रामेश्वर ठाकुर	260
श्री राम नाईक	260
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	261
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	261
पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला विवरण—सभा पटल पर रखा गया	262
नियम 377 के अधीन मामले	262-266
(एक) शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की बीच में ही स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के॰ प्रधानी	262
(दो) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के तमिलनाडु खंड के रखरखाव के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन॰ डेनिस	263
(तीन) रायचूर ताप-विद्युत संयंत्र को चालू रखना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	263
(चार) पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा॰ परशुराम गंगवार	263

पृष्ठ

(पांच) देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का मुकाबला करने के लिए पुलिस अधिनियम में संशोधन करने की दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री श्याम लाल कमल 264

(छः) बिहार में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल 264

(सात) मालदा से गुवाहटी तक रेल लाइन को दोहरी करने का कार्य फिर से आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास 265

(आठ) तमिलनाडु के उन किसानों को, जिनकी फसलें कीड़ा लगने के कारण नष्ट हो गई हैं, मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर० जीवरत्नम 265

जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक— 266-314

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एम० एम० जैकब 266

प्रो० प्रेम धूमल 267

श्री मणि शंकर अय्यर 269

श्री हरि किशोर सिंह 273

श्री शरद दिघे 276

श्री सैफुद्दीन चौधरी 277

श्री भोगेन्द्र झा 279

श्री के० पी० सिंह देव 282

श्री गिरधारी लाल भार्गव 284

श्री चित्त बसु 287

श्री ई० अहमद 289

श्री सी० श्रीनिवासन 291

श्री सुधीर सावन्त 292

श्री सैयद शाहबुद्दीन 294

प्रो० के० वी० थामस 297

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु 298

खंड पर विचार पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एम० एम० जैकब 299

श्री जार्ज फर्नान्डीज 306

श्री राम नाईक 309

नियम 193 के अधीन चर्चा 314-317

अयोध्या की घटनाएं

श्री पी० सी० थामस 315

लोक सभा

मंगलवार, 14 जुलाई, 1992/23 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): अयोध्या के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का क्या रहा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, हम लोगों का आग्रह है कि कल होम मिनिस्टर साहब ने यहां स्टेटमैंट दिया है लेकिन हम लोग जैसा कि अभी आपने घोषणा किया था, अयोध्या के सम्बन्ध में, हम एक पूरी डिस्कशन चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि सारे मैम्बर्स एजिटेटिड हैं, इसलिये आप वह डिस्करान कराईये।

अध्यक्ष महोदय: आज शुरू करेंगे, आज उसको ले लेंगे और उसके लिये सप्लीमैंटरी एजेंडा दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली): अध्यक्ष जी, पिछले चार दिनों से तीन बीघा में जो मसैकर हुआ है, सात आदमियों को मार दिया गया है, उसके बारे में हाउस को एडजौर्न करके विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं नहीं।

श्री गुमान मल लोढा: इस पर आप विचार कर लें कि आज करें या कल करें, कभी भी विचार कर लें आप।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती शीला गौतम।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.02 म०पू०

[हिन्दी]

रेलवे को हुई हानि

*81. श्रीमती शीला† गौतम:

श्री राजेश कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माल भाड़े व यात्रियों की संख्या में हुई कमी, देश के विभिन्न भागों में आन्दोलन के दौरान रेल सम्पत्ति को हुई क्षति, मुद्रास्फीति और संचालन व्यय में हुई वृद्धि के कारण उनके विभाग को 1 अप्रैल, 1991 से 30 जून, 1992 तक कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) मई, 1992 तक की आय और व्यय की स्थिति उपलब्ध है, 1991-92 के लिए बजट/संशोधित अनुमानों तथा अप्रैल और मई, 1992 के आनुपातिक बजट की तुलना में 1 अप्रैल, 1991 से 31 मई, 1992 तक की अवधि में आय में कोई कमी नहीं आई है, इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान साधारण संचालन व्यय में भी कोई अधिक खर्च नहीं हुआ है।

आन्दोलनों के कारण रेल सम्पत्ति को हुई क्षति से संबंधित हानि की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, बहरहाल, रेलों के कार्य-निष्पादन पर लगातार निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम: अध्यक्ष जी, मंत्री जी का कहना है कि साधारण संचालन व्यय में कोई अधिक खर्चा नहीं हुआ है, तो मैं जानना चाहती हूं कि कितना खर्चा हुआ है, उसका ब्यौरा मंत्री जी ने सभा पटल पर नहीं रखा है, कुछ नहीं बताया है। साथ ही, आय में जब कोई कमी नहीं आयी है, फिर रेल व्यवस्था में तथा उसके रखरखाव में क्यों इतनी खराबी आती जा रही है। जैसे गंगा जमना गाड़ी में बिस्तर आदि भी कम कर दिये गये हैं। जब कोई कमी आय में नहीं हुई, तो दूसरी चीजों को आप क्यों कम करते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1991-92 में 335 मीलियन टन के माल-भाड़े की राजस्व आय का लक्ष्य था जबकि इसकी तुलना में 337.98 मीलियन टन तक सफलता मिली है। इसी तरह से संशोधित अनुमानों में यात्रियों के आवागमन के संबंध में 4049.16 मीलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और यह लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया। जहां तक 1 अप्रैल, 1991 से मई 1992 के बजट अनुमानों का संबंध है, जहां हमें 10,964.75 करोड़ रुपये की माल-भाड़ा आय की उम्मीद थी, वहां हमें 11,198.7 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसी तरह से यात्री किराये के मामले में हमारा लक्ष्य 4,411.69 करोड़ रुपये का था जबकि 4,449.75 करोड़ रुपये की आय हुई है। इस प्रकार संशोधित बजट अनुमानों की तुलना में यात्री किराये से होने वाली आय में लक्ष्य की तुलना में लगभग 38 करोड़ रुपये और माल भाड़े से 225 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है। जहां तक साधारण संचालन व्यय का संबंध है, 1 अप्रैल, 1991 से मई 1992 की अवधि के दौरान इनके 10993.16 करोड़ रुपये होने का लक्ष्य था जबकि हमने केवल 10,924.64 करोड़ रुपये ही खर्च किये है जिसके फलस्वरूप इनमें भी लगभग 68.54 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम: अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि इन्होंने गंगा जमना ट्रेन में बिस्तर क्यों कम कर दिये हैं जो कि इतनी पुरानी ट्रेन है, लेकिन मंत्री जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उस गाड़ी में कोई ए०सी० भी नहीं चलता है, इससे आप समझ सकते हैं कि पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ होती होगी और इस सम्बन्ध में भी मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि दिनों दिन रेलों में चोरियां बढ़ती जा रही हैं और बड़े प्रेम से चोरियां करते हैं। सफर हम लोग भी करते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एक उदाहरण देकर बताती हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। एग्जाम्पल नहीं। प्रश्न पूछिए।

श्रीमती शीला गौतम: अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा एग्जाम्पल है प्रेम से चोरी करने का बहुत इंटरस्टिंग है, आप सुनिए, तो। ये लोग प्रयागराज से या इलाहाबाद एक्सप्रैस से एक बड़ा बक्सा लेकर चढ़ते हैं और धीरे-धीरे, छोटे-छोटे बक्से उस बड़े बक्सें में डालकर उतर जाते हैं। इनके पास पूरा टिकिट होता है। ये पढ़े-लिखे होते हैं। ये पुलिस से मिले हुए होते हैं। आजकल इस तरह की शिकायतें अंधाधुंध बढ़ती जा रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि यह बात इस प्रश्न से कहीं जुड़ी है। यह प्रश्न तो वित्तीय पहलू के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह संतोपजनक नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं जैसा कि उत्तर में भी लिखा है कि हमारे रेल बजट में कोई घाटा नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि हाल ही में नागपुर में जो दुर्घटना हुई जिसमें काफी जान-माल की क्षति हुई है, क्या सरकार के पास उसके आंकड़े हैं कि कितना नुकसान हुआ है और रेल-भाड़ा तथा माल-भाड़ा बढ़ाने से कितनी वृद्धि हुई है?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, रेलवे संपत्ति को हुई क्षति के सही आंकड़े तो इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। जैसे ही आंकड़े तैयार हो जाते हैं, मैं उन्हें सभा पटल पर प्रस्तुत कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैंने नागपुर के बारे में पूछा था और माल भाड़े के बारे में: **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने रिप्लाई में ही उन्होंने लिखा है, जो आप पूछ रहे हैं। पढ़ लीजिए।

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, नागपुर के बारे में भी मैंने पूछा है?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। बैठ जाइए। मैं प्रश्न को डिस-अलाऊ कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा बताया गया है कि 1 अप्रैल, 1991 से 31 मई 1992 की अवधि के बीच आय में कोई कमी नहीं हुई है। भले ही आय में कमी नहीं हुई होगी, परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस अवधि के बीच निवल लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है?

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने कहा है कि इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी आपको सूचित किया है कि ये तो बजट अनुमान ही हैं और इन अनुमानों की तुलना में वर्ष 1991-92 में हमें लाभ हुआ है अथवा हानि इस बारे में मैं माननीय सभा को बाद में सूचित कर दूंगा।

खनन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव

***82. श्री नरेश कुमार† बालियान:**
श्री चेतन पी॰एस॰ चौहान:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक में भारत में खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में कोई चर्चा और कार्यशाला प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो उसमें किस तरह की और कितनी गहन समस्या का पता लगाया गया;

(ग) चर्चा में क्या सुझाव दिये गये/सिफारिशें की गईं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एशियन विकास बैंक, के सहयोग से जनवरी, 1988 में पर्यावरणीय मूल्यांकन पर लखनऊ में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें खनन, उद्योग, बिजली और जल संसाधनों के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के मामला अध्ययन भी प्रस्तुत किये गये थे।

खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए शिनाख्त किये गये मामलों में पुनर्वास, भूमि सुधार और जल, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण शामिल हैं।

(ग) और (घ) सिफारिशों में परियोजना चक्र के प्रारंभिक चरण में ही पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करने तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण और संस्थान विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

खनन परियोजनाओं के लिए जारी मार्गनिर्देशों में इस प्रकार के विचार शामिल किये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नरेश कुमार बालियान: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने 1988 तक की सूचना दी है, 1990-91 के दौरान कुल कितनी परियोजनाएं पर्यावर्णीय मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई हैं उनमें कितनी योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है और बाकी कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए लंबित हैं और इन लंबित योजनाओं को मूल्यांकन करने के लिए कब तक हाथ में लिया जाएगा?

श्री कमल नाथ: ये कौन सी योजना की बात कर रहे हैं। अगर इनका प्रश्न है कि कौन-कौन सी ट्रेनिंग की योजनाएं ली गई, उसका मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री नरेश कुमार बालियान: प्रश्न बिल्कुल साफ है।

श्री कमल नाथ: मैं सिर्फ क्लैरीफिकेशन ही मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या पूछना है आप स्पष्ट रूप से पूछिए। मैं भी नहीं समझ सका हूं।

श्री नरेश कुमार बालियान: मैं जानना चाहता हूं कि 1990-91 के दौरान कुल कितनी परियोजनाएं पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुईं? उनमें से कितनी योजनाओं का मूल्यांकन किया गया तथा बाकी कितनी लंबित हैं? उन लंबित पड़ी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए कब तक हाथों में लिया जाएगा?

श्री कमल नाथ: 30 जून 1992 तक 288 माईनिंग योजनाएं प्राप्त हुई। उनमें से जो क्लीयर हुई हैं वे 108 हैं, जो रिजैक्ट हुई हैं वे 156 हैं, जो आज के दिन 30 जून 1992 तक पैंडिंग हैं वे 24 हैं।

श्री नरेश कुमार बालियान: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की कितनी परियोजनाएं हैं और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री कमल नाथ: यह प्रश्न माईनिंग का है। जहां तक माईनिंग की योजनाएं जो पर्यावरण की स्वीकृति के लिए आई, वह जानकारी मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी०एस० चौहान: अध्यक्ष महोदय एशियन विकास बैंक ने भारत सरकार को, अप्रचलित तथा प्रदूषण प्रौद्योगिकी को चरण बद्ध रूप में बदलने, प्रदूषण को कम करने पर जोर देने, तथा इस प्रौद्योगिकी को इस ढंग से लाभकारी बनाने जिससे कि कच्चे माल और ऊर्जा की बचत हो सके और ध्वनि और वायु प्रदूषण भी कम हो सके, 200 मिलियन डालरों का ऋण देने का संकेत दिया था। तदनुसार, मंत्रालय में कुछ तैयारियां भी की गई थीं। अब इसकी क्या स्थिति है? क्या एशियन विकास बैंक अभी भी यह ऋण दे रहा है अथवा यह परियोजना समाप्त कर दी गई है?

श्री कमल नाथ: यह एशियन विकास बैंक का प्रशिक्षण से संबंधित एक विशिष्ट सहयोग कार्यक्रम था। विभिन्न एजेन्सियों के साथ कुछ बातचीत चल रही है उनमें से एक चर्चा एशियन विकास बैंक के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं को सहयोग देने के लिए है।

महोदय, मुझे इसके विशिष्ट विवरण की जानकारी नहीं है क्योंकि इस मामले को सबसे पहले वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने उठाया था।

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न सं० 83 पर चर्चा होगी। यह एक अच्छा प्रश्न है। मेरा और अधिक पूरक प्रश्नों की अनुमति देने का विचार है। परन्तु पूरक प्रश्न प्रासंगिक होना चाहिए।

पर्यावरण और विकास संबंधी सम्मेलन की बैठक

*83. **श्री शंकर सिंह† वाघेला:**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों के अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में "अर्थ चार्टर" अथवा रियो घोषणा की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) ब्राजील में रियो दि जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संबंधी सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के क्या-क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इसके निर्णय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) किन-किन देशों ने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, और किन-किन देशों ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है;

(ङ) इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु धन की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी;

(च) इस सम्मेलन में भारत की क्या प्रभावी भूमिका रही और इस संबंध में सम्मेलन में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई; और

(छ) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास-संबंधी सम्मेलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने की योजना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र में दीर्घकालीन विकास के मुख्य तत्व दिए गए हैं और इस संबंध में राष्ट्रों और व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को सामान्य रूप से इंगित किया गया है। घोषणा पत्र में 27 सिद्धांत निरूपित किए गए हैं। महत्वपूर्ण सिद्धान्तों में प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभु सत्ता, विकास का अधिकार, गरीबी उन्मूलन, सहायक और

मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली तथा पर्यावरणीय प्रबन्ध में महिलाओं, युवाओं और स्थानीय समुदायों की भूमिका को मान्यता देना शामिल है। रियो घोषणा पत्र की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) रियो घोषणा पत्र को जून, 1992 में रियो डि जेनेरो, ब्राजील में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में अपनाया गया था।

(ग) रियो घोषणा पत्र में निरूपित सिद्धांतों से भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और साथ ही साथ भारत सहित सभी देशों की पर्यावरण और विकास पर राष्टर नीतियों का मार्गदर्शन मिलने की आशा है।

(घ) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(घ) जिन देशों ने रियो सम्मेलन में भाग लिया उनकी सूची अनुबंध में दी गई है। भाग लेने वाले सभी देशों ने सम्मेलन के निर्णयों को अपनाया है।

(ङ) रियो घोषणा पत्र में किसी प्रकार के निधि-तंत्र को स्थापित करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, रियो सम्मेलन में तय किए गए कार्य कार्यक्रमों में सभी उपलब्ध निधि स्रोतों तथा तंत्रों का उपयोग किया जाएगा। इस पर आम सहमति थी कि विकासशील देशों के लिए दीर्घकालीन विकास हेतु पर्याप्त, नई और अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी। विकसित देशों ने अपने इस वचन की पुनः पुष्टि की कि वे जितनी जल्दी संभव होगा, विकासशील देशों के लिए "आफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस" के लिए सकल राष्टीय उत्पाद के 0.7 प्रतिशत के संयुक्त राष्ट्र के स्वीकृत लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

(च) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने न केवल मद-21 पर हुई विस्तृत वार्ताओं में अपितु विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों विशेषकर पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र और स्टेटमेंट आन फारेस्ट के संबंध में ग्रुप आफ 77 के तथा अन्य देशों के मध्य अपने मत को संचारित करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप उनके विचारों पर सर्वसम्मति हुई।

(छ) सरकार द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई में सामान्य जानकारी तथा संगत मामलों की बेहतर जानकारी देने के लिए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का प्रसार तथा प्राथमिकताओं पर सहमति प्राप्त करने और सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए कार्य कार्यक्रमों के संबंध में कार्रवाई का समन्वय करने के लिए परामर्श करना शामिल है।

अनुबन्ध

जून 1992 में रियो-डि-जेनेरो, ब्राजील में हुई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की सूची

1. अफगानिस्तान
2. अल्बेनिया
3. अल्जीरिया
4. एंजेला
5. एन्तीगुआ एवं बारमुदा
6. अर्जेन्टीना
7. आर्मेनिया
8. आस्ट्रेलिया
9. आस्ट्रिया
10. अज़रबैजान
11. बहामास
12. बाहरेन
13. बंगलादेश
14. बारबेडोस

15. बेलारस
16. बेल्जियम
17. बेलीज़
18. बेनीन
19. भूटान
20. बोलीविया
21. बोत्स्वाना
22. ब्राज़ील
23. ब्रूनी दारूस्सलाम
24. बुल्गारिया
25. बरकीना फासो
26. बुरुंडी
27. कम्बोडिया
28. कामरून
29. कनाडा
30. केप वर्डे
31. सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक
32. चाड
33. चिली
34. चीना
35. कोलम्बिया
36. कामोरास
37. कांगो
38. कूक द्वीप समूह
39. कोस्टारीका
40. कोट-डि-आइवेर
41. क्रोटिया
42. क्यूबा
43. साइप्रस
44. चेकोस्लोवाकिया
45. कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य
46. डेनमार्क
47. ज़िबूती
48. डॉमिनिका
49. डॉमिनिका गणराज्य
50. इक्वाडोर
51. मिस्र
52. इक्वेटोरियल गिनि
53. एस्टानिया
54. यूरोपीय आर्थिक समुदाय
55. इथोपिया
56. फिजी
57 फिनलैंड
58. फ्रांस
59. गेबोन
60. गाम्बिया
61. जर्मनी
62. घाना
63. यूनान
64. ग्रेनाडा
65. ग्वाटेमाला
66. गिनी
67. गिनी-बिसाऊ
68. गुयाना
69. हेती
70. होली सी
71. हांडुरास

72. हंगरी
73. आइसलैंड
74. भारत
75. इंडोनेशिया
76. ईरान (इस्लामिक गणराज्य)
77. इराक
78. आयरलैंड
79. इस्राइल
80. इटली
81. जमैका
82. जापान
83. जॉर्डन
84. कजाकिस्तान
85. केनया
86. किरीबेती
87. कुवैत
88. लाओलोकतांत्रिक गणराज्य
89. लातबिया
90. लेबनान
91. लेसोथो
92. लाइबेरिया
93. लिबियन अरब जमूरशिया
94. लिस-टेन्सटेइन
95. लिथुआनिया
96. लक्जमवर्ग
97. मैडागास्कर
98. मालावी
99. मलयेसिया
100. मालद्वीव
101. माली
102. माल्टा
103. मार्शल आइलैंड
104. मारूतानिया
105. मॉरीशस
106. मैक्सिको
107. माइक्रोनेसिया (फेडरेटेड स्टेट्स)
108. मोनाको
109. मंगोलिया
110. मोरक्को
111. मोजाम्बिक
112. म्यानमार
113. नामिबिया
114. नौरू
115. नेपाल
116. नीदरलैंड
117. न्यूजीलैंड
118. निकारागुआ
119. नाइजर
120. नाइजीरिया
121. नार्वे
122. ओमान
123. पाकिस्तान
124. पनामा
125. पापुआ न्यू गिनी
126. पारागुवे
127. पेरू
128. फिलीपीन्स
129. पोलैंड
130. पुर्तगाल
131. कसर

132. रिपब्लिक आफ कोरिया
133. रिपब्लिक आफ मालडोवा
134. रोमानिया
135. रसियन फेडरेशन
136. रवान्डा
137. सैंट किट्टा एंड नाविस
138. सैंट लुसिया
139. सैंट विनसेंट
140. सामोआ
141. सान मैरिनो
142. साओ टोम प्रिंसिपे
143. सऊदी अरब
144. सेनेगल
145. सेशेल्स सिएरा लियोन
146. सिएरा लियोन
147. सिंगापुर
148. स्लोवैनिया
149. सोलोमन आइलैंड
150. सोमालिया
151. साउथ अफ्रीका
152. स्पेन
153. श्रीलंका
154. सूडान
155. सूरीनाम
156. स्वाजीलैंड
157. स्वीडन
158. स्विट्जरलैंड
159. सीरियन अरब रिपब्लिक
160. ताजीकिस्तान
161. थाइलैण्ड
162. टोगो
163. त्रिनिडाड एंड टोबागो
164. ट्यूनिशिया
165. तुर्की
166. तुर्कमानिस्तान
167. तुवालू
168. युगान्डा
169. उक्रेन
170. संयुक्त अरब अमीरात
171. यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्दर्न आयरलैंड
172. यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया
173. संयुक्त राज्य अमेरिका
174. उरूग्वे
175. वेनुवादु
176. वेनुजुएला
177. वियतनाम
178. यमन
179. यूगोस्लाविया
180. जायर
181. जाम्बिया
182. जिम्बावे

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, विश्व आज दो भागों में बंटता जा रहा है डैवलपिंग कंट्रीज और डैवलप्ड कंट्रीज। रियो में वह हमें देखने को मिला। ऐसे ही तीसरी दुनिया वाले अपने आपको पर्यावरणवादी कहते हैं, वह भी है। क्या हिन्दुस्तान से ऐसे कोई पर्यावरणवादी ब्राज़ील, रियो में उपस्थित थे। इन्होंने प्रेस कांफ्रेंस करके भारत में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नर्मदा वैली प्रोजेक्ट और ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में विरोध किया। इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट में कहा कि भारत सरकार को नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के बारे में

चिन्ता करनी चाहिये। अपने देश को विकास की ओर ले जाने वाले एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हों या दसूरे कोई प्रोजेक्ट्स हों, उनमें जो एनवारनमेंटल प्राबलम होता है, उनके सम्बन्ध में आपकी क्या नीति रहेगी?

श्री कमलनाथ : अध्यक्ष महोदय, रियो दि जनेरियो की कान्फ्रेंस में अनेक नॉन गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशन्स पहुंचे थे। वह अपने खर्चे से और अपनी मर्जी से वहां पहुंचे थे। आफिशियल कांफ्रेस के साथ-साथ एक अनआफिशियल कांफ्रेंस भी हो रही थी। जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें उन सब ने भाग लिया और अपने विचार रखे थे। जहां तक अपने देश की नीति का प्रश्न है, हमने गरीबी और विकास को प्राथमिकता दी और यही मंच बना कर कहा कि पर्यावरण इस मंच पर रहेगा। इसमें गरीबी और विकास जैसे मुद्दे को नहीं छोड़ दिया जायेगा। पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए और पर्यावरण का सुधार सुरक्षित रखते हुए जो भी हमारी विकास योजनायें हैं, उनको हम बनायेंगे और इसमें कोई अड़चन नहीं आने देंगे। ऐसी हमारी नीति है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : स्पीकर सर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो प्रश्न मैंने पूछा है। मैंने उन देशों के नाम पूछे हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और जो ऐसा करने से इंकार कर चुके हैं। इसका आपने गोलमोल जवाब दिया है और साइन करने वाले राष्ट्रों का नाम नहीं दिया। जवाब में मंत्री जी ने एक लिस्ट भी दी है। वहां अमरीका का डॉमिनेशन रहा। जिन राष्ट्रों में हार्ड कोर जंगल कटने की या दूसरी कोई प्राबलम नहीं है, उन्होंने इस रियो कांफ्रेंस में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। इस पर आपका रिएक्शन क्या था और क्या अमरीका ने इस पर अपने साइन किये? अगर नहीं किये हैं तो और कितने राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने इस पर साइन नहीं किये?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : रियो जमेरियो में दो विशिष्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किये गयेः एक तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और दूसरा जैविकी विविधता से संबंधित है। वहां रियो घोषणा पत्र और एजेन्डा 21 को स्वीकार किया गया। जहां तक जलवायु परिवर्तन और रियो घोषणा पत्र की एजेन्डा 21 का प्रश्न है, उन पर सभी देशों के द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। जबकि, जैविकी विविधता से संबंधित समझौता पर अमेरिका ने अपने हस्ताक्षर नहीं किया है। विश्व में एकमात्र वही ऐसा देश है जिसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। सभी अन्य विकसित देशों ने आगे बढ़कर इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र श्री कमलनाथ को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के पक्ष को पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बड़ी दृढ़ता के साथ रखा और इस सवाल पर सभी विकासशील देशों का सहयोग प्राप्त करने में सफलता पायी। प्रश्न यह है कि सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है? "सस्टेनेबल" इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि आज अगर पर्यावरण का विनाश हुआ है तो उसके लिये अमीर देश दोषी है। अमीर देशों ने निश्चय किया था कि .07 परसेंट जी॰ एन॰ पी॰ वह डेवलमेंटल असिस्टेंस के लिये देंगे, लेकिन उसका लक्ष्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पर्यावरण के सुधार के लिये धन कहां से आयेगा और क्या समृद्ध देशों ने यह संकेत दिया है कि वह अपने यहां पर्यावरण के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे जिस का दुष्परिणाम सारी दुनिया पर हो। अगर समृद्ध देश अपने खर्चे में कटौती करने के लिये तैयार नहीं है तो पर्यावरण का सुधार कैसे होगा और विकासशील देशों में पर्यावरण की स्थिति सुधरे, इसके लिये धन कहां से आयेगा?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ: प्रश्न यह है कि नियोजित विकास का अर्थ क्या है। "नियोजित विकास" का अर्थ है प्राकृतिक संपदाओं का उसी सीमा तक दोहन किया जाये जहां तक उन्हें फिर से पुरानी स्थिति में लाये जाने की संभावना बरकरार रहे और इसमें प्रकृति का संरक्षण भी शामिल है जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ उपलब्ध संसाधनों से वंचित न हों और संसाधन निरन्तर उपलब्ध रह सकें।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि विकसित देशों के द्वारा अपने यहां पर्यावरणीय क्षय को रोकने की दिशा में क़दम उठाये जायेंगे या नहीं? भारत की तरफ से हमने वहां इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में जो विश्व में पर्यावरण का क्षय विकसित देशों द्वारा अपनाये गये विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप हो रहा है। और उन देशों ने वृद्धि और विकास का पर्याप्त स्तर प्राप्त कर लिया है और उसकी प्राप्ति में पर्यावरणीय क्षय सहायक रहा है जो आज कि समस्या बन गया है। हमने यह विचार प्रकट किया कि उन देशों को पर्यावरण में हुए विनाश को सुधारने के लिए विकास की इस प्रक्रिया से प्राप्त सम्पन्नता का कुछ अंश व्यय करना चाहिये।

माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि .07 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात बहुत दिनों से की जा रही है। लेकिन कुछ नॉर्डिक देशों को छोड़कर इसे किसी भी देश में प्राप्त नहीं किया जा सका है। तथापि रियो में राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर बैठक में इस शपथ को दुहराया गया कि .07 प्रतिशत के राष्ट्रीय सकल उत्पाद के लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे और पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक दीर्घकालीन विकास आयोग का गठन किया जाने वाला है जो समुद्रीय विकास सहायता का संचालन करेगा। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का .07 प्रतिशत वार्षिक समुद्रपारीय विकास सहायता का लगभग 125 लाख अमरीकी डालर के लगभग है।

डा० देवी प्रसाद पाल: मैं श्री कमल नाथ को रियो सम्मेलन में निभाई गई अग्रणी भूमिका के लिये बधाई देना चाहता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने भी अपने कार्य सूची में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल किया है, वह है पर्यावरणीय प्रदूषण और उसके द्वारा भी पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने हेतु विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनाये जाने वाले कानूनों की संहिता बनाने की सिफारिश की है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग की इन सिफारिशों पर भी रियो सम्मेलन में चर्चा की गई थी अथवा नहीं? यदि नहीं, तो हमारे देश में अपनाई जाने वाली सिफारिशों के बारे में हमारे देश की प्रतिक्रिया क्या है?

श्री कमलनाथ: कानूनों में संशोधन या विभिन्न सम्मेलनों में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क़ानून बनाने संबंधी विशेष मामलों को समझौता प्रस्ताव स्तर पर लिया जाएगा जो इन सम्मेलनों के परिणामस्वरूप तैयार किया जाएगा। अतः हम फिलहाल इस मामले में व्यस्त हैं। 'रियों' घोषणा की कार्यसूची-21 के संदर्भ में और विश्वव्यापी परिवर्तन और जैव विवधता सम्मेलन के संदर्भ में और 'रियों' में जो कुछ हुआ उससे उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हमें भारत में भी कुछ कानून बनाने होंगे। अतः हम फिलहाल इस कार्य में लगे हुए हैं और यह देख रहे हैं कि क्या किया जाना है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: 'रियो' सम्मेलन के स्तर पर जिन मुद्दों पर अत्यधिक गर्म बहस हुई थी उनमें से एक मुद्दा था जी॰ई॰एफ, विश्वजनीन पर्यावरणीय सुविधा, वित्तपोषण व्यवस्था जो कि विश्वबैंक का आधार है और विकासशील देशों के बजाय विकसित देशों के हितों को पोषित करता है। जहां 'रियो' सम्मेलन में एक ओर विकासशील देशों के हितों को प्रस्तुत करने के लिए हम हम सब पर्यावरण मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं वहीं दूसरी मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगी कि प्रश्न के भाग (ङ) अर्थात "रियो घोषणा में किसी विशिष्ट वित्तपोषण तंत्र की स्थापना करने का प्रावधान नहीं है," के उत्तर का यह मतलब है कि 'रियो' सम्मेलन के बाद जी॰ई॰एफ॰ अभी भी पर्यावरणीय सुधार के लिए वित्त पोषण करने वाला महत्वपूर्ण तंत्र रहेगा।

श्री कमलनाथ: विश्वजननीय पर्यावरण सुविधा, जी०ई०एफ० जैसे कि इसे आमतौर पर जाना जाता है, एक ऐसी निधि है जिसे पहले स्थापित किया गया था। हम भी इस निधि के अंशदाता हैं। हमारा यह विचार था कि इस निधि का संचालन लोकतांत्रिक ढंग से किया जाये इसमें दान करने के साथ पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। यह निधि विश्व बैंक द्वारा संचालित होती है। हमारी स्थिति इस सब के साथ यह थी कि इसमें अंशदान करने वालों के साथ पक्षपात बहुत अधिक किया जाता है और वह पक्षपात यह है कि इस निधि पर विकसित देशों का बहुत अधिक नियंत्रण है।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है।

श्री कमलनाथ: इस बात पर सहमति हुई थी कि इस निधि का संचालन लोकतांत्रिक ढंग से हो। और इसे सुस्पष्ट बनाया जाएगा, यह सहमति हुई थी कि ऐसे परिवर्तनों के बाद, लोकतंत्रीकरण के बाद और सुस्पष्ट बनाए जाने के बाद भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में जो कदम उठाए गए हैं वे पर्याप्त हैं, यह निधि तीन वर्ष तक फिर से केवल अन्तरिम उपाय रहेगी। अतः माननीय सदस्य की शंकाओं पर विचार कर लिया गया है। ये आशंकाएं हम सब की भी हैं और इन्हें कम कर दिया गया है और हम उन्हें ठीक करने में समर्थ रहे हैं।

श्री विजय एन० पाटील: अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग जैसे विभागों की तरह पर्यावरण विभाग नऐं हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 'रियो' सम्मेलन का इस विभाग की दिन-प्रतिदिन गतिविधियों पर क्या सीधा प्रभाव पड़ेगा। पिछले वर्ष हमने पर्यावरण जागरूकता अभियान जैसी बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित की हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इसके अधिक निधि मिलेगी क्योंकि प्रधान मंत्री ने स्वयं इस सम्मेलन में भाग लिया था। हमारे देश में पर्यावरण और परिस्थिति की संरक्षण के बारे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वह कौन सी नई योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री कमलनाथ: महोदय, 'रियो' सम्मेलन के निष्कर्षों में बहुत सी बातें शामिल हैं। अतिरिक्त निधि जुटाने के अलावा इससे हम पर अधिक जिम्मेदारी आएगी क्योंकि अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पर्यावरण में विकृति के कुछ पहलू विश्वजनीन हैं जबकि हमारी कार्रवाई स्थानीय है।

महोदय, आगे और जिस हद तक निधि एकत्र करने की आवश्यकता होगी उससे हमें योजनाएं निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। इसका एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि हमने जैव विविधता पर इस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए हैं। महोदय, भविष्य के संदर्भ में अब अपनी जैव विविधता, चाहे यह राष्ट्रीय उद्यान हो या पक्षी विहार अथवा चाहे यह पक्षी विहारों और राष्ट्रीय उद्योगों के इर्द-गिर्द पारिस्थितिकी विकास परियोजनाएं हों, को सुरक्षित रखने के लिए अधिक निधि प्राप्त करने में सहायक होगी, जिसे हम किसी तरह से अपनी निधि से कर रहे हैं।

वनों के संबंध में यह विचार है कि विश्वजनीन पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में वनों का बहुत अधिक महत्व हो गया है। मैं भविष्य में इसके अत्यधिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता पर बल दूंगा जिससे हमें नई परियोजनाएं स्थापित करने और निर्धारित करने में गति मिलेगी।

श्री हरि किशोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या यह धारणा सत्य है, अमरीका की सरकार ने शुरू से ही इस सम्मेलन को सैबोटाज करने की चेष्टा की। क्या यह धारणा भी सही है, विकसित देश पर्यावरण की समस्या को लेकर विकासशील देशों में विकास की योजनाओं पर तरह-तरह के व्यवधान डाल रहे हैं, जैसे नर्मदा सागर योजना इनमें से एक है?

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, इसमें सैबोटाज की बात नहीं है। अमरीका का अपना विचार है, उनका अपना नज़रिया है और उनका अपना दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण और इस नजरिए से हालत यह हुई कि

बायोडाईवर्सिटी कन्वेंशन में केवल युनाइटेड स्टेट अकेला रहा। पूरे विश्व ने, ही देश ने इस पर साइन किया। यह उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन इसमें सैबोटाज की बात कोई नहीं कह सकता है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे: विकसित राष्ट्रों का यह प्रयास रहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग विकासशील देशों में लगाये जायें। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे विकास पर विचार करते हुए, सरकार ऐसे कौन से उपाय करेगी जिससे कि भारत में प्रदूषण न हो।

श्री कमल नाथ: महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कतिपय देशों ने अपने देशों में कई वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, जिससे कि इन वस्तुओं का उत्पादन चाहे विषैला, खतरनाक या प्रदूषण फैलाने वाला ही क्यों न हो, विकासशील देशों में इनका उत्पादन होता रहे। तथ्य यह है कि उनके द्वारा इन वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध न लगाने से, यह बात स्पष्ट होती है। हमें इस बात की जानकारी है हम देख रहे हैं ऐसे कौन से उद्योग हैं। सरकार के पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्याप्त अधिकार हैं और इस बारे में हमने प्रारूप अधिसूचना भी जारी की है, स्थल को स्वीकृति देने से पहले हमें मूल्यांकन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, वह स्थल स्वीकृति के बारे में है। यह परियोजना की स्वीकृति का प्रश्न नहीं है लेकिन विशिष्ट स्थल का प्रश्न है। विशेप परियोजना का होना भी उचित है हम इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव: अध्यक्ष जी, रियो में तमाम विकसित, विकासशील देशों ने एक स्वर से इस बात के ऊपर जोर दिया था कि आज जो सारे विश्व में और खास तौर स जो विकासशील देश हैं उनमें जो वातावरण की स्थिति खराब हो रही है उसका मुख्य कारण यह है कि टोकसिक इंडस्ट्रीस, केमिकल इंडस्ट्रीस और बहुत सा पोल्यूशन की जो इंडस्ट्रीस हैं, आज विकसित देश अपने देश में लगाने के लिए तैयार नहीं हैं और वे मल्टीनेशनल कार्पोरेशन और विकासशील देश सारे विकासशील देशों में लगा रहे हैं। पिछले 20-25 साल से यह समस्या पैदा हो गई है और इसलिए यह ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो गई है कि न केवल पृथ्वी पर बल्कि समुद्र में और वातावरण में भी बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण से तरह-तरह के भयंकर रोग, जिसमें कैंसर से लेकर टीबी तक और दूसरी वायरल जो बीमारियां हैं वे इस वातावरण के दूपित होने से आज पैदा हो रही हैं। प्रश्न यह नहीं है कि क्या वे विकसित देश अपनी आय का प्वाइंट सात परसेंट देंगे, उनके जो पैटर्न आफ डेवेलपमेंट हैं, जिस तरह से वे कारखाने बनाते हैं, जिस तरह की इंडस्ट्री लगाते हैं क्या उसके ऊपर कोई सहमति हुई? क्या यह निश्चय किया गया कि अब आगे इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? **(व्यवधान)** यानी कि वे पैदा हो जाएं, वातावरण दूपित हो जाए, फिर आप पैसा लगाएं। क्या इसके ऊपर कोई मशीनरी बनी, कोई टाइम-बाउंड प्रोग्राम बना? क्या भारत सरकार इस काम को और आगे बढ़ाना चाहती है, में इस बारे में जानना चाहता हूं?

श्री कमल नाथ: सर, जहां तक मूवमेंट और डम्पिंग का हेजरडस वेस्ट का प्रश्न है उसमें बाज़ल कंवेंशन उसके लिए है, जिसमें हमारा देश भी उसका सिगनेटरी है। जहां तक यह प्रश्न है कि मल्टीनेशनल यहां पर आएंगे और यहां बहुत हेजरडस या टाक्सिक उद्योग लगाएंगे, इसके लिए जैसा कि मैंने कहा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे पास उनको रोकने के लिए अधिकार है। इसकी हमने जांच की है, स्टडी की है, एग्ज़ामिन किया है और उसी के आधार पर हमने एक नोटीफिकेशन भी जारी किया है, ड्राफ्ट नोटीफिकेशन जारी किया है जिससे यह जो खतरा है, जो सबसे ज्यादा प्रदूपण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज हैं उन पर हम कंट्रोल कर सकें। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव: मैंने खाली भारत के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि जो रियो सम्मेलन में तमाम विकसित देशों ने कहा था उसका जवाब तो आया नहीं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर बाद में चर्चा करेगें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव: मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब तो आना चाहिए। यह तो अजीब बात है कि प्रश्न मैं कुछ पूछ रहा हूं और यह जवाब कोई और दे रहे हैं।

श्री रवि राय: अयक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानाना चाहता हूं क्योंकि कमल नाथ जी वहां 8-10 दिन से ज्यादा रहे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसलिए मैं और सारा सदन उनसे यह जानना चाहता है, जिस तरीके से इन्होंने इसको माना है कि बायो-डायवर्सिटी जिसमें यूनाइटेड स्टेट के प्रेसीडेंट वहां आए और उन्होंने दस्तखत नहीं किए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विकासशील देश, जिसका कभी-कभी हिन्दुस्तान इन सम्मेलनों में नेतृत्व करता रहता है तो श्री बुश के ऊपर या अमेरिकन डेलीगेशन के ऊपर किस तरह का दबाव डाला, कि दबाव डालने के बावजूद भी उसने बायो-डायवर्सिटी के ऊपर दस्तखत नहीं किए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है जो इतना दबाव डालने पर भी श्री बुश ने दस्तखत नहीं किए तो आगे चल कर विकासशील देशों को संगठित करके बायोडायवर्सिटी पर अमरीका के दस्तखत लेने के लिए क्या मार्ग है।

श्री कमलनाथ: अध्यक्ष महोदय, इस पर रियो में बहुत चर्चा हुई, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिनिधि भी वहां पर उपस्थित थे, उनके भी घंटों चर्चा हुई। यूनाइटेड स्टेट्स के जो अलाइस हैं, मित्र हैं, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इनसे भी चर्चा की कि यूनाइटेड स्टेट्स को समझाएं कि इस पर उनका अकेले रह जाना सही नहीं होगा, पर यह जो उनका फैसला था, उन्होंने रियो कन्वेंशन के पहले ही बहुत हाई लेवल पर ले लिया था। तो हमारा जब यह सारा प्रयास बेअसर हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन नहीं किए, फिर भी मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इस फैसले के बाद भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स इससे जुड़े। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

वन क्षेत्र

*84. **श्री सुभास चन्द्र नायक:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन क्षेत्र में वृद्धि के बारे में कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछली बार ऐसी समीक्षा कब की गई थी; और

(ग) राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख). भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, इस मंत्रालय का एक संगठन, भू-दृश्य प्रतिबिम्बिकी की दृश्य व्याख्या के आधार पर, दो वर्षीय चक्र पर देश के वन आवरण का मूल्यांकन करता है। देश के वन आवरण के बारे में 1987-89 की अवधि का तीसरा मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और उसके निष्कर्ष स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1991 में प्रकाशित कर दिये गये हैं।

(ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

वन आवरण के राज्यवार ब्यौरे मूल्यांकन 1991 (संशोधित)

क्र० सं०	राज्य	क्षेत्र वर्ग कि०मी० में
1.	आन्ध्र प्रदेश	47,911
2.	अरुणाचल प्रदेश	68,518
3.	असम	25,977
4.	बिहार	26,934
5.	गोवा (दमन और दीव सम्मिलित)	1,302
6.	गुजरात	11,656
7.	हरियाणा	563
8.	हिमाचल प्रदेश	13,377
9.	जम्मू और कश्मीर	20,424
10.	कर्नाटक	32,195
11.	केरल	10,149
12.	मध्य प्रदेश	1,33,191
13.	महाराष्ट्र	44,050
14.	मणिपुर	17,885
15.	मेघालय	15,920
16.	मिजोरम	18,861
17.	नागालैण्ड	14,278
18.	उड़ीसा	47,115
19.	पंजाब	1,166
20.	राजस्थान	12,971
21.	सिक्किम	3,124
22.	तमिलनाडु	17 715
23.	त्रिपुरा	5,325
24.	उत्तर प्रदेश	33,826
25.	पश्चिमी बंगाल	3.394
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	7,624
27.	चण्डीगढ़	8
28.	दादरा व नगर हवेली	205
29.	दिल्ली	22
30.	लक्षद्वीप	—
31.	पांडिचेरी	—
	कुल	6,40,694

महोदय, आपकी अनुमति से, मैं अपने विवरण में, जो मैंने सभा पटल पर रखा है, कुछ संशोधन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आप संशोधन कर सकते हैं।

श्री कमल नाथ: महोदय, संशोधन यह है कि राज्यवार वन क्षेत्र के अन्तिम आंकडे 6,40,694 के स्थान पर 6,39,182 पढ़े जायें।

***श्री सुभाष चन्द्र नायक:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने विवरण में राज्यवार वन क्षेत्र के आंकडे दिये हैं। में मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें विभिन्न राज्यों में वन क्षेत्र में क्रमशः हो रही कमी की जानकारी है, यदि हां, तो इसके या कारण हैं, यदि यह अधिक मात्रा में पेड़ काटने तथा वन सम्पदा की तस्करी के कारण हैं तो सरकार का विचार वनों की कटाई और तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है?

श्री कमल नाथ: महोदय, मैं केवल उतना ही उत्तर दूंगा जितना प्रश्न मेरी समझ में आया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं आपके प्रश्न को छोटा कर सकता हूं? वनों का सफाया किया जा रहा है। आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री कमल नाथ: महोदय, अन्तिम रिपोर्ट, जो हमें उपग्रह से प्राप्त हुई है, से लगता है कि प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन हुआ है और वन क्षेत्र में 560 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये 1981-83 और 1985-87 के तुलनात्मक आंकड़े हैं जबकि इन दो अवधियों में वन क्षेत्र में कमी आई थी लेकिन मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 1987 से 89 की अवधि की रिपोर्ट, जो कि नवीनतम है और वर्ष 1991 की रिपोर्ट में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कतिपय राज्यों में वन क्षेत्रों में कमी आई है, और कई राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आज हमारे देश में घना वन क्षेत्र है जिसका अर्थ है 40 प्रतिशत या इससे अधिक जो 11.73 प्रतिशत है। खुला वन क्षेत्र अर्थात् 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत जिसका 'क्राउन' घनत्व 7.63 प्रतिशत है। कच्छ वनप्राप्ति वन क्षेत्र 0.13 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में 19.49 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है।

***श्री सुभाष चन्द्र नायक:** अध्यक्ष महोदय, आदिवासी उड़ीसा के सभी 36 एक्स-स्टेट क्षेत्र में रह रहे हैं। अति प्राचीन काल से वे वनों से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। वे अपनी छोटी झोपडियां बनाने के लिए स्थानीय जंगलों से लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। अब, जब वे अपनी छोटी आवास इकाइयों को बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करने जाते हैं तो उन्हें लकड़ी इकट्ठी नहीं करने दी जाती और उन्हें वन अधिकारियों द्वारा तंग भी किया जाता है। दूसरी तरफ, बहुमूल्य वन सम्पदा से भरे ट्रकों की तस्करी की जा रही है और तस्करों को बे-रोक टोक जाने की अनुमति दी जाती है। क्या मंत्री जी आदिवासियों को संरक्षण देंगे; यदि हां, तो ब्यौरा क्या है?

धीरे-धीरे वन क्षेत्र की कमी बड़ी चिन्ता की विषय है। भारत सरकार वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठा रही है। क्या वह विद्यमान वन रोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संतुष्ट है, यदि नहीं, तो सरकार ने वन रोपण कार्यक्रम विशेषतया सामाजिक वानिकी कार्यक्रम तथा प्रतिपूरक वन रोपण कार्यक्रमों को और कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं, जिससे कि वनों को भली प्रकार संरक्षित और पर्याप्त भौगोलिक संतुलन बनाये रखा जा सके।

अध्यक्ष महोदय: इस लम्बे प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दिया जाये।

श्री कमल नाथ: महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि जैसा कि हमारी राष्ट्रीय नीति है

*मूलतः उड़िया में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कि हम वनों को आय स्रोत की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम इन्हें सामुदायिक संसाधनों के रूप में देखते हैं। वनों को सामुदायिक संसाधन के रूप में मानते हुए, हमने आदिवासियों और कमजोर से कमजोर वर्गों की जरुरतों पर विशेष जोर दिया है। हमारे वन देश की ईंधन लकड़ी तथा चारे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस उद्देश्य के लिए विशेष योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों तथा आदिवासियों के लिए देश में और अधिक विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी: महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकती हूं कि क्या वन क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास में वह पेड़ों को पट्टे पर देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और क्या वह आदिवासियों को पेड़ पट्टे पर देने के बारे में विचार कर रहे हैं? दूसरे, महिलाओं को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाएं क्या है जिससे कि वे इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक हिस्सा ले सकें?

श्री कमल नाथ: महोदय, तथ्य यह है कि यदि वनों को बचाना है तो वन संरक्षण तथा वनों में समुदाय हिस्सेदारी बहुत जरुरी है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो जीवन पर्यन्त अधिकारों के आधार पर, वन उत्पाद की हिस्सेदारी पर आधारित है चाहे वे खाद्य पदार्थों के वृक्ष, बीजों या जड़ी बूटियों के वृक्ष हों। पिछले दो वर्षों से समुदाय की हिस्सेदारी की योजनाएं शुरू की गई थीं। ये वापिस ले ली गई हैं। हमें तथ्य की जानकारी है कि समुदाय की हिस्सेदारी में फायदे हैं और वन रोपण आवश्यक है। **(व्यवधान)** पट्टे पर देने के बारे में यह योजना हमारे पास विभिन्न रूपों में आई है। पेड़ों का हक देने से अनियमितताएं बढ़ सकती हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन योजना में पेड़ों को उगाने के लाभों में हिस्सेदारी है, परन्तु पट्टा योजना के अन्तर्गत नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्य का महिलाओं की हिस्सेदारी से संबंधित प्रश्न का संबंध है, मैं उल्लेख कर सकता हूं कि ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें महिलाओं को शामिल किया गया है। विशेषतया ये नर्सरी बढ़ाने के बारे में हैं और उस पहलू से जिनमें पिछले कई वर्षों से महिलाओं की सक्रिय हिस्सेदारी रही है।

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न 85—श्री गिरधारी लाल भार्गव।

यह भी एक अच्छा प्रश्न है। मैं इस पर और अनुपूरक प्रश्नों की भी अनुमति दूंगा, लेकिन वे प्रासंगिक प्रश्न होने चाहिए।

[हिन्दी]

संस्कृति का विकास

*85. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संस्कृति के विकास हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए देश के 10 विभिन्न भागों में विगत वर्ष के दौरान अनेक संगोष्ठियां आयोजित की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन संगोष्ठियों के आधार पर तैयार किये गये प्रारुप की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसी नीति को कब तक अपनाये जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) राष्ट्रीय संस्कृति नीति का प्रारूप तैयार करने के पहले कदम के रूप में विशेषज्ञों, समीक्षकों और प्रशासकों के विचार जानने के लिए 1990 के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियां आयोजित की गई थीं।

(ख) इन संगोष्ठियों की प्रमुख सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों और संसद सदस्यों के विचार प्राप्त होने पर ही संस्कृति नीति अपनाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

1. वर्ष 1990 के दौरान देश के विभिन्न भागों में आयोजित 10 क्षेत्रीय संगोष्ठियों की सिफारिशें मुख्यतः इस प्रकार थीं:

(क) लोगों, विशेषकर युवाओं को, उन मूल्यों, जो आम तौर पर जीवन स्तर को समृद्ध करने वाले समझे जाते हैं, के ढांचे के भीतर सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रति सुग्राही बनाने के लिए कार्यनीतियां विकसित करने की जरूरत है।

(ख) सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों से विकास को प्रोत्साहित करने, सृजनात्मक अभिव्यक्तियों के जो रूप सदियों से चिरस्थायी महत्व के रहें हैं, उन्हें परिरक्षित करने, अभिव्यक्ति के जो रूप बदलते रहे हैं अथवा जिनका स्थान नए रूप लेते रहें हैं; उन्हें प्रलेखित करने तथा इन रूपों में, जिनसे मिलकर भारत की संस्कृति का निर्माण होता है, जो विविधता है, उसे पहचानने के लिए कार्यनीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) हमारे प्राचीन स्मारकों के प्रति मन में गौरव का भाव बैठाना और विभिन्न कार्यक्रमों में निजी और स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करना तथा जहां तक संभव हो, सरकार द्वारा हस्तक्षेप न किया जाना।

2. उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों के साथ-साथ, संगोष्ठियों में बहुत से विचार इस बात को लेकर व्यक्त किए गए कि इन उद्देश्यों की किस प्रकार पूर्ति की जा सकती है, जिनमें एक विचार यह था कि बिना किसी राज्य नियंत्रण के सांस्कृतिक एजेंसियों के वित्त-पोषण के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: माननीय अध्यक्ष महोदय........(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: महोदया........(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैंने आपसे महोदय कहा है, महोदया नहीं कहा.......(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: साधारण खंड अधिनियम में 'महोदय' में 'महोदया' शब्द शामिल है।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन सिंह जी को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए.......(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आपके चारों तरफ बैठे लोग आपको भ्रम में डाल रहे हैं। ....(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से यह सवाल पूछ रहा हूं कि संस्कृति की परिभाषा उनकी दृष्टि में क्या है, पहली बात यह बताइए।

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आदरणीय सदस्य ने मौलिक सवाल यहां पर पूछा है। मैं सक्षम हूं इसका उत्तर देने के लिए, यह अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य तय करेंगे लेकिन मेरी समझ में भारतीय संस्कृति की परिभाषा भारतीय संस्कृति के परिवेश में ही दी जा सकती है और जैसा में समझता हूं हमारा देश जिन मूल्यों पर विश्वास करता है, जिन आदर्शों पर चलता आया है, वही हमारी संस्कृति की परिभाषा करेगा। वही मूल्य आदर्श हैं समता, समभाव, सदभाव के, उदारता के और साथ ही साथ उदार मानवता के।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, आपने प्रातःकाल ही एक परिपत्र जारी किया है और आज ही सभी लोगों को प्रातःकाल ही मिला है। सुझाव आपने मांगे हैं। मेरा मतलब है कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी और कब तक इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रयास है जैसा कि मूल उत्तर में दिया हुआ है। सांस्कृतिक नीति एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न प्रकार के मत हैं और जब तक हम इन सभी मतों को जान न लें और सभी का समावेश करके अगर प्रयास न करें तो मेरे मत में कोई भी सांस्कृतिक नीति भारत के लिए बनाना उचित नहीं होगी और इसीलिए इतने लम्बे समय तक इस पर विचार-विमर्श हुआ। विभिन्न राज्यों के संस्कृति मंत्रियों ने सम्मेलन में अपनी कुछ राय दी। उसका समावेश करके एक नया एप्रोच पेपर तैयार किया गया है। वही एप्रोच पेपर सभी सदस्यों को वितरित किया है उनके मत जानने के लिए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि संभव हो तो इस सत्र में इस एप्रोच पेपर पर इस सदन में बहस भी हो जाए तो हमें और भी सहायक होगा। उसके पश्चात् ही इस निर्णय पर पहुंच सकेंगे कि भारत की सांस्कृतिक नीति का स्वरूप

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम कोशिश करेंगे अब श्री आनन्द रत्न मौर्य।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति तैयार की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति तैयार की जायेगी तो क्या यह नीति सरकारी नियंत्रण में लागू की जायेगी। क्या इस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति जो तैयार की जा रही है तो इसके अंतर्गत राज्य सरकारों की सहभागिता होगी या नहीं।

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उस नीति के निर्णय के द्वारा ही दिया जा सकता है। हमारी ओर से किसी भी विषय पर न पूर्वाग्रह है और न ही पहले से कोई मुद्दा बनाया है। यहां तक सरकारी नियंत्रण का सवाल है यह मुद्दा प्रश्नावलियों में निहित है, ऐसा हो या न हो यह उत्तर सदन में विचार-विमर्श के बाद लिया जायेगा। जहां तक आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं, मैं कला के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण के कतई खिलाफ हूं।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी मरबनिआंग: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, (क) क्या दस क्षेत्रीय सेमिनारों में से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई सेमिनार आयोजित किया गया था; (ख) यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई सेमिनार आयोजित किया गया था, तो यह कहां आयोजित किया गया था और उसकी सिफारिशें

का सार क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है। इसीलिए हम माननीय मंत्री से यह जानना चाहेंगे।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार 21 और 22 सितम्बर को गुवाहटी में एक सेमिनार आयोजित किया गया था तथा जितने भी सेमिनार आयोजित किए गए है, उनकी प्रमुख बातें इस प्रश्न के उत्तर में विवरण के रूप में इस सभा में पेश की जा चुकी हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी: महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन सेमिनारों में इस बात पर कोई चिंता व्यक्त की गई है कि संस्कृति के मूल्यों में कितनी विकृति आयी है, जबकि राष्ट्र आगे बढ़ने के लिए प्राचीन मूल्यों के साथ जुड़ना चाहता है।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय संस्कृति एक ऐसी अलग घटना नही है, जो कि किसी एक तिथि से शुरू होकर किसी दूसरी तिथि पर खत्म हो। अतीत का वर्तमान पर निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन इस के साथ-साथ हम अतीत को वर्तमान पर इस प्रकार हावी नहीं कर सकते, जिससे कि भविष्य पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़े। इस वजह से अगर हम माननीय अध्यक्ष की अनुमति से ऐसी चर्चा करें जिसका मैं प्रस्ताव कर रहा हूं तो इन्हीं मुद्दों को महत्व दिया जाएगा और यही वे मुद्दे हैं, जिन पर इस सभा के विभिन्न वर्गों को अपने विचार व्यक्त करने पड़ेंगे, जैसा कि इन सेमिनारों में, और मंत्रियों के सम्मेलन में कहा गया है। मुझे विश्वास है, जब हम एक साथ मिलकर निर्णय लेंगे, तो हमें एक बहुत जरूरी मुद्दे पर, जिस पर माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है, गौर करना होगा।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, सांस्कृतिक-नीति संबंधी दृष्टिकोण पत्र को तैयार करने का प्रयास मुख्य रूप से स्वैछिक तौर पर देश में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के सच्चे उद्यम को दर्शाता है। इस देश की मिश्रित सांस्कृति को दशनि के लिए, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रीय केन्द्रों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया है। यह क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र बहुत अच्छा कार्य कर रहें हैं। परन्तु उन क्षेत्रों को दिए गए नामों से प्रतीत होता है, जैसे कि वे रेल के जा॓न हों, न कि सांस्कृतिक केन्द्र। इस वजह से, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री, उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र इत्यादि वर्तमान नामों को परिवर्तित करेंगे और इन केन्द्रों को संस्कृति के विभिन्न अंगों पर नाम देंगे।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, इस सुझाव पर हम गौर कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री वीरेन्द्र सिंह । मेरे विचार में कुश्ती भी हमारी संस्कृति का एक अंग है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, संस्कृति के विकास हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए मंत्री जी ने कहा है। उस राष्ट्रीय नीति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि सब लोग यहां पर चर्चा करते हैं कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। उस संस्कृति विकास में ग्रामीण संस्कृति का जो रोज पराभव हो रहा है, ग्रामीण संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण संस्कृति के विकास के लिए, उसके पराभव के लिए उन संगोष्ठियों में उसकी चर्चा होगी और जो नीति तैयार होगी, उसमें ग्रामीण संस्कृति के विकास के लिए, ग्रामीण परम्पराओं के विकास के लिए एक नीति निर्धारित होगी?

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने लोक कलाओं के बारे में, जिनका ग्रामीणों से संबंध है, उसके बारे में यहां पर सवाल उठाया है। अगर वे एप्रोच पेपर पढ़ने का कष्ट करेंगे तो उसमें समावेश है कि न केवल व्यापक स्तर पर लोक कलाओं के संरक्षण के लिए बल्कि लोक कलाओं के प्रोत्साहन के लिए भी बात लिखी है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि कोई भी

सांस्कृतिक गतिविधि इस देश में लोक कलाओं, लोक कथाओं और लोक दृष्टिकोण से परे जाकर बनायी जा सकती है। इसमें आदिवासी संस्कृति भी है, इसमें लोक कलायें भी है और हमारे देश के हजारों-हज़ार फैले हुए युवाओं की सांस्कृतिक भावनायें भी हैं। वह सब मिलाकर ही संस्कृति नीति को बनायेंगे और उसमें आप की सहायता कर सकता हूं।

श्री पवन दीवान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस भारतीय संस्कृति की बात यहां पर की जा रही है, उस संस्कृति पर जो बाहर और भीतर से अनेक आक्रमण हो रहे हैं, उस संस्कृति को विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वे सांप्रदायिक ताकतें हों, चाहे वे संकीर्ण ताकतें हों, चाहे वे इस देश की संस्कृति और सभ्यता को भीतर से खोखला करने वाली विषैली ताकतें हों, इन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए कोई ऐसी नीति उसमें शामिल है जिससे हम भारतवासी उस नीति के द्वारा इन तमाम संकीर्ण ताकतों का मुकाबला कर सकें?

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने संस्कृति से उत्पन्न होने वाले खतरों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और ये खतरे काल्पनिक नहीं हैं, ऐसा हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन इन खतरों का मुकाबला करने के लिए चेतना की जरूरत है। सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना और दृढ़-संकल्प की जरूरत है। मैं समझता हूं कि भारत का गणराज्य इन तीनों में सम्पन्न है जिनसे हम ऐसी ताकतों का मुकाबला कर सकेंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी: माननीय अध्यक्ष जी, "भारतस्य प्रसिद्ध द्वे संस्कृतः संस्कृतिस्थयां" अर्थात् भारत की प्रसिद्धि जग में दो कारणों से थी—भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृत। लेकिन अब इनकी दुर्व्यवस्था हुई है। क्या आप नयी योजना में इस दुर्व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्रियान्वयन करने जा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि इन दोनों का भक्षण पिछले भूतकाल और आपके राज्य में हुआ है, क्या आप इस चीज को समाप्त करेंगे?

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भरसक कोशिश की है कि संस्कृति को राजनीति से दूर रखूं माननीय सदस्य इस लोभ को नहीं बचा सके लेकिन मैं इनको राजनैतिक स्तर पर कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी: माननीय मंत्री जी, पहले कक्षा तीन से संस्कृत पढ़ाई जाती थी और आज आठवीं कक्षा से पढ़ाई जाती है। यह आपके कार्यकाल में और आपके राज्य में हायर सैकेण्डरी में संस्कृत सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया है।..**(व्यवधान)**..

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से आदरणीय सदस्य से निवेदन कर सकता हूं कि आत्मसंयम भी हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो...।

श्री दाऊ दयाल जोशी: ... यह हमारी वेदना है।

श्री अर्जुन सिंह: : ... आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वेदना केवल इनके दृश्य में नहीं, बल्कि राष्ट्र के हृदय में है और राष्ट्र के हृदय की वेदना को सुनने की ताकत हममें से प्रत्येक में होनी चाहिए और ये संस्कृति की नीति जो हम आपके सहयोग से बनाना चाहते हैं, इसमें सबका सहयोग रहेगा। वह इस राष्ट्र को यह संबल भी दे और संकल्प लेने की शक्ति भी दे, ऐसी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उच्च अध्ययन हेतु विदेश भेजे गये छात्र

*86. **श्री भगवान शंकर रावतः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उच्च अध्ययन और तकनीकी शिक्षा के लिए कितने छात्रों को विदेश भेजा गया;

(ख) उनमें से कितने छात्र अपना अध्ययन पूरा करके वापस लौट आये हैं;

(ग) कितने छात्र अपना अध्ययन पूरा करने के बाद भी विदेश में ही रह रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को उन्हें भारत में वापस बुलाने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) अध्ययन के लिए विदेश गये प्रत्येक छात्र पर सरकार द्वारा औसतन कितना खर्च किया जाता है; और

(छ) अपना अध्ययन पूरा करने के बाद कितने छात्र वापस आये हैं और रोजगार पाने में सफल हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (छ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) 1970-71 से विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित करता आ रहा था। इस योजना के अंतर्गत, छात्र पी०एच०डी०, उत्तर डाक्ट्रल शोध/विशेषज्ञता प्रशिक्षण, मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री, नौसेना वास्तुकला/कागज प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री के लिए विदेश भेजे जाते थे।

इस योजना को 1990-91 से बंद कर दिया गया है और पिछला चयन 1989-90 के दौरान किया गया था। वे उम्मीदवार, जिनका चयन 1989-90 के दौरान किया गया था, अपने प्रवेश की पुष्टि होने पर उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान विदेश जाते रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92 तक) के दौरान इस योजना के अंतर्गत 37 छात्रों को विदेश भेजा गया है। उनमें से 6 छात्र अपना अध्ययन पूरा करने के बाद भारत वापस आ गए हैं। 31 छात्र अभी भी अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं। इसमें से कोई भी छात्र अपना अध्ययन पूरा करने के बाद अभी तक विदेश नहीं रह रहा है।

इन छात्रों को वापस बुलाने की कोई योजना नहीं है। तथापि योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुने गए छात्रों को एक बन्धपत्र निष्पादित करने की आवश्यकता होती है जिसमें यह उल्लेख होता है कि वे अपना अध्ययन पूरा करने के बाद भारत वापस आ जाएंगे, ऐसा न करने पर उनपर खर्च की गई संपूर्ण राशि ब्याज सहित उनसे वसूल की जाएगी।

19-9-90 में, विदेश में 121 छात्रों पर हुआ कुल खर्च 2,71,03,476 रुपये था, अर्थात औसतन 2,23,995 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष। (अध्ययन की अवधि एक से तीन वर्ष तक भिन्न-भिन्न है जो एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है)।

6 छात्रों में से, जो अपना अध्ययन पूरा करने के बाद भारत वापस आ गए हैं, 5 को रोजगार मिल गया है।

[अनुवाद]

प्रदूषण रोकने सम्बन्धी नई नीति

*87. श्रीमती सरोज दुबे:
श्री गंगाधरा सानीपल्ली:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कोई पर्यावरण नीति घोषित की है अथवा घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्रोत पर ही प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक जारी किये गये नियमों तथा विनियमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) सरकार ने 26 फरवरी, 1992 को प्रदूषण उपशमन के लिए एक नीति विवरण जारी किया है। विवरण की एक प्रति पिछले सत्र में सदन के पटल पर रखी गई थी।

(ख) नीति में विकास योजना में पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को समेकित करने की अपेक्षा की गई है; प्रदूषण उपशमन के निवारक पहलुओं, औद्योगिक प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय निवेश को बढ़ावा देने और स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने में जन सहयोग में आस्था को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

(ग) इस नीति के अनुसार, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों द्वारा जल की खपत के मानकों से संबंधित नियम अधिसूचित किये गये है; प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों के लिए पर्यावरणीय जांच शुरू की गई है और प्रदूषकों के अंतर-मीडिया हस्तांतरण को रोकने के लिए एक सामान्य मंजूरी प्रणाली शुरू करने के लिए मंजूरी-प्रबंध-प्रणाली को युक्तिसंगत बनाकर संशोधित किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर रेलवे पर माल यातायात

*88. श्री तेज नारायण सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991 के लिए उत्तर रेलवे के लिए माल यातायात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था

(ख) कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) इस जोन में हो रहे माल यातायात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 1991-92 के लिए 28 मिलियन टन

(ख) 27.36 मिलियन टन अथवा लगभग 98 प्रतिशत, 1991-92 में भारतीय रेलों पर राजस्व उपार्जक माल यातायात का कुल लदान लक्ष्य से अधिक हुआ था।

(ग) सभी रेल उपयोगकर्ताओं के साथ निकट समन्वय, बेहतर गतिशीलता और परिसम्पत्तियों का उपयोग

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं

*89. **श्री सुधीर गिरि: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यांकन के निष्कर्षों की कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गई है; और

(ग) ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंचाने के लिए मूल्यांकन के आधार पर क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1977 में चलाई गई सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना जिसे बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक योजना और उसके बाद स्वास्थ्य गाइड योजना कहा गया, का राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सहयोगी अध्ययनों के माध्यम से 1978, 1979 और 1984 में मूल्यांकन किया गया था। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद भी दूसरे (1979) और तीसरे (1984) मूल्यांकनों में एक सहयोगी संस्थान था।

2. सरकार द्वारा इन मूल्यांकन रिपोर्टों का अध्ययन किया गया था। इस योजना की कई बार समीक्षा की गई है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी इस पर चर्चा की गई है। योजना के नवीकरण का कार्य सबसे पहले पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में संग्रहालय

*90. **श्री प्रबीन डेका: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री 7 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम में पुरातत्व संग्रहालयों के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने इन राज्यों के संग्रहालयों के उचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए इन राज्यों को इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों, जिनमें असम राज्य भी सम्मिलित है, में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कोई भी पुरातत्व स्थल संग्रहालय नहीं है, इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संग्रहालयों के लिए धनराशि आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

*91. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री श्रीकान्त जेना:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार): (क) से (ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को नकद और सामग्री के रूप में 1989-90 में 571.62 करोड़ रुपये, 1990-91 में 712.90 करोड़ रुपये और 1991-92 में 776.04 करोड़ रुपये की रकम प्रदान की गई थी। राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण I संलग्न है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न परिवार नियोजन विधियों के बारे में निर्धारित राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण II में दी गई है।

कुछ क्षेत्रों में लक्ष्यों की उपलब्धि इन कारणों से प्रभावित हुई है जैसे पुत्र-प्राप्ति की तीव्र लालसा प्रेरित करने वाले सामाजिक रीति-रिवाज और विश्वास, निम्न साक्षरता दर, लड़कियों में विवाह की कम आयु, उच्च नवजात शिशु मृत्यु-दर, समुदाय की सहभागिता का अभाव, सेवाओं की गुणवत्ता और उन्हें दूर-दराज के क्षएेत्रों में पहुंचाने में अपर्याप्तता, संसाधनों की अपर्याप्तता, उच्च प्रजनन क्षमता वाले युवा आयु के दम्पतियों की निम्न कवरेज आदि। इसके अलावा, कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं आदि ने भी उपलब्धि को प्रभावित किया है।

परिवार कल्याण .कार्यक्रम को नई गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसका सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समर्थन किया गया है और उसे उनके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इसका समर्थन किया है और यह राय दी है कि जनसंख्या समस्या को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में नियंत्रित किया जाना चाहिए। जनसंख्या मुद्दों के सभी पहलुओं की जांच करने, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए एकीकृत समग्रतावादी नीति अपनाने पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति का गठन किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण को आठवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

विवरण—I

गत तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92) के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को (नगद और सामग्रीगत) दी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

		1989-90			1990-91		
क्र०सं०	राज्यों के नाम	राशि	सामग्रीगत	कुल	राशि	सामग्रीगत	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	4429.14	787.93	5217.07	3917.58	580.61	4498.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.25	14.44	71.69	78.67	25.59	104.26
3.	असम	1062.06	96.89	1158.95	1289.87	200.08	1489.95
4.	बिहार	3342.05	492.10	3834.15	4373.24	621.70	4994.94
5.	गोवा	89.28	11.43	100.71	92.38	15.56	107.94
6.	गुजरात	2051.44	555.36	2606.80	2664.96	487.63	3152.59
7.	हरियाणा	861.03	286.81	1147.84	1121.51	239.24	1360.75
8.	हिमाचल प्रदेश	459.76	90.87	550.73	1166.39	57.21	1223.60
9.	जम्मू व कश्मीर	420.11	55.45	475.56	865.86	73.15	939.01
10.	कर्नाटक	3462.37	356.02	3818.39	3647.79	447.59	4095.38
11.	केरल	2367.28	248.82	2616.10	3253.11	259.85	3512.96
12.	मध्य प्रदेश	3818.67	804.77	4623.44	3934.70	863.14	4797.84
13.	महाराष्ट्र	3877.44	850.25	4727.69	6929.88	893.39	7823.27
14.	मणिपुर	205.65	27.70	233.35	215.61	22.11	237.72
15.	मेघालय	131.29	14.92	146.21	203.76	8.32	212.08
16.	मिजोरम	76.38	10.29	86.67	93.52	9.89	103.41
17.	नागालैण्ड	92.78	9.00	101.78	100.96	16.28	117.24
18.	उड़ीसा	2502.60	315.51	2818.11	2528.55	333.35	2861.90
19.	पंजाब	1351.09	274.47	1625.56	1291.34	230.86	1522.18
20.	राजस्थान	2361.04	422.41	2783.45	2659.75	520.73	3180.48
21.	सिक्किम	83.95	4.25	88.20	87.91	5.60	93.51
22.	तमिलनाडु	2936.01	555.72	3491.73	3568.79	422.26	3991.05
23.	त्रिपुरा	217.76	18.12	235.88	194.68	24.76	219.44
24.	उत्तर प्रदेश	7540.61	1262.93	8803.54	13327.83	1579.87	14907.07
25.	पश्चिम बंगाल	5463.69	334.89	5798.58	5151.52	590.63	5742.15
	कुल :	49260.73	7901.45	57162.18	62760.16	8529.38	71289.54

(1991-92 रुपये लाख में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	राशि	सामग्रीगत	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5129.96	752.44	5882.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	104.73	10.33	115.06
3.	असम	1666.54	316.30	1982.84
4.	बिहार	4643.20	755.44	5398.64
5.	गोवा	103.13	19.84	122.97
6.	गुजरात	2930.78	718.52	3649.30
7.	हरियाणा	1400.00	326.60	1726.60
8.	हिमाचल प्रदेश	1965.70	83.32	2049.02
9.	जम्मू व कश्मीर	1262.34	84.19	1346.53
10.	कर्नाटक	2860.75	464.73	3325.48
11.	केरल	1562.73	350.33	1913.06
12.	मध्य प्रदेश	4871.07	963.58	5834.65
13.	महाराष्ट्र	5990.81	1105.45	7096.26
14.	मणिपुर	272.12	14.31	286.43
15.	मेघालय	186.89	13.13	200.02
16.	मिजोरम	120.35	7.09	127.44
17.	नागालैंड	133.77	9.82	143.59
18.	उड़ीसा	4253.34	395.08	4648.42
19.	पंजाब	1715.45	332.58	2048.03
20.	राजस्थान	3701.94	549.12	4251.06
21.	सिक्किम	111.41	6.74	118.15
22.	तमिलनाडु	4778.65	454.90	5233.55
23.	त्रिपुरा	222.91	21.17	244.08
24.	उत्तर प्रदेश	10413.14	1919.19	12332.33
25.	पश्चिम बंगाल	6934.33	593.54	7527.87
	कुल:	67336.04	10267.74	77603.78

विवरण-II

1989-90, 90-91 और 91-92 के दौरान नसबंदी संबंधी राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	1989-90			1990-91			1991-92		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धि %	लय	उपलब्धियां	उपलब्धि %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	मुख्य राज्य (एक करोड़ और उससे अधिक जनसंख्या)									
1.	आन्ध्र प्रदेश	637000	442804	69.5	650000	454287	69.6	600000	477640	79.6
2.	असम	200000	60173	30.1	254000	64369	25.3	254000	66323	26.1
3.	बिहार	513000	332455	64.8	550000	268429	48.8	500000	211940	42.4
4.	गुजरात	293000	237255	81.0	258000	240520	93.2	270000	257350	95.3
5.	हरियाणा	100000	88686	88.7	102000	89498	87.7	104000	100760	96.9
6.	कर्नाटक	311000	289372	93.0	360000	282628	78.5	345000	300908	87.2
7.	केरल	180000	208537	115.9	200000	190547	95.3	160000	162183	101.4
8.	मध्य प्रदेश	350000	237386	67.8	350000	285860	81.7	375000	314119	83.8
9.	महाराष्ट्र	525000	526457	100.3	575000	552241	96.0	525000	535774	102.1
10.	उड़ीसा	209000	152614	73.0	220000	144931	65.9	203000	136137	67.1
11.	पंजाब	120000	138962	115.8	120000	92021	76.7	100000	85502	85.5
12.	राजस्थान	225000	122635	54.5	225000	148430	66.0	225000	172607	76.7
13.	तमिलनाडु	425000	383132	90.1	425000	382512	90.0	350000	364407	104.1
14.	उत्तर प्रदेश	700000	483354	69.1	785000	439612	56.0	820000	375771	45.8
15.	पश्चिम बंगाल	450000	320212	71.2	500000	320480	64.1	400000	322526	80.6

II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र									
1. हिमाचल प्रदेश	30000	32591	108.6	34000	32574	95.8	35000	38143	109.0
2. जम्मू और कश्मीर	36600	13973	38.2	38000	12406	32.6	39000	11618	29.8
3. मणिपुर	7800	4631	59.4	10000	3550	35.5	7000	4005	57.2
4. मेघालय	700	538	76.9	800	538	67.3	783*	559**	71.4
5. नागालैंड	1500	1065	71.0	1500	996	66.4	1600	1013	63.3
6. सिक्किम	1100	983	89.4	1000	889	88.9	1000	1265	126.5
7. त्रिपुरा	9000	7331	81.5	11000	8066	73.3	11000	7180	65.3
8. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2100	2138	101.8	2000	1909	95.5	1850	1911	103.3
9. अरुणाचल प्रदेश	1400	1486	106.1	2300	1344	58.4	2100	1642	78.2
10. चंडीगढ़	3500	2268	64.8	3500	2510	71.7	2700	2967	109.9
11. दादरा और नागर हवेली	800	863	107.9	1000	712	71.2	696	603	86.6
12. दिल्ली	36000	31917	188.0	40000	33368	83.4	37500	37176	99.1
13. गोवा	4500	4569	101	4500	4341	96.5	4000	4105	102.6
14. दमन और दीव	350	395	112.3	350	420	120.0	300	407	135.7
15. लक्षद्वीप	60	22	36.7	70	22	31.4	80	23	28.8
16. मिज़ोरम	3000	3581	119.4	3000	4148	138.3	3000	4361	145.4
17. पांडिचेरी	5100	7437	145.8	5600	7813	139.5	.5000	8222	164.4
III. अन्य एजेंसियां									
1. सुरक्षा मंत्रालय	28900	20150	69.7	30800	19778	64.2	20000	18089	90.4
2. रेल मंत्रालय	38600	28191	73.0	40480	30881	76.3	30000	28129	93.8
अखिल भारतीय	5449010	4188163	76.9	5803900	4122630	71.0	5433609	4055365	74.6

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

**आंकड़े फरवरी, 92 तक।

1989-90, 90-91 और 91-92 के दौरान आई यू डी निवेशन के संबंध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एजेंसी	1989-90			1990-91			1991-92		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धि %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. मुख्य राज्य (एक करोड़ और उससे अधिक जनसंख्या)										
1.	आन्ध्र प्रदेश	421000	245996	58.4	450000	255478	56.8	450000	274456	61.0
2.	असम	30000	27703	92.3	90000	28471	31.6	50000	28347	56.7
3.	बिहार	400000	253737	63.4	475000	201095	42.3	400000	133568	33.4
4.	गुजरात	317000	356547	112.5	460000	451694	98.2	430000	348769	81.1
5.	हरियाणा	164000	170409	103.9	210000	158279	75.4	168000	146975	87.5
6.	कर्नाटक	223000	199555	89.5	262000	209483	80.0	275000	232378	84.5
7.	केरल	115000	125324	109.0	150000	119747	79.8	125000	112683	90.1
8.	मध्य प्रदेश	300000	334171	111.4	370000	380091	102.7	375000	310939	82.9
9.	महाराष्ट्र	500000	435091	87.0	525000	472034	89.9	480000	456474	95.1
10.	उड़ीसा	168000	157497	93.7	200000	167697	83.8	174000	147608	84.8
11.	पंजाब	275000	356729	129.7	350000	406098	116.0	300000	358610	119.5
12.	राजस्थान	250000	191723	76.7	250000	180855	72.3	250000	156815	62.8
13.	तमिलनाडु	415000	431817	104.1	550000	419197	76.2	450000	431110	95.8
14.	उत्तर प्रदेश	1250000	1340976	107.3	1535000	1585467	103.3	1508000	833516	53.3
15.	पश्चिम बंगाल	175000*	131126	74.9	225000	140226	62.3	300000	153756	51.3

II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र									
1. हिमाचल प्रदेश	43000	37420	87.0	60000	41796	69.7	55000	47401	86.2
2. जम्मू और कश्मीर	25700	14792	57.6	26000	15516	59.7	16000	9960	62.3
3. मणिपुर	8200	7151	87.2	8000	7728	96.6	8400	5536	65.9
4. मेघालय	2000	1610	80.5	2000	2015	100.8	1305**	176**	134.9
5. नागालैंड	2500	1834	33.4	2500	653	26.1	2500	644	25.8
6. सिक्किम	1700	1471	86.5	1300	1568	120.6	1300	916	70.0
7. त्रिपुरा	4500	2560	56.9	2500	2731	109.2	2300	2420	105.2
8. अंडमान और निकोबार द्विपसमूह	1500	1695	113.0	1500	1694	112.9	1900	1805	95.0
9. अरुणाचल प्रदेश	2000	2116	105.8	2400	2452	102.2	2800	2128	76.0
10. चंडीगढ़	10000	5644	56.4	10000	5501	55.0	7000	5952	85.0
11. दादरा और नगर हवेली	210	160	76.2	200	231	115.5	174**	244**	140.2
12. दिल्ली	90000	70641	78.5	12600	71454	56.7	82500	78148	94.7
13. गोवा	3500	3695	105.6	3500	3533	100.9	3000	3456	115.2
14. दमन और दीव	330	120	36.4	330	162	49.1	200	211	105.5
15. लक्षद्वीप	100	165	65.0	150	120	80.0	170	141	82.9
16. मिजोरम	2700	2580	95.6	2700	2570	95.2	2700	2291	84.9
17. पांडिचेरी	3200	4121	128.8	4200	4236	100.9	4000	4145	103.6
III. अन्य एजेंसियां									
1. सुरक्षा मंत्रालय	20000	13115	65.6	24400	13978	57.3	15000	13508	90.1
2. रेल मंत्रालय	28700	13851	48.3	0320	14224	70.0	15000	13751	91.7
अखिल भारतीय	5252840	4942042	94.1	6400000	5368074	83.9	5956249	4320522	72.5

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

**आंकड़े फरवरी, 92 तक।

1989-90, 90-91 और 91-92 के दौरान प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ताओं के संबंध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धियां	1989-90 उपलब्धि %	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धियां	1990-91 उपलब्धि %	1991-92 लक्ष्य	1991-92 उपलब्धियां	1991-92 उपलब्धि %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	मुख्य राज्य (एक करोड़ और उससे अधिक जनसंख्या)									
1.	आन्ध्र प्रदेश	1014000	725245	71.5	1078300	826079	76.6	1050000	867997	82.7
2.	असम	60000	37414	62.4	40000	36642	91.6	60000	38662	64.4
3.	बिहार	202000	185749	92.0	359100	153779	42.8	400000	106550	26.6
4.	गुजरात	650000	769208	118.3	600000	809596	134.9	800000	780120	97.5
5.	हरियाणा	550000	598272	108.8	552360	519466	94.0	480000	487995	101.7
6.	कर्नाटक	246000	223703	90.9	264630	231500	87.5	270000	247304	91.6
7.	केरल	271000	292139	107.8	297200	305889	102.9	300000	292329	97.4
8.	मध्य प्रदेश	1150000	1230744	107.0	1100000	1348720	122.6	1250000	988309	79.1
9.	महाराष्ट्र	850000	915241	107.7	969000	1110315	114.6	1075000	1072397	99.88
10.	उड़ीसा	306000	306666	100.2	291600	307959	105.6	312000	264919	84.9
11.	पंजाब	429000	580799	135.14	473600	493369	104.2	500000	537822	107.6
12.	राजस्थान	400000	445700	111.4	400000	306884	76.7	450000	371262	82.5
13.	तमिलनाडु	280000	324752	116.0	389000	296977	76.3	280000	287698	102.7
14.	उत्तर प्रदेश	1300000	1265976	97.4	1459500	1541280	105.6	1615000	1609470	99.7
15.	पश्चिम बंगाल	425000	319860	75.3	418700	315987	75.5	400000	317720	79.4

II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र									
1. हिमाचल प्रदेश	69000	69087	100.1	75000	74368	99.2	60000	73149	121.9
2. जम्मू और कश्मीर	21200	14731	69.5	16000	11708	73.2	16000	10758	67.2
3. मणिपुर	4600	3732	81.1	5100	2509	49.2	8000	2711	33.9
4. मेघालय	3000	2264	75.5	3000	1649	55.0	2614	1400	53.6
5. नागालैंड	700	30	4.3	900	14	1.6	1000	12	1.2
6. सिक्किम	600	463	77.2	800	514	64.3	400	370	92.5
7. त्रिपुरा	4000	4420	110.5	1600	4445	277.8	5000	2449	49.0
8. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1400	1702	121.6	1580	1845	116.8	1800	2468	137.1
9. अरूणाचल प्रदेश	600	882	147.0	300	1211	403.7	800	1028	128.5
10. चंडीगढ़	10000	8482	84.8	11180	8028	71.8	11000	18648	169.5
11. दादरा और नगर हवेली	700	503	71.9	940	59	6.3	647	553	85.5
12. दिल्ली	36000	319973	88.9	450000	298593	66.4	315750	363152	115.0
13. गोवा	12000	14762	123.0	12900	14167	109.8	12000	14680	122.3
14. दमन और दीव	750	578	77.1	750	367	48.9	800	777	97.1
15. लक्षद्वीप	1000	261	26.1	1000	192	19.2	1300	166	12.8
16. मिजोरम	2200	1649	75.0	4240	1473	34.7	2000	2215	110.8
17. पांडिचेरी	8300	11241	135.4	9900	8368	84.5	8000	11750	146.9
III. अन्य अभिकरण									
1. रक्षा मंत्रालय	90800	68661	75.6	61350	64763	105.6	61400	50831	82.3
2. रेलवे मंत्रालय	442000	378552	85.6	400000	324651	81.2	400000	341225	85.3
3. जिला वाणिज्य	4850000	5035417	103.8	5330000	5317361	99.8	6000000	3448472	57.5
अखिल भारतीय	1401585[illegible]	14158858	101.0	15079530	14740727	97.8	16150511	1261736	7.1

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

**आंकड़े फरवरी, 92 तक।

1989-90, 90-91 और 91-92 के दौरान मुख सेव्य गोलियों के प्रयोगकर्ताओं के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/प्राधिकरण	1989-90			1990-91			1991-92		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां %	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	मुख्य राज्य (एक करोड़ और उससे अधिक जनसंख्या)									
1.	आन्ध्र प्रदेश	194000	174058	89.7	225128	232230	103.2	200000	182472	91.2
2.	असम	15000	2091	13.9	30000	9354	31.2	15000	11333	75.6
3.	बिहार	20700	37210	179.8	59700	47589	79.7	65000	35673	54.9
4.	गुजरात	78000	118368	151.8	90000	114566	127.3	110000	114949	104.5
5.	हरियाणा	40000	38340	95.9	32800	37647	114.8	26500	37264	140.6
6.	कर्नाटक	49800	74249	149.1	77900	75148	96.5	80000	81554	101.9
7.	केरल	34500	43427	125.9	50300	40651	80.8	35000	38931	111.2
8.	मध्य प्रदेश	200000	222042	111.0	220000	270011	122.7	250000	255869	102.3
9.	महाराष्ट्र	350000	303363	86.7	286600	430283	150.1	325000	379219	116.7
10.	उड़ीसा	42100	57675	137.0	53900	65750	122.0	57000	58297	102.3
11.	पंजाब	50000	61523	123.0	47900	62929	131.4	50000	72059	144.1
12.	राजस्थान	50000	66647	133.3	50000	60177	120.4	70000	58289	83.3
13.	तमिलनाडु	150000	189094	126.1	173600	176786	101.8	100000	156247	156.2
14.	उत्तर प्रदेश	180000	186252	103.5	224900	223215	99.3	245000	251871	102.8
15.	पश्चिम बंगाल	100000	99701	99.7	124600	110816	88.9	175000	111979	64.0

II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र									
1. हिमाचल प्रदेश	9500	9806	103.2	12000	13002	108.4	14000	14910	106.5
2. जम्मू और कश्मीर	3200	2946	92.1	4000	4083	102.1	4000	3804	95.1
3. मणिपुर	220	565	256.8	500	521	104.2	4000	144	3.3
4. मेघालय	2000	1200	60.0	2000	1100	55.0	900	1214	134.9
5. नागालैंड	1000	137	13.7	1000	93	9.3	1000	70	7.0
6. सिक्किम	2200	1768	80.4	1300	1619	124.5	600	2036	339.3
7. त्रिपुरा	2900	2651	91.4	2100	3073	146.3	2300	6515	183.3
8. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	320	419	130.9	380	483	127.1	600	606	101.0
9. अरूणाचल प्रदेश	1000	1047	104.7	700	1016	145.1	1400	1100	78.6
10. चंडीगढ़	500	240	48.0	900	294	32.7	300	290	96.7
11. दादरा और नगर हवेली	100	142	142.0	180	220	122.2	110	134	121.8
12. दिल्ली	4500	3484	77.4	8000	5612	70.2	6700	7997	119.4
13. गोवा	2000	2054	102.7	2300	2380	103.5	2000	2178	108.9
14. दमन और दीव	120	118	98.3	120	140	116.7	100	119	119.0
15. लक्षद्वीप	250	69	27.6	300	58	19.3	350	53	15.1
16. मिजोरम	920	978	106.3	1580	1106	70.0	1000	1132	113.2
17. पांडिचेरी	960	1080	112.5	1040	1080	103.8	900	1031	114.6
III. अन्य प्राधिकरण									
1. रक्षा मंत्रालय	4200	4331	103.1	2960	5079	171.6	2600	4240	163.1
2. रेल मंत्रालय	4100	4454	108.6	4100	5032	122.7	3700	4680	126.5
3. वाणिज्यिक वितरण	500000	1081077	216.2	700000	1160923	165.8	800000	702769	87.8
अखिल भारत	2094090	2792606	133.4	2492788	3164066	126.9	2650060	2601028	94.1

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

**फरवरी, 92 तक आंकड़े।

चिल्का पारिस्थितिकी प्रणाली

*92. **श्री के॰ पी॰ सिंह देवः**
श्री चित्त बसुः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चिल्का झील की जल उत्पाद परियोजना के संबंध में निर्माण-कार्य की अनुमति दे दी है तथा कुछ औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर झींगा मछली पालन परियोजना को संयुक्त उद्यम के रूप में लगाने की अनुमति भी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या झींगा मछली पालन परियोजना से झील की पारिस्थितिकी प्राणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहां का वातावरण प्रदूषित होगा तथा रामसार सम्मेलन, 1971 का उल्लंघन होगा; और

(घ) पर्यावरण के ह्रास और इसके परिणामस्वरूप चिल्का पक्षी अभयारण्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (2) उड़ीसा सरकार और चिल्का एक्वेटिव फार्म्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से समन्वित झींगा मछली पालन परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में एक झींगा फार्म, एक हैचरी, एक झींगा फीड मिल और एक प्रसंस्करण संयंत्र शामिल है। फार्म तालाबों का निर्माण करने के लिए लगभग 375 हेक्टेयर भूमि अलग रखी गई है।

(ग) और (घ) परियोजना के पर्यावरणीय निहितार्थों पर अध्ययन नहीं किये गये हैं। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि परियोजना शुरू करने से पहले परियोजना का उपयुक्त पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जाए।

नैमित्तिक श्रमिक

*93. **प्रो॰ रीता वर्माः**
श्री सूर्यनारायण यादवः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे में प्रति वर्ष कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित सेवा में ले लिया जाता है; और

(ख) उन्हें नियमित सेवा में शीघ्र लेने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) सामान्य तौर पर होने वाली रिक्तियों के संबंध में ग्रुप "घ" में प्रतिवर्ष लगभग 16,000 लोगों को समाहित किया जा रहा है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में, नैमित्तिकरण समाप्त करने की योजना के कारण प्रतिवर्ष औसतन लगभग 20,000 अतिरिक्त लोगों को समाहित किया गया है।

(2) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित नियोजन में समाहित करने का अवसर प्रदान करने के लिए, ग्रुप "घ" में सभी रिक्तियों को वस्तुतः नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों की स्क्रीनिंग करके तथा उनको समाहित करके भरा जाता है।

नैमित्तिकरण समाप्त करने की गति बढ़ाने के लिए नैमित्तकरण समाप्त करने की योजना

के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 और 1990-91 के दौरान लगभग 83,000 पदों को स्वीकृत किया गया था।

गन्ने का बकाया मूल्य

*94. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:**
श्री राम नगीना मिश्र:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक चीनी कारखानों द्वारा चालू फसल-अवधि में गन्ना सप्लाई करने वालों को अभी करोड़ों रुपये का भुगतान किया जाना है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (घ) चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू 1991-92 मौसम के दौरान 31.3.1992 को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को देय गन्ना कीमत का बकाया 606.38 करोड़ रुपया था जोकि कुल देय गन्ना कीमत का 18.7 प्रतिशत है। 31.3.92 को गन्ना कीमत के बकाया का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस मौसम में गन्ना कीमत की बकाया राशि के अधिक होने का मुख्य कारण राज्य द्वारा सुझाई गई गन्ना कीमत का अधिक होना तथा चीनी फैक्ट्रियों द्वारा बड़ी मात्रा में गन्ने की पेराई करना है।

चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना कीमत का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है जिनके पास ऐसे भुगतान को बाध्य करने के लिए आवश्यक अधिकार एवं क्षेत्रीय संगठन हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुस्मारक जारी किए गए हैं जिनमें गन्ना कीमत का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वर्ष 1991-92 में 31.3.1992 तक देय गन्ना कीमत का राज्यवार बकाया विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

राज्य / क्षेत्र	31.3.1992 को देय गन्ना कीमत का बकाया
पंजाब	5295.81
हरियाणा	3251.73
राजस्थान	412.04
पश्चिम उत्तर प्रदेश	6369.54

राज्य/क्षेत्र	31.3.1992 को देय गन्ना कीमत का बकाया
मध्य उत्तर प्रदेश	10333.95
पूर्वी उत्तर प्रदेश	7803.85
समस्त उत्तर प्रदेश	24507.34
मध्य प्रदेश	1213.09
दक्षिण गुजरात	852.73
सौराष्ट्र	239.65
समस्त गुजरात	1092.38
दक्षिण महाराष्ट्र	3490.76
उत्तर महाराष्ट्र	3132.36
समस्त महाराटर	6623.12
उत्तर बिहार	7650.69
दक्षिण बिहार	88.95
समस्त बिहार	7739.64
आसाम	35.44
आन्ध्र प्रदेश	2051.17
कर्नाटक	4827.36
तमिलनाडु	2724.92
केरल	1.12
उड़ीसा	436.09
पश्चिमी बंगाल	79.67
नागालैण्ड	62.14
पांडिचेरी	140.50
गोआ	144.31
समस्त भारत	60637.87

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं.

*95. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में हुए रियो सम्मेलन के बाद वन और पर्यावरण के प्रश्न को दिये गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए चार प्रमुख महानगरों में से प्रत्येक में वन और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) सरकार वन संरक्षण और पारिस्थितिकी से संबंधित अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

वानिकी अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संगठन है, ये अनुसंधान उसके अनेक अनुसंधान केन्द्रों के अतिरिक्त 6 मुखय अनुसंधान संस्थानों में किये जाते हैं। जी॰बी॰ पन्त हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा अन्य उत्कृष्टता केन्द्र जैसे सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र, पारिस्थितिकीय विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र; खनन पर्यावरण केन्द्र इत्यादि अनेक अन्य संस्थान हैं जो हमारे पर्यावरण में स्थाई पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के संबंध में अनुसंधान कार्य करते हैं। लेकिन, देश के चार महानगरों में वन और पर्यावरण पर प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विकास परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी

*96. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंहः
श्री पी॰ सी॰ थाम्मसः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उनके मंत्रालय ने गत तीन महीनों के दौरान राज्यवार किन-किन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार किन-किन विकास परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार राज्यवार कौन-कौन सी विकास परियोजनाएं पर्यावरण की दृष्टि से सरकार की मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं;

(घ) ये कब से लंबित पड़ी हैं और इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) परियोजनाओं का मूल्यांकन और उस पर कार्रवाई पूरे आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् ही की जा सकती है। अंतिम निर्णय कार्य योजनाओं और पूर्ण पर्यावरणीय आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् अधिक से अधिक तीन माह के भीतर ले लिया जाता है।

विवरण

क. 1.4.92 से 30.6.92 की अवधि के दौरान मंजूर विकास परियोजनाओं की सूचीः

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम
आन्ध्र प्रदेश	
1.	पेनाडा में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निर्माण।
2.	मेडापल्ली खुली खदान परियोजना — सिंगरेनी कालिरीज कम्पनी लि॰।
असमः	
3.	लाकवा में एल॰पी॰जी॰ रिकवरी संयंत्र—गैस अथारिटी आफ इंडिया।
गुजरातः	
4.	गुजरात तेलशोधक कारखाना, बड़ौदा में अतिरिक्त क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट की स्थापना — भारतीय तेल निगम।

क्र.सं.	परियोजना का नाम

जम्मू और कश्मीरः

5. पांथल मैग्नासाइड परियोजना—जम्मू कश्मीर खनिज विकास निगम

कर्नाटकः

6. बेनिफिकेशन और पेलीलाइजेशन प्लांट का विस्तार — कुद्रेमुख आइस ओर कम्पनी लि०
7. केपिटव पावर प्लांट—कुदरेमुख आयरन ओर कम्पनी लि०
8. बंगलौर पत्तन में एल० पी० जी० आयात सुविधा — हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन।
9. क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एलोक्ट्रानिक सर्किट बोर्ड का निर्माण—संयुक्त उद्यम परियोजना।

केरलः

10. कायमकुलभ थर्मल पावर प्रोजेक्ट — चरण-1

मध्य प्रदेशः

11. महेश्वर जल विद्युत परियोजना।

महाराष्ट्रः

12. उसर में, रायगढ़ में एल० पी० जी० रिकवरी संयंत्र — गैस अथारिटी आफ इंडिया लि०
13. वृहत बम्बई को प्राकृतिक गैस का वितरण — गैस अथारिटी आफ इंडिया लि०

मेघालयः

14. पश्चिम गारो पहाड़ियों में हवाई अड्डे का निर्माण।

उड़ीसाः

15. पारादीप बन्दरगाह में कोयला संचालन के लिए दो बर्थों का निर्माण।
16. देवलबाड़ा तथा तलचर भूमिगत परियोजना — साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लि०
17. तलचर उर्वरक संयंत्र का अन्यत्र ले जाना — भारतीय उर्वरक निगम।
18. राउरकेला इस्पात संयंत्र के चरण-2 का आधुनिकीकरण — भारतीय इस्पात प्राधिकरण।

राजस्थानः

19. सलादीपुरा फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र — पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि०

तमिलनाडुः

20. नागापट्टीनम में यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए उतरने और बर्थ सुविधाओं का प्रावधान।
21. ताप विद्युत परियोजना — तमिलनाडु इंडस्ट्रीज केपिट्व पावर क. लि०

उत्तर प्रदेशः

22. पोर्टेबल जैनसेट्स और बहुप्रयोजनीय इंजनों को जोड़ना — मै० बिरला यामाहा।
23. रिहन्द एस टी पी पी — चरण-2

क्र.सं.	परियोजना का नाम
पश्चिम बंगाल:	
24.	कलकत्ता बन्दरगाह में जलयान यातायात प्रबन्ध प्रणाली की व्यवस्था।
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह:	
25.	इंदिरा प्वाइंट पर नये रेडियो बेकन की स्थापना।
दिल्ली:	
26.	बवाना में गैस आधारित विद्युत परियोजना।
समुद्र तट से दूर की परियोजना:	
27.	आर-15 ए ढांचे का विकास (चरण-1)-तेल और प्राकृतिक गैस आयोग।

ख. 1.4.92 से 30.6.92 की अवधि के दौरान नामंजूर परियोजनाओं के नाम:

क्र० सं०	परियोजना का नाम
हिमाचल प्रदेश:	
1.	मलाना जल विद्युत परियोजना
2.	न्योगल जल विद्युत परियोजना
जम्मू और कश्मीर:	
3.	सुरू जल विद्युत परियोजना
सिक्किम:	
4.	तीस्ता जल विद्युत परियोजना
तमिलनाडु:	
5.	सलेम इस्पात संयंत्र (कोल्ड रोलिंग प्लांट्स)
उत्तर प्रदेश:	
6.	गौरीगंगा चरण-3ए तथा 3बी जल विद्युत परियोजना

ग. 30.6.1992 की स्थिति के अनुसार लम्बित परियोजनाएं:

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	लम्बित रहने के कारण
1.	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश:			
1.	सुरासनियानम में मोबाइल गैस टरबाइन सेट	जून,1992	हालही में प्राप्त
2.	रामागुंडल शाफ्ट ब्लाक-1—सिंगरेनी कालियरीजक० लि० (एससी सी एल)	अक्टूबर, 89	पर्यावरणीय आंकड़े औरकार्य योजनाएं प्राप्त होनी हैं।

1	2	3	4
3.	चेरला खुली खदान परियोजना(एससी सी एल)	अगस्त, 90	-वही-
4.	गौतम खानी परियोजना (एस सी सी एल)	फरवरी, 92	मांगी गई अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
5.	पदमावती खानी परियोजना (एस सी सी एल)	फरवरी, 1992	परियोजना पर विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले ही विचार किया गया।
6.	सामलकोट में भारतीय खाद्य निगम गोदाम	जनवरी, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
7.	भारत सरकार टकसाल	सितम्बर, 92	-वही-
बिहार:			
8.	राजरप्पा खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल फील्ड लि० (सी सी एल)	मई, 88	परियोजना पर विशेषज्ञों द्वारा पहले ही विचार किया गया।
9.	अमझीर खनन परियोजना-पाइराइटस, फास्फेट एंड केमिकल्स लि०।	मार्च, 88	मांगे गए स्पष्टीकरणों की अभी प्रतीक्षा है।
10.	नौमुदी लोह अयस्क खान-टिस्को	मार्च, 1990	समिति ने परियोजना पर वि[illegible]र किया। हाल ही में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।
11.	टोपा (पुनर्गठन) खुली खदान परियोजना-सी सी एल	दिसम्बर, 90	-वही-
12.	के०डी० हेसालांग विस्तार परियोजना-सी सी एल	दिसम्बर, 91	केव पेंटिंग पर प्रभाव की प्रतीक्षा है,
13.	गोमारडीह डोलोमाइट क्वैरी— सी सी एल	जून, 1992	हाल ही में प्राप्त
14.	उरीमनी खुली खदान परियोजना— सी सी एल	दिसम्बर, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
15.	चुरी भूमिगत परियोजना— सी० सी० एल०	नवम्बर, 91	अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई।
16.	चपरी-सिदेश्वर खान परियोजना— सी सी एल	जनवरी, 92	मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्राप्त होनी है।
17.	केदला वाशरी परियोजना— सी सी एल	फरवरी, 92	-वही-
गुजरात:			
18.	जी एस एफ सी का केप्टिव पावर संयंत्र	जनवरी, 92	परियोजना पर विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले ही विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई।
19.	कच्छ टाइडल परियोजना	फरवरी, 90	पूरे ब्यौरे प्राप्त हुए।
20.	उकाई-काकरापार आधुनिकीकरण परियोजना	जनवरी, 91	-वही-

1	2	3	4
21.	स्पोंज आयरन एंड डाट रोल्ड क्वाएल प्रोजेक्ट-इसार, गुजरात	अप्रैल, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव पर पहले ही विचार किया गया।
22.	निलरोफास्फेट उर्वरक संयंत्र,-हजीरा-कृभको	मई, 92	हाल ही में प्राप्त। समिति द्वारा विचारार्थ के लिए तैयार।
हरियाणा:			
23.	मारूति उद्योग लि० का विस्तार	मई, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना पर पहले ही विचार किया गया।
24.	करनाल में तेल शोधक कारखाना-भारतीय तेल निगम	सितम्बर, 91	-वही-
जम्मू और कश्मीर:			
25.	कारगिल में भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न गोदाम	सितम्बर, 90	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
कर्नाटक:			
26.	कुदरेमुख में खनन सुविधाओं का विस्तार	मई, 92	हाल ही में प्राप्त।
27.	बल्लारी में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम	मई, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
28.	मालपे मत्स्यन बन्दरगाह में सेक्टोरल स्टेज फिश लैन्डिंग सुविधाओं का निर्माण	मई, 92	-वही-
केरल:			
29.	पुन्नाप्रा में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण	अप्रैल, 92	-वही-
मध्य प्रदेश:			
30.	मोंगरा परियोजना	जनवरी, 91	क्षेत्रीय दौरे पूरे किए गए। अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
31.	भिलाई इस्पात संयंत्र की रौघाट लौह अयस्क परियोजना-सैल	जून, 87	रौघाट क्षेत्र से संबंधित पारिस्थितिकीय रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
32.	शीतल धारा भूमिगत खान-साउथ-इर्स्टन कोल फील्ड्स लि० (एस ई सी एल)	नवम्बर, 91	पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तथा कार्य योजनाओं से संबंधित सूचना की प्रतीक्षा है।
33.	डिपोजिट नं० 10/11 ए, बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना—एन एम डी सी	फरवरी, 92	संशोधित पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना की प्रतीक्षा है।
34.	मालंजखण्ड विस्तार परियोजना—एच सी एल	मार्च, 92	पूरी सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
महाराष्ट्र:			
35.	पिम्पलगांव खुली खदान परियोजना-वेस्टर्न कोल फील्ड लि०	फरवरी, 92	उपलब्ध कराया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
36.	थाल में नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र-राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	जून, 92	हाल ही में प्राप्त
उड़ीसा:			
37.	खानों का विस्तार-नाल्को	जनवरी, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
38.	उड़ीसा सैंड काम्पलेक्स में नया थोरियम प्लांट	नवम्बर, 91	पूरी सूचना उपलब्ध कराई जानी है।
39.	देतरी के पास स्पोंज आयरन प्लाण्ट-उड़ीसा स्पोंज आयरन लि०	मई, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचारार्थ तैयार
पंजाब:			
40.	वी०एल०एस०आई का निर्माण-मै० सेमीकंडक्टर काम्पलेक्स लि०	जून, 92	हाल ही में प्राप्त।
राजस्थान:			
41.	सलादीपुरा पाइराट्स खनन परियोजना-पाइराट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लि०	सितम्बर, 88	पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं हाल ही में प्राप्त हुई।
42.	धोलपुर ताप विद्युत स्टेशन-आर एस ई बी	मई, 91	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
43.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना इकाई (5 से 8)	सितम्बर, 89	विकिरण रिसाव के स्वास्थ्य प्रभावों से संबंधित आंकड़ों की प्रतीक्षा है।
सिक्किम:			
44.	रथांगचू पन-विद्युत परियोजना	अगस्त, 91	प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ तैयार है।
उत्तर प्रदेश:			
45.	जामरानी परियोजना	अगस्त, 89	पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना की प्रतीक्षा है।
46.	आई०डी०पी०एल०, ऋषिकेश के एंटीबायोटिक यूनिट में डी०जी० सेट लगाना	अप्रैल, 92	अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त।
47.	ऋषिकेश में इस्पात संयंत्र का विस्तार-आर एम आई	मार्च, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
48.	शाहजहांपुर में उर्वरक संयंत्र-बिन्दलएग्रो केमिकलस	मई, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा चर्चा के लिए तैयार।
49.	एन॰जी॰ आधारित विस्फोटक संयंत्र-मै॰ भारत एक्सप्लोसिव लि॰	मार्च, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
50.	जे॰के॰ प्रेट्रोकेमिकल्स द्वारा पेट्रोकेमिकल्स इकाइयां	जनवरी, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा चर्चा के लिए तैयार।
पश्चिम बंगाल:			
51.	जामबाद खुली खदान परियोजना-इस्टर्न कोल फील्ड्स लि॰ (ई सी एल)	फरवरी, 91	समिति द्वारा परियोजना पर विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
52.	चिहाकुरी-1 और 2 खान-ई सी एल	मई, 89	प्रौद्योगिकी के बारे में स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
53.	हल्दिया पेट्रोकिमिकल्स काम्पलेक्स	अप्रैल, 92	परियोजना विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ तैयार है।
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह:			
54.	मालाक्का में यात्री-हाल और कार्गो शेड तथा कार निकोबार द्वीप में टी॰ टॉप का निर्माण।	नवम्बर, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
55.	बन्दरगाह नियंत्रण टावरों, यात्री एवं कार्गो शेड आपरेशन स्टाफ क्वार्टरसेट परेसा का निर्माण	नवम्बर, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
56.	कचाल में बन्दरगाह नियंत्रण टावर और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	-वही-	-वही-
57.	चौरा में बनदरगाह नियंत्रण टावर, यात्री एवं कार्गो शेड और आपरेशन स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	-वही-	-वही-
58.	पोर्ट ब्लेयर में मेरीन डाक यार्ड के पास कार्यशाला शेड का निर्माण	जून, 92	हाल ही में प्राप्त।
59.	इंटरव्यू आइलैंड में न्यू लाइटेड बेकन की स्थापना	जून, 92	हाल ही में प्राप्त।
दिल्ली:			
60.	तुगलकाबाद में इनलैंड कन्टेनर डिपो का स्थान निर्धारण	अक्तूबर, 91	मांगे गए स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
61.	इन्द्रप्रस्थ बिजली संयंत्र, आर एंड एम कार्यक्रम	जनवरी, 92	-वही-

1	2	3	4
अन्तर्राज्यीय/समुद्र तट से दूर परियोजनाएं			
62.	कोंकण रेलवे परियोजना	अप्रैल, 92	मांगे गये स्पष्टीकरण की प्रतिक्षा है।
63.	एच बी जे पाइपलाइन का उन्नयन	मार्च, 91	पूरी सूचना की प्रतीक्षा है।
64.	दिल्ली से मारूति उद्योग लि० तक पाइपलाइन	सितम्बर, 91	विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले ही विचार किया गया।
65.	हजीरा गैस ट्रंक पाइपलाइन में द्वितीय आधार और हजीरा में समुद्र तट से दूर सुविधाओं का विस्तार—तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	जुलाई, 91	-वही-

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम

*97. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:
श्री बी० एन० रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1988-90 के दौरान प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षर बनाये गये व्यक्तियों की औसत संख्या में वर्ष 1985-87 की संख्या की तुलना में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1987-90 के दौरान साक्षर बनाये गये लोगों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से काफी कम थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान साक्षर किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित थी:

(लाखों में)

वर्ष	साक्षर किए गए व्यक्तियों की संख्या
1985-86	47.25
1986-87	54.32

वर्ष	साक्षर किए गए व्यक्तियों की संख्या
1987-88	45.29
1988-89	55.09
1989-90	50.00

(ग) और (घ) वर्ष 1987-90 के दौरान 3 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था जबकि इस अवधि के दौरान साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या 1.504 करोड़ थी। ऐसा इसलिए हुआ कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो मई 1988 में शुरू किया गया था के प्रथम दो वर्षों में साक्षरता के लिए सकारात्मक वातावरण पैदा करने, इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजनाओं में संशोधन करने, विभिन्न स्तरों पर मिशन का प्रबन्ध ढांचा तैयार करने, अच्छी विश्वसनीय तथा समर्पित स्वैच्छिक एजेन्सियों का पता लगाने तथा सभी सम्बन्धितों से गहन परामर्श करने आदि में व्यतीत हो गए। सम्पूर्ण साक्षरता के लिए जन अभियानों जिन्हें एर्नाकुलम में पर्याप्त सफलता मिली थी और बाद में जिनका विस्तार करके पूरे केरल और गोवा राज्य तथा संघशासित प्रदेश पांडिचेरी को शामिल किया गया था, शीघ्र ही उन्हें निरक्षरता के उन्मूलन के लिए सर्वाधिक प्रभावी कार्य नीति माना जाने लगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रथम दो वर्षों के दौरान, किए गए सभी प्रयासों के परिणाम अब इस रूप में प्रत्यक्षः सामने आने लगे हैं कि अब एक जिले के पश्चात् दूसरे जिले को सम्पूर्ण सार्क्षरता अभियानों के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है। इस समय देश के 156 जिलों में 95 परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न आयु-वर्गों में लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान की जा रही है।

(ङ) से (छ) प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की विस्तृत पुनरीक्षा करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूर्ण साक्षरता के लिए ऐसे जन-अभियान जो कि परम्परागत केन्द्र आधारित कार्यक्रम के विपरीत क्षेत्र विशेष आधारित, समयबद्ध, स्वेच्छा-आधारित, लागत प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी कार्यक्रम होंगे, उनका आयोजन आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रमुख कार्यनीति होगी। देशभर में 350 जिलों (जिनमें अब तक के 156 जिले शामिल हैं) में ऐसे अभियान आरम्भ करने का प्रस्ताव है ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान की जा सके। जिन क्षेत्रों / जिलों में किसी एक या अन्य कारण से पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ करना सम्भव नहीं है वहां स्वैच्छिक एजेंसियों, शिक्षा संस्थाओं तथा नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा नई नीति के बुनियादी तत्वों को अपनाते हुए साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएगें।

कूड़े-कचरे को पुनः प्रयोग में लाने योग्य बनाना

*98. **श्री पवन कुमार बंसलः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कूड़े-कचरे को पुनः प्रयोग में लाये जाने योग्य बनाने को प्रोत्साहित करने हेतु नये उपायों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कार्य करने वाले संगठनों को क्या प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)ः (क) से (ग) अपशिष्टों को पुनः प्रयोग में लाए जाने के लिए नए उपायों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन सरकार अपशिष्टों को पुनः प्रयोग में लाने को बढ़ावा दे रही है।

डाक्टरोत्तर अनुसंधान के लिए शोध छात्रों का चयन

*99. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 28 अप्रैल, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सह-संयुक्त कार्य के आधार पर पी०एच०डी० की डिग्री प्राप्त करने वाले शोध छात्रों को, स्वतंत्र शोध कार्य के आधार पर ऐसी डिग्रियां प्राप्त करने वाले शोध छात्रों की तुलना में, डाक्टरोत्तर और शिक्षक परीक्षाओं में कितने प्रतिशत कम या अधिक सफलता मिलती है;

(ख) इसमें यदि कोई हानि है, तो इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या डाक्टरोत्तर स्तर पर और इसके बाद सैद्धान्तिक उच्च गणित में शिक्षण और शोध कार्य को हतोत्साहित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने उत्तर-डाक्ट्रल उपाधि प्राप्त करने में उन उम्मीदवारों जिन्होंनि संयुक्त शोध अथवा स्वतंत्र शोध द्वारा पी०एच०डी० डिग्री प्राप्त की है, के कार्य-निष्पादन की तुलना करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। जहां तक शिक्षक परीक्षाओं का संबंध है, उन उम्मीदवारों को, जिनके पास पी०एच०डी० डिग्री है, विश्वविद्यालयों और कालेजों में लेक्चररों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं में बैठने से दिसम्बर, 1992 तक, छूट दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

इन्दिरा महिला योजना

*100. **श्री प्रकाश वी० पाटील:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं तथा बच्चों के विकास के लिए "इन्दिरा महिला योजना" आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या नीति तैयार की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) सरकार "इन्दिरा महिला योजना" तैयार करने की कार्यवाही कर रही है, जिसका उद्देश्य विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में जागृति की नवीन चेतना विकसित करना, उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सक्षम बनना होगा ताकि वे सामाजिक परिवर्तन और पुनरुत्थान की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर सकें। बाल विकास इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होगा।

योजना अभी तक शुरू नहीं की गई है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों में गेहूं की सप्लाई

832. श्री मदन लाल खुराना: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अक्तूबर, 1991 से फरवरी, 1992 के बीच उचित दर की दुकानों को कितनी मात्रा में गेहूं की सप्लाई की गई; और

(ख) दिल्ली में उक्त अवधि के दौरान उचित दर की दुकानों को गेहूं की सप्लाई किस दर से की गई?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) अक्तूबर, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिये दिल्ली में उचित दर की दुकानों को लगभग 3.28 लाख मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति की गई थी।

(ख) उचित दर की दुकानों को 1.1.1991 से 27.12.1991 की अवधि में 238.60 रु० प्रति क्विंटल की दर पर और 28.12.1991 से 29.2.1992 की अवधि में 284.80 रु० प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की आपूर्ति की गई थी।

दिल्ली में नकली शीतल पेयों की बिक्री

831. श्री छेदी पासवान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नकली शीतल पेयों की बिक्री के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) दिल्ली में नकली शीतल पेयों की बिक्री के बारे में कोई रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग अथवा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करणं उद्योग मंत्रालय, जो फल उत्पाद आदेश, 1955 के अर्न्तगत शीतल पेयों के लिये लाइसेंस देने वाला प्राधिकारण है, और खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में बेचे जाने वाले शीतल पेयोन की गुणवत्ता के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण करते रहे हैं।

दिल्ली में योग के कैम्प

834. श्री गुरुदास कामत: क्या मानव संसधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में मान्यता प्राप्त योग केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी योग केन्द्र को गिराया गया है;

(ग) यदि हां, तो वह कहां स्थित है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार के०एस०एम०वाई०एम० समिति लोनावला की दिल्ली शाखा पिछले 20 वर्षों से जनसाधारण के लिये तीन सप्ताह की अवधि के दो योग केन्द्र आयोजित करती रही है। पिछला योग केन्द्र अप्रैल, 1992 में आयोजित किया गया था और अगला केन्द्र सितम्बर-अक्तूबर, 1992 में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जनसाधारण के लिये नियमित आधार पर योग केन्द्र आयोजित किये जा रहे हैं।

यह मंत्रालय योग केन्द्रों को मांयता प्रदान नहीं करता और मंत्रालय को किसी योग केन्द्र को गिराये जाने की जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकलांगों की शिक्षा के लिये सप्लाई किये गये आडियो कैसेट

835. **श्री शशि प्रकाशः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकलांगों की शिक्षा के लिये सप्लाई किये गये आडियो कैसेटों से उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से इलाहाबाद में कितनी संस्थायें लाभान्वित हुई हैं; और

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत इन संस्थाओं में विकलांग और सामान्य बच्चों को साथ-साथ शिक्षा दी जा रही है?

मानव ससंसधम विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये श्रव्य कैसेट तैयार करती है। परिषद् द्वारा सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को कैसेटों के उनके द्वारा क्रय के लिये कैसेटों की उपलब्धता के संबंध में भी सलाह दी गई है। तथापि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक इन कैसेटों का बिल्कुल ही क्रय नहीं किया है।

(ख) जी, हां।

रानीगंज-मेजिया पुल

836. **श्री हाराधन रायः** क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे किः

(क) पूर्वी रेलवे में रानीगंज-मेजिया रेल तथा सड़क पुल के निर्माण की प्रगति क्या है; और

(ख) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस पर रेल यातायात कब से शुरू हो जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) रानीगंज मेजिया एक प्राइवेट साइडिंग है जिसका निर्माण इनके मालिकों द्वारा अपने निजी यातायात के लिये किया जाता है। चूंकि रेलवे ने न तो इसके लिये कोई योजना बनाई है और न ही इसका निर्माण शुरू किया है इसलिये इस साइडिंग अथवा इसके पुलों के निर्माण की प्रगति पर नजर नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

रांची से लोहोरदगा रेलवे लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

837. **श्री ललित उरांवः** क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे किः

(क) रांची से लोहोरदगा छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने तथा इस लाइन को तोरी तक बढ़ाये जाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इस परियोजना पर जो कार्य शुरू किये जाने की संभावना है उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) यह अनुमोदित कार्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में जनसंख्या में वृद्धि को रोकने हेतु कार्य योजना

838. **श्री एन॰ जे॰ राठवा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर में जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु कोई कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) जम्मू और कश्मीर के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और औषधालयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के स्तर में सुधार करने हेतु उप-केदर और औषधालय खोले जायेंगे; और

(घ) इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय होगी तथा इस परियोजना को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) जम्मू में (जम्मू व कश्मीर सहित) परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान करने के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श करके एक परिकल्पनात्मक और परिणामोन्मुख कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना को जनवरी, 1992 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। इस कार्य योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनुसमर्थन में राष्ट्रीय सहमति तैयार करने और समाज के सभी वर्गों की इच्छित भागीदारी प्राप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं:—

(1) परिवार कल्याण सवाओं की गुणवत्ता और उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने में सुधार करना, (2) 90 खराब कार्य निष्पादन वाले जिलों (1981 की जनगणना के अनुसार जिनकी जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 39 अथवा इससे अधिक है) पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिये विधितापूर्ण नीति तैयार करना, (3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक जन्म दर में कमी के आधार पर धन उपलब्ध करने के लिये तंत्र तैयार करना, (4) जन्म अंतराल की विधियों का तेजी से संवर्धन करके युवा आयु के दम्पतियों की कवरेज में वृद्धि करना, (5) नये गर्भ निरोधक शुरू करना और गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करना, (6) शहरी क्षेत्रों विशेष रूप से गंदी बस्तियों में परिवार कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना, (7) चिकित्सा / परा-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यकलापों में पुर्ननिवित करना जिसमें प्रेरक और परामर्शी पहलुओं पर बल दिया जायेगा, (8) सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को जीवन स्तर के मुद्दों और पारस्परिक संचार की गुणवत्ता पर केन्द्रित करने के लिये अभिमुख करना, (9) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन किये जा रहे उत्कृष्ट कार्य को जारी रखना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिये अन्य उपचारों का सुदृढ़ीकरण, (10) कार्यक्रम में लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल करना, (11) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन तंत्र को तेज करना (12) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उच्च स्तरीय अंतर क्षेत्रीय समन्वय तंत्र तैयार करना, आदि।

जम्मू और कश्मीर सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्य योजना के विभिन्न घटकों को क्रियान्वित करें। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से आशा की जाती है कि वे इस कार्य योजना को उन्हें परिवर कल्याण कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध किये गये समग्र साधनों के भीतर कार्यान्वित करें। इस कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिये अलग से धन आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर में इस समय 51.5 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना (आई॰पी॰पी॰—VII) चल रही है जिसका उद्देश्य बुनियादी और

सेवाकालीन प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति का विकास करना और (क) प्रशिक्षण संस्थाओं का पुनर्गठन (ख) उपकेन्द्रों का निर्माण करके तथा अन्य संम्बद्ध निवेश की व्यवस्था करके राज्य में सेवा प्रदान करने की प्रद्धति को तेज करना है। इस परियोजना की अवधि 1990-91 से 1994-95 तक है। राज्य में गड़बड़ी की स्थिति को देखते हुये इस परियोजना के कार्यकलापों को इस समय केवल जम्मू क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया है। इस परिजोजना में अन्य बातों के साथ-साथ 500 उपकेन्द्रों का निर्माण, आपरेशन थियेटरों, उपस्करों आदि की व्यवस्था करके 85 पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ करना तथा 100 भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालयों का दर्जा बढ़ाना आदि है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक केवल 34 उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है और 116 उप-केन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है।

इस परियोजना के अधीन मार्च, 1992 तक 4.97 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जबकि मार्च, 1992 तक राज्य को 9.50 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान दिया गया।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में बाल-कल्याण कार्यालय

839. श्री एन॰ डेनिसः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय बाल कल्याण परिषद् ने तमिलनाडु में अपने कार्यालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां पर; और

(ग) इन पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी): (क) "केन्द्रीय बाल कल्याण परिषद्" नाम का कोई संगठन नहीं है। किन्तु नई दिल्ली में भारतीय बाल कल्याण परिषद् नामक एक स्वयंसेवी संगठन है जिससे तमिलनाडु सहित कई राज्यों में स्थित राज्य परिषद् सम्बद्ध है। राज्य बाल कल्याण परिषद्, तमिलनाडु प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में एक स्वतंत्र निकाय है।

(ख) राज्य बाल कल्याण परिषद्, तमिलनाडु नं॰ 5, 111-मुख्य सड़क (पश्चिम), पेरियाकुडाल, शेनोय नगर, मद्रास-600030 में स्थित है।

(ग) भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली एक बाल कल्याण आयोजक और एक लिपिक-टंकक के वेतन तथा कुछ आकस्मिक खर्चों के लिए 10,000 रु॰ प्रति वर्ष की प्रमुख प्रशासनिक अनुदान राशि के अलावा कोई बजट राशि प्रदान नहीं करती।

[हिन्दी]

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

840. श्री ताराचन्द खण्डेलवालः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी बैठकें आयोजित की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से आयोजित करने के प्रयास किये गये हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आयोजित बैठकों की संखया
1989	2 बैठकें
1990	3 बैठकें
1991	1 बैठकें

तथापि वर्ष 1992 में अब तक 2 बैठकें हुई हैं। वर्ष 1991 में अपरिहार्य कारणों से केवल एक बैठक हो सकी।

चीनी कारखानों सम्बन्धी अध्ययन दल की रिपोर्ट

841. श्री मृत्युंजय नायक: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी कारखानों के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) आसाम में मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों के पुनरुद्धार तथा गन्ने की खेती में सुधार हेतु एक अध्ययन दल गठित किया गया था। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) अध्ययन दल की फैक्ट्रीवार मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:—

1. आसाम सहकारी चीनी मिल लि०, बरूआबामुनगांव, जिला गोलाघाट:

(1) बरूआबामुनगांव, जिला गोलाघाट की मौजूदा चीनी फैक्ट्री का 2500 टी०सी०डी० तक पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण/विस्तार किया जाए।

(2) उत्तम बीज के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अधिक चीनी वाली गन्ने की किस्मों तथा गन्ना अनुकूली अनुसंधान कार्यक्रम को अपनाना।

2. कछार चीनी मिल लि०, रातावाडी, जिला करीमगंज:

(1) प्लांट की व्यापक रूप से मरम्मत करके पुनः चालू किया जाना संभव है।

(2) फैक्ट्री की गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फैक्ट्री क्षेत्र में, गन्ना उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

(3) मिल को व्यवसायिक तथा फैक्ट्री के प्रति पूर्णतः समर्पित प्रबंधन टीम उपलब्ध कराई जाए।

(4) आसाम सरकार चीनी मिल किसी निजी उद्यमी को पट्टे पर/बेचने की संभावनाओं का पता लगाए लेकिन ऐसा करने से पहले उस उद्यमी का ट्रैक रिकॉर्ड सुनिश्चित कर लिया जाए।

3. नौगांव सहकारी चीनी मिल लि०, कामपुरः

(1) परिचालन पैरामीटरों आदि में थोड़ा सुधार/परिवर्तन करके मौजूदा प्लांट तथा उपस्करों से ही फैक्ट्री के निष्पादन में अत्यधिक सुधार लाये जाने की संभावना है।

(2) फैक्ट्री को गन्ने की अत्यधिक कमी हो रही है यह कमी बिना किसी विलंब के दूर की जानी चाहिए जिससे कि प्लांट आसानी से प्रत्येक मौसम में कम से कम 1.5 लाख टन गन्ना प्राप्त कर सके।

(3) फैक्ट्री के 15-40 किलोमीटर तथा 40-50 किलोमीटर के घेरे में अच्छी जमीन वाले किसानों की संख्या काफी अधिक है इसलिए किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि गन्ने की खेती करना जूट तथा पारंपरिक अहू पैडी की तुलना में अधिक लाभदायक है।

(4) उत्पादकों को खाद, कीटनाशक तथा बीज खरीदने के लिए ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त अध्ययन दल की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:—

(क) आसाम सरकार को गन्ना उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली गन्ना कीमत की अग्रिम घोषणा करनी चाहिए।

(ख) किसानों को गन्ने की फसल का भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए जिससे उनमें विश्वास पैदा हो सके।

(ग) परिवहन व्यवस्था में क्रमिक सुधार किया जाना चाहिए।

(घ) संबंधित चीनी फैक्ट्रियों तथा आसाम सरकार को अध्ययन की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

842. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से "सभी के लिए शिक्षाः उत्तर प्रदेश" के बारे में विश्व बैंक सहायता हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को विश्व बैंक के पास भेजा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावित उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के परियोजना दस्तावेज में दो संशोधनों के बाद भी शैक्षिक पुनर्गठन के वृहत्तर लक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए इसे विश्व बैंक के पास नहीं भेजा गया।

उत्तर प्रदेश सरकार तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की 25 जून, 1992 को हुई बैठक में इस दस्तावेज पर फिर से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी इन चर्चाओं के अनुरूप परियोजना दस्तावेज में संशोधन करने के लिए सहमत हो गए थे। 13 जुलाई, 1992 को राज्य सरकार से एक दस्तावेज प्राप्त हुआ है। इस दस्तावेज की जांच की जा रही है।

टिक्कू समिति की रिपोर्ट

843. **श्री विलास मुत्तेमवारः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या टिक्कू समिति ने आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक डाक्टरों के बारे में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां

(ख) सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक मंजूरी जारी कर दी गई है और पात्र अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी समूह "क" अधिकारी भर्ती नियम, 1992 तैयार कर लिए गए हैं और संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए हैं।

विवरण

1. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (भा०चि०प० और होम्यो०) के नाम से एक नई सेवा के गठन अथवा इसे मौजूदा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का एक उप संवर्ग बनाने के प्रश्न पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी व्यवहार्यता को देखते हुए विचार किया जाए और फिर उस पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सामान्य अवधि में कार्रवाही की जाए।

2. एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की तरह इस पद्धति में विशेषज्ञ उप संवर्ग बनाए जाने के प्रश्न पर भी भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी सेवा के गठन की जांच करते समय विचार किया जाए।

3. समुचित और तेज़ विकास के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नियंत्रण में पूरी तरह संचालित करने के लिए यदि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से उच्चतर पद बनाने पर विचार करता है तो इस पर कार्मिक विभाग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से कार्यात्मक आधार पर इसकी आवश्यकता का औचित्य बतलाते हुए सामान्य प्रकार से कार्रवाई की जानी चाहिए।

4. आयुर्वेद/सिद्ध/होमियोपैथी से सलाहकार के दो पदों को 4500-5700/4100-5300 रुपये के मौजूदा ग्रेडों से बढ़ाकर 5900-6700 रुपये के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का कर दिया जाए। आगे चल कर आयुर्वेदिक अस्पताल, लोदी रोड, नई दिल्ली के अधीक्षक का पद भी बढ़ाकर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का कर दिया जाए।

5. आयुर्वेदिक अस्पताल के अधीक्षक का पद इस समय 4500-5700 रुपये के कार्यात्मक वेतनमान में रखा जाए।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के मौजूदा नौ औषधालयों को चलाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्रेड (चिकित्सा अधिकारी के पदों का दर्जा बढ़ाकर) के नौ पद तथा आयुर्वेदिक अस्पताल, लोदी रोड, नई दिल्ली के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का एक पद प्रदान किया जाए। ये पद वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर सुझाए गए मानदंडों को अपनाकर भरे जाएं।

7. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के लिए इस समय उपलब्ध पचास प्रतिशत पदों को सीनियर

टाइम स्केल में रखा जाए। ऐसा करने से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 74 पद उपलब्ध होंगे। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पात्रता के लिए वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा निर्धारित की जाए।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप सलाहकार के तीन पदों का दर्जा 3000-5000 रुपये के वेतनमान से बढ़ाकर 3700-5000 रुपये किया जाए तथा इन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संवर्ग में मिला दिया जाए। मंत्रालय में सहायक सलाहकार के दो पद 3000-4500 रुपये के वेतनमान में जारी रखे जाएं लेकिन इन्हें उसी वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में मिला दिया जाए।

9. वरिष्ठ तकनीकी सहायकों/अनुसंधान सहायकों को सीधे आधार पर अनुसंधान अधिकारी (2200-4000 रुपये) के पदों पर नियुक्ति का पात्र बनाया जाए और इसके लिए आयु सीमा में यथावश्यक छूट दी जाए। अनुसंधान अधिकारियों के पदों को चिकित्सा अधिकारियों के ग्रेड के साथ समाहित किया जाए।

10. आयुर्वेद डिग्री धारकों/अनुसंधान सहायकों/फार्मासिस्टों के लिए आयु-सीमा में छूट दी जाए ताकि वे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुली भर्ती के माध्यम से सीधी भर्ती में आयुर्वेदिक चिकित्सक के पदों के लिए आवेदन के पात्र हो सकें।

11. स्नातकोत्तर भत्ते की मंजूरी में समानता।

12. वार्षिक भत्ते की मंजूरी में समानता।

13. सभी भत्तों के बारे में समानता।

[अनुवाद]

कालवा-टरभे रेल लाइन

844. श्री बापू हरि चौरे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नगर (मुम्बई) और औद्योगिक विकास निगम द्वारा माल ढुलाई और बाद में कम्प्यूटर रेल सेवा के प्रयोजन से जो कालवा-टरभे रेल लाइन निर्माण कार्य, अपने हाथ में लिया था, पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रेलवे ने कोई वादा किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं, सिडको ने अपने माल यातायात को सम्हालने के लिए निजी साइडिंग के रूप में कालवा-तुर्भे लाइन का निर्माण किया था।

(ख) और (ग) "सिडको" ने इस साइडिंग को माल यातायात के परिचालन के लिए पट्टा शर्तों पर देने की पेशकश की है जिसे रेलवे ने स्वीकार कर लिया है।

जबलपुर में परिक्रमा रेल सेवा

845. श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर में स्थानीय परिक्रमा रेल सेवा आरम्भ करने के लिह वहां की जनता मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कोई व्यापक योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ललित कला अकादमी संबंधी हक्सर समिति की रिपोर्ट

846. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या मानव संसाधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ललित कला अकादमी के प्रशासन और प्रबंधन संबंधी हक्सर समिति की रिपोर्ट अकादमी को प्राप्त हो गई है और इस पर अकादमी ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस बारे में अकादमी ने क्या निर्णय लिया है?

मानव संसाधान विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) राष्ट्रीय अकादमियों (ललित कला अकादमी सहित) तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए श्री पी॰ एन॰ हक्सर की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। ललित कला अकादमी ने संगत सिफारिशों पर विचार कर लिया है और सरकार को उसकी टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

(ख) ललित कला अकादमी के संबंध में समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन सिफारिशों पर विचार करने तथा उन पर निर्णय लेने से संबंधित प्रश्न पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण

प्रदर्शनियां तथा पुरस्कार

9.78 व्यापक रूप से यह भावना फैली हुई है कि इन दिनों ललित कला अकादमी की राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा वार्षिक पुरस्कारों में निष्पक्षता नहीं बरती जाती तथा इसके मानदंडों में भी गिरावट आई है। अकादमी को एक जूरी नियुक्त करने की पद्धति अपनानी चाहिए जो कला के क्षेत्र में विश्वास अर्जित कर सके। व्यापक परिषद लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों, कला इतिहासविदों तथा कला समीक्षकों की एक विशिष्ट सूची तैयार कर सकती है। इसी सूची में से राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा अकादमी पुरस्कारों के लिए जूरी का चयन किया जा सकता है।

9.79 अकादमी पुरस्कारों के साथ दी जाने वाली नकद राशि अन्य अकादमियों की भांति 25,000 रुपए की जा सकती है। अकादमी प्रत्येक पुरस्कार विजेता कलाकार की दस कृतियां चुन सकती है और एक विशिष्ट प्रदर्शनी आयोजित कर सकती है। पुरस्कार एक व्यक्ति को एक बार ही दिया जाना चाहिए।

9.80 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए कृतियां चुनते समय अकादमी को उच्चतम मानकों का इस्तेमाल करना चाहिए।

9.81 प्रसिद्ध कलाकारों (अकादमी के अधिसदस्यों को छोड़कर) की पुरानी कृतियों की प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा सकती हैं। इसी प्रकार विशिष्ट विषयों और कला आंदोलनों से संबंधित प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा सकती हैं।

त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां

9.82 त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के अलग से संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अकादमी का विशेषाधिकार होना चाहिए। अकादमी में एक निरन्तर सक्रिया विशेष कक्ष होना चाहिए जिसे अंतर्राष्ट्रीय कला गतिविधियों और विकास संबंधी सूचनाओं के वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना चाहिए।

9.83 त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी को गुट निरपेक्ष राष्ट्रों तक सीमित करने के विचार की कोई सार्थकता नहीं है।

9.84 त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रर्दशनियों में भारतीय कला कृतियों के गिरते स्तर पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में कलाकारों को शामिल करने की बजाय दस कलाकारों की बड़ी संख्या में कृतियां प्रदर्शित करना बेहतर होगा।

9.85 कमिश्नर ऊपर सुझाई गई प्रसिद्ध कलाकारों, कला इतिहासकारविदों तथा समीक्षकों की नामिका (9.78) में से लिए जा सकते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी के भारतीय खंड के लिए कृतियां चुनने और इस खंड को आयोजित करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

अनुसंधान और प्रलेखन

9.86 समसामयिक कला के क्षेत्र में राज्य अकादमियों के सहयोग से अनुसंधान और प्रलेखन को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभिलेखागारीय सामग्री के कैटेलाग तैयार करने तथा समुचित संरक्षण, अनुस्थापन अथवा पुनः देखने की सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रकाशन तथा प्रसारण

9.87 अकादमी अपने जर्नल नियमित अंतरालों पर निकालने के बारे में विचार कर सकती है। हमारी पारंपरिक कलाओं संबंधी जर्नल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिली है। अन्य प्रकाशनों में भी ऐसी ही स्तरीय संपादन और मुद्रण को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए।

9.88 अकादमी को अपने प्रकाशनों को व्यापारिक वितरकों के सहयोग से बेचने के ज्यादा प्रभावी तरीके खोजने चाहिए।

9.89 भारत में तथा विदेशों में अखबारों तथा जर्नलों में प्रकाशित महत्वपूर्ण कला समीक्षाओं का व्यापक संग्रह तैयार किया जाना चाहिए जो कलाकारों तथा विद्वानों को आसानी से सुलभ होना चाहिए।

9.90 कला के प्रसार के लिए अकादमी को राज्य अकादमियों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, नेशनल बुक ट्रस्ट, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र आदि जैसी संस्थाओं से निकट संपर्क स्थापित करना चाहिए। दूरदर्शन माध्यम का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

अन्य कार्यकलाप/पहलू

9.91 समकालीन कलाकारों से कलाकृतियां खरीदने की अकादमी के पास बहुत ही कम व्यवस्था है। लेकिन इससे पक्षपात के एक बुहत बड़े विवाद और आरोप सामने आए हैं। इसमें कोई विशेष गुणवत्ता नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को छोड़ा जा सकता है।

9.92 गढ़ी केन्द्र नई दिल्ली में स्टूडियो प्राप्त करने और खाली करने के संबंध में लागू किए जाने योग्य उपयुक्त मार्गनिर्देश तैयार किए जाने चाहिए। यह कार्य काफी सहज हो सकता है यदि जो प्रतिष्ठित कलाकार इसे अनंतकाल से घेरे हुए हैं वे सहयोग की भावना अपनाएं और समाधान खोजने में मदद करें।

9.93 अकादमी की व्यापक परिषद में राज्यवार कला संगठनों के लिए प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। इन संगठनों के प्रतिनिधित्व के लिए व्यापक परिषद द्वारा सहयोजित सदस्य पर्याप्त होंगे।

9.94 अकादमी को राज्य अकादमियों तथा सरकार के साथ मिलकर कला संस्थाओं के समुचित विकास तथा कार्यकलाप को बढ़ावा देना चाहिए।

कला शिक्षा

9.95 कला शिक्षा संस्कृति के सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र में से एक है। अकादमी को इस मुद्दे पर रचनात्मक चर्चाएं शुरू करनी चाहिएं।

9.96 अकादमी को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित कला संग्रहालयों को विशेषज्ञ प्रदान करने चाहिएं।

9.97 अकादमी को राज्यभर में संग्रहालयों से निकट संपर्क रखने चाहिएं।

कलाकारों को प्रोत्साहन

9.98 देश में कला-सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ सामग्री की अच्छी किस्म भी सुनिश्चित होनी चाहिए। कला सामग्री का आयात खुले सामान्य लाइसेंस पर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन पर आयात शुल्क बिल्कुल नहीं लगना चाहिए और लगे भी तो बहुत कम लगना चाहिए।

9.99 सार्वजनिक भवनों पर होने वाले व्यय का एक भाग उन पर भित्ति तैयार करने तथा कलाकृतियां खरीदने संबंधी भारत सरकार की नीति को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से भी इस तरह के प्रावधानों को अपनाने अथवा शामिल करने के संबंध में संपर्क किया जाना चाहिए।

9.100 जिस प्रकार इस समय मान्यता प्राप्त दान पर आय कर से छूट का प्रावधान है उसी प्रकार कलाकृतियों पर निगमित व्यय (कंपनियां द्वारा व्यय) पर आय कर से छूट का प्रावधान किया जा सकता है।

9.101 विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए कृतियां ले जाने के इच्छुक कलाकारों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके समाधान के लिए सरकार को अकादमी तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के परामर्श से प्रयास करना चाहिए। विदेशी कला संगठनों द्वारा समकालीन भारतीय कला की प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं तब एक भारतीय कमिश्नर को शामिल करने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। समकालीन कला वस्तुओं को विदेश में बेचने संबंधी प्रक्रिया को उदार बनाया जाना चाहिए।

9.102 राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी तथा त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए देश के सुदूर स्थानों से कलाकृतियां लाने के लिए ढुलाई खर्च को सस्ता करने की एक व्यावहारिक योजना अकादमी को तैयार करनी चाहिए। इस संबंध में रेलवे का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

कलाकार निर्वाचन क्षेत्र

9.103 अकादमी की व्यापक परिषद में पन्द्रह सदस्य कलाकार समुदाय से चुनने की पद्धति पर यद्यपि काफी गंभीर विवाद उठ चुके हैं, लेकिन जरूरी परिवर्तनों के साथ इस प्रक्रिया को कायम रखा जाना चाहिए।

9.104 कलाकार निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए व्यापक परिषद के सदस्यों की श्रेणी से केवल दो सदस्यों को कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए।

9.105 कलाकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान सूची में उन सभी कलाकारों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें अकादमी की किसी भी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त हो

चुका है। इसके अतिरिक्त अकादमी के जीवित अधिसदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मौजूदा प्रक्रिया में ऐसे हर व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिसकी कृति को एक बार भी राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखे जाने की अनुमति दी गई है। यह प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है।

9.106 निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों तथा ऐसे सभी कलाकारों को, जिनकी कृतियां अकादमी की वार्षिक प्रदर्शनी अथवा त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कम से कम एक बार दिखाई जा चुकी है, चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए।

आंतरिक संघर्ष

9.107 इन दिनों अकादमी के भीतर कार्यों को लेकर कई तरह के संघर्ष होते रहे हैं जिनके मामले में अकादमी के कार्यकर्ता एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विशवास पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि मौजूदा व्यापक परिषद भंग कर दी जाए और समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संशोधित संरचना और प्रक्रियाएं अपनायी जाएं।

संविधान

9.108 अध्याय 5 के खण्ड 10 में की गई सिफारिशों के आधार पर अकादमी की व्यापक परिष्द कार्यकारी बोर्ड तथा वित्तीय समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

अल्जीरिया से सहयोग

847. **श्री गोपीनाथ गजपतिः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अल्जीरिया के साथ रेलवे के क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में अल्जीरिया के साथ संभव सहयोग के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की पहचान की हैः—

1. अन्नबा-रामडाने-डी जमेल खंड के नवीकरण की परियोजना।
2. ई I अधिर सुरंग की परियोजना।
3. विद्युतीकररण परियोजनाएं।
4. सिगनल व्यवस्था संबंधी परियोजनाएं।
5. छोटे आमान का मानक आमान में परिवर्तन।
6. रेलवे यातायात का केन्द्रीकृत प्रबन्ध।
7. अन्तः मोडल परिवहन।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम

848. **श्री रामनेरश सिंहः**
श्री जीवन शर्माः
श्री कमल चौधरीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 1990-91 और 1992 के दौरान आयोजित की गई दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं की राज्य-वार और संघ वार उत्तीर्णता की प्रतिशतता क्या थी; और

(ख) दिल्ली में वर्ष 1992 में सफलता की प्रतिशतता कम होने के क्या कारण थे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बोर्ड अलग-अलग राज्यों अथवा संघशासित प्रदेशों के परीक्षा परिणामों का न तो रिकार्ड तैयार करता है और न ही तद्नुरूप उत्तीर्ण-प्रतिशतता का रिकार्ड रखता है। बोर्ड ने 1991 से परीक्षा परिणामों का क्षेत्र-वार रिकार्ड तैयार करना शुरू किया है। बोर्ड द्वारा आयोजित की गई 1991 और 1992 की परीक्षाओं की क्षेत्रवार उत्तीर्ण-प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1992 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई कक्षा-X की परीक्षा में दिल्ली क्षेत्र के छात्रों की उत्तीर्ण-प्रतिशतता में गिरावट नहीं आई है। 1992 में बोर्ड द्वारा आयोजित की गई कक्षा-XII की परीक्षा के मामले में दिल्ली क्षेत्र में उत्तीर्ण-प्रतिशतता में गिरावट दिल्ली क्षेत्र के प्राइवेट छात्रों तथा पत्राचार विद्यालयों के छात्रों के घटिया परीक्षा परिणाम तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों के छात्रों के परीक्षा परिणाम में आई गिरावट के कारण आई है।

विवरण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1991 और 1992 में आयोजित की गई कक्षा -X और कक्षा -XII की परीक्षाओं की क्षेत्रवार उत्तीर्ण-प्रतिशतता।

क्षेत्र	कक्षा X 1991-92	कक्षा XII 1991-92
अजमेर	88.5 87.3	77.5 82.2
चंडीगढ़	85.0 83.2	69.6 75.5
गोहाटी	48.8 48.3	54.8 64.2
मद्रास	86.6 85.5	87.4 88.3
रांची	84.6 84.2	79.8 79.0
दिल्ली	46.8 47.0	62.5 59.7

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खराब हुए खाद्यान्न

849. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के अस्थायी गोदामों में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न खराब हुआ;

(ख) यदि हां, तो गोदाम-वार और जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गंगोई): (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश में 1990-91 के दौरान अस्थायी गोदामों अर्थात कवर और विलय भंडारों में गेहूं का स्टाक रखने का मासिक औसत 166460 मीटरी टन रहा था। इसमें से दैवी प्रकोपों के कारण केवल 363 मीटरी टन गेहूं क्षतिग्रस्त हुआ था। यह मात्रा केवल 0.2 प्रतिशत बैठती है जो कि नगण्य है।

(ख) क्षतिग्रस्त मात्रा का ब्यौरा निचे दिया गया है:—

भारतीय खादय निगम जिला	खुले भण्डार का नाम	मात्रा (मीटरी टन)
बरेली	बिसालपुर	65
बरेली	पीलीभीत	275
बरेली	जी०टी०आई०बरेली	03
सीतापुर	लखीमपुर	16
बुलन्दशहर	इमालिया	02
बुलन्दशहर	खुर्जा	02
	जोड़	363

(ग) चूंकि गेहूं की क्षतिग्रस्त हुई मात्रा नगण्य है, इसलिए कोई उपचारी कदम उठाने अपेक्षित नहीं है। तथापि, विहित भण्डारण पद्धतियों का अनुसरण किया जा रहा है।

रांची और दिल्ली के बीच सुपरफास्ट गाड़ी

850. **श्री राम टहल चौधरी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में रांची से दिल्ली के बीच कोई नई सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब तक प्रारम्भ कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाईयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

सुन्दर वन में मनुष्यों के जीवन को खतरा

851. **श्री सनत कुमार मंडल**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुन्दर वन बाघ परियोजना का पारिस्थितिकीय संतुलन छोटे-छोटे झींगा मछली के बच्चों को अवैध रूप से पकड़ने के कारण खतरे में पड़ गया है जिससे आसपास के क्षेत्र के मानव जीनव को भी खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या परियोजना क्षेत्र और उसके आस पास के क्षेत्र में झींगा मछली के छोटे बच्चों को पकड़ने

के लिये प्रवेश करना निषेधाज्ञा का भारी उल्लंघन है जिससे बाघों का मानव पर आक्रमण का खतरा बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मन्दसौर स्टेशन पर पेयजल सुविधा

852. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदसौर (पश्चिम रेलवे) रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए खोले गये प्याऊ बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) क्या वहां उपलब्ध कराए गए नल भी अपर्याप्त हैं जो प्रायः खराब रहते हैं;

(ग) क्या स्थानीय अधिकारियों का ध्यान उक्त समस्या की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) मंदसौर स्टेशन पर एक वाटर कूलर और 26 पानी की नल टूटियां उपलब्ध हैं। गाड़ियों के आगमन के समय पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए इसकी सप्लाई विनियमित की जाती है। यात्रियों की पीने के पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये प्रबंध पर्याप्त समझे जाते हैं।

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों की भर्ती

853. **श्री मोहन रावले**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अलग-अलग रेलवे ज़ोनों में कुल कितनी नियुक्तियां की गईं; और

(ख) उक्त अवधि में भर्ती किये गये व्यक्तियों में से विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी थी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रमिक एक्सप्रेस का बन्द किया जाना

854. **श्री सूर्य नारायण यादव**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और वाराणसी के बीच चलने वाली श्रमिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी बंद की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि, वाराणसी और इलाहाबाद के रास्ते गोरखपुर और कानपुर के बीच निरंतर यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कानुपर-वाराणसी श्रमिक एक्सप्रेस को गोरखपुर-वाराणसी चौरी चौरा-एक्सप्रेस के साथ मिला दिया गया है

[अनुवाद]

राज्यों में पोषाहार कार्यक्रम

855. कुमारी पुष्पा देवी सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में कुछ पुष्पाहार कार्यक्रम शुरू किया है; अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में कोई पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी): (क), (ख) और (घ) जी हां। सरकार मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित पोषाहार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है:

(i) समेकित बाल विकास सेवाएं;

(ii) बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम;

(iii) शिशुगृह; कार्यक्रम; और

(iv) विशेष पोषाहार कार्यक्रम।

उपर्युक्त के अलावा माइक्रोन्यूट्रीयेन्टस के वितरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं:—

(i) राष्ट्रीय पोषाहारीय रक्तक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम;

(ii) विटामिन "ए" रोग-प्रतिरोधन कार्यक्रम;

(iii) राष्ट्रीय गलगण्ड नियन्त्रण कार्यक्रम

इसके अलावा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। तमिलनाडु समेकित बाल कार्यक्रम पोषाहार कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त चालू कार्यक्रमों के अलावा, मध्य प्रदेश में, विश्व बैंक की सहायता से समेकित विकास सेवा कार्यक्रम के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली में हैजे के मामले

856. **श्री विजय एन० पाटिलः**
श्री शरद यादवः
श्री जनार्दन मिश्रः
डा० सुधीर रायः
श्री मदन लाल खुरानाः
श्री राम विलास पासवानः
श्री श्रवण कुमार पटेलः
श्री चन्द्रजीत यादवः
श्री छेदी पासवानः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हैजा फैलने के अधिक मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जून, 1992 तक हैजे के कितने मामले दर्ज किए गए थे;

(ग) क्या राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान ने इसके अधिक मामले होने के लिए किसी खास कारण का उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में किस प्रकार के उपचारी उपाए किए गए हैं; और

(च) दिल्ली में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) जून, 1992 के अन्त तक 499 रोगियों की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में हेजे के रोगियों पर जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी जांचें की हैं और उनके मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैः—

1. स्वच्छ पेय जल की कमी
2. विशेषकर झुग्गी झोपड़ी कालोनियों में अस्वास्थ्यकर स्थितियां और कूड़ाकरकट की सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था।
3. पेय जल नमूनों की जीवाणुविज्ञान संबंधी जांच के अलग बर्फ तथा गन्ने के रस के कुछ नमूने सही नहीं पाए गए।

(ङ) जल-वाहक रोगों पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं जिन पर झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों/पुनर्वास कालोनियों पर विशेष बल दिया जा रहा हैः—

1. सभी प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था।
2. विभिन्न माध्यमों से समुचित स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार।
3. जल-वाहक रोगों पर निगरानी और उनकी सतत् मानीटरिंग।
4. कूडे-करकट की नियमित सफाई और नालों की सफाई।
5. क्लोरीन की गोलियां और ओ आर एस पैकटों का वितरण।

6. खुले हुए/कटे फलों तथा अन्य अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध

(च) जल की गुणवत्ता की जांच हर स्तर पर, कच्चे पानी की स्थिति से लेकर जलाशयों में भंडारण तक तथा उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए वितरण व्यवस्था में भी जांच की जाती है।

इसके अतिरिक्त कुओं और टयूब वैलों की जल-आपूर्ति की भी नियमित जांच की जाती है। नगर निगम के पाइपों में जल में कोई संदूषण न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवशिष्ट क्लोरीन की व्यवस्था की जाती है।

गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक से सहायता

857. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से गन्दी बस्ती निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) गंदी बस्तियों में रहने वालों की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्थिति को सुधारने के लिए आठवीं भारतीय जनसंख्या परियोजना (आई पी पी/VIII) का दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और बेंगलूर की शहरी गंदी बस्तियों में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। यद्यपि इस परियोजना का अभी भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना है, फिर भी संबंधित राज्यों को दी जाने वाली सम्भाव्य सहायता इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर	आधार लागत
(1)	दिल्ली	दिल्ली	35.00
(2)	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	75.28
(3)	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	26.03
(4)	कर्नाटक	बेंगलूर	29.05

वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ करके यह परियोजना पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा

858. **श्री जे॰ चोक्का राव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों को भरने के लिए इस समय क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु राज्यों के लिए निर्धारित कोटे को ध्यान में रखते हुए आई॰आई॰टी॰ की भांति प्रवेश परीक्षा लेने का कोई प्रस्ताव है और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री कुमारी शैलजा): (क) सत्रह, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में से प्रत्येक में अवर स्नातक-पाठ्यक्रमों की 50 प्रतिशत,

सीटें, उसी राज्य के छात्रों द्वारा भरी जाती हैं, जिसमें क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थित है। शेष 50 प्रतिशत सीटें, देश के अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के छात्रों से भरी जाती हैं। छात्रों का दाखिला या तो योग्यता के आधार पर किया जाता है, अथवा सम्बन्धित राज्यों द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज क्योंकि सम्बन्धित राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होते हैं, अतः भा०प्रौ० संस्थानों की तरह अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत छोड़ो आन्दोलन

859. **श्री सत्य गोपाल मिश्र:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992 में "भारत छोड़ो" आन्दोलन का स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती 9 अगस्त, 1992 से 9 अगस्त, 1993 तक मनाई जा रही है। इसे समुचित ढंग से मनाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 25 सदस्यों की एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री और संचार मंत्री, युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, विभिन्न राजनैतिक दलों के राष्ट्रीय नेता तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं।

9 अगस्त, 1992 को लाल किले पर स्वतंत्रता सेनानियों का एक सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है, जहां आजाद हिंद फौज के वयोवृद्ध व्यक्तियों और आंदोलन से जुड़े हुए कुछ विदेशी प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जबकि एक पट्टिका का अनावरण करके "क्रांति पार्क" को खुला घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तिका का विमोचन किया जा सकता है। भारत छोड़ो संकल्प और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद तथा सरदार पटेल के भाषणों की एक पुस्तक सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जा रही है। बंबई में प्रातः एक बाल सभा आयोजित की जाएगी और फिर गोवालिया टैंक पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा, जिसके बाद एक जनसभा भी होगी, जिसे विभिन्न राजनैतिक दलों के राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे।

9—12 अगस्त, 1992 के दौरान अहमदगढ़ किले में एक समुचित समारोह आयोजित किया जा सकता है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम उसी तारीख के लिए तैयार करें, जिस तारीख को आंदोलन से संबद्ध घटना घटी थी। इनसे स्पष्टतया आंदोलन के पूर्णतः गैर-साम्प्रदायिक होने तथा राष्ट्र को संगठित करने का पक्ष उजागर होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय "भारत छोड़ो आंदोलन" पर उपलब्ध सामग्री और साथ ही आंदोलन के प्रति जनोत्साह को आधार मानते हुए ऐसी फिल्में/वृतचित्र तैयार करने की व्यवस्था कर रहा है, जिनसे देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो।

जीन हस्तांतरण

860. **डा० आर० मल्लू:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विकसित देशों को "बायो-मेटीरीयल" भण्डारों के रूप में बहुमूल्य जीनों अथवा जीवाणु पादपों के अनियंत्रित हस्तांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने "बायो-मेटीरीयल" भंडारों के रूप में बहुमूल्य जीनों के अनियंत्रित हस्तांतरण को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं; अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) जिन कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे जीनों का निर्यात किया है उनका ब्यौरा क्या है, उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी, निर्यात किया गया "जेनेटिक मेटीरीयल" किस प्रकार का था और उसका निर्यात किन-किन देशों को किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

861. **श्री केशरी लाल**: क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर कानपुर, में प्रदूषण नियन्त्रण कार्य योजना के अन्तर्गत किन-किन उद्योगों का पता लगाया गया है; और

(ख) प्रदूषण फैलाने वाले किन-किन उद्योगों को इस कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत जिन उद्योगों का पता लगाया गया उनके नाम इस प्रकार है:-

1. कानपोर कैमिकल्स, कानपुर।
2. एथर्टन क्लॉथ मिल्स, कानपुर।
3. जे॰ के॰ कॉटन मिल्स, कानपुर।
4. लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स, कानपुर।
5. स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर।
6. एल्गिन मिल (यूनिट-I), कानपुर।
7. एल्गिन मिल (यूनिट-II), कानपुर।
8. कानपोर वूलन मिल्स, कानपुर।
9. कानपोर टैक्स्टाइल मिल्स, कानपुर।
10. न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर।
11. मुइर मिल (राष्ट्रीय कपड़ा निगम), कानपुर।
12. आई॰सी॰आई॰ लिमि॰ (इंडियन एक्सप्लोसिव), कानपुर।
13. पंकी थर्मल पावर हाउस, कानपुर।
14. आयुध फैक्ट्री, कानपुर।
15. हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल लिमि॰, कानपुर।
16. टैन्नरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन, कानपुर।
17. आयुध उपकरण फैक्ट्री, कानपुर।
18. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमि॰, कानपुर।
19. एम॰पी॰ उद्योग लिमि॰, कानपुर।
20. स्मॉल आर्मस फैक्ट्री, कानपुर।

21. जे॰ के॰ रेयान, कानपुर।
22. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स, हरिद्वार।
23. किशन सहकारी चीनी मिल, बदायूं।
24. किशन सहकारी चीनी मिल, फरुखाबाद।
25. करम चन्द थापर डिस्टिलरी, उन्नाव।
26. जीप इण्डस्ट्रियल सिडिकेट्स लिमि॰, इलाहाबाद।
27. भारतीय टेलीफोन निगम, इलाहाबाद।
28. डीजल लोको मोटिव वर्क्स, वाराणसी।
29. नंदगंज सिहोरी सुगर मिल, गाजीपुर।
30. गवर्नमेंट ओपीयम एण्ड ऐल्केलाइड, गाजीपुर।
31. इफ्को, फूलपुर यूनिट, इलाहाबाद।
32. पी॰ वी॰ के॰ डिस्टिलरी, गाजीपुर।
33. बसन पेपर मिल्स, वाराणसी।
34. जीप इण्डस्ट्रीज सिंडिकेट लिमि॰, इलाहाबाद।

कार्य योजना में शामिल किए जाने के लिए उद्योगों का पता लगाने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये गए है।

(I) वे उद्योग, जो अपने वहिस्त्राव सीधे गंगा नदी में छोड़ते हैं।

(II) वे उद्योग, जिनके बहिःस्त्रावों में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं।

(III) वे उद्योग, जिनमें प्रति लीटर 100 मिलीग्राम से अधिक बी॰ओ॰डी॰ सांद्रण पाया जाता है।

(IV) वे उद्योग, जो प्रति दिन एक मिलियन लीटर से अधिक बहिःस्त्राव छोड़ते हैं।

प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों के नाम उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

नई रेलगाड़ियां चलाना

862. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो मासों के दौरान जोन-वार कौन-कौन सी नई रेल गाड़ियां चलाई गयी है और निकट भविष्य में कितनी और नई रेल गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) पश्चिमी रेलवे के बड़ोदरा मंडल में राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद से, कौन-कौन सी रेल-गाड़ियां चलाई गयी हैं और कौन-कौन सी रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) जुलाई, 92 में 55 नई गाड़ियां चलायी गयी है जबकि जून, 92 में 2 गाड़ियां चलाई गयी थीं, नई गाड़ियों को क्षेत्र-वार नहीं चलाया जाता है, बहरहाल, नई चलायी गई 57 गाड़ियों में से 10 गाड़ियां राजकोट और बडोदरा मंडलों से गुजरती है, गाड़ियों का चलाया जाना एक सतत प्रक्रिया है, बशर्ते यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता हो।

पिछड़े राज्यों के छात्रों के लिए स्थानों का आरक्षण

863. **श्री याइमा सिंह युमनामः क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कला और मेडिकल कालेजों में कुछ स्थान पिछड़े राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को शिक्षावृत्ति और आकस्मिकता अनुदान जारी करना

864. **श्री पी०एम० सईदः क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय शोधकर्ता एसोसिएशन से छात्रवृत्ति और आकस्मिकता अनुदान जारी करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिल्ली विश्वविद्यालय शोधकर्ता संघ से वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 वर्षों से संबंधित शोध अध्येतावृत्तियां तथा आकस्मिक अनुदानों के भुगतान में हुए विलंब और एम०फिल के लिए अध्येतावृत्ति की अवधि निर्धारित एक वर्ष से आगे बढ़ाने के संबंध में दिनांक 23.6.92 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) शोध अध्येतावृत्ति व आकस्मिक अनुदानों के लिए आयोग द्वारा पहले दिए गए अनुदानों के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान अयोग ने, 1990-91 व 1991-92 के घाटे को पूरा करने के लिए 31.62 लाख रु० तथा 1992-93 के लिए 50.00 लाख रु० की किश्त दी है। आयोग एम०फिल अध्येतावृत्ति की अवधि निर्धारित एक वर्ष से आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की भुगतान के आधार पर खेल (पे एन्ड प्ले) योजना

865. **श्री अनंतराव देशमुखः क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शुरू की गयी भुगतान के आधार पर खेल (पे एन्ड प्ले) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना को देश के सभी भागों में लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) एशियाई खेलों के समय निर्मित विभिन्न स्टेडियमों में सृजित की गई खेल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण योजना के अतिरिक्त 1987 में भुगतान के आधार पर खेल (पे एण्ड प्ले) योजना प्रारम्भ की गई थी। परत्येक खेल-विद्या के लिए मासिक दरें अलग-अलग हैं। विस्तृत विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) यदि मांग होगी, तो इस योजना का विस्तार बंगलौर, कलकत्ता, गांधीनगर और इम्फाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्रों तक किया जायेगा।

विवरण

(क) वास्केटबाल — प्रति टीम प्रति घंटा 15/- रु०

(ख) बैडमिंटन

(i) इन्दिरा गांधी स्टेडियम में इंडौर — प्रति व्यक्ति प्रति माह 75/- रु०

(ii) आउटडौर — प्रति व्यक्ति प्रति माह 50/- रु०

(ग) बिलियर्ड्स — प्रति व्यक्ति प्रति माह 75/- रु० अथवा रु० 5 प्रति घंटा।

(घ) बॉल बैडमिंटन — प्रति सदस्य प्रति माह 25/- रु०

(ङ) क्रिकेट

(i) सप्ताह के दिनों में प्रति नेट प्रति दो घंटों के सत्र के लिए 40/- रु०

(ii) प्रति नेट प्रति दो घंटों के लिए 50/- रु० तथा रविवार और छुट्टी वाले दिनों के लिए पूरे दिन के लिए 150/- रु०

(च) फुटबाल — सप्ताह के दिनों में दो घण्टों के प्रति सत्र के लिए 50/- रु० तथा रविवार तथा छुट्टी वाले दिनों के लिए दो घंटों के प्रति सत्र के लिए 75/- रु०

(छ) उपयुक्तता केन्द्र — छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर प्रतिदिन एक घंटे के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 60/- रु०

(ज) लॉन टेनिस — एक घंटे के सत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 60/- रु०

(झ) हॉकी — सप्ताह के दिनों में दो घंटों के प्रति सत्र के लिए 50/-रु० तथा रविवार और छुट्टी वाले दिनों में प्रति सत्र 75/- रु०

(ञ) बहु जिम्नाजियम — एक घंटे के सत्र के लिए प्रति व्यक्ति 30/-रु० (केवल राष्ट्रीय स्टेडियम)

(ट) रोलर स्कैटिंग — एक घंटे के सत्र के लिए प्रति माह 40/- रु०

(ठ) तैराकी

तालकटोरा तरण-ताल

(i) **महिलाओं के लिए** (प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक) : गर्मियों में (1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक) प्रति माह प्रति महिला 60/- रु० तथा सर्दियों में (16 अक्टूबर से 31 मार्च तक) प्रति माह प्रति महिला 120/-रु०

(ii) **अन्यों के लिए** : दरें उपर्युक्त (i) के ही अनुसार 1 सत्र प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक और सांय 7 से 9 बजे तक

राष्ट्रीय स्टेडियम तरण-ताल

प्रति व्यक्ति प्रति माह 60/- रु० सत्र प्रातः 7 से 9 बजे तक तथा सांय 7 से 9 बजे तक । तरण-ताल 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक ही उपलब्ध होता है।

(ड) टेबल टेनिस — प्रति माह प्रति व्यक्ति 30/- रु०। सत्र प्रातः 7 से 9 बजे तक तथा सांय 7 से 9 बजे तक।

(ढ़) बॉलीबाल — दो घंटों के सत्र के लिए प्रति कोर्ट प्रति टीम 20/- रु०

राज्य सरकारों द्वारा अधिक चावल की मांग

866. **श्री के०पी० रेड्डय्या यादवः** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान अधिक चावल की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्रत्येक मास अनुरोध किया जाता है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करने के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं की अपनी वास्तविक आवश्यकताएं सूचित करें। चूंकि मांगे प्रत्येक मास के आधार पर प्राप्त होती हैं और आवंटन भी प्रत्येक मास के आधार पर किये जाते हैं, इसलिए वर्तमान समूचे वर्ष की मांग के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, एक विवरण (उपाबंध) संलग्न है जिसमें जुलाई, 1992 मास के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्राप्त हुई मांगों का ब्यौरा संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्यों को चावल और गेहूं के आवंटन प्राप्त हुई मांगों, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं और मौसमी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। ये आवंटन खुले बाजार की उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की समूची मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं

क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए चावल और गेहूं की वसूली देश में इन खाद्यान्नों के कुल उत्पादन के 12% से 18% के रेंज के बीच हुई है।

विवरण

सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से जुलाई, 1992 मास के लिए चावल के लिए प्राप्त मांग को बताने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल के लिए मांग (हजार मीटरी टन में)
आन्ध्र प्रदेश	160.0
अरुणाचल प्रदेश	8.0
असम	64.0
बिहार	25.0
गोआ	6.0
गुजरात	43.0
हरियाणा	4.0
हिमाचल प्रदेश	8.0
जम्मू और कश्मीर	35.0
कर्नाटक	75.0
केरल	236.0
मध्य प्रदेश	120.0
महाराष्ट्र	75.0
मणिपुर	9.3
मेघालय	15.0
मिजोरम	7.5
नागालैण्ड	18.0
उड़ीसा	35.0
पंजाब	1.5
राजस्थान	5.0
सिक्किम	5.0
तमिलनाडु	75.0
त्रिपुरा	16.85
उत्तर प्रदेश	141.0
पश्चिम बंगाल	150.0
अ० तथा नि० द्वीप समूह	4.5
चंडीगढ़	0.5
दादर तथा नगर हवेली	0.5

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल के लिए मांग (हजार मीटरी टन में)
दमन और दीव	0.6
दिल्ली	35.0
लक्षद्वीप	—
पांडिचेरी	3.0
जोड़ सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश	1382.25
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल	1.5
रक्षा	48.0
भूटान	1.85
जोड़ अखिल भारत	1433.6

गेहूं की खरीद

867. **श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव:**
श्री पांडुरंग पुडलिक फुंडकर:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने खरीद-मूल्य कम होने के कारण गेहूं का भंडार अपने पास रोक रखा है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेचने के लिए किसानों पर दबाव डालने हेतु चालू वर्ष के दौरान सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) किसानों को प्रतिपूर्ति करने के लिए तथा लक्ष्यानुसार गेहूं की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) से (ग) मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की वसूली एजेंन्सियों को गेहूं की बिक्री पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है। सरकारी एजेंन्सियों को गेहूं बेचने के लिए किसानों को मजबूर करने हेतु कोई उपाय करने का विचार है।

(घ) गेहूं की अधिकतम वसूली करने के लिए वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1992-93 के दौरान, मूल्य समर्थन के अधीन केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की वसूली एजेंन्सियों को पहली अप्रैल से 31 मई, 1992 तक की अवधि के दौरान, जो बाद में 30 जून, 1992 तक बढ़ा दी गई थी, गेहूं की बिक्री करने के लिए किसानों को 25/- रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस अदा किया गया था। इसके अतिरिक्त,

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों ने किसानों को मूल्य समर्थन के अधीन गेहूं बेचने के लिए 5/- रुपये प्रति क्विंटल का राज्य बोनस अदा किया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25/- रुपये प्रति क्विंटल के राज्य बोनस की घोषणा की गई थी। विशेष रूप से अपारम्परिक राज्यों में बड़ी संख्या में वसूली केन्द्र खोले गये थे जिनमें सहकारी समितियों आदि को शामिल किया गया था। मोबाइल केन्द्र भी खोले गए थे।

नदियों में प्रदूषण

869. श्री राम विलास पासवानः
श्री डी॰ वेंकटेश्वर रावः
श्रीमती गिरिजा देवीः
श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डीः
श्री चन्द्रजीत यादवः
श्री शरद यादवः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्लोबल वाटर क्वालिटी मानिटरिंग प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय नदियों का जल प्रदुषित होने के कारण पीने और नहाने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुवीक्षण कार्यक्रम, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट मानीटरिंग सिस्टम का एक भाग है, के अन्तर्गत 480 केन्द्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 22 नदियों के कुछ हिस्सों में पानी पीने तथा नहाने के योग्य नहीं है। इन नदियों में प्रदूषण फैलने के कारण नगर पालिकाओं, उद्योगों तथा अन्य अनेक स्रोतों से अनुपचारित अथवा आंशिक रूप से उपचारित गदले पानी को छोड़ा जाना है।

(ग) नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैः—

(i) प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की सूची तैयार करने और जल गुणवत्ता की स्थिति निर्धारित करने के लिए देश में 14 बड़ी नदी बेसिनों में अध्ययन किए गए हैं।

(ii) नदी गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए गए हैं।

(iii) उद्योगों तथा नगर पालिकाओं को अपने बहिःस्रावों उनका एक समयावधि के भीतर निर्धारित मानकों तक उपचार किए जाने का निदेश दिया गया है।

(iv) उद्योगों द्वारा मानकों का अनुपालन किए जाने की स्थिति की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्य बलों के माध्यम से अनुवीक्षा की जाती है।

(v) चूक करने वाली इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(vi) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत नगर के मल-जल के एकत्रीकरण, उपचार तथा निपटान की स्कीमें कार्यान्वयनाधीन है। इस मॉडल पर आधारित एक कार्य योजना का राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अधीन अन्य नदियों के पता लगाए गए प्रदूषित भागों की सफाई के लिए प्रस्ताव किया गया है।

रामपुर-हल्द्वानी रेल लाईन

870. **श्री बलराज पासी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामपुर (उत्तर प्रदेश) से हल्द्वानी के बीच बड़ी लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के रेल यातायात हेतु कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नही।

(ख) 1993-94 के दौरान।

[अनुवाद]

कटक में कंप्यूट्रीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली

871. **श्री के० पी० सिंह देव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कटक की कंप्यूट्रीकृत आरक्षण प्रणाली महीने के अधिकांश दिन कार्य नहीं करती है तथा हावड़ा और नई दिल्ली जैसे स्टेशनों से उसका संबंध टूटा रहता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1992 से 30 जून, 1992 तक (महीने-वार) इस प्रणाली ने कितने दिन कार्य नहीं किया तथा नई दिल्ली और हावड़ा से उसका संबंध कितने दिन टूटा रहा; और

(घ) इस गड़बड़ी को ठीक करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) कटक का कलकत्ता से सम्पर्क टूटने के कुछ ही मामले हुए हैं। कटक और दिल्ली के बीच कोई सीधा सम्पर्क नहीं है। दिल्ली प्रणाली से आरक्षण के लिए कटक (तथा इस क्षेत्र के अन्य नगरों) से प्राप्त अनुरोधों पर कलकत्ता और दिल्ली के बीच सम्पर्क के माध्यम से कार्यवाही की जाती है, इस सम्पर्क में भी खराबी कभी कभार ही हुई है।

(ख) खराबियों का मुख्य कारण दूर संचार विभाग से पट्टे पर लिये गए टेलीकाम चेनल में अवरोध आना है। कभी-कभी प्रणाली में भी खराबी आ जाती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) कटक में इस प्रणाली के खराब होने का मुख्य कारण संचार चैनलों की खराबी रही है। खराबी आने पर इसे तत्काल ठीक कराने तथा इसकी पुनरावृत्ति के परिहार के लिए दूर संचार विभाग से संपर्क स्थापित किया जाता है। सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रणाली की खराबियों का विश्लेषण किया जाता है।

विवरण

सम्पर्क	महीने	ऐसे अवसरों की संख्या जब खराबी आई	अवरोध की कुल अवधि	खराबी के कारण
			घंटे-मिनट	
कटक-कलकत्ता	जनवरी, 92	7	26-10	सभी खराबियां दूर संचार विभाग के चैनल में खराबी आने के कारण
	फरवरी, 92	7	6-20	2 खराबियां चैनल में खराबी अमने के कारण तथा 5 प्रणाली की खराबी के कारण
	मार्च, 92	4	11-45	3 खराबियां चैनल में खराबी आने के कारण तथा 1 प्रणाली की खराबी के कारण
	अप्रैल, 92	12	26-0	11 खराबियां चैनल की खराबी के कारण तथा एक प्रणाली की खराबी के कारण
	मई, 92	—	—	सभी खराबियां चैनल की खराबी के कारण
कलकत्ता-दिल्ली	जनवरी, 92	5	2-18	सभी खराबियां चैनल की खराबी के कारण
	फरवरी, 92	—	—	—
	मार्च, 92	—	—	—
	अप्रैल, 92	—	—	—
	मई, 92	3	1-10	सभी खराबियां चैनल की खराबी के कारण
	जून, 92	1	0-15	चैनल की खराबी के कारण

मनमाड-औरंगाबाद रेल मार्ग

872. **श्री राम कापसेः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मनमाड-औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) मनमाड-औरंगाबाद लाइन पहले हो विद्यमान है जो मीटर लाइन थी और इसे 1991-92 में बड़ी लाइन में बदल दिया गया था।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों का मूल्यांकन

873. श्री मणिकराव होडल्या गावीत:
श्री परसराम भारद्वाज:
श्री बी॰ देवराजन:
श्री बापू हरि चौरे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय किसी राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन नसबन्दी के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से किया जाता है;

(ख) क्या ये लक्षय जन्म दर में काफी कमी लाने में सहायक रहे हैं;

(ग) यदि नहीं तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस मूल्यांकन पद्धति को बदलने और छोटे परिवार के माइडों को तेजी से अपनाने के लिए नए प्रोत्साहन देने एवं संशोधित नीति अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान लागू की जाने वाली जन्म दर नियंत्रण की नई नीति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में होने वाली प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए नसबंदी सहित परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का स्तर एक मापदंड है।

(ख) जन्म दर में कमी लाने का एक तरीका परिवार नियोजन कार्य का विस्तार करना है। इनके अलावा अन्य घटक जैसे महिला शिक्षा, विवाह के समय लड़कियों की आयु, महिलाओं का स्तर, पुत्र प्राप्ति को अधिक बढ़ावा देना और शिशु संरक्षण आदि भी प्रजननता को प्रभावित करते हैं।

(ग) और (घ) नकद प्रतिपूर्ति की मौजूदा स्कीम जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नसबंदी/आई॰यू॰डी॰ निवेशन में कार्यनिष्पादन के आंकड़ों के आधार पर धनराशि दी जाती है, को यह ध्यान में रखकर संशोधित करना अपेक्षित है ताकि इस स्कीम के अंतर्गत उनके द्वारा जन्म दर घटाने के लिए वास्तव में किए गए प्रयासों के आधार पर धनराशि दी जाए।

परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक सक्रिय बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना पहले ही तैयार की गई है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रियों द्वारा जनवरी, 1992 में इसे समर्थित किया गया है। इस कार्य-योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के समर्थन में राष्ट्रीय सहमति तैयार करने और समाज के सभी वर्गों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर प्रमुख बल दिया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और विस्तार में सुधार, खराब निष्पादन वाले 90 जिलों (जिनमें 1981 की जनगणना के अनुसार जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 39 अथवा इससे अधिक है) पर विशेष ध्यान देने हेतु विशिष्ट कार्य-नीति अपनाना, जन्म दर में वास्तविक कमी के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु एक तन्त्र विकसित करना, जन्म अंतराल की विधियों का तेजी से संवर्धन करके युवा दम्पत्तियों की कवरेज में वृद्धि करना, नये गर्भ निरोधक शुरू करना और गर्भनिरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करना, शहरी क्षेत्रों, विशेषरूप से गंदी बस्तियों में, परिवार कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना, चिकित्सा/परा-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यकलापों को सुदृढ़ करना जिसमें प्रेरणात्मक और परामर्शी पहलुओं पर विशेष ध्यान

दिया जाएगा, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को जारी रखना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अन्य उपचारों का सुदृढ़ीकरण, सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को जीवन के मुद्दों और पारस्परिक विचार विनिमय पर विशेष बल देने हेतु अभिमुख करना, कार्यक्रम में लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन तंत्र को तेज करना और राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तरों पर उच्चस्तरीय अंतर क्षेत्रीय समन्वय तंत्र तैयार करना आदि हैं।

रेल कर्मचारियों की बहाली

874. **श्री अजय मुखोपाध्याय:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमिक संघ गतिविधियों में भाग लेने के लिए रेल कर्मचारी (अनुशासन व अपील) नियमों के नियम 14 (11) के अंतर्गत वर्ष 1980 और इसके बाद बर्खास्त किये गये/नौकरी से निकाले गये शेष बचे रेल कर्मचारियों को पुनः बहाल करने/क्षतिपूर्ति करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने व उसे कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) यह विनिश्चय किया गया है कि जिन कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन गतिविधियों के संबंध में 1.4.1980 से और उसके बाद रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमों के नियम 14 (11) के अधीन सेवा से बर्खास्त किया गया या निकाल दिया गया है उन्हें बहाल न किया जाए। उन्हें कुछ वित्तीय राहत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान पर रोक लगाना

875. **श्री शरद् यादव:**
श्री बी॰ एन॰ रेड्डी:
श्री एम॰ रमन्ना राय:
श्री मोहन सिंह (देवरिया):
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:
श्री रूप चन्द पाल:
श्री राम विलास पासवान:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालयों, विशेष रूप में सीधे केन्द्र द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को उनकी अनुदान राशि पर रोक लगाए जाने के कारण भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समस्या को हल करने हेतु कौन से वैकल्पिक सुझाव दिये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का इस बारे में पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विश्व०अनु०आ० के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण निधियां दी जाती हैं, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को अपनी निधियों का बड़ा भाग अपनी अपनी राज्य सरकार से प्राप्त होता है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर वर्तमान कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 1992-93 के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों व स्वायत्त निकायों के योजनेत्तर व्यय के स्तर को पिछले वर्ष के स्तर के बराबर बनाए रखने का निर्णय किया है। विश्व०अनु०आ० ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सम-विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों व दिल्ली कालेजों के प्रधानाचार्यों को तदनुसार सूचित कर दिया है। आयोग ने प्रभावशाली अर्थव्यवस्था व आय बढ़ाने के उपायों का पता लगाने के लिए इन संस्थानों के अधिकारियों के साथ कई बार परामर्श किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्व०अनु०आ० के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से, उनके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के उपायों पर विचार करने हेतु विचार-विमर्श किया था। इन विचार विमर्श के आधार पर आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त संस्थानों के रखरखाव अनुदान को रोकने के संबंध में अपने पहले आदेश वापिस ले लिए हैं।

कर्नाटक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं

876. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्सः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक को गन्दी बस्तियों (स्लम एरिया) में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में सरकार को कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) विश्व बैंक सहायता से कर्नाटक के बैंगलूर शहर की गंदी बस्तियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने हेतु एक परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है।

(ख) बैंगलूर शहर के प्रस्ताव पर, विश्व बैंक के साथ आठवीं भारती जनसंख्या परियोजना के एक भाग के रूप में, बातचीत को अंतिम रूप दिया गया है।

दिल्ली में प्रदूषण

877. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक:**
श्री मदन लाल खुराना:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के प्रमुख प्रदूषणग्रस्त शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है;

(ख) दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस तरह के प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है और उनके क्या परिणाम हुए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) विश्व जनसंख्या और स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में सल्फर डाई आ`क्साइड द्वारा होने वाले प्रदूषण के संबंध में नई दिल्ली का 54 शहरों की सूची में 27 वां और धूलकणों के संबंध में 41 शहरों में चौथा स्थान है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा किये गये वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में धूलकणों के स्तर कई बार निर्धारित सीमाओं से अधिक पाए गए हैं।

(ख) दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों औद्योगिक गतिविधियां, मोटर वाहनों के उत्सर्जन और प्राकृतिक धूल भरी परिस्थितियां हैं।

(ग) प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किये गये हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(3) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वायु प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये हैं।

(4) प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों को जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि निश्चित समय के अन्दर निर्धारित मानकों का पालन किया जा सके।

(5) दिल्ली में सभी तीनों तापविद्युत संयंत्रों ने एलैक्ट्रोस्टेटिव प्रेसिपिटेटर्स लगा लिये हैं तथा इन इकाइयों से धूलकणों के उत्सर्जन के स्तर निर्धारित सीमाओं के अन्दर हैं।

(6) प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों के लिए मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत व्याधिक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये हैं और ये 1 मार्च, 1990 से लागू हो गए हैं।

(7) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन सहित विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को व्यापक उत्सर्जन मानकों को लागू करने की सलाह दी है।

(8) वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक मोटर वाहर नियमावली, 1989 के अंतर्गत अधिसूचित किये गये हैं। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए ये मानक 1 अप्रैल, 1991 से तथा डीज़ल से चलने वाले वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 1992 से लागू हो गये हैं।

(9) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा उत्सर्जन मानकों को नियमित रूप से लागू किया जा रहा है।

(10) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा 110 निजी कार्यशालाओं और पैट्रोल पम्पों में प्रदूषण जांच की सुविधाएं मुहैया कराई गई है।

(11) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण, स्वास्थ्य खतरों तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रक्रियाओं के अनुरक्षण के बारे में जागरूकता अभियान चलाया है।

(12) वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने बैटरी से चलने वाली बसों का एक कार्यक्रम शुरू किया है।

[हिन्दी]

"कंडोम" का आयात

878. **श्री दाऊ दयाल जोशी:**
श्री जे० चोकाराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग कितने "कंडोम" का उपभोग होता है तथा विदेशों से प्रत्येक वर्ष देशवार, कुल कितने "कंडोम" का आयात किया जाता है तथा उसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार का विदेशी "कंडोम" की गुणवत्ता तथा भारत में उनके विपणन पर कोई नियंत्रण नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराdevी सिद्धार्थ): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत वितरित/बिक्री किए गए कंडोमों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	वितरित/बिक्री किए गए कंडोमों की संख्या (लाख नगों में)
1989-90	9617.2
1990-91	10023.8 (अनन्तिम)
1991-92	9156.4 (अनन्तिम)

वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान देशवार आयातित कंडोमों की मात्रा और मूल्य उपाबंध में दिये गए है।

(ख) आयात और निर्यात नीति 1990-91 खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अंतर्गत रंगीन कंडोमों के आयात की अनुमति देती है। औषध नियंत्रक (भारत) रंगीन कंडोमों के आयात की स्वीकृति देते समय कैच कवर्स और आयातक देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक स्वतंत्र बिक्री प्रमाणपत्र के साथ सैम्पलों के नमूने मंगवाता है।

भारत सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबंधों के अंतर्गत निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला (सी०आई०पी०एल०), गाजियाबाद को कंडोम परीक्षण के लिए स्वायत्त प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया है। कंडोमों के आयातित माल के नमूनों की केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में रिलीज करने के पूर्व जांच की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान कंडोमों का देशवार आयात

मद/देश का विवरण	1986-87		1987-88		1988-89	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
रबड़ के गर्भनिरोधक पुरुष (कंडोम)						
बेलजियम	—	—	1289	9.02	1810	13.59
जापान	2524	19.64	2020	11.88	3058	22.54
कोरिया	200	2.419	52840	178.49	76389	371.80
मलेशिया	2590	7.67	2270	9.55	2991	17.54
सिंगापुर	—	—	1433	4.78	630	6.72
स्वीटजरलैंड	—	—	—	—	900	8.47
अमेरिका	—	—	5000	35.64	19440	169.82
इटली	—	—	3	0.03	—	—
कुल	5214	29.80	64855	249.39	105168	610.48

[अनुवाद]

रामजस कालेज में छात्राओं की रैगिंग

879. **डा॰ सुधीर राय:**
डा॰ वसन्त पवार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामजस कालेज, दिल्ली में 1991 में एक छात्र को निर्वस्त्र करने के दोषी पाए गए छात्रों को प्राधिकारियों द्वारा दंडित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, रामजस कालेज में जुलाई, 1991 की रैगिंग घटना में दोषी पाये गए छात्रों को निम्नलिखित दण्ड दिए गए हैं:—

(i) एक छात्र को 200 रुपये का जुर्माना किया गया है और विश्वविद्यालय में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ii) एक छात्र को 100 रुपये का जुर्माना किया गया है और उसे भविष्य में किसी कदाचार के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी गई है।

(iii) तीन छात्रों को कालेज/विश्वविद्यालय में उनकी उपस्थिति के दौरान किसी प्रकार के कदाचार के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी गई है।

(iv) दो छात्रों को कड़ी चेतावनी दी गई है और उनसे कालेज/विश्वविद्यालय में उनकी उपस्थिति के दौरान अच्छे व्यवहार के लिए बन्ध पत्र लिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई०एम०यू० रेल गाड़ियां

880. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कुछ भागों में और अधिक ई०एम०यू० रेल गाड़ियां चलानि का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, नई गाड़ियां चलाना एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि यातायात का औचित्य और संसाधन उपलब्ध हों।

कोंकण रेल परियोजना

881. **श्री शरद दिघे:**
श्री के० मुरलीधरण:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में अब तक कोंकण रेलवे पर कितने प्रतिशत काम हुआ है;

(ख) क्या क्षेत्र को सीधा बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण गोवा खंड पर काम में कुछ विलंब हो गया;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कोंकण रेल निगम ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) परियोजना के विभिन्न खंडों पर कब तक काम करना आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) मई 1992 के अंत की प्रगति का प्रतिशत निम्नलिखित है:—

(i) महाराष्ट्र - 21 %
(ii) गोवा - 10 %
(iii) कर्नाटक - 40 %

(ख) जी हां।

(ग) यह विनिश्चय किया गया है कि गोवा सरकार द्वारा दिसंबर 1990 में यथा-अनुमोदित संरेखण को छोटे-मोटे परिवर्तनों के बाद निर्माण के लिए स्वीकार कर लिया जाए।

(घ)	(i) रोहा-दसगांव	(47 कि०मी०) और	
	(ii) मंगलोर-उदुपी	(70 कि०मी०)—	अक्तूबर 1992 में परिचालित किये जाने की संभावना है।
	(iii) दसगांव-उदुपी	(643 कि०मी०)—	1994-95 में परिचालित किए जाने की संभावना है।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए बढ़ाया गया बजट

882. **प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्यः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 1991-92 के लिए अनौपचारिक शिक्षा हेतु बढ़ाया गया बजट आकलनों से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी हां।

(ख) गैर औपचारिक शिक्षा के लिए वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों को गैर-औपचारिक शिक्षा योजना के प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत अधिक वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए नियत किया गया था, जिसे 1991-92 के दौरान अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। अतः गैर औपचारिक शिक्षा के लिए वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से कम थे।

[हिन्दी]

बिहार में रेलवे बुकिंग कार्यालय

883. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्माः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के चतरा, औरंगाबाद जिला के मुख्यालयों और गया जिले के शेरघाटी उपमंडल में नए रेल बुकिंग कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) रेल प्रशासन द्वारा औरंगाबाद में एक आउट एजेंसी खोलने का निर्णय लिया गया है। मानक शर्तों पर आउट एजेंसी परिचालित करने के लिए उपयुक्त ठेकेदार मिलते ही आउट एजेंसी खोल दी जाएगी।

शेरघाटी में आउट एजेंसी/बुकिंग कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यातायात की कम संभावना के कारण चतरा में आउट एजेंसी खोलना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

जान लेवा बीमारियों के संबंध में विशेषज्ञ दल

884. **श्री देवी बक्स सिंहः** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जान लेवा बीमारियों के संबंध में विशेषज्ञों का कोई दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन लम्बित परियोजनाएं

885. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक:**
श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा:
श्री हरिन पाठक:
श्री अरविन्द नेताम:
प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पिछले तीन महीनों में स्वीकृत की गयी विकास परियोजनाओं के नाम राज्यवार क्या-क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया उनके नाम, राज्य-वार क्या-क्या हैं;

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सरकार के पास स्वीकृति के लिये अब तक लंबित पड़ी विकास परियोजनाओं के नाम, राज्यवार क्या-क्या हैं;

(घ) ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हुई हैं तथा उनको स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से जरूरी सूचना प्राप्त होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए उनकी जांच शीघ्र की जाती है।

विवरण-1

क्र॰सं॰	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	प्रस्तावों का नाम
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	(1) पील द्वीप समूह में पुलिस चौकी का निर्माण
2.	बिहार	(1) सिंहभूम जिले में 220 कि॰वा॰ ट्रांसमिशन लाइन बिछाना
3.	गुजरात	(1) पंचमहल्स जिले में नर्मदा परियोजना की मुख्य नहर (2) जैंटल प्रयोजनों के लिए डांग जिले के 300 गांवों में प्लाटों का उपयोग

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	प्रस्तावों का नाम
		(3) पंचमहल्स जिले में 66 कि०वा० राबाड़ी-देवागुंड विद्युत ट्रांसमिशन लाइन
		(4) बनसकंठा जिले में पी०टी० ग्राम घाट का निर्माण
		(5) अमरावती जिले में निकले हुए पत्थरों का एकत्रीकरण
		(6) बड़ोदरा जिले में नाहरा ब्रांच नहर का निर्माण
4.	हिमाचल प्रदेश	(1) शिमला जिले में टेहटोली-स्टैंडी मार्ग का निर्माण
		(2) मण्डी जिले में श्री नैनादेवी जी में निरीक्षण हट का निर्माण
5.	हरियाणा	(1) फरीदाबाद जिले में सिंचाई भूमि सीमा के अन्दर एल पी जी गोदाम का निर्माण
		(2) रोहतक जिले में दिल्ली बार्डर में बिक्री कर बैरियर के लिए ले-बाई का निर्माण
6.	मध्य प्रदेश	(1) शहडोल जिले में ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार
		(2) सतना जिले में मैसर्स मेहर सीमेंट कंपनी द्वारा चूना पत्थर का खनन
		(3) मैसर्स मेहर सीमेंट कंपनी द्वारा चूने पत्थर के परिवहन के लिए कनवेयर बेल्ट लगाना
		(4) मैसर्स मेहर सीमेंट कम्पनी द्वारा चूना पत्थर खनन
		(5) मैसर्स मेहर सीमेंट कंपनी द्वारा चूना पत्थर खनन
		(6) शहडोल जिले में मैसर्स मेहर सीमेंट कंपनी द्वारा चूना पत्थर खनन
		(7) रायगढ़ जिले में लोअर सिरपानी परियोजना का निर्माण
		(8) सतना जिले में पत्थर उत्खनन के लिए बानसागर परियोजना
		(9) बस्तर जिले में डोरडा टैंक का निर्माण
		(10) शहडोल जिले में कोथोटिया टैंक का निर्माण
		(11) शहडोल जिले में अमझार टैंक का निर्माण
		(12) बस्तर जिले में सोनापुर टैंक का निर्माण
		(13) सरगुजा जिले में एस ई सी एल द्वारा चिरमेरी कालियरी
		(14) मंडसौर जिले में चेनपुरा सिंचाई टैंक
		(15) विदिशा जिले में पत्थर की सिलियां निकालना
		(16) सागर जिले में सम्पर्क मार्ग का निर्माण
		(17) खांडवा जिले में मैसर्स उपेन्द्र सिंह कीर को

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	प्रस्तावों का नाम
7.	महाराष्ट्र	(1) कोल्हापुर जिले में कोल्हापुर से सिन्धुदुर्ग तक 220 कि०वा० डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (2) अहमदनगर जिले में घंटाघर पम्प स्टोरेज स्कीम का निर्माण (3) अहमदनगर जिले में अपर पराबारानीलवांदा लघु सिंचाई टैंक का निर्माण (4) रायगढ़ जिले में मैसर्स विक्रम इस्पात को गैस सप्लाई हेतु आर०सी०एफ० साहब से गैस पाइपलाइन बिछाना (5) नासिक जिले के तालुक सिन्नी के मोहादरी गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाना (6) भंडारा जिले में रोंगा से अलेसुर तक 11 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण
8.	उड़ीसा	(1) संबलपुर/धेनकनाल जिलों में तलचर संभलपुर रेलवे लाइन
9.	त्रिपुरा	(1) पश्चिम-त्रिपुरा में जी जी एस रोखियो से ईंट भट्टे तक भूमिगत पाइपलाइन (2) पश्चिम त्रिपुरा जिले में ओ एन जी सी त्रिपुरा परियोजना द्वारा फ्लेयर भंडार को खाली करने के लिए
10.	उत्तर प्रदेश	(1) इटावा जिले में गैस अथारिटी आफ इंडिया द्वारा गैस आधारित पैट्रो-कैमिकल काम्पलैक्स (2) पौड़ी जिले में ग्रामीणों को बसाने के लिए वन भूमि का निजी भूमि के साथ अदला-बदली (3) पौड़ी जिले में चूल्ला पेयजल आपूर्ति स्कीम (4) अल्मोड़ा जिले में मौरोली दसोली पेयजल आपूर्ति स्कीम (5) अल्मोड़ा जिले में रखनाटोक पेय जल आपूर्ति स्कीम (6) अल्मोड़ा जिले में पत्थर खोला पेय जल आपूर्ति स्कीम (7) पौड़ी जिले में वैना पेयजल आपूर्ति स्कीम (8) पौड़ी जिले में अलाइस सिखोला पेयजल आपूर्ति स्कीम।

विवरण-2

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	प्रस्तावों का नाम
1.	अरुणाचल प्रदेश	(1) श्री एस नागोमु, उपमंत्री (शिक्षा) अरुणाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त थांगलांग जिले के मियाओ में कार्यालय एवं कैम्प का निर्माण
2.	हिमाचल प्रदेश	(1) मंडी जिले के सरकाघाट में डाकघर का निर्माण

क्र॰सं॰	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	प्रस्तावों का नाम
3.	हरियाणा	(1) सोनीपत जिले के गनौर में जी॰टी॰ रोड से नए बस अड्डे तक संपर्क सड़क का निर्माण (2) कैथल जिले के कैथल में नए बाई पास का निर्माण
4.	कर्नाटक	(1) उत्तर-कन्नड़ जिले में ऑटोमोबाइल वर्कशाप का निर्माण
5.	मध्य प्रदेश	(1) दीनदयाल वनवासी सेवा समिति
6.	महाराष्ट्र	(1) जलगांव जिले के बड़गांव ग्राम में पाइपलाइन बिछाना (2) पुणे जिले के वीर गांव में पाइपलाइन बिछाना (3) अमरावती के तिलवासा तालुका में श्री आर॰पी॰ पवार के पक्ष में जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाना
7.	उत्तर प्रदेश	(1) अल्मोड़ा जिले में मल्ली विधुली पीने के पानी की सप्लाई स्कीम (2) देहरादून जिले में चन्द्रावत बिष्ट ग्राम मोटर रोड (3) पिथौरागढ़ जिले में अमटोडा टोक पीने के पानी की सप्लाई स्कीम (4) पिथौरागढ़ जिले में नवोलिया गांव पीने के पानी की सप्लाई स्कीम (5) पिथौरागढ़ जिले में महर गोली पीने के पानी की सप्लाई स्कीम (6) पिथौरागढ़ जिले में बेताता नहर (7) देहरादून जिले में जौली ग्रांट रायपुर एल एम बी आर (8) देहरादून जिले में बालगर्धी चौगारसिया पीने के पानी की सप्लाई स्कीम (9) अल्मोड़ा जिले में बस्ती पीने के पानी की सप्लाई स्कीम

विवरण-3

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	कब से लंबित है	लंबित रहने का कारण/वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
	राज्य का नाम : **आन्ध्र प्रदेश**		
1.	कृषि प्रयोजनों के लिए असाइनमेंट सुगोलिमरी	मार्च, 92	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1.	2	3	4
2.	जलाशयों का सृजन	मई, 92	अंतिम आदेशों के लिए सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश पर कार्रवाई की जा रही है।
3.	ए०सी०सी० लि० के पक्ष में लाइन स्टोन माइनिंग लीज	मई, 92	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
4.	चियालपाद आर०एफ० एम/एस एस०सी०सी लि० में येलांदु ओ सी पी-11 कोल माइनिंग	जून, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति की बैठक के समक्ष पेश की जाएगी।
	राज्य का नाम : **अरुणाचल प्रदेश**		
1.	ब्रिफ रोड का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
2.	अवैध कब्जों को नियमित करना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
3.	केईगटारो रोड का निर्माण	मई, 92	अंतिम आदेशों के लिए कार्रवाई की जा रही है।
4.	चिंगवंती—वालिंग नामिति	अप्रैल, 92	अंतिम आदेशों के लिए कार्रवाई की जा रही है।
	राज्य का नाम : **असम**		
1.	संख्या 5 जकाई वन कैब्बरता पथरानिक विद्यालय के लिए जकाई आर०एस० से वन भूमि का अधिग्रहण	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
2.	कमला मिनी एल०पी० स्कूल के लिए दोहिंगमुख आर०एफ० से वनभूमि का अधिग्रहण	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
3.	बनफूल एच०ई० स्कूल के लिए नाम ढांग आर०एफ० से वनभूमि का अधिग्रहण	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
4.	बुरबिल एम०ई० स्कूल के लिए नामढांग आर० एफ० से वनभूमि का अधिग्रहण	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
5.	नागांव एल०पी० स्कूल के लिए जोहाई आर०एफ० से वनभूमि का अधिग्रहण	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
6.	हाथीगढ़ एल०पी० स्कूल के लिए नामढांग आर०एफ० से वनभूमि का अधिग्रहण	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
7.	मधुपुर गर्ल्स एच०ई० स्कूल के लिए दोहिंगमुख आर०एफ० से वनभूमि का अधिग्रहण	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
8.	मधुपुर गर्ल्स एच०ई० स्कूल के लिए देहिंगमुख आर०एफ० से वनभूमि का अधिग्रहण।	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।

राज्य का नामः **बिहार**

1.	400 के वी दुर्गापुर जमशेदपुर ट्रांसमिशन लाइन	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
2.	सुवर्णरेखा बहुमुखी परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
3.	अपर. शंख रिज़र्वायर स्कीम का निर्माण	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
4.	लालपनिया से जागेश्वर तेनुघाट ताप विद्युत स्टेशन	अप्रैल, 92	कार्रवाई चल रही है।
5.	राजमहल खुली खदान कोयला फील्ड गोड्डा लालवती।	अप्रैल, 92	अंतिम आदेशों के लिए प्रस्तुत की जानी है।
6.	टोपा कालियरी कोयला परियोजना	अप्रैल, 92	पर्यावरणीय मंजूरी प्रतीक्षित है।
7.	गिड्डी "ए" खुली खदान परियोजना	अप्रैल, 92	अंतिम आदेशों के लिए प्रस्तुत की जानी है।
8.	के० डी० हुसलोंग कोयला परियोजना	अप्रैल, 92	अंतिम आदेशों के लिए प्रस्तुत की जानी है।
9.	हिन्दुस्तान निगम लि० के पक्ष में कूड़े के ढेरों के निपटान के लिए स्कीम	अप्रैल, 92	अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है।

राज्य का नामः **गोआ**

1.	सलौली सिंचाई परियोजना के लिए डाइक-I बांध का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।

राज्य का नामः **गुजरात**

1.	वेस्मा जंक्शन का 275/2 से 725/4 तक सुधार	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
2.	वर्तमान ब्रिज पर एक ओर ब्रिज बनाना के०एम०-291/0 से 292/0 तक	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
3.	एन एच नं०-8, के एम 284/0 से 287/0	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
4.	नर्मदा मुख्य नहर का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
5.	एन॰ एच॰ नं॰-8 का विद्यमान रहना	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
6.	बेटाविलेडिया सिंचाई स्कीम	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
7.	वर्तमान एन॰ एच॰ नं॰ 8 फोर लैण्ड का 375/0 कि॰मी॰ से 376/4 तक विस्तार	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
8.	एन॰ एच॰ नं॰ 8 को के॰ एम॰ 36/7 से 366/6 तक बढ़ाना	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
9.	एन॰ एच॰ नं॰ 8 चिल्की जंक्शन का सुधार	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
10.	दमोनगंगा रिजवयिर परियोजना	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
11.	डेंग्स में 11 के वी ट्रांसमिशन लाइन	मई, 92	अंतिम आदेशों के लिए कार्रवाई चल रही है।
12.	एन एच 8 का के एम 353/0 से 353/8 तक बढ़ाना	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
13.	लोटल मानेकनाथ मार्ग	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
14.	सुखी मुख्य नहर	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
15.	कापासिया लघु सिंचाई परियोजना	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
16.	वालान सिंचाई परियोजना	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
17.	डेंग्स II के वी ट्रांसमिशन लाइन	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
18.	पालमपुर में लघु सिंचाई स्कीम का निर्माण कार्य	अप्रैल, 92	कार्रवाई चल रही है।
19.	मैसर्स अकीक उद्योग विकास सहकारी मंडल लि॰ के पक्ष में लघु सिंचाई स्कीम का नवीकरण	अप्रैल, 92	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में लंबित।
20.	दमोई बडोला में नर्मदा मुख्य	अप्रैल, 92	कार्रवाई चल रही है।
21.	कृषि कार्यों के लिए वन क्षेत्र का अनारक्षण	अप्रैल, 92	कार्रवाई चल रही है।
22.	खुखाशी उमरी-डेरी चाडी भद्रामा	अप्रैल, 92	कार्रवाई चल रही है।
23.	माडोली में लघु सिंचाई परियोजना	अप्रैल, 92	निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाना है।
24.	गोमा लघु सिंचाई परियोजना	अप्रैल, 92	क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
25.	बंटा-कैसा हैडो वीरनपुर रोड का निर्माण	अप्रैल, 92	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
26.	मेहसाना-अहमदाबाद रोड साइड पर जल आपूर्ति स्कीम	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
27.	नर्मदा परियोजना की सर्कादा शाखा नहर का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
28.	डाभी-बोडेली स्टेट एच डब्लयू पर सरदार सरोवर नर्मदा निगम की मियागम शाखा नहर का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
29.	सामनी में नर्मदा परियोजना की लुवारा शाखा नहर का निर्माण	जून, 92	आदेश जारी किए जाने है।
30.	वडोदरा भडॉच एन एच नं० 8 में सरदार नर्मदा परियोजना की लुवारा शाखा नहर का निर्माण	जून, 92	आदेश जारी किए जाने है।
31.	लुवारा ग्राम में सरदार सरोवर नर्मदा निगम की अंबेश्वर शाखा नहर का निर्माण	जून, 92	आदेश जारी किए जाने है।
32.	साचनी गांव में नर्मदा परियोजना की लुवारा शाखा नहर का निर्माण	जून, 92	आदेश जारी किए जाने है।
33.	दुमाद चौकड़ी से बड़ौदा सिटी के लिए 1354 एम०एम०एच०एस० वाटर पाइप लाइन का निर्माण	जून, 92	आदेश जारी किए जाने है।
34.	रासुपुर (सुरली) में सावली-तिम्बा रोड पर नर्मदा परियोजना की सर्कादा शाखा नहर का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
35.	ताजपुरी गांव में हादफ सिंचाई स्कीम का जल मग्न होना और नहर का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
36.	साबली तालुका जालौड़ के खेड़ा गांव में पाइपलाइन बिछाना	जून, 92	आदेश जारी किया जाना है।
37.	गांव तांकरिया तालुका भड़ॉच में नर्मदा परियोजना की लुवारा शाखा नहर का निर्माण	जून, 92	आदेश जारी किया जाना है।
38.	गुजरात राज्य पर्वतारोहण केन्द्र, भावनाथ तालिती रोड़ के लिए कैम्प साइट	जून, 92	आदेश जारी किया जाना है।
39.	जी०आई०डी०सी० एस्टेट, चनाना के लिए एस०एच० नं० 55 से जुड़े मार्ग का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
40.	हरानी तालुका में चार लाइन के०एम० 6/2 से 8/2 के लिए एस०एच० का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
41.	अहमदाबाद मेहसाना एस०एच० नं० 8 पर 6 लाइनों को के०एम० 72.52 से 75.00 तक चौड़ा करना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
42.	उनझा-उनवा के मध्य 94 से 97.8 कि०मी० तक अहमदाबाद पालमपुर रोड़ एस०एच० नं० 8 पर फोर लाइन को चौड़ा करना।	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
राज्य का नाम: **हरियाणा**			
1.	पानीपत और मालेरकोटला से 400 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
2.	राधा स्वामी सत्संग को भूमि मंजूर करना	जून, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
3.	एन एच जंकशन और नमस्ते चौक, करनाल के नजदीक औद्योगिक सम्पदा सड़क पर विद्यामान वृक्षों की कटाई	अप्रैल, 92	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
4.	बड़कल पाली सड़क के साथ-साथ बहिस्राव नाले का निर्माण	अप्रैल, 92	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
5.	फरीदाबाद गैस आधारित विद्युत परियोजना	अप्रैल, 92	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
राज्य का नाम: **हिमाचल प्रदेश**			
1.	220 कि० वा० बैरासिल पोंग ट्रांसमिशन लाइन	मार्च, 92	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2.	सेना द्वारा ट्रांजिट केम्प का निर्माण	मार्च, 92	कार्रवाई की जा रही है।
3.	श्री नैना देवी जी मंदिर पर रज्जुमार्ग का निर्माण	मार्च, 92	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
4.	नद्दी गांव, धर्मशाला के भूकम्पीय पौधशाला की स्थापना करना।	मई, 92	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
राज्य का नाम: **कर्नाटक**			
1.	मैसूर खनिज के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
2.	एस० ए० तवाब के खनन पट्टे का नवीकरण	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
3.	मैसर्स ट्रिडेंट खनन कंपनी प्रा० लि० के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
4.	श्रीमती के० एम० सरूजा के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
5.	मैसूर खनिज के खनन पट्टे का नवीकरण	अप्रैल, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
6.	एच० जी० रंगनगोवडा के पक्ष में खनन पट्टा।	अप्रैल, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
7.	एच० जी० रंगनगोवड़ा के पक्ष में खनन पट्टा	अप्रैल, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
8.	ए० के० माधवनारायण के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	मार्च, 92	कार्रवाई की जा रही है।
9.	डालमिया सीमेंट के लौह अयस्क के लिए खनन पट्टा	मार्च, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
10.	एन० डी० एम० सी० के पक्ष में खनन पट्टा	मार्च, 92	18.5.92 को सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। सलाहकार समिति के सदस्यों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
11	चिखीनोल - जलाशय	जनवरी, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
12.	सरावती टेल रेस	जनवरी, 92	पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में लंबित वानिकी मंजूरी
राज्य का नाम: **केरल**			
1.	इडुक्की मंडल प्राधिकरण की भूमि	मार्च, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

1	2	3	4
2.	इदमलायर सिंचाई परियोजना	मार्च, 92	कार्रवाई की जा रही है।
राज्य का नामः **मध्य प्रदेश**			
1.	केराई नदी परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
2.	किछोद सिंचाई परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
3.	पुलिस पोस्ट का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
4.	महुआ खोरा सिंचाई परियोजना का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
5.	स्प्रिचुअल अपलिफ्टेंट के लिए भूमि	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
6.	दलही बेहरा परियोजना का निर्माण	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
7.	बिरनपुर परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
8.	सेमारथेप सिंचाई परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
9.	चमलेश्वर सिंचाई परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
10.	खुदरी परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
11.	चन्दर नगर सिंचाई परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
12.	परडा परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
13.	समर तालाब परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
14.	खोदरी तालाब परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
15.	दीपिका कोयला परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
16.	8 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
17.	अमरपुरा परियोजना	जून, 92	कार्रवाई की जा रही है।
18.	बोधघाट परियोजना	जून, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहाकार समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।
19.	पटपारा तालाब परियोजना	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
20.	कोडली तालाब परियोजना का निर्माण	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
21.	अरियानाला पुल को सम्पर्क सड़क	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
22.	डायरपोर-पाइरोफ्लोराइट के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	मई, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

1	2	3	4
23.	शामपुर तालाब परियोजना	मई, 92	क्षेत्रीय कार्यालय को 22.6.92 को स्थल निरीक्षण करने के लिए लिखा गया है।
24.	पेंच राष्ट्रीय उद्यान में चेरिया वन ग्राम को खेराज वन ग्राम में बदलना	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
25.	बरियापुर लेफ्ट केनाल परियोजना	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
26.	चादन मेट तालाब परियोजना	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
27.	व्हाइट हिली परियोजना	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
28.	बेसिक सीड मल्टिप्लीकेशन एंड ट्रैनिंग सैन्टर की स्थापना के लिए सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड को भूमि	मई, 92	कार्रवाई की जा रही है।
29.	श्री दिगम्बर जैन की गोपाचल न्यास के लिए भूमि	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
30.	बन्दी नल्ला सिंचाई परियोजना।	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
31.	वर्धा तालाब का निर्माण	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
32.	मकसूदन गढ़ सिंचाई परियोजना	अप्रैल, 92	27.3.92 से स्थल निरीक्षण की प्रतीक्षा है।
33.	महाराष्ट्र खनिज को खनन पट्टा	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
34.	लहुसुना तालाब	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
35.	भिलाई इस्पात संयंत्र को खनन पट्टा	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
36.	नर्मदा खनिज को खनन पट्टा	अप्रैल, 92	कार्रवाई की जा रही है।
37.	राजघाट केनाल	अप्रैल, 92	उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
38.	सुल्तानपुर टैंक	जनवरी, 92	स्थान निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
39.	एस ई सी एल द्वारा उप-शक्ति सेवा केन्द्र	जून, 92	आदेश जारी किए जाने हैं।
राज्य का नाम: **महाराष्ट्र**			
1.	नासिक में देवलाई फील्ड फायरिंग रेंज का विस्तार	अप्रैल, 92	स्थान निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
2.	कुम्भी सिंचाई परियोजना	मार्च, 92	स्थान निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
3.	डिम्बा एल०बी० नहर और बी०सी०	मार्च, 92	स्थान निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
4.	कासेरी मझोली सिंचाई परियोजना	मार्च, 92	स्थान निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

1	2	3	4
5.	रावेलगांव मझोली सिंचाई परियोजना	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
6.	सरेखा समौली सिंचाई परियोजना	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
7.	पंदेरीनाला मझौली सिंचाई परियोजना	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
8.	खारघर उप-केन्द्र के लिए 400 के०वी० डबल सर्किट टॉप लाइन	जून, 92	आदेश जारी किए जाने हैं।
9.	कस्बा वाल्वे ग्राम तालुका राधा नगरी में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
राज्य का नामः **मणिपुर**			
1.	दरयांग ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत दीमापुर इम्फाल लाइन	मार्च, 92	स्थान निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
2.	हवाई जहाजों के कार्य संचालन में सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एयर पोर्ट अथोरिटी द्वारा आबस्ट्रक्शन लाइन लगाना	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
राज्य का नामः **उड़ीसा**			
1.	सतभाया एवं कान्हुपुर ग्रामों के 395 परिवारों को पुनः बसाना	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
2.	मंजोर मझौली सिंचाई परियोजना	मई, 92	स्थान निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
राज्य का नामः **पंजाब**			
1.	पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र जाहम-खालम	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
राज्य का नामः **राजस्थान**			
1.	बारन डिवीजन कोटा में अहमदी मझौली सिंचाई परियोजना	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
2.	चांडली पुरौध मार्ग का निर्माण	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
3.	132 के०वी० पावर लाइन संगौड-झलावर	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
राज्य का नामः **सिक्किम**			
1.	1200 मेगावाट तीस्ता चरण 3 एच ई पी का निर्माण	मई, 92	स्थान निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
2.	सौक्लांग से थेंग तक मार्ग का निर्माण	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
राज्य का नामः **तमिलनाडु**			
1.	करडी-कांठी ईट भट्टे के लिए कार्य	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
2.	ए॰ सी॰ सी॰ लि॰ खनन पट्टे का नवीकरण	मार्च, 92	23.7.92 को होने वाली सलाहकार समिति की बैठक में रखा जाएगा।
राज्य का नामः **उत्तर प्रदेश**			
1.	हरसिल मुखबा जंगल मोटर रोड़	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
2.	रामनगर भंडारपानी मोटर रोड़	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
3.	एग्जाटिक शीप ब्रीडिंग फार्म	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
4.	संगर में 66/11 के वी उप-केन्द्र	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
5.	अंचली जखपुरम अनियोलागाहट मोटर रोड	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
6.	कीर्ति नगर दांधारी मोटर रोड	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
7.	गनई जाओरासी मोटर रोड	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
8.	चर्म दुलेख भुवानी मोटर रोड	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
9.	खेती जाटेश्वर मोटर रोड	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
10.	काकेरी घाट शीतला घाट मोटर रोड	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
11.	देवल मंडोली मोटर रोड	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
12.	मोहनखात - चन्द्र नगर मोटर रोड़	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
13.	सुसारी खेत मोहन बजारो मोटर रोड	अप्रैल, 92	कार्रवाई चल रही है।
14.	पनियाली कोट द्वार पौड़ी में गवर्मेंट पी॰ जी॰ कालेज	अप्रैल, 92	कार्रवाई चल रही है।
15.	चकिया में लघु खनिज एकत्र करना	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
16.	सागर छानगांव छालचिना मोटर रोड	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
17.	डागली श्योली छालिया हरिनगरी-कलाओ मोटर रोड	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
18.	टिहरी बांध मोटर रोड को विस्थापितों का पुनर्वास	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
19.	पिंडारी ग्लेशियर मोटर रोड	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
20.	घाट सेक्टर मोटर रोड	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
21.	खंटारी नहर	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
22.	गुलगांव पेयजल आपूर्ति स्कीम	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
23.	सीमा नहर	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
24.	बुखलानी पेयजल आपूर्ति स्कीम	मई, 92	राज्य सरकार ने सूचना प्राप्त न होने के कारण लंबित है।
राज्य का नामः **त्रिपुरा**			
1.	71 बी० एन० बी० एस० पी० की स्थापना, मुख्यालय अम्बासा	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
2.	बारामुरा देवतामुरा के भीतर की बी आर एम-एक्स-वाई में ड्रिलिंग कार्य	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
3.	एन एस और पश्चिमी त्रिपुरा में रबड़ का वृक्षारोपण करना	मई, 92	कार्रवाई चल रही है।
राज्य का नामः **पश्चिम बंगाल**			
1.	ई सी एल लिमिटिड की झांगडा भूमिगत परियोजना	जून, 92	कार्रवाई चल रही है।
2.	प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के अवक्रमित वनों का कृत्रिम रूप से पुनरूत्पादन	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।
3.	डी वी सी द्वारा कालीदासपुर से मेहिया तक रेल संपर्क स्थापित करना	मार्च, 92	कार्रवाई चल रही है।

दवाइयों में रंगों का प्रयोग

886. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या औषधियों, मिक्सचर, सीरप के निर्माण में कृत्रिम रंगों और सत्व का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इन रंगों का चिकित्सा की दृष्टि से कोई महत्व है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दवाइयों में रंगों और सत्व का प्रयोग करने की क्या उपयोगिता है;

(घ) क्या इन रंगों के संघटकों से दवाइयों के मूल्य बढ़ जाते हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन रंगों के प्रयोग पर रोक लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मुख सेव्य औषधों में सामान्यतया रंगों का प्रयोग उन्हें आकर्षक बनाने तथा रोगियों द्वारा उनकी अधिक स्वीकार्यता हेतु किया जाता है। औषधों को और अधिक स्वादिष्ट बनाने तथा कुछ संघटकों के अरूचिकर स्वाद को छिपाने के लिए सत्वों का प्रयोग किया जाता है।

(घ) औषधों के मूल्यों का परिकलन करते समय औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा रंगों की लागत का ध्यान रखा जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्टेशनों का आधुनिकीकरण

887. **श्री लाल बहादुर रावल:**
श्री रणवीर सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने तथा किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया;

(ख) क्या सरकार ने अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है तथा उनका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) "आदर्श स्टेशन" योजना के अन्तर्गत व्यापक आधुनिकीकरण के लिए 1986 में भारतीय रेलों पर 67 स्टेशनों को चुना गया था। तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 1991-92 के दोरान 9 स्टेशनों यथा मेरठ सिटी, लखनऊ जं०, इलाहाबाद जं०, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, काठगोदाम, इलाहाबाद सिटी और आगरा फोर्ट को विकसित किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) "आदर्श स्टेशन" योजना के अन्तर्गत व्यापक आधुनिकीकरण के लिए किसी अन्य स्टेशन को लेने का प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है और यातायात में वृद्धि हो जाने से अपेक्षित हो जाने पर ऐसा नियमित रूप से किया जाता है बशर्ते धन उपलब्ध हो।

नवजात शिशुओं का टीकाकरण

888. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण नवजात शिशुओं का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पूरे देश में, विशेषकर दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में, नवजात शिशुओं के टीकाकरण के लिए कोई विशेष योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो नवजात शिशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ): (क) सभी नवजात शिशुओं को निम्नलिखित कार्यक्रम सूची के अनुसार छह टीका निवार्य रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं:-

डिपथीरिया, काली खांसी, टेटनस	-	6, 10, 14 सप्ताहों में 3 खुराकें।
पोलियो	-	6, 10, 14 सप्ताहों में 3 खुराकें
खसरा	-	9 महीने
क्षयरोग	-	एक वर्ष की आयु के भीतर एक खुराक

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नेमी रोग प्रतिरक्षण सेवाएं परदान करने के अलावा देश में समय-समय पर विशेष रोग प्रतिरक्षण अभियान भी चलाए जाते हैं ताकि ये सेवाएं दूर-दराज के क्षेत्रों में अच्छी तरह से पहुंचाई जा सकें और वंचित नवजात शिशुओं को शामिल किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नकद सहायता के अलावा टीके, सिरिंजें, सुइयां, कोल्ड-चेन उपस्कर प्रदान किए जाते हैं ताकि सभी नवजात शिशुओं को पूरी तरह से रोग-प्रतिरक्षित किया जा सके। शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम नामक एक नई पहल जो 1992-93 से प्रभावी होगी, तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी नवजात शिशुओं को छह टीका निवार्य रोगों से कारगर ढंग से प्रतिरक्षित करने और अतिसार में डिहाइड्रेशन, श्वसन संक्रमण आदि के उपचार के लिए आंठवीं योजना अवधि के दौरान व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम को जारी रखने की बात पर विचार किया गया है।

[अनुवाद]

आई॰ आई॰ टी॰ की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र

889. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)**:
श्री जे॰ चोक्काराव:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हुई आई॰ आई॰ टी॰ की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कुछ विषयों के प्रश्न पत्रों में एक से अधिक सही उत्तर थे जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार भ्रम में पड़ गए और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य कठिन हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच करायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सही हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा आई॰ टी॰—बी॰ एच॰ यू॰ में दाखिलों के लिए हाल ही में ली गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा में, स्थापित प्रथा के अनुसार एक जांच-पेपर (स्क्रीनिंग पेपर) था, जिसका एक मात्र उद्देश्य उन उम्मीदवारों, जिनका अखिल भारतीय योग्यता सूची तैयार करने के उद्देश्य से मूल्यांकन किया जाना था, की संख्या को कम करना था। जांच पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार (आब्जेक्टिव टाइप) के प्रश्न थे, और परीक्षार्थियों को सही उत्तर (उत्तरों) का पता लगाना था। मूल्यांकन—क्रियानिधि में प्रश्न पत्र

निर्धारकों (पेपर-सैटर्स) द्वारा मॉडल उत्तरों को तैयार करना शामिल था। इन मॉडल उत्तरों को फिर सरल बनाया गया था तथा सभी संभव उत्तरों को समाविष्ट करने के लिए परीक्षकों की विभिन्न समितियों द्वारा विवेचित रूप से इनकी जांच की गई थी। इस प्रकार सरल बनाए गए मॉडल उत्तरों को फिर सुरक्षित रख दिया गया था। मूल्यांकन इन सुरक्षित (फ्रोजिन) मॉडल उत्तरों के आधार पर किया गया है। उन उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए गए थे जिन्होंने अपेक्षित संख्या में सही उत्तरों पर निशान (टिकिंग) लगाए थे। उन उम्मीदवारों को भी पूरे अंक दिए गए थे, जिन्होंने मॉडल उत्तरों में यथानिहित किसी एक संभव सही उत्तर पर निशान लगाया था। अतः उत्तर लिखते समय, उम्मीदवारों के दिमाग में कोई भ्रम पैदा होने का प्रश्न ही नहीं है। उत्तर पुसितकाओं का मूल्यांकन करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं थी। अतः इस मामले में कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

नये केन्द्रीय विद्यालय

890. **श्री ई० अहमदः**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेयः
श्री अरविन्द नेतामः
श्री राम नरेश सिंहः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों के नाम सहित उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कथित असन्तोषजनक कार्यकरण

891. **श्री हन्नान मोल्लाहः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के असन्तोषजनक कार्यकरण के विरूद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा):

(क) जी हां। श्री हन्नान मोल्लाह, संसद सदस्य से 4.5.92 का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) ये शिकायतें अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों द्वारा समय पर अध्ययन सामग्री प्राप्त न होने, अध्ययन केन्द्रों में श्रव्य-दृश्य कैसटें उपलब्ध न होने, परामर्श करने में अनियमितताओं, स्कूल निदेशकों

के रिक्त पदों, क्षेत्रीय केन्द्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी नीति की कमी, वित्तीय अनियमितताओं आदि से संबंधित हैं। विश्वविद्यालय से प्राप्त विस्तृत टिप्पणियों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रश्न पत्रों के एक से अधिक सैट

892. **प्रो॰ अशोक आनन्दराव देशमुखः**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंहः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस वर्ष आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के एक से अधिक सैटों के उपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त प्रणाली की पुनरीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी॰ बी॰ एस॰ ई॰) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में जहां एक से अधिक प्रश्नों (चार) के सैटों के प्रश्न-पत्रों का उपयोग हुआ, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक (कक्षा X) और उच्च माध्यमिक (कक्षा XII) की परीक्षाओं के दौरान कुछ प्रेस रिपोर्टें मिलीं जिसमें प्रश्न पत्रों के विभिन्न सैटों के बीच स्तरों की भिन्नता का आरोप लगाया गया। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विषय-वस्तु के विश्लेषण के लिए विशेषज्ञों के पास प्रश्न-पत्रों के चार सैट भेजे और विशेषज्ञों ने अपनी यह राय दी कि एक से अधिक सैटों के प्रश्न-पत्रों की एकरूपता के विरूद्ध कोई प्रमाण नहीं है।

एक से अधिक सैटों के प्रश्न-पत्रों के उपयोग के संबंध में निर्णय की इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विशेष रूप से गठित की गई समिति द्वारा पहले ही समीक्षा की जा चुकी है। समिति ने योजना को प्रभावी और शैक्षिक रूप से सुदृढ़ पाया। बोर्ड के शासी निकाय ने भविष्य में बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा-X और XII की परीक्षाओं में शामिल होने वाले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध देश और विदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एक से अधिक सैटों के प्रश्न-पत्रों के उपयोग के संबंध में उपायों को कार्यान्वित करने के लिए समिति की एकमत सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

[अनुवाद]

अलीपुरद्वार जंक्शन से रेल प्रतिष्ठान हटाना

893. **श्री जितेन्द्रनाथ दासः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अलीपुरद्वार जंक्शन से अनेक रेल प्रतिष्ठान स्थानांतरित कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

894. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:**
श्री एन० जे० राठवा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश-प्रणाली के बारे में बनाई गयी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में प्रवेश-प्रणाली संबंधी मार्गनिर्देशों को संशोधित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति के संसद सदस्यों में से, प्रो० (श्रीमती) मालिनी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में संसद सदस्यों की एक उप-समिति का गठन किया गया था। इस दल ने केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष विधान के आधार पर दाखिलों के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया। इन्होंने मार्गदर्शी सिद्धांतों में ऐसा कोई परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की है किन्तु इसकी प्रक्रिया से संबंधित कुछ सिफारिशें की हैं। इनकी सिफारिशों के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्री ने दिनांक 20-5-1992 को संसद सदस्यों को एक पत्र लिखा है।

(विवरण के रूप में एक प्रति संलग्न है)

विवरण

मंत्री
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार

एफ० अ० सं० पत्र० एम० 120-सी (के विंस)/92 दिनांक: 20.5.92

महोदय,

यह बात आपके ध्यान में होगी कि दिनांक 21.4.1992 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 677 का उत्तर देते हुए मैंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि मैं अपने मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की आगामी बैठक में केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट के आधार पर दिये जाने वाले प्रवेशों के प्रश्न पर चर्चा करूंगा। तदनुसार सलाहकार समिति की दिनांक 25.4.1992 को हुई बैठक में मैंने इस विषय पर चर्चा की थी। सलाहकार समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार इस विषय का गहराई से अध्ययन करने की दृष्टि से सलाहकार समिति के सदस्यों के एक दल का गठन किया गया, प्रो० (श्रीमती) मालिनी भट्टाचार्य, संसद सदस्य

जिसकी अध्यक्ष हैं तथा श्री मुहम्मद युनुस सलीम, संसद सदस्य, प्रो॰ रासा सिंह रावत, संसद सदस्य एवं श्री सुधीर सावंत, संसद सदस्य इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित इस दल की रिपोर्ट आपकी सूचना के लिए संलग्न है।

इसमें आप देखेंगे कि प्रवेशों का विनियमन करने की दृष्टि से मार्ग निर्देशों को निर्धारित करने के साथ-साथ इस दल ने संसद सदस्यों, सलाहकार समिति के सदस्यों, अधिशासी मंडल के सदस्यों और अन्यों के मध्य विशेष छूट के आधार पर दिये जाने वाले प्रवेशों के आवंटन के बारे में भी सिफारिश की है। इस दल द्वारा की गई सिफारिशों से मैं सहमत हूं।

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये मैंने एक उप-समिति का गठन किया है; अतिरिक्त सचिव (शिक्षा) जिसके अध्यक्ष हैं और आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं संगठन के ही एक सदस्य श्री सिडनी रिबेरो इसके सदस्य हैं। यह उप-समिति सलाहकार समिति के सदस्यों के दल द्वारा निर्धारित किये गये मार्ग-निर्देशों के प्रकाश में इन सभी सिफारिशों का जायज़ा लेगी। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि (क) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिये मानदंडों से संबंधित मुख्य मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है, (ख) किसी भी परिस्थिति में किसी भी कक्षा की संख्या 45 से अधिक नहीं बढ़ती है और (ग) विशेष छूट के आधार पर दिये जाने वाले प्रवेश गत वर्ष में दिये गये कुल प्रवेशों के 10 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जाते हैं।

सलाहकार समिति के सदस्यों के दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार ही इन आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करने के लिये मैंने एक मानीटरिंग समिति भी गठित की है। प्रो॰ (श्रीमती) मालिनी भट्टाचार्य, संसद सदस्य इसकी अध्यक्ष होंगी और श्री मुहम्मद युनुस सलीम, संसद सदस्य प्रो॰ रासा सिंह रावत, संसद सदस्य, श्री सुधीर सावंत, संसद सदस्य, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और संगठन के सदस्य श्री सिडनी रिबेरो इसके सदस्य होंगे। मानीटरिंग समिति प्रवेशों के बाद वर्ष में एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी और स्थिति का जायज़ा लेगी।

मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक विशेष छूट के आधार पर दिये जाने वाले प्रवेशों का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिये। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वर्ष इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक महीने के अंदर अपनी सिफारिशें मेरे कार्यालय में अवश्य भिजवा दें। आपके द्वारा पहले भेजी गई सिफारिशों पर भी तदनुसार विचार-विमर्श किया जायेगा।

अध्यापकों के स्थानांतरण इत्यादि की प्रार्थनाओं पर कार्रवाई करने के लिये मैंने एक समिति का गठन किया है जिसके अतिरिक्त सचिव (शिक्षा), आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और श्री वी॰ डी॰ कोशिक, अध्यक्ष,

केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ सदस्य हैं। मैंने इस समिति से यह आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करे कि स्थानान्तरण संबंधी-मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

सादर

आपका

(ह०) /
(अर्जुन सिंह)

समस्त संसद सदस्य।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खण्डवा में चीनी मिल

895. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुरः** या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में नई चीनी मिल की स्थापना के लिए किसी विशेष स्थान का प्रस्ताव नहीं करती है। किसी विशेष स्थान पर चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त होते हैं तदुपरांत उन आवेदन पत्रों पर सरकार द्वारा उस समय प्रचलित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाता है। मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु 30.6.92 तक कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्नाटक में स्टेडियम का निर्माण

896. **श्री एच० डी० देवगौडाः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक के हसन जिले में स्टेडियम का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) राज्य-वार अन्य किन-किन स्थानों से इस तरह से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और मंजूर हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) जी हां। राज्य खेल परिषदों

आदि को अनुदान की योजना के अंतर्गत विभाग में स्टेडियमों के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार से 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से दो स्टेडियमों अर्थात् (I) हसन में स्टेडियम और (II) राजकीय हाई स्कूल, आर॰ सी॰ रोड़, हसन में मिनी स्टेडियम के लिए केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई। अन्य दो प्रस्तावों को केन्द्रीय सहायता के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया। तदनुसार कर्नाटक सरकार को सूचित कर दिया गया है। (ग) विभिन्न राज्यों को 1990-91 में 33 और 1991-92 में 15 स्टेडियमों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। संलग्न विवरण में राज्य-वार ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्टेडियमों की संख्या जिनके लिए केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई	
		1991-92	1990-91
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	—
2.	बिहार	—	1
3.	गुजरात	—	1
4.	हरियाणा	1	—
5.	हिमाचल प्रदेश	3	2
6.	केरल	1	—
7.	कर्नाटक	2	12
8.	मध्यप्रदेश	1	1
9.	महाराष्ट्र	1	2
10.	पंजाब	—	2
11.	राजस्थान	—	2
12.	सिक्किम	—	2
13.	त्रिपुरा	1	—
14.	तमिलनाडु	3	3
15.	पश्चिम बंगाल	—	3
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1
17.	दिल्ली	—	1
		15	33

धनबाद से टाटा नगर तक यात्री गाड़ी चलाना

897. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार धनबाद से टाटानगर तक इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए एक यात्री गाड़ी चलाए जाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण।

खाद्यान्नों का खरीद मूल्य तथा वितरण मूल्य

898. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों का खरीद-मूल्य चालू वर्ष में इन्हें उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले मूल्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने इसकी परिचालन लागत पर प्रति क्विंटल कितना व्यय किया?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) यद्यपि धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य समूचे देश में एक-समान हैं, लेकिन लेवी चावल के वसूली मूल्य राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं। चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य भी देश भर में एक समान हैं। खरीफ मौसम 1991-92 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों, लेवी चावल के वसूली मूल्यों (जो पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक हैं) और रबी विपणन मौसम, 1992-93 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की चावल और गेहूं के वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) के साथ तुलना निम्नलिखित सारणी में की जाती है:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्तमान विपणन मौसम	न्यूनतम समर्थन मूल्य	लेवी चावल का वसूली मूल्य		सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) (28.12.91 से)
		हरियाणा	पंजाब	
1	2	3	4	5
खरीफ विपणन मौसम, 1991-92				
धान				चावल
साधारण	230.00	396.65	396.40	377.00
बढ़िया	240.00	425.20	424.90	437.00
उत्तम	250.00	445.10	444.80	458.00
रबी विपणन मौसम, 1992-93				
गेहूं	250.00			गेहूं
(+) केन्द्रीय बोनस	25.00			
(+) राज्य बोनस (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान)	5.00			
जोड़	280.00			280.00

(ग) 1992-93 की अवधि के दौरान परिचालनों पर वर्तमान प्रति क्विंटल खर्च निम्नानुसार होने का अनुमान लगाया गया है:—

(रुपये/क्विंटल)

	गेहूं	चावल
अनाजों की एकीकृत लागत	248.82	392.68
केन्द्रीय बोनस	25.00	
वसूली एजेन्सियों के लिए अवशेष प्रभारों सहित वसूली प्रासंगिक खर्च	71.78	30.54
वितरण प्रभार	95.82	95.82
	441.42	519.04
अनुमानित बिक्री वसूली	276.71	432.07
अनुमानित राजसहायता	164.71	86.97

बफर स्टाक रखने की लागत 94.22 रुपये प्रति क्विंटल होने का अनुमान है।

थार रेगिस्तान में जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र (बायोस्फिअर रिजर्व)

899. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने थार रेगिस्तान में जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र (बायोस्फिअर रिज़र्व) की स्थापना के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने हेतु किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) थार रेगिस्तान में जीवमंडल रिजर्व की स्थापना के लिए परियोजना दस्तावेज तैयार करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में इस क्षेत्र के सीमांकन और राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में प्रस्तावित रेगिस्थान जीवमंडल रिजर्व के बारे में शुरू की जाने वाली प्रबंध गतिविधियों की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) सिफारिशों पर विचार किया गया और मामले को राजस्थान सरकार के साथ उठाया गया है।

चीनी मिलों को नये लाइसेंस

900. **श्री अंकुशराव टोपे:**
श्री सत्यदेव सिंह:
श्री हरिन पाठक:
श्री राम सागर:
श्री राम नगीना मिश्र:
श्री धर्मभिक्षम:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी मिलों की स्थापना के लिए 1 जुलाई, 1992 तक राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गयी है, और कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सहकारिता क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी;

(ग) बकाया सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार कितनी चीनी मिलों के लाइसेंस रद्द किये गये और इन्हें रद्द किये जाने के क्या कारण है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) 8.11.91 के प्रेस नोट के तहत घोषित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु 1 जुलाई, 1992 तक किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। 30.6.91 से नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त विचारार्थ लंबित आवेदन पत्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्तमान लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर भी निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमशः सहकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावों को लाइसेंस देने में वरीयता दी जायेगी।

(ग) पहले जारी किए गए तथा कार्यान्वित न किए गए आशय पत्रों / लाइसेंसों की बहुत बडी संख्या को ध्यान में रखते हुए नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के प्रस्तावों पर अभी विचार नहीं किया गया है।

(घ) चीनी वर्ष 1991-92 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 30.6.92 तक नई चीनी फैक्ट्री लगाने के लिए किसी भी आशय पत्र / औद्योगिक लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया है

विवरण

30.6.91 तक नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त तथा विचारार्थ लंबित आवेदन पत्रों की सूची

क्रम सं०	राज्य	30.6.91 तक लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	194
2.	महाराष्ट्र	206
3.	आंध्र प्रदेश	58

1	2	3
4.	पंजाब	29
5.	उड़ीसा	02
6.	मध्य प्रदेश	08
7.	राजस्थान	02
8.	तमिलनाडु	13
9.	गुजरात	08
10.	हरियाणा	15
11.	बिहार	21
12.	कर्नाटक	46
13.	हिमाचल प्रदेश	01
	कुल	603

नये सहकारी चीनी कारखानों के लिए प्रोत्साहन योजना

901. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नये सहकारी चीनी कारखानों के लिए प्रोत्साहन योजना तथा अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए सरकार ने सहकारी चीनी कारखानों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ किसी बैठक का आयोजन किया;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई चर्चा तथा लिए गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नये सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता / ऋण देने हेतु कितने प्रस्ताव वित्तीय संस्थानों के पास लंबित पड़े हैं; और

(घ) इनके लंबित होने के क्या कारण हैं और इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) और (ख) प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में नये लाइसेंस दिए गए सहकारी चीनी कारखानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए सहकारी चीनी कारखानों के प्रतिनिधियों के साथ 19 मई, 1992 को एक बैठक की थी। विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि इन मुद्दों की आगे जांच की जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता / ऋण प्रदान करने हेतु 41 प्रस्ताव वित्तीय संस्थाओं के पास लंबित हैं। लंबित होने के कारणों के संबंध में यह बताया गया है कि नई चीनी परियोजनाओं की व्यवहार्यता अनिश्चित हो गई है। इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी इसका उल्लेख करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य पुस्तकों की छपाई

902. **श्री लाल बाबू राय:**
श्री प्रताप राव बी॰ भोसले:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य पुस्तकें समय पर नहीं छप रही हैं, तथा इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कुल मांग कितनी है;

(घ) इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं; और

(ङ) प्रति वर्ष पाठ्य पुस्तकों की होने वाली कमी से बचने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकें बाजार में समय पर उपलब्ध करवाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी नहीं, रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ ने सूचित किया है कि 1991-92 और 1992-93 के लिए इसकी पाठ्यपुस्तकें समय से मुद्रित और उपलब्ध कराई गई थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान रा॰शै॰अ॰प्र॰प द्वारा मुद्रित पाठ्यपुस्तकों की 45 मिलियन प्रतियों की मांग की गई थी।

(घ) रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ ने 1991-92 और 1992-93 के सत्र के लिए 515 पाठ्य पुस्तकें मुद्रित की थीं।

(ङ) रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ की बिक्री और वितरण दिल्ली स्थित 14 थोक विक्रेता एजेंटों तथा अन्य राज्यों / संघीय क्षेत्रों के 24 थोक विक्रेता एजेंटों द्वारा की जाती है। अपनी पाठ्यपुस्तकों की वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ ने कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में क्षेत्रीय प्रकाशन और वितरण केंद्र खोले हैं। उत्तरी रेलवे की जरूरतें दिल्ली स्थित मुख्यालय पूरा करेगा। आकस्मिक रूप से की जाने वाली स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ के दिल्ली स्थित परिसर में एक बिक्री केंद्र है।

1993-94 के नए शैक्षिण सत्र के शुरू होने से पूर्व रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ की सभी पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल पुल

903. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुलः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने माले रेल पुलों को चौड़ा करने एवम् उनके विकास हेतु अनुपात के तौर पर कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संया 13 पर शोलापुर जिले के चौड़ा किये जाने वाले रेल पुलों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) चूंकि ऊपरी सड़क पुलों को चौड़ा करने तथा उनके विकास का कार्य रेलों द्वारा निक्षेप शर्तों पर किया जाता है इसलिए रेल बजट में ऐसे कार्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। बहरहाल, रेलें नये ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण की लागत में रेलवे के हिस्से की धनराशि की व्यवस्था करती हैं।

(ख) शोलापुर के बाहर एक ऐसे पुल के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो योजना स्तर पर है।

सन् 2000 तक सब के लिए स्वास्थ्य

904. **श्रीमती वसुन्धरा राजेः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 तक सब के लिए स्वास्थ्य की दिशा में हुई प्रगति की कोई पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछली बार कब पुनरीक्षा की गई थी; और

(ग) अल्मा अटा घोषणा के समय से एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अपनाए जाने के समय से की गई पुनरीक्षा के अनुसार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) जनांकिकी और जानपदिक रोग वैज्ञानिक रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के उपबंधों का निरंतर अनुवीक्षण और उनमें संशोधन किया जाता है। स्वास्थ्य नीति का गत मूल्यांकन 1990 में किया गया था।

(ग) सरकार द्वारा 1983 में अपनाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने सन् 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले लक्ष्यों को दर्शाया और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य संकेतकों को निर्धारित किया, जिन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सन् 2000 ईस्वी तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्य

क्रम सं०	संकेतक	चालू स्तर	लक्ष्य 1985	लक्ष्य 1990	लक्ष्य 2000
1	2	3	4	5	6
1.	शिशु मृत्यु दर				
	ग्रामीण	86 (1990)	122		
	शहरी	51 (1990)	60		
	सम्मिलित	80 (1990)	106	87	60 से कम
2.	प्रसवपूर्व मृत्यु दर अशोधित मृत्यु दर	49.6(1988)			30
2(क)	अशोधित मृत्यु दर	9.6(1990)	12	10.4	9-10
3.	स्कूल जान से पहले (1 से 5 वर्ष) मृत्यु दर	24(1976-77)	20-24	15-20	10
4.	मातृ मृत्यु दर	4-5(1976)	3-4	2-3	2 से कम
5.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष) पुरुषः	58.1(1986-91)	55.1	57.6	64
	महिलाः	59.1(1986-91)	54.3	57.1	64
6.	जन्म के समय 2500 ग्राम से कम वजन वाले बच्चे (प्रतिशत)	30	25	10	10
7.	अशोधित जन्म दर	29.9 (1990)	31	27.0	21.0
8.	प्रभावी दम्पत्ति सुरक्षा (प्रतिशत)	44.1 (मार्च, 91)	37.0	42.0	60.0
9.	शुद्ध प्रजननता दर (वृद्धि एन आर आर)	1.48 (1981)	1.34	1.17	1.00
10.	वृद्धि दर (वार्षिक)	2.03(1990)	1.90	1.66	1.20
11.	परिवार का आकार	4.0(1988)	3.8		2.3
12.	प्रसवपूर्व परिचर्या प्राप्त कर रही गर्भवती माताएं (प्रतिशत)	60 (1988)	50-60	60-75	100
13.	प्रशिक्षित प्रसूति परिचारकों द्वारा कराई गई प्रसूतियां (प्रतिशत)	40-50(1988)	50	80	100
14.	रोग प्रतिरक्षण कवरेज का स्तर(%) टी टी (गर्भवती महिलाओं के लिए)	78.16(1990-91)	60	100	100

1	2	3	4	5	6
	टी टी (स्कूली बच्चों के लिए)				
	10 वर्ष	60.5(1990-91)	40	100	100
	16 वर्ष	86.45(1987-88)	60	100	100
	डी पी टी (3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे)	98.19(1990-91)	70	85	85
	पोलियो (नवजात)	98.86(1990-91)	50	70	85
	बी सी जी (नवजात)	101.51(1990-91)	70	80	85
	डी टी (स्कूल में नया प्रवेश लेने वाले बच्चे 5 से 6 वर्ष	82.0(1990-91)	80	85	85
	टाइफाइड (स्कूल में नया प्रवेश लेने वाले बच्चे 5 से 6 वर्ष)	62.6(1987-88)	70	85	85
15.	पता लगाए गए रोगियों में से कुष्ठ रोग से ग्रस्त रोगियों की प्रतिशतता	24.46(1990-91)	40	60	80
16.	पता लगाए गए रोगियों में से क्षयरोग से ग्रस्त रोगियों की संख्या	66(1990-91)	60	75	90
17.	दृष्टिहीनता घटना की प्रतिशतता	1.4(1987-88)	1	0.7	0.3

मुम्बई से त्रिवेन्द्रम के लिए सुपरफास्ट रेलगाड़ियां

905. श्री पी॰ सी॰ चाको: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अत्यधिक यात्री यातायात को देखते हुए मुम्बई से त्रिवेन्द्रम तक एक नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण ।

कोट्टायम, केरल में रेल दुर्घटना

906. **श्री थाइल जान अंजलोजः**
प्रो० के० वी० थामसः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल के कोट्टायम जिले में कोडूर नदी पर एक रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) क्या इस दुर्घटना के संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई;

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ड़) क्या रेल लाइन के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत पूरी हो गई है; और

(च) यदि हां, तो रेल यातायात को पुनः बहाल करने में कुल कितना समय लगा और मरम्मत कार्य में कुल कितनी लागत आई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां, 12.6.1992 को दक्षिण रेलवे के तिरुवन्तपुरम मंडल के एर्णाकुलम-कोल्लम खंड पर कोट्टायम और चिंगवनम स्टेशनों के बीच एक पुल पर एक माल गाड़ी के 18 माल डिब्बे पटरी से उतर गए।

(ख) जी हां, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के तीन अधिकारियों की एक बहु-अनुशासनिक समिति द्वारा इस दुर्घटना की संयुक्त जांच की गई है।

(ग) समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस दुर्घटना के कारण हुई कुल हानि का अनुमान 119.83 लाख रु० है जिसमें पुनर्स्थापना कार्यों पर होने वाला खर्च शामिल है।

(घ) जांच रिपोर्ट आने तक, रेलपथ और चल स्टाक तथा गाड़ी परिचालन के अनुरक्षण में सभी आवश्यक सावधानियां तथा बचाव कार्य किये गए हैं।

(ङ) जी हां.

(च) यातायात को बहाल करने में 113 घंटे तथा 20 मिनट लगे थे, मरम्मत कार्यों की लागत 51.95 लाख रुपये बनती है।

अस्पतालों द्वारा घटिया दवाओं की सप्लाई

907. **श्री कड़िया मुण्डा**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई से संबंधित कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां।

(ख) 1991-92 में मैसर्स एस० जी० फार्मा द्वारा सफदरजंग अस्पताल को इंजेक्शन गेसीकेन 2% बैच संख्या आई० बी० 102 की आपूर्ति।

(ग) इस बैच को मुफ्त बदलवाया गया।

ग्रामीण निर्धनों के लिये चिकित्सा सुविधाएं

908. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:**

क्या सवास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के ग्रामीण निर्धनों और विशेप रूप से पिछड़े क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये, राज्यवार, क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) अब तक इन लक्ष्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है; और

(ग) चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की चिकित्सा सुविधाएं उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। ये केन्द्र जनसंख्या के मानदण्ड के आधार पर खोले जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या के लिए एक-एक उपकेन्द्र खोला जाता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 30000 की जनसंख्या के लिए तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या के लिए खोला जाता है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की जनसंख्या के लिए तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या के लिए खोला जाता है। इन केन्द्रों को खोलने हेतु अन्य कोई मानदण्ड नहीं है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए केन्द्रों के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्यों और 31.3.92 की स्थिति के अनुसार सूचित किए गए कार्य कर रहे इस केन्द्रों की संख्या के संबंध में राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण 1 और 2 संलग्न है।

(ग) ग्रामीण आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लक्ष्यों को लगभग सभी राज्यों द्वारा पूरा कर लिया गया है। इस कार्य में पीछे रह रहे राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने बकाया लक्ष्यों को प्राप्त करें और इन केन्द्रों को कार्यरत करें। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को समेकित करने पर बल दिया जाएगा ।

विवरण-1

सातवीं योजना (1985-90) के दौरान स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के बारे में लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-केन्द्र लक्ष्य	उप-केन्द्र उपलब्धियां	उप-केन्द्र %	प्राथमिक स्वा॰ केन्द्र लक्ष्य	प्राथमिक स्वा॰ केन्द्र उपलब्धि	प्राथमिक स्वा॰ केन्द्र %	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्धि	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4000	1765	44.1	1150	728	63.3	100	19	19.8
2.	अरूणाचल प्रदेश	135	100	74.1	28	28	100.0	7	6	85.7
3.	असम	3421	3399	99.4	200	203	101.5	30	44	146.7
4.	बिहार	6500	6500	100.0	1500	1205	80.3	97	46	47.4
5.	गोआ	10	10	100.0	7	7	100.0	2	2	100.0
6.	गुजरात	1787	1965	110.0	690	396	57.4	100	113	113.0
7.	हरियाणा	776	708	91.2	231	203	87.9	50	39	78.0
8.	हिमाचल प्रदेश	560	550	98.2	110	84	76.4	7	7	100.0
9.	जम्मू-कश्मीर	1367	851	62.3	200	143	71.5	15	14	93.3
10.	कर्नाटक	2861	2829	137.3	774	760	99.2	58	48	82.8
11.	केरल	2824	2824	100.0	800	687	85.9	100	50	50.0
12.	मध्य प्रदेश	5385	5295	98.3	731	501	68.5	100	114	114.0
13.	महाराष्ट्र	4419	2857	64.7	261	107	41.0	78	136	174.4
14.	मणिपुर	119	119	100.0	37	37	100.0	10	3	30.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	230	98	42.6	33	39*	118.2	8	—	शून्य
16.	मिज़ोरम	58	58	100.0	18	16	88.9	4	4	100.0
17.	नागालैंड	124	68	54.8	14	12	85.7	6	2	33.3
18.	उड़ीसा	1800	1299	72.2	500	440	88.0	92	25	27.2
19.	पंजाब	250	250	100.0	330	330	100.0	56	58	103.6
20.	राजस्थान	4210	4210	100.0	702	600	85.5	25	110	440.0
21.	सिक्किम	50	50	100.0	2	2	100.0	2	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	3000	2821	94.0	1057	950	89.9	120	42	35.0
23.	त्रिपुरा	300	242	80.7	15	17	113.3	7	5	71.4
24.	उत्तर प्रदेश	6559	4500	68.6	2500	1934	77.4	259	143	55.2
25.	पश्चिम बंगाल	4600	1773	38.5	488	372	76.4	184	64	34.8
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	42	66	157.1	5	10	200.0	3	2	66.7
27.	चंडीगढ़	शून्य	—	—	शून्य	—	—	शून्य	शून्य	—
28.	दादरा और नगर हवेली	15	15	100.0	3	2	66.7	2	—	—
29.	दमन और दीव	—	16	—	शून्य	2	—	शून्य	—	—
30.	दिल्ली	शून्य	—	—	शून्य	—	—	शून्य	—	—
31.	लक्षद्वीप	10	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	शून्य	—	—
32.	पांडिचेरी	शून्य	—	—	6	8	133.3	1	—	—
	कुल	54612	45238	82.8	12392	9831	79.3	1523	1096	72.0

विवरण-2

1.4.85, 1.4.90 और 31.3.92 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-केन्द्र			प्राथमिक स्वा० केन्द्र			सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		
		1.4.85 को संख्या	1.4.90 को सं०	31.3.92 को सं०	1.4.85 को सं०	1.4.90 को सं०	31.3.92 को सं०	1.4.85 को सं०	1.4.90 को सं०	31.3.92 को सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	6129	7894	7894	555	1283	1283	27	46	46
2.	अरुणाचल प्रदेश	55	155	184	6	28	33	शून्य	6	6
3.	असम	1711	5118	5110	237	440	479	12	56	68
4.	बिहार	8299	14799	14799	796	2001	2494	50	96	106
5.	गोवा	135	145	147	13	20	21	3	5	5
6.	गुजरात	4869	6834	7284	310	706	911	22	135	161
7.	हरियाणा	1591	2299	2299	163	366	395	2	41	41
8.	हिमाचल प्रदेश	952	1502	1502	117	201	203	28	35	35
9.	जम्मू-कश्मीर	609	1460	1580	123	266	281	19	33	35
10.	कर्नाटक	4964	7793	7793	365	1133	1173	98	146	169
11.	केरल	2270	5094	5094	199	886	911	4	54	54
12.	मध्य प्रदेश	6615	11910	11910	680	1181	1182	58	172	175
13.	महाराष्ट्र	6391	9248	9377	1539	1646	1650	147	283	285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मणिपुर	301	420	420	31	68	70	6	9	11
15.	मेघालय	217	315	356	32	71	81	3	3	5
16.	मिजोरम	162	220	232	19	35	38	1	5	6
17.	नागालैंड	133	201	201	21	33	33	1	3	3
18.	उड़ीसा	4127	5426	5426	484	924	1029	59	84	89
19.	पंजाब	2603	2853	2853	1706	2036	2048	10	68	86
20.	राजस्थान	3790	8000	8096	448	1048	1373	76	186	217
21.	सिक्किम	82	132	142	18	20	23	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	5880	8681	8681	436	1386	1429	30	72	73
23.	त्रिपुरा	230	472	496	32	49	50	3	8	8
24.	उत्तर प्रदेश	15653	20153	20153	1169	3103	3638	74	217	237
25.	पश्चिम बंगाल	6100	7873	7873	1172	1544	1544	23	87	87
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31	97	109	6	16	19	शून्य	2	3
27.	चंडीगढ़	12	12	12	शून्य	शून्य	शून्य	1	1	1
28.	दादरा और नगर हवेली	19	34	34	3	5	5	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दमन और दीव	14	30	30	2	4	4	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली	42	42	42	8	8	8	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	14	14	14	7	7	7	1	1	1
32.	पांडिचेरी	73	73	76	14	22	26	1	1	2
	कुल	84053	129291	130219	10705	20536	22441	759	1855	2015

आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

मरमुगाओ पत्तन के लिए माल डिब्बे

909. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा और गोवा से बाहर के क्षेत्रों के किन-किन रेलवे स्टेशनों से लौह और मैगनीज अयस्क निर्यात हेतु मरमुगाओ पत्तन के लिए माल टिब्बों से भेजे जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इन स्टेशनों में से प्रतयेक स्टेशन से माल भाड़े के रूप में रेलवे ने कितना-कितना राजस्व अर्जित किया है;

(ग) इन स्टेशनों के रेलवे याडों से मरमुगाओ पत्तन एक माल परिवहन में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या रेल माल डिब्बों की कमी के कारण माल परिवहन में विलंब होता है; और

(ङ) यदि हां, तो अपेक्षित संख्या में माल डिब्बे उपबलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) मारमुगांव बन्दरगाह से निर्यात के लिए तोरणगल्लू, व्यासकेरी, करीगनुरू, हास्पेट, यशवन्तनगर, स्वामीहल्ली और बेल्लारी स्टेशनों से माल, डिब्बों में लौह अयस्क तथा मैगनीज अयस्क का लादान किया जाता है। गोवा में किसी भी स्टेशन पर रेलवे के माल डिब्बों में लौह अयस्क का लदान नहीं किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्टेशनों से सांनवर्दम तक लौह तथा मैगनीज अयस्कों की ढुलाई से रेलों द्वारा अर्ति राजस्व निम्नलिखित है:—

स्टेशन	माल भाड़ा प्रभारों के रूप में अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)		
	1989-90	1990-91	1991-92
तोरणगल्लू	0.97	1.21	0.71
करीगनुरू	0.84	1.02	0.63
हास्पेट	0.29	0.32	1.00
व्यासंकेरी	2.04	2.23	2.80
यशवन्तनगर	0.33	0.65	0.60
स्वामीहल्ली	1.39	1.42	2.09
बेल्लारी	0.16	0.26	0.44

(ग) अयस्कों की ढुलाई के लिए औसत परिवहन समय लगभग 20 घंटे है।

(घ) रेलवे माल डिब्बों की कमी के कारण परिवहन में कोई विलंब नहीं होता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण वाहिनी

910. **प्रो॰ प्रेम धूमल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए "पर्यावरण सुधार वाहिनी" (इन्वाइरनमेंट ब्रिगेड) का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन राज्यों का चयन कर लिया है जिनमें इस कार्यक्रम को पहले कार्यान्वित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में वर्ष 1983 में पारिस्थिकी कृतिक बल के लिए चयनित हिमाचल प्रदेश का वरीयता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण सुधार वाहिनी का गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों, विशेषकर विद्यार्थियों और युवाओं को शामिल करके पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने तथा प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अवक्रमण रोकने एवं वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए "पर्यावरण वाहिनियां" गठित करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) : चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के 100 जिलों में "पर्यावरण वाणिनियां" गठित की जायेंगी। इनमें से 14 राज्यों से 46 जिलों और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली को पहले ही अभिनिर्धारित किया गया है। ये राज्य हैं—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस बारे में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखे गए हैं।

(घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और पालमपुर दो जिलों को "पर्यावरण वाहिनियों" का गठन करने के लिए चुना गया है तथा इस संबंध में राज्य सरकार को सुचित कर दिया गया है। पर्यावरण वाहिनियों की स्थापना करने के लिह कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पृथ्वी सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल

911. **श्री नवर किशोर राय:**
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री एन॰जे॰ राठवा:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित भारतीय शिष्टमंडल का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई और इसमें विदेशी मुद्रा का अंश कितना है; और

(ग) शिष्टमंडल द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जून, 1992 में रियो डी जनैरो (ब्राजील) में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में जिस भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया उसके सदस्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल ने कार्य सूची 21 पर हुई व्यापक बातचीत में न केवल सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेषकर पर्यावरण तथा विकास पर रियो घोषणा और वनों से संबंधित वक्तव्यों पर ग्रुप 77 के देशों तथा अन्य देशों के मध्य सर्वसम्मति तैयार करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई और इस प्रकार इसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।

विवरण

रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य

1. श्री कमल नाथ, पर्यावरण और वन मंत्री,
2. श्री हर स्वरूप सिंह, पाण्डिचेरी के उप-राज्यपाल, पाण्डिचेरी,
3. श्री अम्बरीश मुखर्जी, पर्यावरण मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार तथा अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री मणी शंकर अय्यर, संसद सदस्य, लोक सभा,
5. सुश्री बकूल पटेल, शेरीफ, बम्बई,
6. डा॰ दिग्विजय सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा भूतपूर्व पर्यावरण उप-मंत्री,
7. डा॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक तथा निदेशक, एम॰एस॰ स्वामीनाथन, अनुसंधान प्रतिष्ठान, मद्रास,
8. श्री हरी डांग, कार्यकारी निदेशक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नई दिल्ली,
9. श्री अनिल अग्रवाल, निदेशक, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली,
10. श्री कार्तिकेय साराभाई, निदेशक, पर्यावरण और शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद,
11. प्रो॰ पी॰ खन्ना, निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण और अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर,
12. श्री र॰ राजामणि, सचिव, पर्यावरण और वन, भारत सरकार,
13. डा॰ एस॰ रामचन्द्रन, सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।
14. श्री सी॰डी॰ पाण्डेय, वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार।
15. श्री सी॰ दास गुप्ता, अपर सचिव (आई॰ओ॰), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।
16. श्री मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार।
17. श्री डी॰के॰ बिस्वास, सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार।
18. श्री अवनी देश, निदेशक, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार।
19. श्री अजय मल्होत्रा, निदेशक, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।
20. श्री नीरज प्रसाद, उप सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार।
21. श्रीमती दीपा गोपालन वाधवा, प्रथम सचिव, भारतीय स्थाई मिशन, जिनेवा।
22. श्री निखिल सेठ, प्रथम सचिव, भारतीय स्थाई मिशन, न्यूयार्क।
23. श्री रघ्थानी-डी-सा, पर्यावरण और वन मंत्री के उप-सचिव।

गेहूं के आयात के लिए आवेदन

912. **श्री के॰ वी॰ तंग्कावालु:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को गेहूं के आयात के लिए जनवरी, 1992 के बाद से प्राप्त आवेदनों/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने आवेदन भारतीयों के है और कितने आवेदन अनिवासी भारतीयों के है; और

(ग) भारतीयों और अनिवासी भारतीयों के आवेदनों पर विचार करने के लिह क्या मानदंड अपनाए गये हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) और (ख) गेहूं के सम्भावी निर्यातक समय-समय पर स्वयं अपने प्रस्ताव भेजते रहते हैं। तथापि, गेहूं का आयात करने के लिए सरकार वारा मार्च, 1992 में आमंत्रित किए गए विश्वव्यापी खुले टेंडरों के प्रत्युत्तर में 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से एक प्रस्ताव अनिवासी भारतीय से प्राप्त हुआ था। किसी भारतीय फर्म से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) सरकार ने ऐसे कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए है।

मुरादाबाद डिवीजन में रेल दुर्घटनाएं

913. **श्री संतोश कुमार गंगवार:** क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तरी रेलवे मुरादाबाद में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और इनके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई;

(ख) उक्त दुर्घटनाओं के क्या कारण थे; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं से बंचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 1991-92 के दौरान उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में तीन गाड़ी-दुर्घटनाएं हुई थीं। रेल सम्पति को हुई क्षति की लागत का मूल्यांकन 0.79 लाख रुपये किया गया है।

(ख) दो दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती की कारण हुई थीं जबकि तीसरी दुर्घटना सड़क उपयोगकर्ता के लापरवाही के कारण हुई थी;

(ग) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है:—

(i) मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी उपकरण लगाना;

(ii) नाजुक संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों, जैसे ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों, आदि के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखना;

(iii) परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देना;

(iv) संवेदनशील संस्थाओं का गहन और बार-बार निरीक्षण करना;

(v) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने के संबंध में अचानक जांच करना; और

(vi) बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क चिह्नों की व्यवस्था करना तथा सड़क उपयोगकर्ताओं व गाड़ी ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार करना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

914. **श्री जॉर्ज फर्नान्डीज:**
श्री रवि राय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की स्वास्थ्य नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण निर्धनों को मुफ्त दवाईयां प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) स्वास्थ्य संबंधी नीतियों की निरंतर समीक्षा की जाती है और उनमें उपलब्ध साधनों के भीतर पूरा करने के प्रयास करने और उन्हें पूरा करने के लिए संशोधन किया जाता है। ये समीक्षाएं राज्य स्वास्थ्य योजनाओं और केन्द्रीय योजना तैयार करते समय और जानपदिक रोग विज्ञान और जनांकिकी संबंधी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठकों के दौरान की जाती है।

(ग) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं राज्य सरकारों का दायित्व है। ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए मुफत प्रदान की जाती हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार ग्रामीण गरीब लोगों को औषधियों का वितरण करने के लिए औषधियों की लागत के रूप में प्रत्येक उपकेन्द्र को प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये के अनुदान देती है।

[हिन्दी]

मितरी (शैदपुर) उत्तर प्रदेश के भग्नावशेषों का नवीकरण

915. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में वहां पर पर्यटन का विकास करने के लिए पुरातात्विक महत्व के स्थान मितरी (शैदपुर) के भाग्नावशेषों के नवीकरण, खुदाई और संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संसकृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भितरी (शैदपुर) के भग्नावशेषों के नवीकरण, उत्खनन और परिरक्षण हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यथापि, वहां भितरी (शैदपुर), जिला गाजीपुर में एक केन्द्रीय संरक्षित स्थल है, जिसका रखरखाव/परिरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रियो दि जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन की बैठक

916. **श्री प्रतापराव बी॰ भोंसले: क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत द्वारा नई दिल्ली में हाल ही में हुए "सार्क" पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में हुई बातचीत में उठे मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन की बैठक में उठाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) नई दिल्ली में 8-9 अप्रैल, 1992 को आयोजित सार्क देशों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा अपनाई गई संयुक्त विज्ञप्ति में पर्यावरण और विकास पर सभी सार्क देशों के विचारों के मतैक्य को प्रतिबिम्बित किया गया। इसके बाद विज्ञप्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के एक सरकारी प्रलेख के तौर पर परिचालित किया गया। विज्ञप्ति में भारत सहित सार्क देशों के विचारों को प्रस्तुत किया गया तथा यह जून, 1992 में रियो दि जेनेरो (ब्राजील) में

आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास में पर्यावरण और विकास के मामलों पर भारत के दृष्टिकोण के अनुकूल था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदर्भ एक्सप्रेस को रोज चलाना

917. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए नागपुर-मुम्बई 5 डाउन विदर्भ एक्सप्रेस को रोजाना चलाने हेतु लम्बे समय से मांग की जा रही है;

(ख) क्या इस मांग के समर्थन में विदर्भ के अमरावती, नागपुर और बुलढाना जिलों में रेल रोको आंदोलन चलाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) जी हां।

(ग) जांच की गई है लेकिन फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

गोला-गोकरननाथ-शाहजहांपुर रेल लाइन

918. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोला गोकरननाथ-शाहजहांपुर वाया मोहुमदी के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब से स्वीकृत किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

919. **डा० रमेश चन्द तोमर:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) वर्तमान जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिनियम में अंतिम संशोधन 29 सितम्बर, 1988 को किया गया था।

अन्नानगर-विल्लिवक्कम रेल लाइन

920. **श्री अन्बारासु इरा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्ना नगर और विल्लिवक्कम के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राय मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस कार्य को शुरू करना चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

बागमती नदी पर पुल का निर्माण

921. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के संसद सदस्यों की बैठक के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के ढेंग और बरजीलिया स्टेशनों के बीच बागमती नदी पर ढेंग पुल बनाने का प्रस्ताव मिला था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) रक्सौल से दरभंगा (मी॰ला॰) तक लाइन चालू हालत में है और ढेंग तथा बरगीनिया रेलवे स्टेशनों के बीच किसी नए रेलवे पुल की व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भावनगर से मुम्बाई और नई दिल्ली के लिए सीधी रेलगाड़ी

922. **श्रीमती भावना चिखलिया:**
श्री महेश कनोडिया:
श्री रतिलाल वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में भावनगर (गुजरात) से मुम्बई और दिल्ली के लिए सीधी रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी होने और वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में यात्री की कठिनाइयां

923. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्रः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 8476 डाउन और 2816 डाउन गाड़ियों के यात्रियों को जल-आपूर्ति, खान-पान सेवा, आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश, बलपूर्वक आरक्षित सीट पर कब्जा करना, बार-बार चेन खींचना जैसी विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा रेलवे सुरक्षा बल, टी॰टी॰ई॰ इस संबंध में प्रभावहीन सिद्ध हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) पीने के पानी की सप्लाई तथा खानपान सेवा के लिए पहले ही पर्याप्त प्रबंध मौजूदा हैं आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों के अप्राधिकृत रूप से घुस जाने तथा खतरे की जंजीर खींचने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) और (ग) इन गाड़ियों में नियमित जांचें की जाती हैं और अप्राधिकृत रूप से यात्रा करते हुए पकड़े जाने वाले तथा उचित और पर्याप्त कारण के बिना खतरे की जंजीर खींचने के मामले में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध रेल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिंदी]

हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र

924. श्री बी॰ एल॰ शर्मा 'प्रेम':
श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से किन-किन स्थानों पर इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं, और

(ग) इस वर्ष और आगामी वित्त वर्ष के दौरान इन सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या योजना बनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) हिन्दी के संवर्धन तथा प्रचार प्रसार के लिए, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत, स्वैच्छिक संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ, हिन्दी आशुलिपि तथा/अथवा हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों, बैंकों आदि के कर्मचारियों को देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के निम्नलिखित केन्द्रों पर हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण, दिया जाता है:—

आशुलिपि तथा टंकण—केन्द्र

असमः *गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और कामरूप।
मणिपुरः *इम्फाल
नागालैण्डः कोहिमा
मेघालयः शिलौंग
सिक्किमः गंगटोक

*आशुलिपि केन्द्रों के अतिरिक्त, हिन्दी टंकण केन्द्र भी इन स्थानों पर चलाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण, पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी प्रदान किया जाता है।

हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए उपर्युक्त विद्यमान सुविधाएं पर्याप्त प्रतीत होती हैं। तथापि, उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रोत्साहन के लिए नए प्रस्तावों पर विचार, इस क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों को भी ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

पंजाब में रेल परियोजनाएं

925. **श्री कमल चौधरीः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब सरकार द्वारा नई रेल परियोजनाओं हेतु दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ प्रस्ताव अलाभकारी पाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) नई लाइनों के लिए प्रस्ताव नीचे लिखे अनुसार हैः—

1. राजपुरा से चण्डीगढ़ तक विद्युतीकृत नई बड़ी रेल लाइन;
2. राजपुरा से पटियाला तक विद्युतीकृत दोहरी लाइन;
3. पटियाला से जाखल तक नई बड़ी रेल लाइन;
4. चण्डीगढ़ से सरहिन्द/सराय बंजारा तक नई बड़ी रेल लाइन; और
5. पायल (फिरोजपुर) से चण्डीगढ़।

(ख) विगत में राजपुरा से चण्डीगढ़ और चण्डीगढ़ से लुधियाना तक नई लाइनों के लिए किये गए सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि यातायात की संभावनाएं कम हैं। बहरहाल, शेष लाइनों के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। मद (1) से (3) की लाइनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कांउटर मैगनेट नगरों को भी सेवित करने का प्रस्ताव था।

(ग) चूंकि रेलें संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना कर रही हैं इसलिए इन प्रस्तावित नई लाइनों को संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बहरहाल, लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए, राजपुरा-चण्डीगढ़ बड़ी रेल लाइन के लिए पुनः सर्वेक्षण करने के आदेश दिये गये हैं जो अम्बाला में गाड़ियों का उलटाव किये बगैर पंजाब के महत्वपूर्ण नगरों के बीच सीधे बड़ी रेल लाइन सम्पर्क की व्यवस्था करेगी। बहरहाल, इस पर आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

नये रेलवे जोन/डिवीजन

926. **श्री हरिन पाठकः**
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्सः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नये रेलवे जोन और डिवीजन बनाने की सिफारिशें करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गयी थी;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति ने किन-किन स्थानों पर नये रेलवे जोन डिवीजन बनाने की सिफारिश की है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और नये जोनों/डिवीजनों के नाम क्या हैं तथा उनके प्रस्तावित मुख्यालयों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए मई, 1981 में रेलवे सुधार समिति की स्थापना की गई थी। जुलाई, 1984 में प्रस्तुत "रेलवे रिग्रुपिंग" नामक अपनी एक रिपोर्ट में रेल सुधार समिति ने (i) चार नये क्षेत्रों, जिनके मुख्यालय जबलपुर, अजमेर, इलाहाबाद तथा बेंगलूर में हों, और (ii) दस नये मंडलों, जिनके मुख्यालय अंबाला, भोपाल, मालदा, अहमदाबाद, राउरकेला, सिंगरौली, गाजियाबाद, गुंटूर, चित्तौड़गढ़ तथा उसलापुर में हों, के सृजन की सिफारिश की थी।

(ङ) सरकार ने अंबाला, भोपाल, मालदा, सम्भलपुर (राउरकेला के बदले) तथा नान्देड़ (गुंटूर के बदले) में नये मंडलों के सृजन से संबंधित सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। बहरहाल, मौजूदा वित्तीय तंगियों के कारण इस समय अतिरिक्त क्षेत्रों अथवा मंडलों का सृजन करना संभव नहीं हुआ।

वरकला में रेल पुल

927. **श्रीमती सुशीला गोपालनः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने बरास्ता कोट्टायम एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन पर वरकला में रेल ऊपरी पुल के निर्माण के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुल को स्वीकृति दे दी गई है; और इस पुल का निर्माण कार्य कब से शुरू हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) केरल राज्य सरकार ने प्रस्ताव प्रायोजित किया है लेकिन अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की गयी हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इलाहाबाद सिटी और इलाहाबाद जंक्शन के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

928. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद सिटी और इलाहाबाद जंक्शन के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) यह कार्य इलाहाबाद-वाराणसी आमान परिवर्तन परियोजना, के भाग के रूप में किया जा रहा है। जिस पर कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

गोमो जंक्शन के नाम में परिवर्तन

929. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोमो जंक्शन का नाम बदल कर नेताजी सुभाष रेलवे जंक्शन रखे जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा कार्यविधि के अनुसार, किसी रेलवे स्टेशन के वर्तमान नाम में कोई परिवर्तन, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की विधिवत सहमति के बाद ही किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशासित तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहमति प्राप्त, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

युवा हॉस्टलों का प्रबन्धन

930. **श्री सुधीर सावंत :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार युवा हॉस्टलों का प्रबंधन स्वयंसेवी संगठनों और सहकारी निकायों को सौंपने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) युवा छात्रावास योजना के अनुसार, युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। राज्य सरकारें 1.5 से 2 एकड़ की आकार की पूर्ण विकसित भूमि का टुकड़ा निःशुल्क प्रदान करती है। केन्द्र सरकार भवन की पूर्ण निर्माण लागत वहन करती है और राज्य सरकार को पट्टे पर भवन सौंपती है। उपर्युक्त योजना में शैक्षिक संगठन या सहकारी निकायों द्वारा युवा छात्रावासों के प्रबंध की परिकल्पना नहीं की गई है, परन्तु शैक्षिक निकायों के प्रतिनिधि केन्द्रीय नीति समिति और स्थानीय प्रबन्ध समिति में सम्मिलित हैं।

रेल बीमा

931. श्री के० राममूर्ति टिंडीवनाम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के साथ परामर्श करके रेल यात्रियों के लिए रेल बीमा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत, मृत्यु हो जाने अथवा पूर्णतः अपंग हो जाने की स्थिति में 2 लाख रुपये की राशि तथा विभिन्न प्रकार की चोटों के लिए कम से कम 16,000 रुपये से लेकर अधिक से अधिक 1,80,000 रुपये तक का भुगतान करने की व्यवस्था पहले ही है।

कालीकट स्टेडियम के निर्माण-कार्य के लिए अनुदान-राशि

932. श्री के० मुरलीधरन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कालीकट स्टेडियम के निर्माण को पूरा करने के लिए अनुदान-राशि देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने कालीकट में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु केरल सरकार को 5.00 लाख रुपये मंजूर किए हैं। यह इस प्रयोजनार्थ देय अधिकतम केन्द्रीय सहायता है। मंजूर की गई राशि में से दिनांक 26.2.1987 को पहली किस्त के रूप में 2.50 लाख रुपये केरल सरकार को दे दिए गए हैं। बकाया राशि केरल सरकार द्वारा पहले दिए गए अनुदान के बारे में निर्धारित पद्धति में उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्ट भेजने के पश्चात् जारी की जाएगी।

दक्षिण रेलवे की नई रेलगाड़ियां

933. प्रो० के० वी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी छः महीनों में दक्षिण रेलवे पर नई यात्री गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय प्रबन्धन संस्थानों द्वारा फीस में वृद्धि

934. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न भारतीय प्रबन्धन संस्थानों में फीस में कई गुणा वृद्धि की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) भारतीय प्रबंध संस्थानों ने शैक्षिक सत्र, 1992-93 से शिक्षा शुल्क को 500 रुपए प्रतिवर्ष, जिसका निर्धारण छठे दशक में किया गया था, से बढ़ाकर 6000/- रुपए प्रति वर्ष कर दिया है, ताकि संस्थान बढ़े हुए आवर्ती-व्यय के एक भाग को वहन कर सके।

(ग) और (घ) बैंक, जरूरतमंद छात्रों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। संस्थानों ने कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के भी प्रबन्ध किए हैं।

[अनुवाद]

"वनरोपण कार्यक्रम"

935. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से केरल में, शुरू किये गये अथवा शुरू किये जाने वाले वनरोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य को वर्ष 1991-92 और 1992-93 में वनरोपण कार्यक्रमों के लिए, कार्यक्रम-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) राज्य और केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धनराशि को ध्यान में रखकर राज्यों में, जिनमें केरल भी शामिल है, वनीकरण/वृक्षारोपण कार्य-कलाप बराबर चलाए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रमों में विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं, अवक्रमित वनों का सुधार, पट्टीदार वृक्षारोपण, फार्म वानिकी, उत्पादन वानिकी, झूम कृषि पर नियंत्रण, ईंधन लकड़ी और चारा परियोजनाओं की स्कीम, समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवण क्षेत्रों के कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार पैदा करने की स्कीमें आदि शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाने के लिए धनराशि का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के लिए धनराशि का राज्यवार आवंटन

(लाख रुपए)

क्र॰सं॰	राज्य/सं॰शा॰प्र॰	1991-92	1992-93
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2878.000	1327.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	624.64	978.60
3.	असम	1848.84	1808.80
4.	बिहार	4245.00	2381.21
5.	गोवा	104.65	168.00
6.	गुजरात	5819.69	4126.52
7.	हरियाणा	3937.75	2538.25
8.	हिमाचल प्रदेश	2754.98	2943.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1997.00	1383 23
10.	कर्नाटक	5577.51	3708.65
11.	केरल	1991.50	2230.20
12.	मध्य प्रदेश	7031.00	3882.16
13.	महाराष्ट्र	5177.87	3425.56
14.	मणिपुर	491.12	364.00
15.	मेघालय	1407.37	980.00
16.	मिजोरम	290.00	अनुपलब्ध
17.	नागालैंड	169.27	336.00
18.	उड़ीसा	3669.36	3191.85
19.	पंजाब	944.12	568.40
20.	राजस्थान	7703.66	4792.92
21.	सिक्किम	494.73	344.40
22.	तमिलनाडु	1773.69	2841.04
23.	त्रिपुरा	1326.30	407.40
24.	उत्तर प्रदेश	9742.99	5421.51
25.	पश्चिम बंगाल	2740.31	1504.80
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	120.00	3[illegible]00

1	2	3	4
27.	चंडीगढ़	30.00	अनुपलब्ध
28.	दादर व नगर हवेली	93.54	118.83
29.	दमन व द्वीप	17.00	14.00
30.	दिल्ली	100.00	199.50
31.	लक्षद्वीप	8.50	11.20
32.	पाण्डिचेरी	88.57	35.00
		75198.96	52382.79*

*जवाहर रोजगार योजना की धनराशि के 96.00 करोड़ रुपए शामिल नहीं है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के बजट के 115 करोड़ रुपए भी शामिल नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं॰ 16 कुल अनंतिम परिव्यय 735.00 करोड़ रुपए है।

उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न कोटा

936. श्री भगवान शंकर रावत: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके खाद्यान्न कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के कोटे में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य को आवंटित खाद्यान्न कोटे में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान कितना खाद्यान्न आवंटित किया जायेगा?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आवंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चावल और गेहूं के किए गए आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है। ये आवंटन मासिक आधार पर किए जाते हैं। अतः 1992-93 के दौरान किए जाने वाले आवंटनों के बारे में सूचना वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी।

विवरण

1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को चावल और गेहूं के आबंटन को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1989-90		1990-91		1991-92	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. आन्ध्र प्रदेश	885.0	135.0	1565.0	370.0	2283.0	276.0
2. अरुणाचल प्रदेश	89.9	11.80	92.5	10.0	116.9	9.64
3. असम	420.0	190.0	431.4	240.0	460.0	344.0
4. बिहार	143.0	654.0	109.0	520.0	152.0	561.6
5. गोआ	47.4	30.50	48.9	46.5	59.5	44.65
6. गुजरात	343.0	740.0	318.0	810.0	336.0	879.6
7. हरियाणा	30.6	250.0	36.0	160.0	40.0	294.0
8. हिमाचल प्रदेश	78.0	120.0	78.0	124.0	80.6	123.0
9. जम्मू और कश्मीर	280.0	255.0	420.0	240.0	459.0	236.0
10. कर्नाटक	530.0	260.0	589.0	375.0	622.0	467.0
11. केरल	1295.0	225.0	1652.5	255.0	1782.5	354.0
12. मध्य प्रदेश	310.0	380.6	278.0	410.0	330.0	443.0
13. महाराष्ट्र	652.0	1235.0	558.5	1200.0	702.0	1396.0
14. मणिपुर	82.0	30.0	84.0	36.0	100.5	34.4
15. मेघालय	115.0	25.2	115.9	27.6	140.5	30.0
16. मिजोरम	94.5	13.8	88.5	15.0	107.0	15.38
17. नागालैण्ड	93.50	70.5	113.50	73.5	145.5	75.9
18. उड़ीसा	298.5	265.0	257.50	310.0	370.0	315.0
19. पंजाब	15.3	61.25	18.0	90.0	20.0	215.0
20. राजस्थान	38.4	800.0	38.4	880.1	43.6	930.0
21. सिक्किम	54.0	5.75	54.0	6.7	58.0	7.08
22. तमिलनाडु	600.0	360.0	761.8	360.0	948.48	354.0
23. त्रिपुरा	152.68	30.0	169.20	30.0	196.50	28.5
24. उत्तर प्रदेश	403.0	695.0	370.0	690.6	376.0	743.0
25. पश्चिम बंगाल	809.0	1017.5	837.0	1100.0	872.0	1082.0
26. अ॰ तथा नि॰ द्वीपसमूह	18.0	8.4	18.0	8.4	18.0	8.4
27. चंडीगढ़	4.9	24.0	4.8	24.0	11.2	23.6
28. दादर तथा नगर हवेली	6.0	1.2	6.0	1.7	8.0	2.36
29. दमन तथा दीव	5.45	1.85	5.40	1.8	7.8	1.76
30. दिल्ली	255.0	707.0	240.0	870.0	268.0	855.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31. लक्षद्वीप	5.5	0.1	5.5	0.1	6.3	0.2
32. पांडिचेरी	24.5	3.0	24.0	7.0	28.0	8.54
33. के॰रि॰पु॰ब॰/सी॰सु॰ब॰	12.0	18.0	12.0	18.0	13.5	21.0
34. रक्षा	198.0	160.67	189.8	167.92	187.0	163.2
35. भूटान	22.20	20.4	22.20	20.4	22.2	20.4
जोड़	8411.33	8805.52	9612.30	9499.62	11356.58	10364.11

[हिन्दी]

मौर्या एक्सप्रेस में वातानुकूलित सवारी डिब्बे

937. **श्री ललित उरांव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौर्या एक्सप्रेस रेलगाड़ी (गोरखपुर से हरिया तक) में, जो कि लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों में से एक है, अभी तक वातानुकूलित सवारी डिब्बे नहीं लगाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस रेलगाड़ी में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) वातानुकूल सवारी डिब्बों की सीमित उत्पादन क्षमता के कारण अभी तक भारतीय रेलों पर मौर्य एक्सप्रेस सहित बहुत सी महत्वपूर्ण गाड़ियों में वातानुकूल सवारी डिब्बें लगाना संभव नहीं हो सका है। बहरहाल, नीति के तौर पर यह निर्णय लिया जा चुका है कि सभी रात्रिकालीन मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में यथासमय वातानुकूल सवारी डिब्बे लगाए जाएं।

संगीत नाटक अकादमी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति

938. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगीत अकादमी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इसकी कितनी बैठकें आयोजित की गई थीं; और

(ग) यदि कोई बैठक नहीं हुई तो उसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या कोई कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संगीत नाटक अकादमी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पौड़ी (गढ़वाल) और चमोली जिलों में भण्डारण क्षमता

939. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:** क्या खाद्य मंत्री 31 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5405 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में, जहां कि भारी हिमपात और भूस्खलन की सम्भावना बनी रहती है, भण्डारण क्षमता सृजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम प्रमुख केन्द्रीय एजेंसियां हैं, जो भण्डारण निर्माण कार्य में लगी हुई हैं। भारतीय खाद्य निगम का हरावला में 10000 मीटरी टन की क्षमता के एक गोदाम का निर्माण करने और गोपेश्वर में 2500 मीटरी टन क्षमता के एक अन्य गोदाम का निर्माण करने का प्रस्ताव है ताकि क्रमशः पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों की भण्डारण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

खाद्यान्नों का भण्डारण करने हेतु केवल भारतीय खाद्य निगम के इस्तेमाल के लिए पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर में 5000 मीटरी टन क्षमता के एक भाण्डागार का निर्माण करने की भी केन्द्रीय भण्डारण निगम की योजना है।

शिक्षा के उच्च स्तरों के लिए मान्यता परीक्षाएं

940. **श्री गुरुदास कामत:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के उच्च स्तरों पर प्रवेश परीक्षाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परीक्षाएं किन-किन पाठ्यक्रमों के लिए शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना में उच्च शिक्षा की संस्थाओं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं।

नैमित्तिक श्रमिक

941. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 के दौरान और 1992-93 में अब तक विभिन्न रेलवे जोनों में कितने-कितने नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि कार्य करने वाले श्रमिकों को ही मजदूरी मिले न कि बिचौलियों को?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) क्षेत्रीय रेलों पर नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है:-

1990-91	1.45 लाख
1991-92	1.08 लाख
1992-93 (अभी तक)	1.08 लाख लगभग

(ख) मजदूरी का संवितरण विभागीय कर्मचारियों द्वारा साक्षी अधिकारियों की उपस्थिति में श्रमिकों को सीधे किया जाता है और इसमें बिचौलिए शामिल नहीं होते है।

विकलांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा

942. **श्री गंगाधर सानीपल्ली**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकलांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में गैर-सरकारी संगठनों को दी गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) भारत सरकार सामन्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आई०डी०डी०सी० केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने तथा उन्हें पुस्तकों और लेखन-सामग्री, वाहन, वर्दी, उपस्कर आदि के लिए विभिन्न भत्ते प्रदान करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/स्वैच्छिक संगठनों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इस योजना में विशेष शिक्षकों के वेतन, संसाधन कमरे तैयार करने, विकलांग बच्चों का मूल्यांकन कार्य जारी रखने, विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, स्कूलों में वास्तुशिल्पीय व्यवधानों को दूर करने तथा शैक्षिक सामग्री तैयार करने के खर्च को भी पूरा करने का प्रावधान है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1989-90 से वर्ष 1991-92 के दौरान विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न संगठनों को निम्नलिखित अनुदान दिये गये:

स्वैच्छिक संगठन का नाम		दिए गए अनुदान		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
गुजरात				
1.	नेशनल एशोसिएशन फॉर दी ब्लाइंड, विसनगर	5,31,875	4,94,140	4,99,070
2.	एन०ए०बी०, इदार	2,91,597	3,93,534	7,91,830
3.	एन०ए०बी०, मेहमेदबाद	33,502	—	—
4.	एन०ए०बी०, अहमदाबाद	—	—	4,76,360

1	2	3	4	5
5.	एन॰एच॰, मेहसाना	—	—	7,78,260
6.	एन॰एच॰, खेड़ा	—	—	1,43,588
7.	एन॰एच॰, पंचमहल	—	—	97,356
8.	एन॰एच॰, बालसाड	—	—	4,94,979
9.	एन॰एच॰, जूनागढ़	—	—	1,25,902
10.	एन॰एच॰, राजकोट	—	—	20,826
कर्नाटक				
1.	इंटेग्रिटिड स्कूल फॉर दी डेफ, बंगलौर	90,850	—	2,92,846
2.	डिवाईन लाईट ट्रस्ट फॉर दी ब्लाइंड, बंगलौर	71,500	—	60,102
3.	के॰एस॰एस॰, सहना, बंगलौर	86,450	—	2,90,427
4.	कर्नाटक वेलफेयर एशोसिएशन फॉर दी ब्लाइंड, बंगलौर	3,96,550	—	9,71,962
5.	रूरल एजुकेशन ट्रस्ट, कोप्पा	—	—	1,11,677
6.	सिद्दागंगा रिसोर्स सेन्टर, टुमकुर	—	—	1,51,176
7.	नवप्रभा रूरल रेसिडेन्सियल स्कूल बेलगांव	—	—	2,95,794
8.	एस॰ई॰सी॰एच॰ सेन्ट्रल हिन्दी प्राइमरी स्कूल, बिजापुर	—	—	1,98,208
9.	एस॰ई॰एस॰ प्राइमरी स्कूल, चिकमंगलूर	—	—	66,758
10.	सेवा-इन-एक्शन, बंगलौर	—	—	5,30,628
11.	नेशनल एशोसिएशन फॉर दी ब्लाइंड बंगलौर	—	—	1,88,800
12.	सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी, बंगलौर	—	—	2,42,636
13.	बिजापुर डिस्ट्रिक्ट फीजीकली हेंडिकेप्ड वेलफेयर एशोसिएशन, बिजापुर	—	—	6,32.360
14.	निवेदिता मनोविकास केन्द्र, बंगलौर	—	—	95,815
15.	आशा किरण एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी, कोलार डिस्ट्रिक्ट	—	—	2,31.420
16.	विश्वमानव जीवन विकास संघ, बंगलौर	—	—	83,500
17.	मेलिम-ड्राईवर सेकेंडरी स्कूल, के॰जी॰एफ॰	—	—	66,175
मध्य प्रदेश				
1.	अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट, ग्वालियर	116,650	81,650	86,550
तमिलनाडु				
1.	होली क्रॉस कॉले, त्रिची	—	5,76,000	—

बिहार में महाबोधि मंदिर की मूर्तियों का गायब होना

943. **श्री छेदी पासवान:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में बोध गया के महाबोधि मंदिर की अधिकांश मूर्तियां चोरी हो गई हैं अथवा गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, बोध गया के महाबोधि मंदिर की किसी मूर्ति की चोरी की रपट नहीं लिखाई गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि बोध गया (बिहार) का महाबोधि मंदिर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है, इसलिए भारत सरकार द्वारा किसी कार्रवाई के किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शताब्दी एक्सप्रेस की लाभप्रदता और आर्थिक सक्षमता

944. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शताब्दी एक्सप्रेस की लाभप्रदता और आर्थिक सक्षमता का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक, विशेष रूप से पटना तक एक शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) फिलहाल किसी शताब्दी एक्सप्रेस को चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता में एड्स संबंधी मामले

945. श्री सनत कुमार मंडल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1992 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "एड्स कम्स टु कलकटाज डोरस्टेप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तथा इस क्षेत्र के नियंत्रण से बाहर जाने से पूर्व इसका सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता में एड्स के प्रकोप को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) सुरक्षित रक्त की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रक्ताधान से पूर्व रक्त जांच की सुविधाओं सहित रक्त बैंकों का सुदृढ़ीकरण।

(2) कलकत्ता में 7 जोनल रक्त जांच केन्द्र हैं तथा एच आई वी संक्रमण,संबंधी रक्त नमूनों की जांच के लिए महानगर के सभी 33 रक्त बैंक उनसे संबद्ध हैं।

(3) किसी क्षेत्र विशेष में स्थित उच्च जोखिम वाले समूहों में सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधी कार्यकलापों को शुरु करने के लिए गैर-सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से नवप्रयास कार्यनीतियां तैयार करना।

(4) एस टी डी रोगियों का उपचार तथा उच्च जोखिम वाले समूहों में स्वसुरक्षण के लिए कंडोमों की आपूर्ति।

(5) एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चालू वर्ष से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना पर 270/-करोड़ रुपये का परिव्यय होना है तथा इसका कार्यान्वयन पांच वर्षों की अवधि के लिए होगा। एड्स नियंत्रण कार्यकलापों को चलाने के लिए राज्य सरकारों को नगद और वस्तुओं के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।

(हिन्दी)

पैरानपुर गांव के निकट भागीरथी एक्सप्रेस दुर्घटना

946. श्री एन॰ जे॰ राठवा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1992 में वाराणसी के निकट माधवगंज कटवा रेलवे स्टेशन के बीच पैरानपुर गांव के पास कर्मचारी रहित रेल फाटक पर भागीरथी एक्सप्रेस और ट्रैक्टर के टकरा जाने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए;

(ख) मृतकों के परिवारजनों और घायलों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या वहां पर रेल फाटक बना दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस स्थान पर रेल फाटक अब तक न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगा लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 16.4.1992 को पूर्वोत्तर रेलवे के कटका और माधोसिंह जं० स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार वाले समपार सं० 26 पर ट्रैक्टर ट्राली के भागीरथी एक्सप्रेस के रेल इंजन से टकरा जाने के कारण 13 व्यक्तियों की जानें गई और अन्य 9 को चोटें आईं।

(ख) मौजूदा नियमों के अनुसार कोई क्षतिपूर्ति अनुमेय नहीं है।

(ग) दुर्घटना स्थल पर बिना चौकीदार वाला समपार पहले ही मौजूद है।

(घ) यातायात के स्तर को देखते हुए इस बिना चौकीदार वाले समपार को चौकीदार वाला समपार बनाने का औचित्य नहीं है।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दुर्घटना ट्रैक्टर चालक की अपनी लापरवाही के कारण हुई थी।

(अनुवाद)

चिकित्सा की तिब्बती पद्धति को लोकप्रिय बनाना

947. **श्री सुबाष चन्द्र नायक**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा की तिब्बती पद्धति के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये औषधियां कई पुरानी बीमारियों का इलाज करने में प्रभावी सिद्ध हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में चिकित्सा की तिब्बती पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) जी हां। लेह में केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद की एक अनुसंधान इकाई है जिसने पेप्टिक अल्सर और एक्जिमा में औषधि की उपचारार्थ प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए औषधि की आमची पद्धति पर अनुसंधान अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि इन रोगों के उपचार में कुछ तिब्बती औषधियां कारगर हैं। परिषद ने एक तिब्बती पांडुलिपि का संपादन और प्रकाशन किया है।

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर सुविधायें

948. **श्री चन्द्रेश पटेल**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिम रेलवे के "हापा" रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रतीक्षा कक्ष और विश्राम गृह तथा प्लेटफार्मों पर बैंच और अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या जनता और उनके प्रतिनिधियों से "हापा", जामनगर, द्वारका, ओखा, राजकोट और पोरबन्दर स्टेशनों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जाती रही है; और

(ग) इस क्षेत्र की जनता की रेलवे सुविधाओं संबंधी अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) हापा स्टेशन पर सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं यथा बेंच, प्रतीक्षाकक्ष, जल शीतकों सहित पीने के पानी की व्यवस्था, प्रसाधन सुविधाएं, बुकिंग/आरक्षण कार्यालय, प्लेटफार्मों पर सायबान आदि पहले ही उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है. जामनगर, द्वारका, ओखा राजकोट और पोरबंदर स्टेशनों पर बेंच, शौचालय, पेशाबघर, जल शीतक प्याऊ, बुकिंग/आरक्षण सुविधाएं, प्लेटफार्मों पर सायबान, प्रतीक्षालय आदि जैसी पर्याप्त सुख-सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं.

पिसे हुए मसालों में मिलावट

949. श्री एन॰ डेनिसः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिसे हुए मसालों में तारकोल से रंग करके उन्हें आकर्षित बनाया जाता है जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) मसालों के मानक, मसालों में मिलाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के प्रयोग का निषेध करते हैं। इसके अतिरिक्त, रंगीन पदार्थ वाले पिसे हुए मसालों की बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।

राज्यों को चावल की सप्लाई

950. श्री पी॰ सी॰ थामसः क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किन-किन राज्यों को चावल सप्लाई किया जा रहा है तथा केन्द्रीय पूल में कौन-कौन से राज्य कितनी-कितनी मात्रा में और किस-किस किस्म के चावल का अंशदान करते हैं;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह आन्ध्र प्रदेश जैसे निकटवर्ती राज्यों से उन्हें अच्छी किस्म का उबला चावल सप्लाई कराये;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय पूल से चावल सप्लाई किया जा रहा है।

एक विवरण संलग्न है जिसमें खरीफ विपणन मौसम, 1991-92 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए चावल की मात्रा का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम केरल को अच्छी किस्म का चावल सप्लाई कर रहा है और निगम से कहा गया है कि वे केरल को यथा सम्भव अधिक सेला चावल उपलब्ध करें।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 1991-92 के दौरान (3 जुलाई, 1992 तक) केन्द्रीय पूल के लिए वसूल की गई चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की मात्रा बताने वाला विवरण है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हजार मीटरी टन में
आंध्र प्रदेश	2229
अरुणाचल प्रदेश	नगण्य
असम	6
हरियाणा	918
कर्नाटक	110
मध्य प्रदेश	403
महाराष्ट्र	49
उड़ीसा	246
पंजाब	4247
राजस्थान	20
उत्तर प्रदेश	831
पश्चिम बंगाल	71
चंडीगढ़	24
दिल्ली	5
पांडिचेरी	4
जोड़	9163

(नगण्य: 500 मीटरी टन से कम)

बांकुरा-दामोदर सेक्शन में अधिक गाड़ियां चलाना

951. श्री हाराधन राय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांकुरा-दामोदर रेलवे सेक्शन में अधिक रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण।

जापान से सहायता

952. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण संबंधी योजनाओं में जापान से भारत को सहायता मिलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जापान ने पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की सहायता करने में दिलचस्पी दिखलाई है। आठवीं भारत सहायता संघ की जून 1992 में हुई बैठक में जापान ने यमुना नदी की सफाई तथा प्रदूषण में कमी लाने के प्रयोजनार्थ यमुना कार्य योजना के लिए 17,773 मिलियन येन ऋण देने का वचन दिया है। यह ऋण जापान की उस सहायता के अतिरिक्त है जो कि राजस्थान में चलाई जा रही वनीकरण परियोजनाओं, अर्थात् "इन्दिरा गांधी नहर के किनारे वनीकरण तथा चरागाह विकास" और "अरावली पहाड़ियों की वनीकरण परियोजना", के लिए दी गई है।

परखनली शिशु

953. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लुधियाना के एक नर्सिंग होम में हाल ही में एक परखनली शिशु का जन्म हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत के किन-किन स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) जी, हां। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार क्लब रोड, लुधियाना के इकबाल नर्सिंग होम एवं अस्पताल में एक परखनली बच्चे का जन्म हुआ था।

(ग) यह सुविधा दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और बंगलौर में उपलब्ध है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियां

954. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति के लिए निर्धारित एवं पालन किए जाने वाले मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मार्ग-निर्देशों में कतिपय कमियों/त्रुटियों के परिणामस्वरूप मुकद्दमेबाजी के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार जब नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता अथवा जहां ऐसी चयन सूची अब तक तैयार ही नहीं की गई है और नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक तथा उचित समझता है तो सेवा के किसी भी श्रेणी की रिक्ति को किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो अन्यथा इस नियुक्ति के पात्र हों, की तदर्थ तथा अस्थाई आधार पर नियुक्ति के द्वारा उस रिक्त स्थान को भरा जा सकता है।

(i) यह नियुक्ति छह महीने से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिए, अथवा

(ii) विशिष्ट पद/ग्रेड के संबंध में उस समयावधि तक जिस के लिए चयन सूची तैयार नहीं की गई है। जो भी कम हों।

(ख) और (ग) तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में शिक्षा संहिता के प्रावधान किसी अदालत द्वारा रद्द नहीं किए गए हैं। कुछ व्यक्तिगत मामलों में, विभिन्न कानूनी अदालतों ने विशेष परिस्थितियों के आधार पर उक्त मामलों में विशेष छूट भी दी है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की संयुक्त रिपोर्ट

955. श्री सुधीर गिरि: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1981 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने "सब के लिए स्वास्थ्य एक वैकल्पिक कार्य नीति" नामक शीर्षक से एक प्रकाशन निकाला। रिपोर्ट में स्वास्थ्य प्रदाय पद्धति के विभिन्न पहलू थे और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिक सामुदायिक सहभागिता और असुरक्षित समूहों की विशेष परिचर्या के माध्यम से संवर्धनात्मक निरोधात्मक और रोगहारक कार्यों का एकीकरण शामिल था। इसने पोषण, शिक्षा और पर्यावरण जैसे घटकों को भी समुचित महत्व दिया।

(ग) इन सिफारिशों पर विचार किया गया जब वर्ष 1983 में स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी और स्वास्थ्य कार्यनीतियों के प्रतिपादन में, विशेष रूप से समय-समय पर निचले स्तर पर, इनको अपना लिया गया है।

बाल विकास कार्यक्रम की पुनरीक्षा

956. श्री के॰ पी॰ सिंह देव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछड़े राज्यों में इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजन के दौरान अनुसरण की जाने वाली बच्चों से संबंधित व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना का यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी): (क) और (ख) जी हां। प्रत्येक माह योजना के प्रशासनिक, पोषाहार और स्कूल-पूर्व घटकों का साथ-साथ मूल्यांकन एवं प्रबोधन करने के लिए विभाग में एक कम्प्यूट्रीकृत एम॰आई॰एस॰ कार्य कर रहा है। आई॰सी॰डी॰एस॰ की केन्द्रीय तकनीकी समिति द्वारा लाभप्राप्त कर्ताओं के स्वास्थ्य एवं पोषाहार के विस्तृत पहलुओं पर नजर रखी जाती है। 1980 के दशक के दौरान योजना आयोग तथा केन्द्रीय तकनीकी समिति (सी॰टी॰सी॰) के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी॰ई॰ओ॰) द्वारा समीक्षा की गई। वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा समेकित बाल विकास सेवा का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया जिसमें कार्यक्रम के सभी पहलुओं को शामिल किया गया।

(ग) विभिन्न मूल्यांकनों तथा पुनरीक्षणों द्वारा आई॰सी॰डी॰एस॰ कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां जो प्रकाश में लाई गई हैं, वे निम्न प्रकार हैं:—

(i) यह एक ग्रामीण-आधारित कार्यक्रम है। यह ऐसे कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया जाता है जो आमतौर से उसी गांव के निवासी होते हैं।

(ii) कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों तथा व्यावसायिकों की भागीदारी और सक्रिय सहायता प्राप्त करना शामिल है।

(iii) आंगनबाड़ी स्तर पर ही स्वास्थ्य, पोशाहार तथा बाल्यावस्था शिक्षा सेवाओं के संकेन्द्रण की गुंजाईश है।

(iv) जिन क्षेत्रों में आई॰सी॰डी॰एस॰ कार्यक्रम चल रहा है वहां दो-तिहाई जनसंख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के लोगों की है।

(v) कार्यक्रम से लाभप्राप्तकर्ता 62 प्रतिशत बच्चे निम्न आय वर्ग अर्थात् 2000/- प्रतिवर्ष से कम आय वाले परिवारों से है।

(vi) कुछ आई॰सी॰डी॰एस॰ क्षेत्रों में केन्द्रीय तकनीकी समिति द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि शिशु मृत्यु दर तथा जन्म दर में गिरावट आई है, तथा गैर-आई॰सी॰डी॰एस॰ ब्लॉकों की तुलना में आई॰सी॰डी॰एस॰ ब्लाकों में अधिक संख्या में लोगों ने परिवार नियोजन की पद्धति को अपनाया है।

(vii) आई॰सी॰डी॰एस॰ ब्लॉकों में रोग प्रतिरोधन टीके लगवाने वाले बच्चों की दर संख्या काफी अधिक है, कई बार यह संख्या गैर-आई॰सी॰डी॰एस॰ क्षेत्रों की तुलना में तीन-चार गुणा अधिक होती है।

(viii) 80% से अधिक आंगनवाड़ियां ऐसी है जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

(घ) जहां तक समेकित बाल विकास योजना का सम्बन्ध है इसका विस्तार किया जाना है ताकि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध संसाधनों से जहां तक संभव हो अधिकाधिक सामुदाय विकास ब्लॉकों को कवर किया जा सके। इस विस्तार कार्यक्रम में यह प्रयास किये जा रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए उन व्यक्तियों को पहले लाभान्वित किया जाए जिन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है।

जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम

957. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:**

श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के समर्थन में हाल ही में राष्ट्रीय सहमति बना ली है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु क्या-क्या प्रोत्साहन और अनुत्साहन देने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) देश में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के लोगों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय आन्दोलन में बदलने के लिए व्यापक राष्ट्रीय सहमति और सभी वर्गों/विचारों वाले लोगों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। पिछले कुछ महीनों में देश में जनसंख्या को स्थिर करने की चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सहमति तैयार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) जनसंख्या समस्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में विचार किया गया था जहां पर सभी इस बात पर एकमत थे कि जनसंख्या नियंत्रण को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए और इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

(ii) जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीति और कार्यनीतियों के सभी पहलुओं की जांच करने और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने और समग्रतावादी और बहुक्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने और उपाय करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति गठित की गई। इस समिति की दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के जनवरी, 1992 में हुए सम्मेलन में इस बात पर सर्वसम्मति थी कि जनसंख्या नियंत्रण तात्कालिक राष्ट्रीय महत्व के विषयों में है। सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को नया बल तथा गतिशीलता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के घनिष्ठ परामर्श से तैयार की गई कार्य योजना को कार्यान्वित करने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

(iv) जनसंख्या नियंत्रण के कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख थ्रस्ट एरिया के रूप में चुना गया।

उपर्युक्त पहलों के परिणामस्वरूप जनसंख्या संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय कार्यसूची की प्रमुख मदों के रूप में रखा गया है।

(ग) जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहनों/निरुत्साहनों का एक व्यापक पैकेज तैयार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

958. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर आठवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सैद्धान्तिक रूप से देश के विभिन्न भागों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तथापि, आयोग ने इन कार्यालयों के स्थान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

रेलवे उत्पादन एककों का निजीकरण

959. **श्री राम कापसे:** क्या रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे उत्पादन एककों का निजीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से उत्पादन एककों का निजीकरण किया जायेगा; और

(ग) किन-किन कम्पनियों ने इस संबंध में अपनी सेवायें देने का प्रस्ताव किया है और उनकी शर्तें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं। मौजूदा उत्पादन इकाइयों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण में कमी करने के लिए कन्स्टीट्यूएन्सी सैल

960. **श्री शशि प्रकाश:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वायु और जल प्रदूषण में कमी करने के लिए लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सलाह देने हेतु कन्स्टीट्यूएन्सी सैल की स्थापना की है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार लघु पैमाने की इकाइयों के समूहों द्वारा उत्पन्न बहिस्राव और ठोस अपशिष्ट शोधन के लिए साझा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सहायता देने की एक स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। लघु पैमाने की इकाइयों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने और उसके विकास के लिए कदम उठाए गए हैं।

कथित मिलावटी शिशु आहार की बिक्री

961. **श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिलावटी शिशु आहार की बिक्री का मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निरोधात्मक कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1990 के दौरान शिशु आहार के कुल 128 नमूनों की जांच की गई। इनमें से नौ नमूने मिलावटी पाए गए।

(ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से शिशु आहार की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

खाद्यान्नों पर दी जा रही राजसहायता को वापस लेना

962. श्री अजय मुखोपाध्याय: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राज सहायता को वापस लने का है;. और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) और (ख) केन्द्रीय पूल के स्टाक से वितरित किए जा रहे चावल और गेहूं पर निरन्तर खाद्य राजसहायता प्रदान की जा रही है। इसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

963. श्री धर्मभिक्षम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद-काजीपेट और विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम रेल लाइनों के विद्युतीकरण की परियोजना उनके मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है और इनके पूरा होने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख)

	कुल अनुमानित लागत	पूरा करने का लक्ष्य
काजीपेट-हैदराबाद	71.01 (करोड़ रुपये)	सितम्बर, 93
विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम	210.08 (करोड़ रुपये)	मार्च, 97

गेहूं की वसूली का लक्ष्य

964. श्री शरद यादव:
श्री शरद दिघे:
श्री के॰ वी॰ तन्काबालू:
डा॰ असीम बाला:
श्री मदन लाल खुराना:
श्री रूपचन्द पाल:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव:
श्री गया प्रसाद कोरी:
श्री भगवान शंकर रावत:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का चालू वसूली सीजन में राज्यवार कितने गेहूं की वसूली करने का लक्ष्य है;

(ख) गत वर्ष की तुलना में वसूली लक्ष्य में कितने प्रतिशत कमी हुई है;

(ग) इसके क्या कारण है;

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के साथ "बफर स्टॉक" की समग्र स्थिति क्या है;

(ङ) अगले वसूली सीजन तक मांग और सप्लाई के बीच कितना अन्तर रहने का अनुमान है; और

(च) सरकार का मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को किस प्रकार पाटने का विचार है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) से (ग) चूंकि मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन गेहूं की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है, इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

(घ) से (च) केन्द्रीय पूल में 1.6.1992 तक अनुमानतः 71.75 लाख मीटरी टन गेहूं का स्टाक था जबकि 1.6.1991 तक 113.08 लाख मीटरी टन गेहूं का स्टॉक था। इसके साथ-साथ कम स्टाक होने की दृष्टि में रखते हुए सरकार ने 10.05 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए एक ठेका किया है। जहां तक और अधिक आयात करने का संबंध है, यदि कोई किया जाता है इस बारे में सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर उपयुक्त समय पर निर्णय किया जाएगा।

"औषधीय पौधे"

965. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी:**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधीय पौधे पर्याप्त संख्या में लगाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों के वन विभाग नीम, आंवला, बेल, बेहड़ा आदि जैसी औषधीय महत्व की प्रजातियों का रोपण कर रहे हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज उगाने की स्कीम के अन्तर्गत भी इस कार्यकलाप को बढ़ावा दिया जाता है। 1988-89 से 1991-92 तक स्कीम के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता तथा सम्मिलित क्षेत्र निम्न प्रकार है:—

वर्ष	केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में)	सम्मिलित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1988-89	101.00	269
1989-90	223.00	3804
1990-91	442.00	9833
1991-92	650.00	8300 (अनंतिम)

यह स्कीम आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गया में राजधानी एक्सप्रेस का स्टाप बनाना

966. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गया में राजधानी एक्सप्रेस का स्टाप बनाने की बहुत मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध म सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) 1.7.1992 से 2301/2302 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को गया में ठहराव दे दिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी कार्यवाही योजना

967 **श्री बी॰ एन॰ रेड्डी**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की प्रमुख नदियों के प्रदूषित तटों की सफाई के लिए राष्ट्रीय नदी कार्यवाही योजना अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्पूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश की नदियों के इस प्रकार के प्रदूषित तटों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों को इस परियोजना की लागत में किसी प्रकार की भागीदारी करनी पड़ी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) देश की प्रमुख नदियों के घोर प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण के लिए।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड कई वर्षों से देश के कुछ प्रमुख बेसिनों में प्रदूषण की निगरानी करने के लिए अध्ययन करता रहा है। 13 नदियों के 19 घोर प्रदूषित क्षेत्रों एवं 5 नदियों के 7 कम प्रदूषित क्षेत्रों का उनके प्रदूषण भार के अनुसार अभिनिर्धारण किया गया है। इन क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में विवरण तैयार किया जा रहा है।

अनुलग्नक-I

विवरण

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभिनिर्धारित किए गए प्रमुख नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों का विवरण

घोर प्रदूषित क्षेत्र

क्रम सं॰	नदी		क्षेत्र
1.	साबरमती	(I)	साबरमती आश्रम तक अहमदाबाद नगर के ठीक ऊर्ध्वप्रवाह तक।
2.	सिन्धु (सहायक नदी) सतलुज		लुधियाना अधोप्रवाह से हारिके। नांगल अधोप्रवाह।
3.	यमुना	(I)	दिल्ली से चम्बल सम्मिलन स्थल तक (कन्फ्लूएंस)।
		(II)	दिल्ली, आगरा और मथुरा की नगर सीमाओं में।
4.	सुवर्णरेखा		हातिया बांध से बाहरागोरा तक।
5.	गोदावरी	(I)	नासिक अधोप्रवाह से नानदेड़।
		(II)	नासिक और नानदेड़ की नगर सीमा।
6.	कृष्णा		कराद से सांगली तक।
7.	चम्बल		कोटा अधोप्रवाह और नागदा अधोप्रवाह (दोनों स्थानों पर लगभग 15 कि॰मी॰)
8.	दामोदर		धनबाद अधोप्रवाह से हल्दिया तक।
9.	गोमती		लखनऊ से गंगा सम्मिलन तक।
10.	काली		मोदीनगर अधोप्रवाह से गंगा के सम्मिलन तक।
11.	खान	(I)	इंदौर की नगर सीमा में।
		(II)	इंदौर अधोप्रवाह ।

12.	क्षिप्रा	(I)	उज्जैन की नगर सीमा में।
		(II)	उज्जैन अधोप्रवाह।
13.	हिण्डन		सहारनपुर से यमुना के सम्मिलन तक।

कम प्रदूषित क्षेत्र

क्रम सं०	नदी		क्षेत्र
1.	बैतरणी		चांदबली का ऊर्ध्वप्रवाह।
2.	कृष्णा	(I)	धोम बांध से नारसो बाबरी तक। (महाराष्ट्र)
		(II)	सहायक अपवाह। (महाराष्ट्र)
		(III)	नागार्जुन सागर बांध तक तथा इस बांध से रैपेल्ला ऊर्ध्वप्रवाह (आंध्र प्रदेश) तक।
3.	भद्रा		भद्रा बांध (कर्नाटक) के उद्गम स्थल से के० आई०सी०सी०एल० अधोप्रवाह तक।
4.	ब्राहिमणी		धर्मशाला अधोप्रवाह
5.	तुंग		तीर्थाहल्ली से भद्रा के सम्मिलन तक।

उड़ीसा में केन्द्रीय विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए अनुदान

968. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार का विचार उड़ीसा में विशेषरूप से बोलंगीर में केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में 23 केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें से 17 विद्यालय सिविल/रक्षा (डिफैन्स) क्षेत्र में हैं। इनमें से छः केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्कूल भवनों का निर्माण पहले ही हो चुका है तथा दो स्कूल भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। बोलांगीर सहित शेष नौ केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भूमि के हस्तान्तरण तथा पट्टे संबंधी दस्तावेज पूरे न किए जाने जैसी औपचारिकताएं पूरी न की हो पाने के कारण नहीं किया जा सका।

प्रोजेक्ट सेक्टर के छः केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में, स्कूल भवन प्रदान करने की जिम्मेदारी संगठन की नहीं है अपितु प्रायोजक एजेन्सियों की है।

नागालैंड में नशीली दवाओं के आदि तथा एड्स के मामले

969. **श्री बापू हरि चौरे:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नागालैंड में नशीली दवाओं के आदि व्यक्तियों तथा 'एड्स' के मामले के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान, कलकत्ता जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का संस्थान है, ने अंतःशिरा औषध व्यसनियों की व्याप्तता पर नागालैंड में अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण से विदित हुआ है कि मूल रूप से पिछले दो वर्षों के दौरान अंतःशिरा औषध व्यसनियों की बड़ी संख्या के कारण नागालैंड सहित उत्तर पूर्व के राज्यों में एच आई वी से संक्रमित रोगी हैं।

नागालैंड में, जांचे गए 181 सीरम नमूनों में से 72 एच आई वी संक्रमित पाए गए।

(ग) वर्ष 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को देश में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था। अब तक के किए गए कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

— उच्च जोखिम का आचरण करने वाले समूहों में व्यापतता एवं संक्रामकता की प्रवृत्तियां निर्धारित करने के लिए निगरानी पद्धति शुरू करना।

— जोनल आधार पर रक्त बैंक में रक्त की जांच के लिए जांच सुविधाओं की व्यवस्था करके रक्त और रक्त उत्पादों की सुरक्षा को बढ़ावा देना।

— स्वास्थ्य शिक्षा।

— अस्पताल संक्रमण नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

— एच आई वी से संक्रमित रोगियों के निदान और उपचार में चिकित्सकों एवं परा चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण देना।

— उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, जहां निगरानी के आधार पर सापेक्षिक तौर पर काफी संख्या में एच आई वी से संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाया गया है, केन्द्रीकृत कार्यकलाप का कार्यान्वयन करना।

— एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चालू वर्ष से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना पर 270 करोड़ रुपये का परिव्यय होना है तथा इसका कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा। एड्स नियंत्रण कार्यकलापों को चलाने के लिए राज्य सरकारों को नगद और वस्तुओं के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

उड़ीसा में रेल परियोजनाएं

970. **श्री श्रीकान्त जेना:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में नई रेल परियोजनाओं तथा विद्यमान रेल लाइनों के विकास-विस्तार के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्षेत्र-वार/कार्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा संस्तुत किये गये रेल सम्पर्क इस प्रकार हैं:—

i. दैतारी-बांसपानी रेल लाइन - 143 कि॰मी॰

ii. तालचेर-गोपालपुर पोर्ट रेल लाइन - 325 कि॰मी॰

iii. जैपुर-मलकांगिरी रेल लाइन - 100 कि॰मी॰

iv. रायगडा-गोपालपुर पोर्ट रेल लाइन - 165 कि॰मी॰

(ग) स्थिति इस प्रकार है:—

i. **दैतारी-बांसपानी रेल लाइन -(143 कि॰मी॰)**
संबंधित मंत्रालयों द्वारा वित्त पोषण के तौर तरीके तय कर लिए जाने के बाद ही इस लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

ii. **तालचेर-गोपालपुर पोर्ट रेल लाइन-325 कि॰मी॰**

iii. जैपुर-मलकांगिरी रेल लाइन-100 कि०मी० तथा

iv. रायगढ़ा-गोपालपुर पोर्ट रेल लाइन-165 कि०मी०
रेलें संसाधनों की भारी तंगी का सामना कर रही हैं, इसलिए फिलहाल परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी विकास योजना

972. श्री दत्तात्रेय बंडारू:
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार प्रौद्योगिकी विकास योजना में उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को बड़े पैमाने पर सम्मिलित करने का है;

(ख) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) प्रौद्योगिकी विकास योजना के अंतर्गत रेलवे के अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ०अ०मा०सं०), लखनऊ में अनेक प्रौद्योगिकी विकास मुपों का गठन किया गया था। जिनमें उद्योग एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि शामिल हैं, प्रौद्योगिकी विकास मुपों के लिए रेल इंजनों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों, रेलपथ संरचना आदि के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

रेलवे में भर्ती

973. श्री चित्त बसु:
श्री बी० देवराजन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भर्ती को कम करने के लिए कोई समयबद्ध योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति में इस नीति का क्या औचित्य है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे में रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर पैदा होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले कुछ वर्षों से जनशक्ति की उत्पादकता में कुछ सुधार हुआ है। प्रणाली की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के लिए इस सुधार को बनाए रखना होगा। अतः प्रणाली को चलाने के लिए आठवीं योजना के दौरान सामान्यतः अतिरिक्त जनशक्ति के नियोजन की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

974. डा० लाल बहादुर रावल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में उन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना से पहले आरंभ किया गया था;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब पूरी हुई थी तथा 30 जून, 1992 को शेष परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की स्थिति क्या थी; और

(ग) इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना से पहले शुरू की गई 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली रेल परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

परियोजना का नाम	वर्ष, जिसमें स्वीकृत की गई	नवीनतम प्रत्याशित लागत	30.6.92 की स्थिति
नई लाइनें			
1. मथुरा-अलवर	1983-84	69.43	प्रगति 40 प्रतिशत, 1993-94 में पूरा करने का लक्ष्य।
2. रामपुर-न्यू हल्द्वानी	1974-75	49.54	रामपुर-बिलासपुर (27 कि०मी०) पूरा हो गया है, शेष कार्य को 1993-94 में पूरा करने का लक्ष्य है।
3. बगहा-छितौली (पुनःस्थापन)	1974-75	140.59	वाल्मीकि नगर-बगहा (9 कि०मी०) खोल दिया गया है। 1992-93 में रक्षा-बांध और उप-संरचना का कार्य हाथ में लिया जा रहा है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों, जल संसाधन मंत्रालय और रेलों के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत की गई है। इसका पूरा होना, सह-भागीदारों द्वारा अपने-अपने हिस्से की धनराशि के सुलभ कराये जाने पर निर्भर करेगा।
आमान परिवर्तन			
1. वाराणसी-भटनी	1977-78	85.28	1990-91 में खोली गई।
दोहरी लाइनें बिछाना			
1. रोहतक-आखल (चरण-1) साहिबाबाद-गाजियाबाद तीसरी लाइन	1981-82	67.21	1990-91 में खोली गई।

परियोजना का नाम	वर्ष, जिसमें स्वीकृत की गई	लागत (करोड़ रुपयों में)	पूरा होने की तिथि
1	2	3	4
रेल विद्युतीकरण			
1. डबरा (को छोड़कर)—आगरा (को छोड़कर) (दिल्ली-झांसी का भाग)	1978-79	34.03	मार्च, 87

1	2	3	4
2. माताटीला-धौरा और झांसी-बसई (झांसी-इटारसी का भाग)	1981-82	41.93	जनवरी, 88
3. बाराकला-मुगलसराय (सीतारामपुर-मुगलसराय का भाग)	1981-82	45.39	मार्च, 97 तक पूरा हो जाने की आशा है।

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	संशोधित लागत	वर्ष, जिसमें स्वीकृत की गई	टिप्पणी
सिगनल व्यवस्था				
1. मुगलसराय-इनडोर और आउटडोर गियरों का बदलाव (II कैबिन)	12.10	23.97	1985-86	31.12.1993 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(अनुवाद)

"फारेस्ट रिपोर्ट, 1991"

975. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री रूपचन्द पाल:
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री गुरुदास कामत:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फारेस्ट रिपोर्ट, 1991 के अनुसार देश का वनाच्छादित क्षेत्र कम नहीं हो रहा है बल्कि गत कुछ वर्षों के दौरान इसमें वास्तव में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धि किस निश्चित अवधि में देखी गई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्षेत्र की दृष्टि आदर्श वनाच्छादित क्षेत्र कितना है तथा यह देश के कुल भू-क्षेत्र का कितना प्रतिशत है और उक्त अवधि के दौरान इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ङ) आठवीं योजनावधि के दौरान आदर्श वनाच्छादित क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट 1991 के अनुसार, 1987—89 की अवधि के दौरान देश के वन आवरण में 560 वर्ग कि॰मी॰ की वृद्धि हुई है।

(ग) राज्यवार वास्तविक वन आवरण को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) क्षेत्र और प्रतिशत के बारे में आदर्श वन आवरण के लिए ऐसा कोई मापदण्ड/विश्व मानक नहीं है। फिर भी, राष्ट्रीय वन नीति 1988, में संकल्पना की गई है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई पर वन या वन आवरण का राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए। पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में, क्षेत्र के दो

तिहाई भाग पर ऐसा आवरण होना चाहिए। 1987—89 के दौरान वन आवरण में 560 वर्ग कि॰मी॰ की वृद्धि देश के वन आवरण में 0.087 प्रतिशत की वृद्धि है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अठारह मिलियन हैक्टेयर पर वन/पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन यह लक्ष्य राज्यों/केन्द्र सरकार को मिलने वाली निधियों पर निर्भर करेगा।

विवरण

वन आवरण के राज्य-वार ब्यौरे

मूल्यांकन-1991 (संशोधित)

क्रम सं॰	राज्य	क्षेत्र (वर्ग किमी॰ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	47,911
2.	अरूणाचल प्रदेश	68,518
3.	असम	25,977
4.	बिहार	26,934
5.	गोवा (दमन और दीव सहित)	1,302
6.	गुजरात	11,656
7.	हरियाणा	563
8.	हिमाचल प्रदेश	13,377
9.	जम्मू और कश्मीर	20,424
10.	कर्नाटक	32,195
11.	केरल	10,149
12.	मध्य प्रदेश	133,191
13.	महाराष्ट्र	44,058
14.	मणिपुर	17,885
15.	मेघालय	15,920
16.	मिजोरम	18,861
17.	नागालैंड	14,278
18.	उड़ीसा	47,115
19.	पंजाब	1,166
20.	राजस्थान	12,971
21.	सिक्किम	3,124
22.	तमिलनाडु	17,715
23.	त्रिपुरा	5,325
24.	उत्तर प्रदेश	33,826
25.	प॰ बंगाल	8,394
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7,624
27.	चंडीगढ़	8
28.	दादर और नगर हवेली	205
29.	दिल्ली	22
30.	लक्षद्वीप	-
31.	पांडिचेरी	-
	कुल	640,694

महाराष्ट्र में रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना

976. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ख) किस-किस स्थान पर यह कार्य चल रहा है तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में औरंगाबाद-जालना और परभनी-पर्ली बैजनाथ मीटर लाइन खंडों का बड़ी लाइन में बदला जाना है। इस पर 50.00 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

(ख) उपर्युक्त खंडों के अलावा महाराष्ट्र में निम्नलिखित खंडों पर भी कार्य चल रहा है:—

गोंदिया-चांदाफोर्ट छो०ला० को ब०ला० में बदलना

धौंड-बारामती छो०ला० को ब०ला० में बदलना।

जालना-परभनी मी०ला० को बड़ी लाइन में बलदना।

आदिलाबाद-मुदखेड़-पूर्णा-परभनी मी०ला० को ब०ला० में बदलना।

मिरज-लौंडा मी०ला० को ब०ला० में बदलना।

*(अंशतः महाराष्ट्र में) इन कार्यों का पूरा होना, आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

एड्स रोग की रोकथाम के लिए विधेयक लाना

977. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक्टरों, विधिवेत्ताओं और समाज-विज्ञानियों ने एड्स रोग की रोकथाम के लिए विधेयक लाने के तर्क के संबंध में विभिन्न मत व्यक्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) हमारे देश में ही नहीं वरन् अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी एड्स पर कानून बनाने के मामले में बड़ा मतभेद है।

(ख) सरकार राज्य सभा में एड्स निवारण विधेयक, 1989 पहले ही ला चुकी है। तथापि, व्यापक मतभेद को देखते हुए कथित विधेयक को वापस ले लिया गया। इस समय सरकार का इस विषय पर कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चीनी मिलें

978. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितनी चीनी मिलें हैं और उनमें से कितनी चीनी मिलें वास्तव में चल रही हैं;

(ख) राज्य में रुग्ण चीनी मिलों की संख्या कितनी है;

(ग) इसके फलस्वरूप वार्षिक कुल कितने राजस्व का घाटा हुआ है;

(घ) इन रुग्ण मिलों की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इस कार्य में कितना व्यय होगा तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(च) आठवीं योजना के दौरान राज्य में कितनी चीनी मिलें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) मध्य प्रदेश में 8 चीनी मिलें हैं। 1991-92 मौसम के दौरान इन सभी चीनी मिलों ने कार्य किया है।

(ख) इंडस्ट्रियल एवं फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्हें मध्य प्रदेश की एक रुग्ण चीनी मिल (जीवाजी राव शुगर कंपनी लि०) से संबंधित मामला प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की किसी अन्य चीनी फैक्ट्री की रुग्णता की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) केन्द्र सरकार को राजस्व की सीधे कोई हानि नहीं होती है क्योंकि चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी पर उत्पाद शुल्क/उपकर लगाया जाता/वसूल किया जाता है।

(घ)और(ङ) बी०आई०एफ०आर० ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 (1) के उपबंधों के तहत उक्त चीनी मिल को बंद करने के आदेश पारित कर दिए हैं।

(च) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में नई चीनी मिल की स्थापना के लिए किसी विशेष स्थान का प्रस्ताव नहीं करती है। किसी विशेष स्थान पर नई चीनी मिल लगाने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त होते हैं तदुपरांत उन आवेदन पत्रों पर उस समय लागू लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाता है। 30.6.62 तक मध्य प्रदेश में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। तथापि, पहले जारी किए गए तथा कार्यान्वित न किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए नई चीनी फैक्ट्रियों के प्रस्तावों पर अभी विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मंगलौर-हसन-अरसीकर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

979. **श्री एच॰ डी॰ देवगौडा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय को मंगलौर-हसन-अरसीकर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) आरसीकेरे-हसन-मंगलौर खंड मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन पहले ही रेलवे द्वारा तैयार की गई कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

बोकारो से हावड़ा तक एक्सप्रेस ट्रेन

980. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बोकारो से बारास्ता टुपकड़ी-तालगोरिया हावड़ा तक एक सीधी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगियों और वाणिज्यिक औचित्य की कमी के कारण।

गेहूं का आयात

981. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:**
श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन:
श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव:
श्री फूल चन्द वर्मा:
श्री साइमन मरान्डी:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
कुमारी पुष्पा देवी सिंह:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1992-93 के दौरान देश में खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और दालों) की कमी होने का अनुमान है;

(ख) आज तक देश में खाद्यानों का अनुमानित स्टाक कितना हैं, 1992-93 के दौरान कितना गेहूं पैदा होने का अनुमान है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खपत सहित उक्त अवधि में गेहूं की अनुमानित मांग कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस वर्ष के दौरान सप्लाई में वृद्धि करने के लिए गेहूं का आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो कितना और इसकी प्रति मीट्रिक टन उतराई लागत कितनी है;

(ङ) किन-किन देशों से गेहूं का आयात करने का विचार है; और

(च) विदेश से गेहूं खरीद के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गई है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) और (ख) चूंकि मांग जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार, आय स्तर, वैकल्पिक खाद्य पदार्थों के मूल्यों आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है, इसलिए देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता के बारे में ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। सरकारी एजेन्सियों के पास 1.6.1992 तक अनुमानतः 16.48 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) का स्टाक था। फसल वर्ष 1992-93 (जुलाई-जून) में 183.0 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन करने का लक्ष्य है।

(ग) से (च) सरकार ने 10.05 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए 19 जून, 1992 को कनाडियन व्हीट बोर्ड के साथ ठेका किया है। कनाडा की गेहूं की उतरान लागत 5260/- रु० प्रति मीटरी टन आने का अनुमान है।

'पर्यावरण सुरक्षा से सम्बद्ध रोजगार जुटाना'

982\. **श्री वी० एस० विजयराघवन:**
श्री जार्ज फर्नान्डीज:
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा से सम्बद्ध रोजगार जुटाने की कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार का इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ङ) वनरोपण, वृक्षारोपण और परती भूमि विकास गतिविधियां, जिनसे पर्यावरण में सुधार होता है और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, पहले ही चलाई जा रही हैं। इसके अलावा, आठवीं योजना अवधि में पारिस्थितिकीय बहाली के लिए 'हरियाली' लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु वानिकी वाहिनियों और भूतपूर्व सैनिकों, ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पारि-विकास के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास है। आठवीं योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रेल दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा

983. श्री मोहन रावले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को दिए जाने वाला मुआवजा विमान दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे की सीमा में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) रेलों की तुलना में विमान यात्रियों द्वारा दिया जाने वाला किराया बहुत अधिक होता है और यातायात की मात्रा बहुत कम होती है, इसके अलावा, विमान द्वारा यात्रा करने में जोखिम बहुत अधिक है जबकि रेलों पर जोखिम बहुत कम है.

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता के मामले में, मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये की राशि पर्याप्त समझी जाती है।

महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र की चीनी फैक्ट्रियों को ऋण

984. **श्री अंकुशराव टोपे:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र की 27 नई लाइसेंस प्राप्त चीनी फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य वित्तीय संस्थाओं से धन के अभाव के कारण रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन फैक्ट्रियों को शीघ्र आसान शर्तों पर ऋण दिलाने तथा प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 27 नई सहकारी चीनी फैक्ट्रियों का निर्माण वित्तीय संस्थाओं से धन के अभाव में रुका पड़ा है।

(ख) वित्तीय संस्थाएं इन 27 चीनी फैक्ट्रियों की व्यवहार्यता अनिश्चित होने के कारण उनके ऋण के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं कर रही हैं।

(ग) इन इकाइयों को ऋण प्रदान करने से संबंधित मामला वित्तीय संस्थाओं के साथ चीनी फैक्ट्रियों द्वारा तय किया जाता है। नई प्रोत्साहन योजना तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।

टिकटों की काला बाज़ारी

985. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:**
श्री गुरुदास कामत:
श्री अनन्तराव देशमुख:
श्री मोहन रावले:
श्री सनत कुमार मंडल:
डा० आर मल्लू:

क्या रेल मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1992 को "इण्डियन एक्सप्रेस", नई दिल्ली में "रेलवे रिजर्वेशन-टाऊट्स मेक हेय इन सम्मर रश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है विशेषकर राजधानी में इस धांधली में रेल कर्मचारियों की भूमिका क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली तथा मुम्बई में रेल टिकटों की काला बाजारी करने के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार व दंडित किया गया; और

(घ) दिल्ली, मुम्बई तथा अन्य क्षेत्रों में रेल आरक्षण में व्याप्त कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) राजधानी में, कोई भी रेल कर्मचारी इस घोटाले में संलिप्त नहीं पाया गया है।

(ग) समूचे देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गये दलालों की संख्या और पकड़े गये हस्तांतरित टिकटों की संख्या नीचे दी गयी है:-

वर्ष	दलालों की संख्या	हस्तांतरित टिकटों की संख्या
1989	2335	4325
1990	2927	7036
1991	2269	9153
1992	983	2796
(मई, 1992 तक)		

जाली नामों से आरक्षित रेल टिकटों की बिक्री में संलिप्त पाये गये व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा मुकदमें/दोषसिद्ध के लिए भेजा जाता है।

(घ) रेलवे बोर्ड के विशेष सतर्कता दस्ते सहित सभी क्षेत्रीय रेलों के सतर्कता संगठनों द्वारा समूचे देश में अचानक जांच की जाती हैं तथा छापे मारे जाते हैं। दलालों की गतिविधियों को दबाने और यात्रियों को शिक्षित करने के लिए इन जांचों में बढ़ोत्तरी की जा रही है।

(ii) रेल अधिनियम, 1989 के तहत ऐसे दलालों के लिए जो अवैध रूप से जाली नामों से टिकटें खरीदते हैं और बाद में उन्हें अन्य व्यक्तियों को बेच देते हैं, दण्ड में भारी वृद्धि की गई है।

(iii) समाचार पत्रों, दूरदर्शन, इश्तहारों आदि के माध्यम से जनता को शिक्षित किया जाता है कि वे अनधिकृत व्यक्तियों से टिकटें न खरीदें।

(iv) गर्मियों में भीड़-भाड़ के दौरान और दुर्गा पूजा/दशहरे/दिवाली के अवसरों पर आरक्षण कार्यालयों में कदाचारों की रोकथाम करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार विशेष संगठित अभियान चलाए जाते हैं।

ओज़ोन छिद्र सिद्धान्त

986. **डा॰ आर मल्लू:**

श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रियो में हाल ही में जारी की गई "दि होल्स इन दि ओज़ोन स्केयर" नामक पुस्तक में ओज़ोन छिद्र सिद्धान्त को चुनौती दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों द्वारा इस विषय पर कोई मूल एवम् स्वतंत्र अध्ययन किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) "दि होल्स इन दि ओज़ोन स्केयर" नामक पुस्तक के ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुसंधानकर्ता कई वर्षों से ओज़ोन का अवलोकन और मापन का कार्य कर रहे हैं। इन अनुसंधानों से स्पष्ट होता है कि भारत के ऊपर ओज़ोन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को सहायता

987. श्री के॰ पी॰ रेड्डय्या यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्य-वार दी गई राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 (राज्य-वार) के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण।

संस्थान का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (लाख रुपये में) 1990-91	1991-92
1	2	3	4
(क) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को दी गई वित्तीय सहायता			
1. रोटेरी कैंसर अस्पताल संस्थान, नई दिल्ली	दिल्ली	55.00	30.00
2. गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	गुजरात	20.00	25.00
3. किदवई अर्बुद-विज्ञान स्मारक संस्थान, बंगलूर	कर्नाटक	20.00	25.00
4. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम	केरल	20.00	30.00
5. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	20.00	25.00

1	2	3	4	
6.	क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र एवं उपचार सोसायटी, कटक	उड़ीसा	20.00	—
7.	कैंसर संस्थान, मद्रास	तमिलनाडु	35.00	30.00
8.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	204.70	250.80
			394.70	415.80

(ख) जिला परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता:

1990-91

	जिले का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (लाख रुपये में)
1.	पंचमहल	गुजरात	15.00
2.	धारवाड़	कर्नाटक	15.00
3.	एर्णाकुलम	केरल	15.00
4.	मुरैना	मध्य प्रदेश	15.00
5.	दक्षिण आर्कोट	तमिलनाडु	15.00
6.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	15.00
			90.00

1991-92

	जिले का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (लाख रुपये में)
1.	दिल्ली का पश्चिम जिला	दिल्ली	15.00
2.	चिकमगलूर	कर्नाटक	15.00
3.	धारवाड़	कर्नाटक	10.00
4.	भिंड	मध्य प्रदेश	15.00
5.	बालासोर	उड़ीसा	15.00
6.	चेंगलपट्टु एम जी आर जिला	तमिलनाडु	15.00
7.	दक्षिण आर्कोट	तमिलनाडु	10.00
8.	दक्षिण चौबीस परगना	पश्चिम बंगाल	15.00
9.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	10.00
			120.00

(ग) अर्बुद विद्या की शाखाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता

1990-91

	संस्थान का नाम	राज्य	राशि (लाख रुपए में)
1.	दरभंगा मेडिकल कालेज, लहरियां सराय	बिहार	50.00
2.	क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल	मणिपुर	50.00
			100.00

1991-92

	संस्थान का नाम	राज्य	राशि (लाख रुपए में)
1.	निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	70.00
2.	सिल्चर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, सिल्चर	असम	70.00
3.	राजकीय चिकित्सा कालेज, जम्मू	जम्मू व कश्मीर	70.00
4.	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर	राजस्थान	70.00
5.	बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	70.00
6.	लाला लाजपतराय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ	उत्तर प्रदेश	50.00
7.	नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	70.00
			470.00

(घ) कोबाल्ट चिकित्सा यूनिटों के लिए वित्तीय सहायता

1990-91

	संस्थान का नाम	राज्य	राशि (लाख रुपए में)
1.	राजकीय जनरल अस्पताल, कुरनूल	आन्ध्र प्रदेश	20.00
2.	मेडिकल कालेज अस्पताल, जबलपुर	मध्य प्रदेश	20.00
3.	वी०एस०एस० मेडिकल कालेज, बुरला	उड़ीसा	20.00
4.	मेडिकल कालेज अस्पताल, पटियाला	पंजाब	20.00
5.	कैंसर अस्पताल, अगरतल्ला	त्रिपुरा	20.00
6.	एन०आर०एस० मेडिकल कालेज, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	20.00
			120.00

संस्था का नाम	राज्य	राशि (लाख रु० में)
1991-92		
1. राजकीय जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम	केरल	20.00
2. सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर	राजस्थान	20.00
3. कूच बिहार कैंसर केन्द्र, कूच बिहार	पश्चिम बंगाल	20.00
		60.00
(ङ) स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता		
1. धर्मशिला कैंसर फाउन्डेशन, दिल्ली	दिल्ली	5.00
2. कैंसर केन्द्र एवं कल्याण गृह, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	5.00
		10.00
1991-92		
1. धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन, दिल्ली	दिल्ली	5.00
2. भारतीय कैंसर सोसायटी, दिल्ली	दिल्ली	2.50
3. अश्विनी रूरल कैंसर रिलीफ सोसायटी, शोलापुर	महाराष्ट्र	2.50
4. कैंसर रिलीफ सोसायटी, नागपुर	महाराष्ट्र	2.50
5. लोकमान्य फाउंडेशन, पुणे	महाराष्ट्र	2.50
6. वुमेन्स काउंसिल, गंगटोक	सिक्किम	2.50
7. कैंसर केन्द्र एवं कल्याण गृह, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2.50
		20.00

महिलाओं के विकास के लिये पृथक कोष

988. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिये एक पृथक कोष की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने भी इस दिशा में कोई सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद तथा महिला और बाल विकास विभाग) में मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी): (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास विभाग ग्रामीण और

शहरी क्षेत्रों की निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं को उत्पादन और विकास कार्यों संबंधी ऋण उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष की स्थापना के प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में विश्व बैंक से औपचारिक वार्ता अभी की जानी है।

कायमकुलम-अल्लेप्पी रेल लाइन

989. श्री थाइल जॉन अंजलोज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कायमकुलम-अलेप्पी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे यातायात के लिए कब शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) अति शीघ्र।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय संस्कृति परिषद

990. श्री रूप चन्द पाल:
कुमारी विमला वर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सांस्कृतिक संगठनों तथा व्यक्तियों को अनुदान का भुगतान करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में अखिल भारतीय संस्कृति परिषद की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय संस्कृति नीति का मसौदा तैयार करने की दिशा में पहले कदम के रूप में सरकार ने संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों, समीक्षकों और प्रशासकों के विचार जानने के लिए 1990 में विभिन्न स्थानों पर 10 क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए थे। इन सेमिनारों में जो विचार व्यक्त किए गए, उनमें से एक यह था कि सांस्कृतिक एजेंसियों को वित्तपोषित करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद गठित की जाए। ऐसी परिषद के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक की सहायता

991. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तकनीकी शिक्षा को आधुनिक तथा समुन्नत बनाने हेतु विभिन्न राज्यों को विश्व बैंक से प्राप्त कितनी-कितनी सहायता राशि राज्यवार वितरित की गई है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी कितनी सहायता राशि दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) तकनीशियन (पालिटेक्निक) शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए परियोजनाओं के तहत प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली विश्व बैंक ऋण सहायता की राशि अनुमोदित

परियोजना कार्यकलापों पर खर्च हुई वास्तविक राशि तथा उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिपूर्ति के दावों पर निर्भर करती है। 31.3.1992 तक, प्रत्येक सहभागी राज्यों को दी गई राशि तथा वर्ष 1992-93 के लिए संबंधित राज्यों के बजट में किए गए आवंटनों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की औसत दर, राज्यों द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि का लगभग 83 प्रतिशत है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	31.3.1992 तक प्रतिपूर्ति की गई राशि	राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों के वर्ष 1992-93 के बजट में परियोजना के लिए आवंटन
क.	प्रथम तकनीशियन शिक्षा परियोजना (कार्य आरंभ करने की तारीख 5.12.1990)		
1.	बिहार	1.28	9.67
2.	गुजरात	4.84	19.35
3.	कर्नाटक	0.26	7.00
4.	केरल	3.13	9.00
5.	मध्य प्रदेश	1.91	16.68
6.	उड़ीसा	11.58	7.40
7.	राजस्थान	5.55	12.00
8.	उत्तर प्रदेश	16.50	45.00
ख.	द्वितीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना (कार्य आरंभ करने की तारीख 29.1.1992)		
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.32	8.00
2.	असम	1.38	2.00
3.	हरियाणा	4.36	32.04
4.	हिमाचल प्रदेश	1.10	4.17
5.	महाराष्ट्र	1.72	12.00
6.	पंजाब	—	30.11
7.	तमिलनाडु	3.75	1.75
8.	पश्चिम बंगाल	0.54	6.00
9.	संघ शासित प्रदेश दिल्ली	0.78	2.50

राष्ट्रीय खेल परिसंघों की बैठक

992. **श्री के०वी० तंगकाबालु:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान मंत्रालय और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के बीच कितनी बैठकें हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार बार-बार ऐसी बैठकें आयोजित करने और परिसंघों से नियमित रूप से परामर्श करने का है;

(ग) क्या खेल विभागों तथा परिसंघों के बीच कोई सलाहकार तन्त्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान मंत्रालय, भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन तथा कुछ राष्ट्रीय खेल संघों के बीच लगभग दस औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकें हुई हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की विभिन्न समितियों में विभिन्न राष्ट्रीय संघों के अध्यक्षों को भी शामिल किया गया है, जो नियमित तौर पर मिलते रहते हैं।

(ख) जी, हां। जब कभी अपेक्षित होता है।

(ग) और (घ) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा राष्ट्रीय खेल संघों के मध्य कोई स्थाई परामर्शदात्री मशीनरी नहीं है, परन्तु विशेषकर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दीर्घकालीन विकास योजना तैयार करने के लिए ऐसे विचार-विमर्श निरन्तर होते रहते हैं।

बंगलौर के लिए विशेष रेलगाड़ी

993. **श्री राजेश कुमार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1991 के दौरान बंगलौर के लिए एक विशेष गाड़ी शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या निगमित गाड़ियों के समयों का समायोजन करके विशेष गाड़ी को अन्य गाड़ियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी गयी थी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) दिसम्बर, 1991 में बेंगलूर के लिए एक विशेष गाड़ी चलायी गयी थी।

(ख) भारतीय रेलों पर हर गाड़ी के खर्च का अलग से लेखा नहीं रखा जाता है। उक्त गाड़ी एक विशेष निरीक्षण रेलगाड़ी थी जो विभागीय रेलगाड़ी के रूप में थी।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

आई०सी०एम०आर० की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शाखा के विरुद्ध दायर मुकदमें

994. **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई०सी०एम०आर० की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह/शाखा के कर्मचारियों ने इस राज्य के विरुद्ध अतीत में कुछ मुकदमें दायर किए थे;

(ख) यदि हां, तो दायर किए गए ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी है; और

(ग) मामलों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि पिछले दस वर्षों के दौरान ऐसे नौ मुकदमें दायर किए गए जिनकी प्रतिरक्षा उनके दवारा की गई/की जा रही है।

[अनुवाद]

विशेष क्षेत्र खेल योजना

995. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष क्षेत्र खेल योजना कब आरम्भ की गई थी;

(ख) इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई पुनरीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्य राज्यों में इस योजना को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) विशेष क्षेत्र खेल योजना वर्ष 1985-86 में शुरू की गई थी।

(ख) योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आदिवासी, पहाड़ी ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों से आधुनिक प्रतियोगी खेलों के लिए प्राकृतिक प्रतिभा का पता लगाना और पोषण करना है। योजना के अंतर्गत विशिष्ट खेल विधाओं में उत्कृष्टता के लिए आनुवंशिक या भौगोलिक कारकों की लाभप्रदता वाले क्षेत्रों एवं देशीय खेलों और मार्शल कलाओं से प्रतिभा को टैपिंग करना है।

(ग) जी, हां। एथलेटिक्स, तीरंदाजी और जिम्नास्टिक में प्रतिभा की खोज मध्य प्रदेश और उड़ीसा में तथा हाकी और तीरंदाजी में बिहार में की गई है।

(घ) तीन खेल विधाओं में कुल 45 लड़के और 31 लड़कियों का चयन किया गया है और इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एथलेटिक्स में मूल्यांकन प्रशिक्षण शिविर के लिए मध्य प्रदेश से 12 बच्चों का चयन किया गया है।

(ङ) बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, कर्नाटक, केरल राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब तथा सिक्किम से पहले ही प्रतिभा का पता लगाया और चयन किया जा चुका है। 16 खेल विधाओं में कुल 304 लड़कों तथा 144 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

"पर्यावरण पुरस्कार"

[हिन्दी]

996. श्री मृत्युन्जय नायकः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) अभी तक जिन्हें ये पुरस्कार दिये गये हैं, उनका वर्ष-वार यौरा क्या है और उन्होंने क्या योगदान दिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में 1987 से इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, 1986 से बनरोपण और परती भूमि विकास के क्षेत्र में इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार, 1991 से प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के क्षेत्र में उद्योगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तथा पर्यावरण और 1987 से पर्यावरण एवं इससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक लेखन के लिए पुरस्कार स्कीम शुरू की है।

(ग) इस बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार

क्र॰सं॰	वर्ष	प्राप्तकर्ता का नाम	योगदान का क्षेत्र
1.	1987	बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी बम्बई	प्रकृति शिक्षा अनुसंधान और पर्यावरण का संरक्षण।
2.	1988	केरल शास्त्र साहित्य परिषद, त्रिवेन्द्रम, केरल	पर्यावरणीय मामलों के वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिये पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण सेवा।
3.	1989	समाज परिवर्तन समुदाय, धारवाड़, कर्नाटक	पर्यावरण के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य।
4.	1990	श्री सन्तकुमार बिश्नोई, अबोहर, पंजाब	प्रकृति सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट योगदान।
5.	1991 (व्यक्तिगत)	श्री एस॰ पी॰ गोदरेज, बम्बई	पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा तथा वन्यजीव सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण के लिए योगदान।

1991 (संगठन)	दशोलीग्राम स्वराज्य मण्डल, चमोली, उ॰प्र॰	पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा तथा आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रयास।

2. इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार

1986

क्र॰सं॰	प्राप्तकर्ता का नाम	क्षेत्र
1.	भारतीय एग्रो-इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन	
2.	मुखी "ओ" बीवार बन्धु परिषद्	
3.	सेन्ट्रल बंग मित्रों एसोसियेशन	
4.	केरल शास्त्र साहित्य परिषद्	
5.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची	
6.	स्कूल आफ फण्डामेंटल रिसर्च	
7.	श्री कठपारी काशीनाथ चव्हाण	
8.	डा॰ विष्णु महादेव गोगटे	
9.	श्री अण्णासाहेब हजारे	
10.	श्री मीठालाल मेहता	
11.	श्री टी॰ गोविन्दकुट्टी मेनन	
12.	श्री अनुपम मिश्र	
13.	श्री सुरेन्द्र महादेव मोहनोत	
14.	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी	
15.	श्री गोपाल कृष्ण पंधरी	
16.	श्री विशेश्वर दत्त सकलानी	
17.	श्रीमती सुगता कुमारी	
18.	ग्राम पंचायत भुसताला	
19.	ग्राम पंचायत, कोबीलूर	
20.	रघ्वानी स्कूल, सुसेरा	
21.	फेडरेशन वृक्ष उगाने वालों की सहकारी सोसायटी लिमिटेड	
22.	वृक्षमित्र सहयोग सिंधुदुर्ग	
23.	नगर-निगम विशाखापट्टनम	
24.	कर्नाटक सहकारी भूमि विकास बैंक	
25.	नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि॰	
26.	महिला मंगल दल आफ चमोली	

1987

1.	ग्राम उद्यमी की वानिकी परियोजना चांदमुरे, माझीगढ़, सापोदथा, सेवानगर, इकराझोल, सखीसोले, झारखण्डी और माझीकुड़ी मार्फत अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता	वनरोपण और परती भूमि विकास के क्षेत्र में पायोनियर प्रशंसित कार्य।
	भगवानपुर सामाजिक वानिकी ग्रुप, जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)	
	पनवती ग्राम सामाजिक वानिकी जिला सिंगारेपुर	

क्र०सं०	प्राप्तकर्ता का नाम	क्षेत्र
4.	ताड़गम के वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति, पांडे गोलाना, गुढे, वल्ली और बेनेज मार्फत सन्त जैवियर कालेज, अहमदाबाद (गुजरात)	वनरोपण और परती भूमि विकास के क्षेत्र में पायोनियर प्रवर्तित कार्य
5.	माही की महिला मंडल, गोय कारवाड़ी, पाटेवाड़ी, वाघी, खाण्डवी, ज्वालके, हालगांव—और जलगांव मार्फत डा० रजनीकांत अरोले, जामखड़, महाराष्ट्र।	"
6.	हरेकाला भूमिहीन निर्धन और सीमान्त कृषक विकास सोसायटी मंगलौर (कर्नाटक)	"
7.	डाल्यूं का दगड़्या, मार्फत डिपार्टमेंट आफ इंगलिश यूनिवर्सिटी आफ गढ़वाल, गढ़वाल (यू० पी०)	"
8.	महात्मा गांधी विद्यालय, मार्फत प्रिंसिपल उरली कंचन, पुणे	"
9.	कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत रामकृष्ण आश्रम, दक्षिण 24 परगना (प०बं०)	"
10.	हलपती सेवा संघ, मार्फत श्री अरविन्द देसाई, बारदोली	"
11.	वानिकी बोर्ड, केरल कुरावानकोनम, त्रिवेन्द्रम	"
12.	राष्ट्रीय समन्वित ग्रामीण विकास संस्थान, बम्बई।	"
13.	टारालाबुलू ग्रामीण विकास फाउन्डेशन सिंगेर, चित्रदुर्ग, (कर्नाटक)	"
14.	श्री वैजनाथ भाव दर्शन ट्रस्ट, पटनाजाबी उपवान, आजोड, बड़ौदा	"
15.	श्री अरुण भीमराव निकाम, अध्यापक राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण प्रसार मण्डल, चालीसगांव	"
16.	श्री बेन सौन्स, जी०जी० सौन्स मेमोरियल फार्मर्स एण्ड रूरल एफोरस्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सिरा गेट, टुमकुर।	"
17.	श्री किशोरी मोहन सिंह महापात्र, कुन्दूलिया, तालदांगरा, जिला बंकुरा।	"
18.	श्री वी० एम० मनोहर प्रसाद, गिरिजन काफी डवलपमेंट कारपोरेशन, विशाखापट्टनम।	"
19.	श्री वसंतराव ठाकरे, दुले सहकारी खारेदी बिक्री और प्रक्रिया सोसायटी, दुले।	"
1.	श्री मोहनधारिया, पुणे	वनरोपण और परती भूमि विकास के क्षेत्र में पायोनियर प्रवर्तित कार्य
2.	डा० पी०आर० मिश्रा, डाल्टनगंज	"
3.	काम्प्रिहैंसिव सोशल सर्विस सोसायटी श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश	"
4.	मागरा मेवाड़ विकास संस्थान, अजमेर	"
5.	रेखाडे विद्यालय, नागपुर	"
6.	गर्वनमेंट इण्टर कालेज, चमोली	"
7.	सोशल फारेस्ट्री डिवीजन, सूरत	"
8.	ग्रीन बेल्ट डिवीजन, बंगलौर	"
9.	प्रथावरमापुरम पंचायत तंजावर थानेश्वर, तमिलनाडु	"
10.	सीतारामपुर पंचायत, मिदनापुर, प०बं०	"

क्र॰सं॰	प्राप्तकर्ता का नाम	क्षेत्र
1989		
1.	श्री एम॰ पद्मानाभ रेड्डी, उप वन संरक्षक, सांगारेड्डी (आंध्र प्रदेश)	वनरोपण और परती भूमि विकास के क्षेत्र में पथोनियर प्रवर्तित कार्य
2.	श्री सोनाउल्लाह बनीहाली, राल्लू बनिहाल (जम्मू और कश्मीर)	"
3.	जंगल सुरक्षा समिति सुन्दरगढ़, उड़ीसा	"
4.	श्रीरामपुर ग्राम स्तरीय सुरक्षा समिति माथा वन, पुरुलिया, पं॰बं॰	"
5.	ब्रह्मानन्द महाविद्यालय राथ (हमीरपुर) (उ॰प्र॰)	"
6.	श्री ए॰एम॰एम॰ मुरुगप्पा चेतियार अनुसंधान केन्द्र, थारामणि, मद्रास	"
7.	ग्रामीण शिक्षण सोसायटी, कोथापेट्टा, आंध्र प्रदेश	"
8.	उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, वन विभाग, कनारा सर्किल, धारवाड़	"
9.	हावड़ा सामाजिक वानिकी रेंज हावड़ा	"
10.	128 इन्फेंटरी बटालियन (टेरीटोरियल आर्मी) इकोलाजिकल, मार्फत 56 एपीओ	"
1990		
1.	श्री विनायक राव पाटिल, नासिक	"
2.	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, सरगुजा	"
3.	श्री ए॰के॰ उपाध्याय, उप वन संरक्षक विश्व खाद्य कार्यक्रम, जैसलमेर।	"
4.	ग्राम विकास मण्डल, पिगोट, भड़ौच	"
5.	रखियावल प्राइमरी फार्म फॉरेस्टरी को-ओपरेटिव सोसायटी, राजस्थान	"
6.	तिरुमला तिरुपति देवास्थानम् तिरुपति	"
7.	सामाजिक वानिकी प्रभाग, सम्बलपुर	"
8.	जोरावर विकास मण्डल, उदयपुर	"
9.	जन शिक्षा एवं विकास संगठन, डूंगरपुर	"

क्र॰सं॰	प्राप्तकर्ता का नाम	क्षेत्र
10.	शिव गिरि श्रीनारायण सीनियर सेकेण्डरी स्कूल वरकाला, केरल।	

3. प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए उद्योगों को राष्ट्रीय पुरस्कार

1991

क्र॰सं॰	उद्योग का नाम	योगदान का क्षेत्र
1.	मैसर्स भोपाल पेस्टीसाइड्स प्रा॰ लि॰, भोपाल	प्रत्येक स्रोत पर अतिरिक्त डस्ट कलेक्टर और नेगेटिव एअर सिस्टम लगाकर प्रदूषण के उपशमन के लिए उपाय।
2.	मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट्स लि॰, गुजरात	ठोस अपशिष्ट बनने से रोकने तथा भौतिक, जैविक और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के कारण खनन पर्यावरण को बिगड़ने से रोकने के लिए नए उपाय शुरू किये गये।
3.	मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकल्स, कोटा, राजस्थान	अपशिष्ट सामग्री का उपयुक्त उपयोग और पुनः प्रयोग तथा क्षेत्र में टाॅप सायल के तौर पर फ्लाई ऐश को उपयोग में लाकर चट्टानों के ऊपर हरियाली लाना।
4.	मैसर्स श्री रायल सीमा एल्केलीज एण्ड एलाइड कैमिकल्स लि॰, कुरनूल, आंध्र प्रदेश।	कास्टिक सोडा निर्माण के लिए पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ प्रौद्योगिकी का चयन और ठोस अपशिष्टों के उत्पादन में कमी लाने के लिए कूड़े-कचरे से गौण उत्पाद के तौर पर बेरियम सल्फेट प्राप्त करने की पद्धति का विकास

4. हिन्दी में मौलिक लेखन के लिए पुरस्कार योजना

1987

क्र॰सं॰	प्राप्त करने वाले का नाम	हिन्दी में पुस्तक
1.	श्री वीरेन्द्र चन्द्र सरकारी सेवा, लखनऊ और श्री नरेश चन्द्र सरकारी सेवा, लखनऊ	ऊतर भूमि पर वृक्षारोपण
2.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा सरकारी सेवा, दिल्ली और श्रीमती मृदुला गर्ग गृहिणी, दिल्ली।	प्रदूषण कारण और निवारण
3.	श्री घनश्याम सक्सेना सरकारी सेवा, भोपाल	जंगल और जिन्दगी
4.	श्री एम॰एम॰ हुसैन सरकारी सेवा, भोपाल	वन्यप्राणि प्रसंग

क्र०सं०	प्राप्त करने वाले का नाम	हिन्दी में पुस्तक
1988		
1.	श्री राजीव गर्ग, व्यक्तिगत, दिल्ली।	पर्यावरण और हम
2.	डा० सुरेश चन्द्र सरकारी सेवा, कानपुर	पर्यावरण और प्रदूषण एवं मानव स्वास्थ्य
3.	डा० एम० ए० हक पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली	जल रदूषण एवं नियंत्रण
1989		
1.	डा० जगदीश सिंह सरकारी सेवा, गोरखपुर	वातावरण नियोजन एवं विकास
2.	श्री धर्मवीर कपिल, वन अधिकारी, भोपाल	वन्यप्राणि संरक्षण एवं प्रबन्ध तकनीक
3.	श्री दिलीप कुमार मार्कण्डेय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली एवं श्रीमती नीलिमा राजवैद्य गृहणी, दिल्ली।	परिचयात्मक पर्यावरण— एक सामान्य विश्लेषण
	श्री श्याम सुन्दर शर्मा सरकारी सेवा, नई दिल्ली एवं डा० अशोक कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली	प्रवासी जीव-जन्तु
1990		
1.	श्री हरीशचन्द्र व्यास व्यक्तिगत, बीकानेर और श्री कैलाशचन्द्र व्यास व्यक्तिगत, बीकानेर	जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण
2.	श्री शक्ति कुमार त्रिवेदी सेवानिवृत्त, सरकारी सेवा, भरतपुर।	जीवों का संसार अनोखा
3.	डा० राजेश्वरी प्रसाद चंदोला सेवानिवृत्त, सरकारी सेवा, जयपुर।	आज धरती रोती है

[अनुवाद]

"एड्स के रोगियों की देखभाल

997. **श्री प्रतापराव बी॰ भोंसले:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौलाना आजाद मेडीकल अस्पताल ने अपने सम्बद्ध अस्पतालों को एड्स पैदा करने वाले "ह्यूमन इम्यूनों डेफीसिएन्सी वायरस" संबंधी मामलों को ठीक से देखभाल करने हेतु कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अन्य अस्पतालों को भी इसी प्रकार के दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) एच-आई-वी॰ संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं को सूचना प्रदान करने के लिए मौलाना आजाद मेडिकल कालेज द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं और रोगियों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं।

(ग) भारत सरकार ने 1988 में अस्पताल से प्राप्त किए गए संक्रमण के नियंत्रण पर दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं तथा एच आई वी संक्रमण की रोकथाम के लिए 1989 और 1990 में उनकी समीक्षा की गई और उनमें संशोधन किया गया। 1992 में, अस्पताल द्वारा एच आई वी संक्रमण सहित प्राप्त किए गए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी अस्पतालों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) इन दिशा-निर्देशों में निर्जीवाणुकरण, विसंक्रमण, अस्पताल के अपशिष्टों (अभिकर्मक, रसायन, आदि) का निपटान करने एवं फेंकने से संबंधित अध्याय शामिल हैं। प्रयोग के बाद विसर्जनीय पदार्थों को फेंकने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ क्रियाविधियों को उच्च जोखिम वाली क्रियाविधियों के रुप में स्वीकार किया गया है तथा इन क्रियाविधियों का पालन करने संबंधी विस्तृत जानकारी दिशा-निर्देशों में दी गई है। अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों के उपचार एवं नियंत्रण पर जोर दिया गया है तथा उनके लिए कार्य ढांचा बतलाया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रेल-परियोजनाएं

998. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रेषित किए गए नए रेल प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन प्रस्तावों में खाम-गांव-जालना रेल-मार्ग को भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) नई लाइनों/आमान परिवर्तनों के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव इस प्रकार है:—

आमान परिवर्तन

1. मनमाड-औरंगाबाद मी०ला० का ब०ला० में बदलाव तथा उसके बाद इसे परली वैजनाथ और आदिलाबाद तक बढ़ाना।

2. लातूर-बार्सी-पंढरपुर-मिरज छो०ला० का आमान परिवर्तन तथा लातुर रोड़ तक बढ़ाना तथा उस्मानाबाद को इस लाइन से जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन बिछाना।

3. चन्द्रपुर फोर्ट-गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।

4. दौंड़-बारामती-छो०ला० का बड़ी लाइन में आमान पविरर्तन।

5. यावतमल-मूर्तीजापुर-अचलपुर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन।

नई लाइनें

1. खामगांव से जालना तक नयी बड़ी लाइन।

2. अहमदनगर-बीर-पर्ली-वैजनाथ नयी बड़ी लाइन।

3. वर्धा-यावतमल-पुसाद-नांदेड रेलवे लाइन का निर्माण।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की तंगी तथा जैसा कि किये गये सर्वेक्षण से पता चला था, खामगांव-जालना परियोजना की अलाभप्रदता।

नई दिल्ली और लखनऊ के बीच नई रेलगाड़ी

999. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बरास्ता मुरादाबाद, नई दिल्ली और लखनऊ के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को कब से उपलब्ध किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) नई गाड़ियों का चलाया जाना एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता हो, परन्तु इसे योजनावार अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।

इस समय मुरादाबाद के रास्ते नई दिल्ली और लखनऊ के बीच नई गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान"

1000. **डा॰ रमेश चन्द्र तोमर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अधीन एक संस्थान है, जिसकी स्थापना जोधपुर में अप्रैल, 1988 के दौरान की गई थी।

संस्थान का मुख्य उद्देश्य, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा तथा पंजाब के कुछ हिस्सों से संबंधित वन तथा वानिकी समस्याओं की सामान्य अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देश के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों को हरा भरा बनाने पर अनुसंधान करना है तथा अरावली पहाड़ियों में पारिस्थितिकी बहाली, शुष्क भू-भागों के लिये एग्री पोस्टोरल पैकेजिंग का विकास तथा उच्च वनों में प्राकृतिक पुनर्जनन पर अनुसंधान करना है।

इस समय संस्थान प्रयोगात्मक क्षेत्रों और अपनी इमारत के विकास की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

[हिन्दी]

दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत बंकरकुडी में नया स्टेशन बनाना

1001. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यात्रियों की सुविधा के लिए नये रेलवे स्टेशन बनाने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत टाटा-बरकाकाना सेक्शन पर बंकरकुडी गांव में रेलवे स्टेशन बनाने हेतु जनता से कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) सामान्यतः किसी नए स्टेशन के खोलने के संबंध में तभी विचार किया जाता है जब परिचालनिक और इंजीनियरी, दोनो दृष्टिकोणों से ऐसा करना वित्तीय तौर पर औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक हो।

(ख) से (घ) तिरूलडीह और लतेमदा स्टेशनों के बीच बंकरकुडी में हाल्ट खोलने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसकी जांच की गई है लेकिन इसे न तो वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम पाया गया और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया।

[अनुवाद]

विदेशों द्वारा निर्वासित किए गए भारतीय

1002. **श्री हरि किशोर सिंहः** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीय लोगों को विभिन्न विदेशी सरकारों द्वारा उनके एच॰ आई॰ वी॰ पॉजिटिव पाए जाने के कारण निर्वासित किया गया है; और

(ख) देश में इस प्रकार के लोगों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी कौन है और यदि संघ तथा राज्य सरकारों के बीच इसके लिए कोई समन्वय तंत्र हो तो वह क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ ताराद्देवी सिद्धार्थ): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 14 भारतीयों को उनके एच॰आई॰वी॰ पॉजिटिव पाए जाने पर, विभिन्न विदेशी सरकारों द्वारा निर्वासित किया गया है।

(ख) निर्वासित किए गए व्यक्तियों सहित एड्स से संक्रमित भारतीयों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका इस वर्ष अप्रैल से विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वयन किया जा रहा है, में एच॰आई॰वी॰ से संक्रमित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए 'परामर्श' प्रदान करने सहित 'सूचना शिक्षा और संचार' कार्यनीति का घटक सम्मिलित है।

"दूषित भू-जल"

1003. **डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेयः**
श्री सनत कुमार मंडलः

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के उन स्थलों का पता लगा लिया है, जहां पर औद्योगिक प्रदूषण के कारण भू-जल दूषित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में भूमिगत जल की मानीटरिंग की है। विश्लेषण के नतीजों से औद्योगिक केन्द्रों के आस-पास के क्षेत्रों में जल-संदूषण होने का पता चला है।

(ग) भूमिगत जल के प्रदूषण को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने उद्योगों को निर्धारित बहिःस्राव मानकों का अनुपालन करने का निदेश दिया है।

(2) पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

(3) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों की संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(4) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को देश के अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में भूमिगत जल की गुणवत्ता का मानीटर करने के लिए कहा गया है।

भारतीय रेल निर्माण कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

1004. **डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में देश-वार और राज्य-वार और देश के भीतर भारतीय रेल निर्माण कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेशों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं से लाभ हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना-वार इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय पूरी की जा रही परियोजनाओं और 1991-92 के दौरान शुरु की गई परियोजनाओं की संख्या क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) इस समय इरकान विदेशों में 14 परियोजनायें निष्पादित कर रही है। देशवार ब्यौरा इस प्रकार है:—

सऊदी अरब	1
बांग्लादेश	3
इराक	1
मलेशिया	5
तुर्की	1
इंडोनेशिया	2
नेपाल	1

इस समय यह कनपनी भारत में 46 परियोजनायें निष्पादित कर रही है। कुछ परियोजनायें एकाधिक राज्यों में फैली हुई हैं। राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91, जिसके खातों को अंतिम रूप दे दिया गया है, के दौरान विदेशी परियोजनाओं से अर्जित लाभ की राशि लगभग 5.82 करोड़ रुपये है।

(घ) दो विदेशी परियोजनाओं के 1992-93 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है और तीन परियोजनायें .991-92 में शुरू की गई हैं।

ठेकदारी प्रथा समाप्त करना

1005. **डा॰ सुधीर राय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलमार्गों के रखरखाव/मरम्मत ठेके उन ठेकेदार को दिये जाते हैं जो इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण रेल दुर्घटनायें होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को स्वयं विभाग द्वारा न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे ठेके प्राइवेट ठेकेदारों को दिये जाने की प्रथा को बंद करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) नीति विषयक मामले के रूप में, परम्परागत रूप से विभागीय तौर पर किये जाने वाले नियमित रेलपथ अनुरक्षण से संबंधित कोई मद ठेकेदारों को नहीं सौंपी

जाती है। गिट्टियों की छंटाई और रेलपथ नवीकरण जैसे आकस्मिक किस्म के कार्य ही ठेके पर दिये जाते हैं। ऐसे कार्यों को ठेकों के माध्यम से कराते समय, गुणवत्ता और संरक्षा पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथी और यूनानी मेडिकल कालेज

1006. **श्रीमती भावना चिखलिया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा कालेजों की राज्यवार संख्या तथा ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें से गैर सरकारी चिकित्सा कालेजों समेत कितने कालेज मान्यता प्राप्त हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ ताराकेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पहली अप्रैल, 1990 को होम्योपैथी और यूनानी कालेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है। ये सभी कालेज संबंधित विश्वविद्यालयों/राज्य बोर्डों परिषदों से सम्बद्ध हैं।

विवरण—I

देश में होम्योपेथी मेडिकल कालेजों का राज्यवार विवरण—1990

कालेज का नाम और पता	सम्बद्ध
आन्ध्र प्रदेश	
1. जे॰एस॰पी॰एस॰ राजकीय होम्यो मेडिकल कालेज, रामनाथपुर, हैदराबाद-50013	यूनिवर्सिटी आॅफ हेल्थ साइंस, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश
2. डा॰ गुरूराजू राजकीय होम्योपेथिक मेडिकल कालेज, घोविंगा, जिला-कृष्णा 521301	—तदेव—
3. राजकीय होम्योपेथिक मेडिकल कालेज, 2/412-डी, नेहरू नगर, शंकरपुरम कुडप्पा-516002	—तदेव—
4. डा॰ अुल रामलिंगय्या होम्योपेथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल नजदीक "वाई" जेकशन, डारे नं॰ 26.1.11 राजमुन्दरी, जिला-पूर्वी गोदावरी	यूनिवर्सिटी आॅफ हेल्थ साइंस, विजयवाड़ा
असम	
5. असम होमियोपेथिक मेडिकल कालेज लखीनगर, हैदरगाँव-782002 जिला नौगांव	होमियोपेथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, असम
6. डा॰ जे॰ के॰ सैकिया होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, जोरहाट रोड, पो॰ सिनापाड़ा, जोरहाट-785-009	—तदेव—

कालेज का नाम और पता	सम्बद्ध
7. शहीद जादव नाथ होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, खानपाड़ा, गुवाहाटी-781022	होमियोपेथी चिकिसा पद्धति बोर्ड, असम
बिहार	
8. आर०बी०टी०एस० राजकीय होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर-840002	बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
9. दि सिन्हा होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, लहेरिया सराय, जिला-दरभंगा	—तदेव—
10. कीर्ति नाथ हनिमेनियन होमियोथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मायागंज, भागलपुर	—तदेव—
11. सिंहभूम होमियोपेथिक मेडिकल कालेज कालेज एवं हास्पिटल, जमशेदपुर	—तदेव—
12. दि होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मिहीजय, संथाल परगना-815754	—तदेव—
13. दि टेम्पल आफ हनिमेन होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मुंगेर	—तदेव—
14. मुजफ्फरपुर होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल मुजफ्फरपुर, खाबरा	—तदेव—
15. सरन होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, छपरा, जिला-सारण-841301	—तदेव—
16. योगोडा स्टींगा होमियोपेथिक महाविद्यालय, घुर्वा, रांची-803101	—तदेव—
17. मगधा होमियोपेथिक मडिकल कालेज, स्टेशन रोड, बिहारशरीफ, नालंदा-803101	—तदेव—
18. गया होमियोपेथिक मेडिकल कालेज हास्पिटल, पो० आश्रम वाया बोधगया, जिला-गया	—तदेव—

कालेज का नाम और पता	सम्बद्ध
गुजरात	
19. आनन्द होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इनस्टिट्यूट भरेज रोड, नजदीक सरदार बाग, आनन्द-388001 जिला-खेड़ा	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बल्लभ विद्यानगर
20. गुजरात होमियोपेथिक मेडिकल कालेज सावली-39177 जिला-बड़ौदा	होमियोपेथिक चिकित्सा पद्धति परिषद गुजरात राज्य, अहमदाबाद
21. होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल पालसन बिल्डिंग, पो० एवं स्थान आनन्द, जिला-खेड़ा, आनन्द-388001	—तदेव—
22. श्रीमती अमृतबेन जयंतीलाल सावलो होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एवं रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पो० जवाहर सोसाइटी मेघपाड़ा मेहसाणा-384002	—तदेव—
23. चन्द्रावतीबेन धनसुखलाल, पच्छीगढ़ कालेज और होमियोपेथिक कालेज, सूरत-395001	—तदेव—
24. राजकीय होमियोपेथिक कालेज, नं० 867, चोरर रोड पश्चिम, राजाजीनगर, बंगलौर-560086	बंगलौर विश्वविद्यालय
25. हैदराबाद कर्नाटक एजूकेशन सोसाइटी होमियोपेथिक मेडिकल कालेज गुलबर्गा-585105	गुलबर्गा विश्वविद्यालय
26. फ़्रै० मुलर्स होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, पो० बाक्स 501 कन्कनाड़ी मंगलौर-575002 जिला-दक्षिण कनारा	मंगलौर विश्वविद्यालय
27. ए०एम० शेख होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, नेहरु नगर, बेलगाम-590012	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
28. कर्नाटक होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, कार्पोरेशन बिल्डिंग, गणेश पेठ, हुबली-580021	—तदेव—
29. भारतेश होमियोपेथिक मेडिकल कालेज धारवाड़ रोड़, बेलगांव-590016	—तदेव—

कालेज का नाम और पता	सम्बद्ध
30. मराठा मण्डल होमियोपेथिक मेडिकल कालेज 1007, मालमारूति एक्सटेंशन, परेड ग्राउंड बेलगांव	—कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
31. मौलाना आजाद होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हाई लैंड आनन्द नगर रोड, ओल्ड हुबली जिला-धारवाड़	—तदेव—
केरल	
32. राजकीय होमियोपेथिक मेडिकल कालेज इशनिमुट्टन, तिरूवनन्तपुरम-695009	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनन्तपुरम
33. राजकीय होमियोपेथिक मेडिकल कालेज करारम्बा, कालीकट-673010 जिला-कोझीकोड	कालीकट विश्वविद्यालय
34. श्री वैद्यधीरज होमियोपेथिक कालेज पो० नेमोम, तिरूवनन्तपुरम-695020	होमियोपेथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा परीक्षक बोर्ड, केरल
35. अतुरारामय ए०एस०एस० होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, सचिवथनापुरम पी०ओ० कोटायाम-686532	—तदेव—
36. डा० पडियार मेमोरियल होमियोपेथिक मेडिकल कालेज चोत्तनिकारा-682312	—तदेव—
37. वसुंधरा राजे होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, जनकगंज, लश्कर ग्वालियर-474001	राज्य होमियोपेथिक चिकित्सा परिषद, भोपाल
38. स्वामी प्रेमानन्द होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मेओगेट, छत्तरपुर-471001,	—तदेव—
39. कमला नेहरु होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, जबलपुर-482001	मध्य प्रदेश राज्य होमियोपेथीक परिषद, भोपाल
40. लालबहादुर शास्त्री होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल नजदीक पोस्ट आफिस, जिन्सी जहांगीराबाद, भोपाल-462008	—तदेव—
41. पंडित रवि शंकर शुक्ल स्मारक होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, 102 कादव घाट, इंदौर-452002	—तदेव—
42. रानीपुर होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल रामकुंड, नजदीकसीतला मंदिर, चौबे कालोनी रायपुर-492001	—तदैव—
43. जिला होमियोपेथिक मेडिकल कालेज 10/2, न्यू रोड, रतलाम-457001	—तदेव—

कालेज का नाम और पता	सम्बद्ध
44. हनीमंन होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हासिपटल, इकबाल मैदान के पास भोपाल-402001	मध्य प्रदेश राज्य होम्योपेथी परिषद् भोपाल
महाराष्ट्र	
45. नागपुर कालेज आफ होमियोपेथी एण्ड बायोकेमिस्ट्री एण्ड हास्पिटल, नागपुर-440009	बम्बई विश्वविद्यालय
46. श्रीमती चन्दाबेन मेहरभाई पटेल होमियोपेथिक मेडिकल कालेज नटाकर, बिले पारले, बम्बई-400056	बम्बई विश्वविद्यालय
47. धोंडुमाने साठे होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एफ पी नं० 23, पुणे	पुणे विश्वविद्यालय
48. पी ई सी टी होमियोपेथिक मेडिकल कालेज ताराराणी चौक, कोल्हापुर-416003	शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर
49. वेनुताई यशवन्तराव चह्वाण मेडिकल कालेज, दोसारा चौक, कोल्हापुर-416002	—तदेव—
50. आन्ध्र शिक्षण संस्थान सोनाजीराव क्षीरसागर होमियोपेथिक कालेज, वर्षी रोड-बीड-431122	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगावाद
51. श्री भगवान होमियोपेथिक मेडिकल कालेज़, सी आई डी सी ओ०, एन-6, औरंगाबाद-431001	मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद
52. पुर्षेत्तक भाई चह्वाण मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, चन्द्रपुर-442402	नागपुर विश्वविद्यालय
53. लोकमान्य मेडिकल फाउंडेशन, होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, चिंचवाड, पुणे-411033	पूना विश्वविद्यालय
54. काका साहेब मास्के होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, पुणे	—तदेव—
55. श्री जनता होमियोपेथिक मेडिकल कालेज फ्रेंड कालोनी टावर जठरपेठ रोड, अकोला	महाराष्ट्र होमियोपेथी परिषद बम्बई-1
56. होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, केलानगर, खामगांव, जिला-बुलडाना-444303	—तदेव—
57. तखमल श्रीवल्लभ होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, राजपेठ, अमरावती-444606	—तदेव—
58. स्टेट होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एकोट रोड, अकोला-444001	—तदेव—

कालेज का नाम और पता	सम्बद्ध
59. किसान उनयनोदलय मण्डल गुढे संचालित होमियोपेथिक मेडिकल कालेज सीरपुर-425405 जिला-धुले	-तदेव-
उड़ीसा	
60. डा० अभिन्न चन्द्र होमियोपेथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल करावली नगर यूनिट-जी, भुवनेश्वर-751001 जिला-पुरी	उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर
61. मयूरभंज होमियोपेथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल बरीपाड़ा, जिला-मयूरभंज पिन-757001.	-तदेव-
62, सहकारी होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, बेरहमपुर-760001 गंजाम	बरहमपुर विश्वविद्यालय
63. उत्कलमणि होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, बंगला नं०-7 सैक्टर-3, राउरकेला-7690 जिला-सुंदरगढ़	सम्भलपुर विश्वविद्यालय
64. उड़ीसा होमियोपेथिक और अनुसंधान कालेज सम्भलपुर	-तदेव-
65. कटक होमियोपेथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल, विद्याधरपुर, डाक-नयाबाजार कटक-753004	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
पंजाब	
66. भगवान महावीर होमियोपेथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल किचलू नगर के सामने, लुधियाना-141001	होमियोपेथिक चिकित्सा पद्धति परिषद, पंजाब, चंडीगढ़
67. होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, गली नं०-6 पटेल नगर अबोहर-152110 जिला-फीरोजपुर	-तदेव-
राजस्थान	
68. डा० मदन प्रताप खुंटाटा, राजस्थान होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, अस्पताल और अनुसंधान स्टेशन रोड़, वनस्थली मार्ग जयपुर-302006	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
69. युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होमियोपेथिक मेडिकल कालेज, शिवाजी पार्क, अलवर	राजस्थान होमियोपेथिक बोर्ड, जयपुर
70. भारतीय होमियोपेथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल, 8-नारायण गेट, भरतपुर-321001	-तदेव-
तमिलनाडु	
71. राजकीय होमियोपेथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल तिरूमंगलम-626706 जिला-मदुरै	डा० एम०जी० आर० मेडिकल विश्वविद्यालय, मद्रास

कालेज का नाम और पता	सम्बद्ध
72. द व्हाइट मेमोरियल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज अत्तूर, कन्याकुमारी-629191	तमिलनाडु होमियोपैथिक परिषद
उत्तर प्रदेश	
73. राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होमियोपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल, 24 चेथम लाइंस, इलाहाबाद-211002	आगरा विश्वविद्यालय
74. राष्ट्रीय होमियोपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल, 1, छावनी रोड़, लखनऊ-226001	-तदेव-
75. राजकीय गाजीपुर होमियोपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल गाजीपुर-233001	-तदेव-
76. कानपुर होमियोपैथिक मेडिकल कालेज जी॰ एन॰ के॰ भवन, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001	-तदेव-
77. स्टेट के॰जी॰के॰ होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, मुरादाबाद-244001	आगरा विश्वविद्यालय
78. स्टेट होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल 2, नबीउल्ला रोड़, लखनऊ-22608	-तदेव-
79. स्टेट होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल टिगरी, बिजनौर-245762	-तदेव-
80. राजकीय श्री दुर्गाजी होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड अस्पताल, चन्देसर, आजमगढ़	-तदेव-
81. स्टेट डा॰ वृज किशोर होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, फैजाबाद-224001	-तदेव-
82. स्टेट तिलकधारी होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, जौनपुर-222002	-तदेव-
पश्चिम बंगाल	
83. दि कलकत्ता होमियोपैथिक मेडिकल कालेज 265-266, आचार्य प्रफुल्ल चन्द रोड़, कलकत्ता-700009	कलकत्ता विश्वविद्यालय
84. डी॰एन॰ डे होमियोपैथिक मेडिकल कालेज अस्पताल, 12 जी॰के॰ रोड़, कलकत्ता-700046	-तदेव-
85. महेश भट्टाचार्या होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, 1, जी॰टी॰ रोड (दक्षिण), हावड़ा-711101	कलकत्ता विश्वविद्यालय
86. मिदनापुर होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मिदनापुर-721001	-तदेव-

कालेज का नाम और पता	सम्बद्ध
87. प्रताप चन्द्र मेमोरियल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल 14/1, नोरकेलडांगा नार्थ रोड, कलकत्ता-700011.	पश्चिम बंगाल होमियोपैथिक, चिकित्सा परिषद, कलकत्ता
88. खड़गपुर होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एड हास्पिटल, कौशल्या, पोस्ट ऑफिस खड़गपुर, जिला मिदनापुर-721301.	-तदेव-
89. मेटरोपोलिटन होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, 77 तथा 160, विपिन बिहारी गांगुलि स्ट्रीट कलकत्ता-700012	-तदेव-
90. बीरभूम विवेकानन्द होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सैंथिया, जिला बीरभूम-731234	-तदेव-
91. बर्दवान होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पो॰ नटागंज, जिला बर्दवान-713102	-तदेव-
92. डी॰ एन॰ डे होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, 63 आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता-700009.	-तदेव-
93. बंगाल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, आसनसोल, जिला बर्दवान-713301	-तदेव-
94. राष्ट्रीय होमियोपैथिक संस्थान, ब्लॉक जी ई, सैक्टर-III, विधाननगर, कलकत्ता-700091	कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी एच एम एस पाठ्यक्रम
दिल्ली	
95. नहेरू होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024.	होमियोपैथिक चिकितसा बोर्ड, दिल्ली
96. डा॰ बी॰ आर॰ सूर होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मोतीबाग, नई दिल्ली-110021.	-तदेव-
चंडीगढ़	
97. होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, एम-671, सैक्टर 26, चंडीगढ़-160019.	पंजाब होमियोपैथिक परिषद्, चंडीगढ़

विवरण-2

देश में राज्यवार यूनानी मेडिकल कालेज

कालेज का नाम और पता		सं०
1		2
आंध्र रदेश		
1.	राजकीय निज़ामिया तिब्बी कालेज, चारमीनार, हैदराबाद-500002.	युनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांइस, विजयवाड़ा
2.	डा० अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कालेज और अस्पताल, पार्क रोड, कुरनूल-518001.	एस० वी० विश्वविद्यालय, तिरूपति
बिहार		
3.	राजकीय तिब्बी कालेज, कदम कुआं, पटना-800003.	बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
4.	जेड० एच० यूनानी मेडिकल कालेज और अस्पताल, सिवान, पोस्ट बाक्स नं०-12 सिवान-841226.	-तदेव-
5.	सल्फिया यूनानी मेडिकल कालेज और अस्पताल, लहरसराय, दरभंगा	-तदेव-
6.	निजामिया यूनानी मेडिकल कालेज और अस्पताल, गया	-तदेव-
कर्नाटक		
7.	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, नं० 26, रेड क्रास सोसाइटी भवन, रेस कोर्स रोड़, बंगलौर - 560001.	इंडियन बंगलौर विश्वविद्यालय
मध्य प्रदेश		
8.	सेफिया हमीडिया तिब्बिया कालेज गणपति नाका के पास, बुरहानपुर जिला-खाण्डवा-450331.	डा० एच० एस० गौड़ विश्वविद्यालय
महाराष्ट्र		
9.	तिब्बिया कालेज और अस्पताल (यूनानी मेडिकल कालेज) बेतुल अमान हज़रत मोहानी चौक नगापाड़ा, बम्बई-400008	बम्बई विश्वविद्यालय
10.	मोहम्मदिया तिब्बिया कालेज और अस्सयर अस्पताल (यूनानी मेडिकल कालेज) पोस्ट बाक्स नं० 128 मामसूरा, मालेगांव जिला-नासिक	पुणे विश्वविद्यालय

1	2
11. यूनानी मेडिकल कालेज और अस्पताल, 'के० बी० हिदायतुल्ला रोड़ नया मोदीखाना, एंग्लो उर्दू हाई स्कूल परिसर नागपुर विश्वविद्यालय **पूणे-411001.**	-तदेव-
12. जामिया अरबिया रशिदिया ताज तिब्बिया कालेज और रशिदिया अस्पताल, जामिया अरबिया रशीद नगर, नाल साहेब रोड़, **नागपुर-18.**	नागपुर विश्वविद्यालय
राजस्थान	
13. राजथान यूनानी मेडिकल कालेज हांडीपुरा, XII/ 4636, जगन्नाथ शाह का रास्ता, **जयपुर-302002.**	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
14. राजपूताना यूनानी तिब्बिया कालेज, शाहखान, **जयपुर-302002.**	राज्य सरकार की परिक्षा निकाय
15. जुबेरिया यूनानी कालेज जालौन गेट बाडी, **जोधपुर-342001.**	-तदेव-
तमिलनाडु	
16. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज अरिग्नार अन्ना राजकीय भारतीय धिकित्सा अस्पताल परिसर अरूम्बाक्कम, **मद्रास-600106.**	डा० एम० जी० आर० मेडिकल विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश	
17. तक्मिल-उत्-तिब कालेज अब्दुल अमीज रोड़ झवाई टोला, **लखनऊ-226003.**	कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर
18. यूनानी मेडिकल कालेज, हिम्मतगंज, **इलाहाबाद**	-तदेव-
19. अजमल खान तिब्बिया कालेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय **अलीगढ़**	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
दिल्ली	
20. आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कालेज, करोल बाग, **नई दिल्ली-110005.**	दिल्ली विश्वविद्यालय
21. हमदर्द तिब्बिया कालेज जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, **नई दिल्ली-110062.**	जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, दिल्ली

पंजाब में परिवार कल्याण केन्द्र

1007. **श्री कमल चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में इस समय परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ ताराादेवी सिद्धार्थ): (क) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार पंजाब राज्य में 5306 केंद्रों के एक ढांचे द्वारा परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य चौकियां, प्रसवोत्तर केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र शामिल हैं।

(ख) पंजाब राज्य में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान किए गए नसबंदी ऑपरेशनों की कुल संख्या क्रमशः 92,021 और 85,502 (अनन्तिम) है।

राजकोट-वेरावल रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1008. **श्री हरिन पाठक**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजकोट-वेरावल छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने और उसे कोडीनार तक बढ़ाये जाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और इस परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) राजकोट-वेरावल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को आमान परिवर्तन की कार्य योजना में शामिल किया गया है जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु किया जाएगा, उसी समय इसे कोडिनार तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

(ख) संसद द्वारा रेल बजट में कार्य को स्वीकृति देने के बाद ही बजट आवंटन किया जा सकता है। कार्य का पूरा होना उस समय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

क्विलोन-त्रिवेंद्रम रेल लाइन

1009. **श्रीमती सुशीला गोपालन**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्विलोन-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन कर्मियों द्वारा चन्दन की लकड़ियों का पकड़ा जाना

1010. **श्री पी॰ एम॰ सईद**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन माह के दौरान वन कर्मियों द्वारा चन्दन की कितनी मात्रा में लकड़ियां पकड़ी गई;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या क्या है और इसमें कितने लोग पकड़े गए; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पुरुलिया-हावड़ा एक्सप्रेस को फास्ट पैसेंजर रेल गाड़ी में बदलना

1011. **श्री बीरसिंह महतो**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुरुलिया-हावड़ा एक्सप्रेस को फास्ट पैसेंजर रेलगाड़ी में बदलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मनत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिन्धु दुर्ग में नेहरू युवक केन्द्र

1012. **श्री सुधीर सावंत**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिन्धु दुर्ग जिले में नेहरू युवक केन्द्र की कितनी इकाइयां हैं;

(ख) क्या सिन्धु दुर्ग में नेहरू युवक केन्द्र की इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) सिन्धु दुर्ग जिले में कोई नेहरू युवा केन्द्र नहीं है।

(ख) और (ग) नीति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिन्धु दुर्ग जिले में एक नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

फेरोक रेल-पुल

1013. **श्री के० मुरलीधरन**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के फेरोक रेल पुल का निर्माण कार्य पूरा करने का क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है; और

(ख) परियोजना की अनुमानित कुल लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) फेरोक पुल को जून, 1993 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) कार्य की स्वीकृत लागत 5.96 करोड़ रुपये है।

युवा मामलों और खेलों के लिए वित्तीय आवंटन

1014. **श्री अनन्तराव देशमुख**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान युवा कार्य और खेल-कूद विभाग के लिए कितनी वित्तीय राशि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या चालू योजना में खेल-कूद क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में कोई कमी की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के लिए 112.80 करोड़ रुपये (योजनागत 74 करोड़ रुपये और योजनेत्तर 38.80 करोड़ रुपये) का आवंटन किया गया है।

(ख) जी, हां। 1991-92 की तुलना में खेल क्षेत्र के लिए योजनागत बजट में 12.10 करोड़ रुपये की कमी की गई है।

यह कमी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए राशि की कमी की अपेक्षाकृत राज्य क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के अनुरूप तथा युवा क्षेत्र कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त आवंटन करने की वजह से हुई है।

इरोड-कोच्चि रेल लाइन का विद्युतीकरण

1015. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इरोडी-कोच्चि रेल लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) 167.76 करोड़ रुपये।

बंगलौर-कुर्ला सुपरफास्ट गाड़ी

1016. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर-कुर्ला सुपरफास्ट गाड़ी शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यात्रियों की मांग को पूरा करने हेतु इस गाड़ी को मुम्बई सेंट्रल या दादर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) 1.7.92 से कुर्ला और बेंगलूर के बीच एक दैनिक गाड़ी चलायी गई है।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

परामर्श दात्री समितियां

1017. **श्री ललित उरांव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के किन-किन जोनों और डिवीजनों में परामर्शदात्री समितियां गठित की जा चुकी हैं और किन-किन जोनों और डिवीजनों में ये समितियां अभी तक गठित नहीं की गई हैं; और

(ख) शेष जोनों और डिवीजनों में परामर्शदात्री समितियां कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) सभी मंडल और क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का गठन क्रमशः 1.4.92 और 1.5.92 से दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में ओलेडा फ्लैग स्टेशन

1018. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आगरा के ओलेडा फ्लैग स्टेशन को नियमित हाल्ट रेलवे स्टेशन बनाये जाने के संबंध में की गई मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करना का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) मांग की जांच की गयी है लेकिन इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति

1019. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी बैठकें आयोजित की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या मार्गनिर्देश जारी किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकों के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का संगठन में यथासम्भव पालन किया गया है। संगठन ने यह सूचित किया है कि उन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात् जून, 1990 से जून, 1992 तक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में ऐसी पांच बैठकें आयोजित की थीं। शेष तीन बैठकें मण्डल विरोधी आन्दोलन के कारण हुए उपद्रव तथा सदस्य उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित समय पर आयोजित नहीं की जा सकीं।

रियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन के लिए स्थिति पत्र

1020. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन में भारतीय शिष्ट-मंडल द्वारा लिए जाने वाले प्रस्तावित नीति-पक्ष संबंधी राष्ट्रीय स्थिति पत्र उक्त सम्मेलन के अवसर पर तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके मसौदे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसमें दर्ज दृष्टिकोण टिप्पणियां तथा सुझाव सम्मेलन के अन्तिम चरण में उभर कर सामने आये और यदि सम्मेलन में कोई सहमति हुई तो वह क्या थी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) पर्यावरण और विकास संबंधी मुद्दों से जुड़ी भारत की परंपराओं, चिन्ताओं तथा प्रयासों को उजागर करने वाली एक राष्ट्रीय रिपोर्ट, जून 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के लिए तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट की 5 प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में रखी गई हैं।

उपर्युक्त रिपोर्ट में भारत में संरक्षण परम्परा की मुख्य विशेषताओं तथा प्रकृति के साथ सौहार्द संबंध स्थापित

करने की समग्र चिन्ताओं के उल्लेख के साथ-साथ भारत में राज्यों, लोगों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए गए कुछ उन कार्यकलापों का भी उल्लेख है जिनमें पर्यावरण संबंधी मुद्दों और पर्यावरण तथा विकास के बीच के असंतुलन को सुधारने पर ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में उन सभी तरह की समस्याओं का भी उल्लेख है जो कि भारत के सम्मुख खड़ी है और वे समस्याएं जिनके भविष्य के लिए निराकरण में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की अपेक्षा है।

(ग) भारत तथा उसी के समान दिलचस्पी रखने वाले अन्य विकासशील देशों द्वारा जो मुख्य विचार रखे गए थे उनमें पर्यावरण और विकास के मुद्दों के संबंध में व्यापक समझदारी पैदा करने के प्रयास, गरीबी उन्मूलन की प्राथमिकता, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय आधिपत्य, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुंच आदि शामिल हैं। इन विचारों को रियो सम्मेलन के अंतिम निष्कर्षों में तथा सम्मेलन में पारित/हस्ताक्षरित घोषणाओं और समझौतों में शामिल किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

1021. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र द्वारा माध्यमिक प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा व्यावसायीकरण योजना के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण किया गया है:

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इसके क्या परिणाम सामने आए हैं;

(ग) राज्यवार अभी तक स्थापित व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषदों की संख्या क्या है; और

(घ) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए हैं:

राज्य/संघशासित क्षेत्र	सर्वेक्षण किए गए जिलों की संख्या
असम	5
बिहार	20
गोवा	2
गुजरात	3
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	11
कर्नाटक	20
महाराष्ट्र	30
मिजोरम	3
उड़ीसा	13
पंजाब	5
राजस्थान	5

राज्य/संघशासित क्षेत्र	सर्वेक्षण किए गए जिलों की संख्या
तमिलनाडु	20
उत्तर प्रदेश	9
चंडीगढ़	1

सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग मुय रूप से आवश्यकता आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार अवसरों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (जे०सी०वी०ई०) की परिकल्पना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी और इसका गठन किया जा चुका है। राज्य स्तर पर संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद का प्रतिपक्ष राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद (एस०सी०वी०ई०) है। अब तक निम्नलिखित 12 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद (एस०सी०वी०ई०) का गठन किया है:
असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली।

(घ) केन्द्र प्रायोजित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे व्यावसायिक छात्रों को रोजगार सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठायें:

(i) व्यावसायिक छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए सरकारी विभागों में भर्ती नियमों में संशोधन करना।

(ii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण देना।

(iii) स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों तथा अन्य स्कीमों के माध्यम से ऋण-सुविधा उपलब्ध करवाना।

(साधारण बीमा, जीवन बीमा और रेल मंत्रालय के सहयोग से रोजगार से सम्बद्ध पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में एड्स का पता लगाने संबंधी सुविधाएं

1022. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 1992 तक राज्य-वार एड्स के मरीजों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश के विभिन्न अस्पतालों में एड्स का पता लगाने हेतु कुल कितने केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ग) दिल्ली में किन-किन अस्पतालों में एड्स का पता लगाने संबंधी सेन्टर कार्यरत है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ): (क) देश में राज्यवार एड्स रोगियों की संख्या इस प्रकार है:

	राज्य का नाम	एड्स रोगियों की संख्या
1.	जम्मू व कश्मीर	1
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	पंजाब	8

	राज्य का नाम	एड्स रोगियों की संख्या
4.	हरियाणा	1
5.	राजस्थान	1
6.	गुजरात	1
7.	महाराष्ट्र	74
8.	आन्ध्र प्रदेश	1
9.	गोवा	2
10.	केरल	14
11.	तमिलनाडु	52
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	दिल्ली	17
14.	पांडिचेरी	3
15.	पश्चिम बंगाल	1
16.	मणिपुर	4
		182

देश के बाकी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एड्स रोगियों की सूचना नहीं मिली है।

(ख) देश के 68 शहरों मे विभिन्न अस्पतालों मे 128 एड्स पहचान केन्द्र खोले गए हैं जिनमें 62 निगरानी केन्द्र और 66 जोनल रक्त जांच केन्द्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 44 शहरों में 52 केन्द्रों को जोनल रक्त जांच केन्द्रों के रूप में खोलने की मान्यता प्रदान की गई है।

(ग) दिल्ली में निम्नलिखित अस्पताल/संस्थाएं एच आई वी संक्रमित लोगों का पता लगा रहे/रही हैं:—

1. सफदरजंग अस्पताल
2. गुरू तेग बहादुर अस्पताल
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
4. हिन्दू राव अस्पताल
5. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज
6. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान
7. इंडियन रेड क्रास सोसायटी।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

1023. **श्री चन्द्रेश पटेल:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) पिछले दो महीनों के दौरान जोनवार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(ग) इनमें कितने लोग हताहत हुए और रेलवे को कितना घाटा हुआ; और

(घ) पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 1.5.92 से 30.6.92 की अवधि के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं की रेलवे-वार संख्या इस प्रकार है:—

मध्य	—	11
पूर्व	—	7
उत्तर	—	13
पूर्वोत्तर	—	9
पूर्वोत्तरसीमा	—	13
दक्षिण	—	8
दक्षिणमध्य	—	14
दक्षिणपूर्व	—	21
पश्चिम	—	8
कुल	—	104

(ख) दुर्घटनाएं मुख्यतः रेलवे कर्मचारियों की विफलता, उपस्कर की खराबी, सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही, तोड़-फोड़ आदि के कारण हुई।

(ग) इन दुर्घटनाओं मे 51 व्यक्ति मारे गए और 146 व्यक्तियों को चोटें आई। इनमें से क्रमशः 38 और 79 व्यक्ति सड़क उपयोगकर्ता थे। रेलवे सम्पत्ति को 1.71 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) इस अवधि के दौरान उपर्युक्त दुर्घटनाओं के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

तेंदू पत्तों की खरीद

1024. **श्री गुरुदास कामत:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में लाखों आदिवासी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने उनको तेंदू पत्ते खरीदने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन आदिवासियों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए कौन-कौनसी लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जो विस्थापित हैं और जिनकी तेंदू पत्तों, साल की लकड़ी आदि की खरीद नहीं की जाती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) स्थानीय लोगों के जीवन-स्तर में सतत विकास और सुधार लाने के लिए "राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में और उनके आसपास के क्षेत्रों का पारि-विकास" नाम से एक नई स्कीम शुरू की गई है। वनरोपण और प्रकृति संरक्षण की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मुहैया कराती हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में हिरणों की मौत

1025. श्रीमती शीला गौतमः
श्री ताराचन्द खंडेलवालः
श्री देवी बक्स सिंहः
श्री दत्तात्रेय बंडारूः
श्री मोहन सिंह (देवरिया):
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्तिः
श्री राजेश कुमारः
श्रीमती भावना चिखलियाः
श्री राम नरेश सिंहः
श्री मदन लाल खुरानाः
श्री परसराम भारद्वाजः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून,1992 में राष्ट्रीय प्राणि-उद्यान, दिल्ली में कुछ हिरणों की मौत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला, और इसके लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में जून, 1992 के दौरान 4 हिरणों और 21 काले हिरणों की मृत्यु हुई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) एक मादा सांभर की मृत्यु डूबने से, तीन अन्य हिरणों की मृत्यु तपेदिक, अमाशय फटने और सेप्टीसीनिया के कारण हुई। यह बताया गया है कि इनमें से कोई भी मौत कर्मचारियों की लापरवाही से नहीं हुई।

8 और 9 जून के बीच दो अवसरों पर काले हिरणों के बाड़े में कुत्तों के चुपचाप घुस आने से सदमे और चोट के कारण 21 काले हिरणों की मृत्यु हुई थी। जांच से पता चला है कि इसमें सुरक्षा कर्मचारियों की कुछ ढील थी। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटना दुबारा न हों, इसको रोकने के लिए उठाए गए कदमों मे निम्नलिखित शामिल है:-

1. प्राणी उद्यान अहाते से अवारा कुत्तों को हटाना;
2. पशु बाड़ों और प्राणी उद्यान की चारदीवारी को मजबूत बनाना;
3. प्राणी उद्यान में सुरक्षा को मजबूत बनाना।

[अनुवाद]

रोजगारोन्मुखी शिक्षा

1026. **श्री सुबास चन्द्र नायकः**
डा॰ बसंत पवारः
श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुरः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर अधिक बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में तैयार की गई वर्तमान योजनाओं के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) लोगों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाने तथा कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा॰शि॰नी॰), 1986 तथा 1992 में यथासंशोधित नीति (नीति के पैरा 5.16 से 5.23 तक) में व्यावसायिक शिक्षा पर पहले से ही काफी बल दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा में काफी संख्या में शिक्षकों और व्यावसायिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है (पैरा 6.9) रा॰शि॰नी॰, 1986 तथा 1992 में यथासंशोधित नीति के पैरा 6.1 से 6.11 में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में संगठित कार्य अनुभव पर भी बल दिया गया है(नीति का पैरा 8.14)। इस प्रकार रा॰शि॰नी॰, 1986 तथा 1992 में यथासंशोधित नीति में पहले ही रोजगारोन्मुख शिक्षा नीति के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/एनसीईआरटी तथा अन्य विशेषज्ञों के परामर्श से माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है। इन चर्चाओं तथा पिछले चार वर्षों के दौरान कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर इस योजना के विभिन्न घटकों की वित्तीय सीमा को बढ़ाने सहित कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद संशोधनों को कार्यरूप प्रदान किया जाएगा।

प्रथम डिग्री स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने की योजना की एक विशेषज्ञ समिति ने समीक्षा की है, जिसने जनशक्ति संबंधी वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संशोधनों के लिए सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रथम डिग्री स्तर पर प्रारंभ करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या भी तैयार कर रहा है ताकि व्यावसायिक धारा के छात्रों की प्रत्यक्ष गतिशीलता बढ़ाई जा सके।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

1027. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
मेजर जनरल (रिटायर्ड)
भुवन चन्द्र खण्डूरी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिये क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 में इन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि और भौगोलिक सामीप्यता, प्रशासनिक औचित्य, परिवहन व संचार सुविधाओं, वित्तीय उलझनों को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यक समझा जाता है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाते हैं। 12.1.92 को आयोजित अपनी 55 वीं बैठक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी निकाय ने 3 अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है, बशर्ते कि इन पर होने वाला खर्च, अनुमोदित बजट प्राक्कलनों में से ही पूरा किया जाता है। आगे और कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जिलों में साक्षरता

1028. **श्री सत्य गोपाल मिश्र:**
श्री छेदी पासवान:
श्री रूप चन्द मुरमू:
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा:
श्री के० पी० सिंह देव:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 1992 तक राज्यवार कितने जिलों में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है;

(ख) ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए उन जिलों द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाय गये;

(ग) इन जिलों में शिक्षण को जारी रखने के यदि कोई उपाय करने का विचार है, तो वे क्या हैं;

(घ) पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्ति के लिये कितने जिलों का चयन किया गया है; और

(ङ) राज्यवार ऐसे कुल कितने जिले हैं जिनमें पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ङ) मई 1992 तक, 95 पूर्ण साक्षरता अभियान अनुमोदित हुए थे जिनमें भिन्न-भिन्न राज्यों / संघशासित प्रशासनों के 156 जिले शामिल थे। कुछ जिलों में, केवल आंशिक क्षेत्र में ही पूर्ण साक्षरता अभियान चलाए गए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एन) (एल०एम०ए०) की कार्यकारी समिति की आनुक्रमिक बैठकों में पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं अनुमोदित की गई और प्रत्येक पूर्ण साक्षरता अभियानों के अपने अपने समय ढांचे शिक्षुओं की निर्धारित संख्या और निर्धारित आयु-वर्ग हैं। प्रत्येक पूर्ण साक्षरता

अभियान को अनुमोदित करने के पश्चात् शिक्षुओं की निर्धारित संख्या, पूर्ण साक्षरता अभियान क्षेत्र के एक साक्षरता सर्वेक्षण के आधार पर संशोधित किया गया और प्रस्तावित समय ढांचे में भी सामाजिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कुछ समायोजन भी किए जा सकते हैं। पूर्ण साक्षरता अभियानों का कार्यान्वयन सामान्यतौर पर भिन्न-भिन्न नामों में पंजीकृत और प्रायः जिला क्लैक्टरों की अध्यक्षता वाली जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया जाता है।

छः महीनों में 200 घंटों के शिक्षण के माध्यम से 3 भाग की साक्षरता प्रवेशिकाएं पूरी करने के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान आयोजित किए गए हैं। साक्षरता अभियान जैसे एक जन सामाजिक कार्यक्रम के संगठन को संचालित करने वाले स्वयंसिद्ध तत्वों के कारण 3 भागों में साक्षरता प्रवेशिका को सफलतापूर्वक पढ़ने वाले शिक्षुओं की संख्या निर्धारित लक्ष्य से कम हो गई है। तदनुसार, इस संबंध में, कुछ जिलों जिनके पूर्ण साक्षरता अभियान पूरे हो चुके हैं में इस संबंध में राजकीय अनुज्ञा जारी करते हुए उन्हें औपचारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता प्राप्त जिला घोषित कर दिया गया है, यद्यपि ऐसी औपचारिक घोषणा प्रत्येक पूर्ण साक्षर जिलों के लिए नहीं की गई है वो जिले जिन्हें इस प्रकार मान लिया गया है कि उन्होंने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है को, नीचे दर्शाया गया है:

आंध्र प्रदेश	चित्तूर
	नैल्लौर
गुजरात	भावनगर
	गांधी नगर
केरल	सभी 14 जिले
कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़
महाराष्ट्र	सिंधदुर्ग
	वर्धा
पश्चिम बंगाल	बीरभूम
	बर्दवान
	हुगली
	मिदनापुर
संघशासित प्रदेश पाण्डिचेरी	सभी 4 जिले।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल राज्यों के 127 जिलों और संघशासित प्रशासन दिल्ली में पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वयन के भिन्न-भिन्न चरणों में है।

पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदम

निरक्षरता उन्मूलन के लिए अभियान दृष्टिकोण 1988 से शुरू किया गया है जिसमे समय और क्षेत्र निर्धारणों और एक प्रणालीबद्ध योजना तैयार की गई है जिसमें ये शामिल हैं (1) जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में एक जिला साक्षरता समिति पंजीकृत करना, (2) समुदाय के सभी संगठित और असंगठित वर्गों को साक्षरता कार्य के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए शामिल करना, (3) क्षेत्र में द्वार से द्वार साक्षरता सर्वेक्षण करना, (4) जत्था और सांस्कृतिक क्रियाकलापों और संचार और प्रचार के अन्य माध्यमों के द्वारा साक्षरता के लिए वातावरण निर्माण करना, (5) अध्यापन-शिक्षण सामग्रियां तैयार करना, (6) साक्षरता कार्यकलापों के लिए

भिन्न-भिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करना (7) 5-6 महीनों की अवधि में 200 घंटों का शिक्षण आयोजित करना।

अभियान दृष्टिकोण का केन्द्र बिन्दु लोक और परम्परागत संचार माध्यम स्ट्रीट थिएटर और इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम की सहायता से आरम्भ की गई बहुमुखी संचार नीति के द्वारा समाज के सभी तरह के लोगों को बड़े पैमाने पर एकत्रित करना है। व्यक्तिगत संपर्क, लेक्चर, सामूहिक चर्चाएं अभियान का एक मुख्य भाग है। संचार नीति में साक्षरता के बारे में तैयार किए सामाय संदेशों का बार-बार प्रसारण, बालिकाओं की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और छोटे परिवार, राष्ट्रीय एकता, महिला समानता आदि से सम्बद्ध संदेश भी है। संचार अभियान में साक्षरता तथा जीवन की बुनियादी समस्याओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध को उद्घाटित किया गया जिससे यह पता चलता है कि शिक्षा, जीवन की दशा को सुधारने का उपकरण है। शिक्षा, शिक्षार्थियों को, सम्भाषण माध्यम से इकट्ठा करती है ताकि वह अपनी जीवन-दशा को समझें भाईचारे की भावना विकसित करे तथा अपनी समस्याओं का सुनियोजित ढंग से समाधान ढूंढे।

उत्तर साक्षरता अभियान (पी सी एल)

पूर्ण साक्षरता अभियान पूरा होने पर अभियान का दूसरा दौर अर्थात् उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा शुरू हो जाता है। उत्तर साक्षरता अभियान का कार्य पूर्ण साक्षरता अभियान के लाभ को समेकित करना है। यह अभियान पूर्ण साक्षरता अभियान में शामिल न किए गए जिलों को एकत्रित करके इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। तदनुसार उत्तर साक्षरता अभियान निम्न जिलों में आरंभ किया गया है:-

आंध्र प्रदेश

1. चित्तूर
2. नेल्लौर
3. पश्चिमी गोदावरी

गुजरात

1. भाव नगर
2. गांधी नगर

केरल राज्य

कर्नाटक

1. दक्षिण कन्नड़
2. बीजापुर
3. मांड्या

तमिलनाडु

1. पी एम टी शिवगंगा
2. पुदुकोटई

पश्चिम बंगाल

1. बर्दवान
2. मिदनापुर
3. हुगली

संघशासित प्रदेश पाण्डिचेरी

अन्य जिलों में, पूर्ण साक्षरता अभियान समाप्त होने पर ही, उत्तर साक्षरता अभियान के प्रस्तावों पर जब और जैसे प्राप्त होंगे, विचार किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति संबंधी कार्य योजना

1029. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:
श्री डी० वेंकटेश्वर राव:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई शिक्षा नीति संबंधी कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ख) जी नहीं। 1986 से संशोधित नीति के अंतर्गत किए जा रहे बदलाव के अधीन कार्यात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि सदन के वर्तमान सत्र में कार्यात्मक कार्यक्रम को सभापटल पर रख दिया जाये।

"राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण"

1030. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:
श्री बारे लाल जाटव:
श्री प्रताप राव बी० भोंसले:
कुमारी विमला वर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोई राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा; और

(ग) न्यायाधिकरण कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) परिसंकटमय पदार्थों के कारण किसी दुर्घटना से होने वाली क्षति तथा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और अन्तरिम राहत उपलब्ध कराने के बारे में कठोर दायिता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

इंटरसिटी एक्सप्रेस का देरी से चलना

1031. **श्री राम कापसे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाराणसी जंक्शन और इलाहाबाद शहर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस हमेशा देरी से चलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) इस खंड पर खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण गाड़ियों के समयपालन का औसत 93.1 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच है।

(ग) इन गाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचे जाने के विरुद्ध नियमित जांच की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मजूरी निर्धारण

1032. **श्री पी॰ सी॰ थामस:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ 28.2.1992 को एक वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते की शर्तें लागू कर दी गई हैं; और वेतन में संशोधन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वेतन में संशोधन कब किया जायेगा?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी 3 और 4 कर्मचारियों के वेतन में औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न पर संशोधन करने विषयक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस संबंध में जैसे ही अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा तब इसे कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

रेल उपकरणों के आयात के लिए विश्व बैंक से ऋण

1033. **श्री शशि प्रकाश:**
श्री चित्त बसु:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे उपकरण/रोलिंग स्टाक के आयात हेतु विश्व बैंक से ऋण लेने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और विश्व बैंक ने इस संबंध में क्या शर्तें रखी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे उपकरणों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार का क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक मामले के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में "स्पाइनल इन्जरीज वार्ड" का कार्यकरण

1034. **श्री शरद यादवः** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के "स्पाइनल इन्जरीज वार्ड" में समुचित उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जुलाई 1991 से दिसम्बर, 1991 के बीच तथा 1992 में (आज तक) रीढ़ की हड्डी/गर्दन में चोट से ग्रस्त कितने व्यक्ति दाखिल किए गये और उनमें से कितने व्यक्ति जीवित रहे; और

(घ) सरकार ने इस अस्पताल के "स्पाइनल इन्जरीज वार्ड" में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) सफदरजंग अस्पताल के स्पाइनल इंजरीज वार्ड में दी जाने वाली सुविधाएं समुचित एवं पर्याप्त समझी जाती हैं और समय-समय पर अस्पताल की समग्र प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के भीतर इनमें वृद्धि की जाती है। रीढ़ की हड्डी की चोट से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सीय और परा-चिकित्सीय दोनों प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस वार्ड में जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1991 में दाखिल किए गए 100 रोगियों में से 79 को बचाया गया और जनवरी, 1992 से जून, 1992 में दाखिल किए गए 86 रोगियों में से 73 को बचाया गया।

[हिन्दी]

दूषित शीतल पेय

1035. **श्री विलास मुत्तेमवारः** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1992 के "राष्ट्रीय सहारा" समाचार पत्र में "शीतल पेय की बोतलों में छिपकली, फफून्द मक्खी" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) दूषित शीतल पेयों के संबंध में समय-समय पर प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और फल उत्पाद आदेश, 1955 के अधीन ऐसे पेयों के लिए लाइसेंस प्राधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसी पथभ्रष्ट कम्पनियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

बरवाडीह से विश्रामपुर रेल लाइन

1036. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र तथा बिहार और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने हेतु बरास्ता हुरर, भिंडा, भंडारिया, बारगढ़ (बिहार) तथा विश्रामपुर (मध्य प्रदेश) बरवाडीह (जिला पालामऊ, बिहार) से चिरमिरी (मध्य प्रदेश) तक रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राजय मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) बरवाडीह-विश्रामपुर (202 कि० मी०) लाइन के लिए 1983-84 में किये गये सर्वेक्षण से पता चला था कि यातायात की संभावनाएं कम थीं, परियोजना की अलाभप्रदता तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू नहीं किया जा सका।

बहरहाल, लगातार मांग के कारण, केवल विश्रामपुर-अम्बिकापुर (23 कि० मी०) खंड के लिए सर्वेक्षण, जो 1983-84 में किया गया था, को अद्यतन करने का कार्य शुरू किया गया है, आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

रेल परियोजनाओं के लिए रोजगार के बदले भूमि का अधिग्रहण

1037. **श्री छेदी पासवान:**
श्री राम लखन सिंह यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अपने कार्यों के लिए लोगों से भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है तथा तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें अब तक पुनर्स्थापित नहीं किया है तथा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जिन लोगों को पुनस्थापित कर लिया गया है एवं रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है और जिन्हें अब तक पुनर्स्थापित नहीं किया है एवं रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनका जोन-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सम्बलपुर-नई दिल्ली के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी को टिटलागढ़ तक चलाना

1038. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्बलपुर-नई दिल्ली सुपर फास्ट रेलगाड़ी को टिटलागढ़ तक चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां;

(ख) 1.7.92 को संभलपुर-हजरत निजामुद्दीन के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी चलायी गई है, सुविधाओं के अभाव में इस गाड़ी को टिटिलागढ़ से चलाना व्यवहारिक नहीं है। तथापि, संभलपुर में शांटिंग करके 334 टिटिलागढ़-झारसुगुडा पैसेंजर/8448 हीराखंड एक्सप्रेस और 8301/8302 संभलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस गाड़ियों में टिटिलागढ़ और निजामुद्दीन के बीच एक थ्रू सवारी डिब्बे की व्यवस्था की गयी है।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का नवीकरण

1039. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न रेलवे जोनों में कुल रेल लाइनें विशेषकर उड़ीसा में काफी पुरानी और जीर्णशीर्ष हालत में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये रेल लाइनें कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या उनके नवीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं;

(ख) प्रश्न नहीं उठता;

(ख) और (घ) जिन रेलपथों का आयु एवं हालत के आधार पर नवीकरण अपेक्षित होता है उनका नवीकरण नियमित वार्षिक रेलपथ नवीकरण कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है;

(ङ) प्रश्न नहीं उठता;

उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

1040. **डा॰ लाल बहादुर रावल:**
श्री सत्य देव सिंह:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के जिन मीटर गेज (छोटी लाइन) और नैरो गेज (सकरी लाइनों) को ब्राड गेज (बड़ी लाइन) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा इसकी योजनाएं और इसका प्राकलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है:-

1. बुढ़वल-सीतापुर (98 कि॰मी॰)
2. इलाहाबाद सिटी-वाराणसी (123 कि॰मी॰)
3. औड़िहार-बलिया (106 कि॰मी॰)

4. बलिया-छपरा जं० (उ० प्र० में 65 कि०मी०)
5. मनकापुर-कटरा (30 कि०मी०)
6. लालकुआं-काशीपुर (60 कि०मी०)
7. कटरा-फैजाबाद (सरयू पर नए पुल सहित 7 कि०मी०)
8. कानपुर-कासगंज (245 कि०मी०)
9. नरकटियागंज-गोरखपुर (उ०प्र० में 95 कि०मी०)
10. मऊ-शाहगंज (100 कि०मी०)

(ख) निर्माण कार्य के प्रारम्भिक कार्य के भाग के रूप में यथापेक्षित सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। रेलवे बजट में संसद द्वारा निर्माण कार्य अनुमोदित कर दिए जाने के बाद अनुमान तैयार किए जाते हैं।

(ग) मद 1 से 7 तक के निर्माण कार्य पहले ही स्वीकृत हैं और इन पर कार्य चल रहा है। अन्य कार्य आठवीं योजना के शेष वर्षों में शुरू किए जाएंगे।

[अनुवाद]

चलते-फिरते पुलिस स्टेशन

1041. **श्री हन्नान मौल्लाह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ क्षेत्रीय रेल विभागों ने यात्रियों की सुरक्षा हेतु चलते-फिरते पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय होने के नाते, यह निर्णय राज्य सरकारों को करना होता है कि यात्रियों की सुरक्षा के हित में किन गाड़ियों में और किन खंडों पर चल पुलिस चौकियों की व्यवस्था की जानी है। अपराध बहुल क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों का मार्ग रक्षण राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों द्वारा किया जाता है, कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की है कि राजकीय रेलवे पुलिस के मार्गरक्षी कर्मी यात्रियों की शिकायतें स्वीकार करने के लिए चल पुलिस चौकी के रूप में भी काम करेंगे। रेल मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन गाड़ियों की संख्या नीचे दी गई है जिनमें चल पुलिस चौकियां कार्यरत हैं:—

रेलवे	गाड़ियों की संख्या
मध्य रेलवे	54
पूर्व रेलवे	—
उत्तर रेलवे	58
पूर्वोत्तर रेलवे	110
पूर्वोत्तर सीमा	—
दक्षिण रेलवे	10
दक्षिण मध्य रेलवे	2
दक्षिण पूर्व रेलवे	3
पश्चिम रेलवे	103

सम्राट अकबर की वर्षगांठ

1042. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 में सम्राट अकबर की 450 वीं वर्षगांठ मनाने का है और इस समारोह को आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इस समारोह का अस्थायी कार्यरम क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) सम्राट अकबर की 450 वीं वर्षगांठ 1992-93 में मनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए अभी तक कोई राष्ट्रीय समिति गठित नहीं की गई है। इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। समारोह के अन्य कार्यक्रम तथा अन्य ब्यौरे यथा समय तैयार किए जाएंगे।

कालीकट विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता

1043. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक दृश्य-श्रव्य केन्द्र स्थापित करने हेतु कालीकट विश्वविद्यालय, केरल को वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सहायता कब तक दे दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार आयोग ने आठवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में पांच श्रवण और दृश्य अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है जिसमें एक केरल में भी शामिल है। इस संबंध में कालीकट और कोचीन विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो इन विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और श्रवण और दृश्य अनुसंधान के केन्द्रों के स्थान के संबंध में स्थान का सुझाव देगी।

औरंगाबाद-परली रेल लाइन को बदलना

1044. **श्री अंकुशराव टोपे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में औरंगाबाद-जालना-परभनी-परली रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिये 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां

(ख) 50 करोड़ रुपये।

(ग) औरंगाबाद-जालना—5%
परभनी-पर्ली-बैजनाथ—5%

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई

1045. **श्री के॰पी॰ रेड्डय्या यादव:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई महीनों से भारतीय खाद्य निगम की ओर से आन्ध्र प्रदेश को दी जाने वाली खाद्य वस्तुओं की सप्लाई अनियमित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (ख) केन्द्रीय पूल में स्टाक की कमी होने के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में (फरवरी से मई, 1992 तक) गेहूं की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप कुछ स्थानों में अनियमित आपूर्ति होने के बारे में सूचना मिली थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी गई थी कि वे स्टाक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें और अब स्थिति में सुधार होने की सूचना प्राप्त हुई है।

अजय नदी पर पुल

1046. **श्री हाराधन राय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स प्रबंध ने बिहार में चित्तरंजन को सन्थाल परगना के साथ जोड़ने हेतु अजय नदी पर पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां;

(ख) लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा पुल का निर्माण कार्य सितम्बर, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मुम्बई और विरार में उपनगरीय रेलगाड़ियों के लिए अतिरिक्त रेक और सवारी डिब्बे

1047. **श्री राजेश कुमार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य और पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत मुम्बई और विरार में उपनगरीय रेल सेवा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रेक और सवारी डिब्बे स्वीकृत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे के लिए कितनी अतिरिक्त रेलगाड़ियां और कितने रेक और सवारी डिब्बे स्वीकृत किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) मध्य और पश्चिम रेलों को क्रमशः 14 ई॰एम॰यू॰रेक/166 सवारी डिब्बे और 7 ई॰एम॰यू॰/89 सवारी डिब्बे आबंटित किये गये हैं। इसमें गतायु स्टाक के बदलाव के लिए सवारी डिब्बे शामिल हैं।

पुरातत्वीय सर्किल

1048. कुमारी पुष्पा देवी सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कितने पुरातत्वीय सर्किल हैं और इनका मुख्यालय कहां है;

(ख) उन सर्किलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र/जिले कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ नए पुरातत्वीय सर्किल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) मध्य प्रदेश का क्षेत्र दो पुरातत्वीय सर्किलों के अंतर्गत आता है। एक सर्किल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, राजनंदगांव और सरगुजा जिले तथा उड़ीसा राज्य आते हैं जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। दूसरे सर्किल में मध्य प्रदेश के शेष जिले आते हैं जिनका मुख्यालय भोपाल में है।

(ग) और (घ) अभी तक मध्य प्रदेश में कोई नया सर्किल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य सर्किलों के सृजन के प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर हैं। धनाभाव की वर्तमान परिस्थिति में नए सर्किलों के खोलने की संभावना की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में वैगनों की कमी

1049. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैगनों की विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व रेलवे में कमी है;

(ख) क्या वैगनों की कमी से उड़ीसा को खाद्यान्न भेजने का कार्य प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा वैगनों की कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) विशेष रूप से व्यस्त अवधि के दौरान मालडिब्बों की कमी महसूस की जाती है।

(ख) उड़ीसा के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई संतोषजनक रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की स्थापना

1050. श्री कमल चौधरी:
श्री महेश कनोडिया:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मरीजों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए देश में अधिक संख्या में अस्पताल एवं औषधालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये अस्पताल और औषधालय किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और नये अस्पताल और औषधालय खोलने संबंधी निर्णय राज्य सरकार द्वारा रोगियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, मौजूदा अस्पतालों में सुविधाओं में वृद्धि और सुधार करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एलोपैथिक, होमियोपैथिक और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 40 से अधिक औषधालय खोलने की योजना है। स्थानों का निर्णय अभी किया जाना है।

शोरानूर-मंगलौर रेल लाइन को दोहरा करना

1051. श्रीमती सुशीला गोपालनः
श्री के॰ मुरलीधरनः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शोरानूर-मंगलौर रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य हाल ही में रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) इस खंड पर दोहरी लाइन बिछाने के कार्य को अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। इसके लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। इस कार्य पर आगे विचार सर्वेक्षण के परिणामों तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

"बाघ अभयारण्य परियोजना"

1052. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकरः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 1992 के दैनिक समाचार पत्र—"दि टाइम्स आफ इंडिया" में गवर्नमेंट फिगर्स ऑन टाइगर्स मिसलीडिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक वन्य जीव विशेषज्ञों ने बाघों की संख्या के बारे में दिए गये सरकारी आंकड़ों पर सन्देह व्यक्त किया है;

(ग) क्या भारत की 19 बाघ अभयारण्य परियोजनाओं में व्यापक रूप से वनों का विनाश हुआ है; और

(घ) सरकार का नियमों का उल्लंघन करने और चोरी-छिपे शिकार करने वालों से बाघ अभयारण्य परियोजनाओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी, नहीं। तथापि स्थानीय अशान्ति के दौरान मानस टाइगर रिजर्व तथा कान्हा टाइगर रिजर्व में वनों का कुछ विनाश हुआ था।

(घ) पार्क तथा वन्यजीवों को अतिक्रमणकारियों तथा शिकार अनधिकृत गतिविधियों से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के कर्मचारियों द्वारा व्यापक रूप से गश्त लगाई जाती है। केन्द्र सरकार टाइगर

रिजर्वों में संचार प्रणाली को सुधारने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा सुरक्षा संबंधी आधारभूत जरूरतों के लिए उन्हें हथियार, वाहन, आधुनिक संचार प्रणालियां आदि उपलब्ध कराती है।

राज्य सरकार ने जब कभी मांग की है, उसे प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अर्द्ध-सैनिक बलों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

1053. **श्री अनन्तराव देशमुखः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालयवार कितनी अनुदान राशि दी गई; और

(ख) इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किये गये और उनके द्वारा उपयोग किये गये योजनागत और योजनेत्तर अनुदान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

केरल में रेल लाइनें

1054. **प्रो॰ के॰ वी॰ थामस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुरुवायूर-त्रिचूर रेल लाइन तथा अलेप्पी कायमकुलम रेल लाइनों को यातायात के लिए कब से खोला जाएगा;

(ख) कायमकुलम-क्विलोन रेल लाइन को दोहरा करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) केरल में अन्य रेल लाइनों पर चल रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 1992-93 के दौरान।

(ख) 40%

(ग) कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम खंड का दोहरीकरण।

आदिवासी संस्कृति हेतु धनराशि का नियतन

1055. **श्री ललित उरांव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आदिवासी संस्कृति के संरक्षण, विस्तार, विकास एवम् प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी गई थी;

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर अनुदान				योजनागत अनुदान			
		1990-91		1991-92		1990-91		1991-92	
		वि०अ०आ० द्वारा जारी किया गया	विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग किया गया	वि०अ०आ० द्वारा जारी किया गया	विश्व०वि० द्वारा उप० किया गया	वि०अ०आ० द्वारा जारी किया गया	विश्व०वि० द्वारा उप० किया गया	अ०अ०आ० द्वारा जारी किया गया	विश्व वि० द्वारा उप० किया गया
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्व०	3385.27	पूरा उपयोग हुआ	3603.60	पूरा उपयोग हुआ	92.72	92.71	108.02	107.49
2.	बनारस हिन्दू विश्व०	4102.32	-वही-	4444.07	-वही-	17.75	पूरा उपयोग हुआ	141.81	पूरा उपयोग हुआ
3.	[illegible]	2408.37	-वही-	2501.41	-वही-	151.18	-वही-	81.41	-वही-
4.	[illegible]	677.12	-वही-	735.22	-वही-	76.42	-वही-	130.91	-वही-
5.	[illegible]	671.46	633.66	1403.28	1400.59	49.20	2.60	68.43	33.86
6.	[illegible]	1304.62	पूरा उपयोग हुआ	707.03	पूरा उपयोग हुआ	206.14	पूरा उपयोग हुआ	224.40	184.39
7.	[illegible]	982.57	पूरा उपयोग हुआ	1077.77	पूरा उपयोग हुआ	199.69	पूरा उपयोग हुआ	223.58	पूरा उपयोग हुआ
8.	[illegible]	287.35	265.35	258.01	पूरा उपयोग हुआ	21.06	21.05	105.12	103.27
9.	विश्व भारती	950.64	पूरा उपयोग हुआ	1041.75	पूरा उपयोग हुआ	29.90	29.40	58.72	पूरा उपयोग हुआ
		14749.89		15772.14		844.06		1142.40	
10.	[illegible]	900.00 केन्द्र सरकार द्वारा जारी	720.00	550.00 केन्द्र सरकार द्वारा जारी	-वही-	501.00 केन्द्र सरकार द्वारा जारी	पूरा उपयोग हुआ	650.00 केन्द्र सरकार द्वारा जारी	-वही-

(ख) प्रत्येक राज्य में सरकारी, अर्द्ध सरकारी और ऐच्छिक संगठनों को, वर्ष-वार कितनी राशि दी गई थी;

(ग) उन निजी और ऐच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से उक्त वर्षों के दौरान बिहार में यह धनराशि व्यय की गई थी;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुदान के उपयोग के संबंध में जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) अनुदान विभिन्न संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों को दिए जाते हैं, न कि राज्यों को।

(ख) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) विभाग इन संगठनों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है जिनके लेखाओं की लेखा-परीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है।

विवरण-I

आदिवासी एवं लोक कला तथा संस्कृति की प्रोन्नति और प्रसार की योजनाओं के अंतर्गत संगठनों/संस्थाओं तथा व्यक्तियों को संस्वीकृत अनुदानों का वर्ष-वार तथा राज्य-वार विवरण

क्रम सं०	संस्थाओं का नाम	संस्वीकृत की गई कुल राशि
1	2	3
	1988-89	
	आंध्र प्रदेश	
1.	सामाजिक विकास केन्द्र, सिकंदराबाद	41,000/- रु०
	बिहार	
2.	भागलपुर विकलांग सेवा केन्द्र, बिहार	20,000/- रु०
3.	कमला देवी स्मारक संस्थान, कमला भवन, बिहार	1,00,000/- रु०
4.	निर्मल कुमार वर्मा, कार्यकारी न्यायाधीश, बिहार	50,000/- रु०
5.	नेताजी सुभाष चन्द्र दलित शोषित पीड़ित मानव सेवा संघ, भागलपुर	20,000/- रु०
6.	संजय गांधी पंच सूत्री अनाथ शिशु सामाजिक शिक्षा प्रतिष्ठान, बिहार।	20,000/- रु०
	चंडीगढ़	
7.	प्राचीन कला केन्द्र, चंडीगढ़	50,000/- रु०

1	2	3
दिल्ली		
8.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली	50,000/- रु०
9.	श्रीनिवास मल्लाह स्मारक, थियेटर शिल्प न्यास, नई दिल्ली	1,00,000/- रु०
गुजरात		
10.	वालसड़ जिला कुकना समाज विकास मंडल, गुजरात	75,000/- रु०
गोआ		
11.	मोहन आर्केस्ट्रा, गोआ	14,000/- रु०
केरल		
12.	मैत्री कला समश्रीक वेदी	50,000/- रु०
13.	वेतियार प्रेमनाथ स्मारक फोकलोर अकादमी, केरल	50,000/- रु०
महाराष्ट्र		
14.	भारतीय राष्ट्रीय थियेटर, मुंबई	75,000/- रु०
15.	पालेकर चित्र, गामदेवी, मुंबई	1,00,000/- रु०
मणिपुर		
16.	मुखुआ संग्रहालय, इंफाल	50,000/- रु०
17.	आदिवासी नृत्य केन्द्र, इंफाल	25,000/- रु०
उड़ीसा		
18.	व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता परिषद्, भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०
19.	उड़ीसा शिल्प परिषद, भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०
20.	लोक साहित्य अकादमी, भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०
21.	इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल एंड ओड़िसन स्टडीज, कटक	1,00,000/- रु०
22.	उड़ीसी संस्कृति संस्थान, भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०
	1989-90	
अरुणाचल प्रदेश		
1.	सामाजिक प्रणाली और विकास संस्थान, ईटानगर	50,000/- रु०
कर्नाटक		
2.	दलित सांस्कृतिक संगठन, होदीपुर, बंगलौर	50,000/- रु०

1	2	3
3.	जनपद नृत्य संगीत तारा दिल्ली कला केन्द्र, अंकोला (यू॰के॰)	1,00,000/- रु॰
4.	महात्मा गांधी स्मारक कालेज, कर्नाटक	1,00,000/- रु॰
केरल		
5.	हरि श्री कला क्लब, वाशाकाड़े, डाकखाना त्रिवेन्द्रम	15,000/- रु॰
6.	नातना कैरली, त्रिचूर	50,000/- रु॰
मेघालय		
7.	यू॰ हिनियू ट्रेड सांस्कृतिक एवं कल्याण संगठन, शिलांग	50,000/- रु॰
नागालैंड		
8.	चिजामी यूथ सोसाइटी, चिजामी, फैक	25,000/- रु॰
9.	हालेनी क्लब, चुजुबा, पी॰एम॰के॰	25,000/- रु॰
10.	कांतसुन्यु ग्राम विद्यार्थी संघ, सेमुझ्या, बी॰पी॰ओ॰	45,000/- रु॰
11.	मेरांगकौंग सांस्कृतिक क्लब, मोकोकेलंग	25,000/- रु॰
12.	पुलीबाड़जे क्लब, जोसोमा, कोहिमा	25,000/- रु॰
उड़ीसा		
13.	श्री जगन्नाथ अनुसंधान भुवनेश्वर	50,000/- रु॰
राजस्थान		
14.	भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर	50,000/- रु॰
15.	वीणा पाणि कला मंदिर, जयपुर	25,000/- रु॰
	1990-91	
दिल्ली		
1.	तमाशा, नई दिल्ली	1,40,000/- रु॰
2.	दिशांतर, नई दिल्ली	2,00,000/- रु॰
कर्नाटक		
3.	प्रमुख ग्रामीण विकास संगठन (लार्ड), बेलारी	60,000/- रु॰
4.	रंग पुतली	84,000/- रु॰
केरल		
5.	मलयालम कोश विभाग केरल विश्वविद्यालय	96,000/- रु॰
6.	केरल लोक-साहित्य एवं लोक कला संस्थान, मामदी	2,00,000/- रु॰

1	2	3
7.	नाटना कैनाली, इरियुजलकुड़	55,000/- रु०
8.	वेतियार प्रेमनाथ स्मारक लोक साहित्य अकादमी	2,00,000/- रु०
9.	काड़थानाड़ चैकोर कालारी संगम, पुत्थुमानम	2,00,000/- रु०
10.	मैत्री कला संस्कारिका वेदी, कोझिकोड	1,00,000/- रु०
11.	स्वाति थिरूमल कलाक्षेत्रम, आलेप्पुझा	2,00,000/- रु०
12	व्यालास स्मारक यूथ क्लब, पुथेयु पालम, इरियानाड़	1,50,000/- रु०
13.	फोकलैंड इलामवाची, कासाराजोड़	1,00,000/- रु०
लक्षद्वीप		
14.	राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	2,00,000/- रु०
मणिपुर		
15.	मणिपुर ईसैबल, इंफाल	50,000/- रु०
16.	कुकी सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान उखरूल	1,90,000/- रु०
उड़ीसा		
17.	टुगेदर, भुवनेश्वर	1,75,000/- रु०
18.	प्रगति सेवा संघ, जगदलपुर, पुरी	2,00,000/- रु०
19.	श्री भवानी चरण बिस्वाल, लेक्चरर, उड़ीसा नृत्य अकादमी, भुवनेश्वर	2,00,000/- रु०
20.	प्राकल्प, ज्योतिपुर, कीयोझर	1,50,000/- रु०
21.	कल्यातन कला विद्यालय, सुंदरगढ़	1,42,000/- रु०
22.	सामाजिक विज्ञान एवं विकास अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	1,92,000/- रु०
23.	इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल एंड ओड़िसन स्टडीज, कटक	1,50,000/- रु०
24.	भारतीय लोक आदिवासी संस्कृति अकादमी, भुवनेश्वर	2,00,000/- रु०
25.	चक्रधारी ग्राम कल्याण क्लब, शायराइब्बालिया, धेनकेनाल	2,00,000/- रु०
26.	विजय सांस्कृतिक पाथागार, सदनजोड़, पुरी	1,05,000/- रु०
27.	जगन्नाथ क्रियानुष्ठान नयागढ़, पुरी	2,00,000/- रु०
28.	ओड़िसी ओरिएंटल अनुसंधान केन्द्र, बालासौर	1,99,000/- रु०
29.	सिंदूरगावरा युवक संघ ग्रामीण विकास कार्रवाई एकक, मयूरभंज	2,00,000/- रु०
30.	ग्रामीण एवं शहरी विकास केन्द्र जगवारा, भुवनेश्वर	50,000/- रु०
31.	श्री मनमथ कुंडू रीडर, भाषा, शिक्षण संस्थान भुवनेश्वर	2,00,000/- रु०

1	2	3
32.	आंचलिक ग्राम विकास परिषद, नीलगिरी, बालासोर	1,00,000/- रु०
33.	अखिल उड़ीसा आदिवासी सांस्कृतिक एसोसिएशन, सांबलपुर	2,00,000/- रु०
34.	आंचलिक श्रीमती इंदिरा क्लब, बेलापारा, धेनकेनाल	64,000/- रु०
35.	एन० के० उच्च अध्ययन संस्थान, तुलसीपुर, कटक	1,65,000/- रु०
36.	सुनंदा पाधी प्रतिष्ठान, भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०
37.	आदिवासी बोली एवं संस्कृति अकादमी, भुवनेश्वर	1,00,000/- रु०
	पंजाब	
38.	पंजाबी नाटक अकादमी, मोहाली	38,000/- रु०
	राजस्थान	
39.	संगीत कला केन्द्र, भीलवाड़ा	66,000/- रु०
40.	भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर	2,00,000/- रु०
	तमिलनाडु	
41.	प्रधानाचार्य, श्री वासेवी कालेज, इरोड	2,00,000/- रु०

विवरण-2

अनुबंध-II

उन निजी एवं सैक्षिक संगठनों के ब्यौरे जिनके माध्यम से 1988-89, 89-90, 90-91 के दौरान बिहार में अनुदानों का उपयोग किया गया

1988-89

1. भागलपुर विकलांग सेवा केन्द्र, बिहार
2. कमला देवी स्मारक संस्थान, कमला भवन, बिहार
3. निर्मल कुमार वर्मा, कार्यकारी न्यायाधीश, बिहार
4. नेताजी सुभाष चन्द्र दलित शोषित पीड़ित, मानव सेवा संघ, भागलपुर, बिहार
5. संजय गांधी पंच सूत्री अनाथ शिशु सामाजिक शिक्षा प्रतिष्ठान, बिहार

1989-90

शून्य

1990-91

शून्य

रेलवे में जनशक्ति का कथित दुरुपयोग

1056. श्रीमती शीला गौतम:
श्री तेज नारायण सिंह:
श्री राजेश कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशेषरूप से रेलवे इंजीनियरिंग और वाणिज्यिक शाखाओं में रेलवे अधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए जनशक्ति का दुरुपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के कदाचारों में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के अलावा इस प्रकार के कदाचारों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) कुल मिलाकर व्यक्तिगत कार्यों के लिए रेल जनशक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है, तथापि कुछ इक्का-दुक्का मामले नोटिस में आये हैं। ऐसे मामलों के सांख्यिकीय रिकार्ड अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) रेलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलों के स्तरों पर सतर्कता संगठन इस तरह की शिकायतों की जांच करते हैं और व्यक्तिगत कार्यों के लिए जनशक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए निवारक उपाय करते हैं। जिन व्यक्तियों का ऐसे कदाचार के मामलों में संलिप्त होना प्रमाणित हो जाता है उनके विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जाती है।

परती भूमि विकास

1057. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय देशों ने भूमि की कमी के कारण हरियाली कार्यक्रम को शुरू करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) क्या भारत ने यूरोपीय देशों को वनरोपण कार्यक्रम हेतु परती भूमि के अपने विस्तृत क्षेत्र को किसी मूल्य पर देने का प्रस्ताव रखा है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) क्या इस कार्यक्रम को लागू करने संबंधी प्रस्तावों अथवा शर्तों पर विचार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तथापि उल्लेखनीय है कि यूरोपियन इकॉनामिक कम्यूनिटी (ईईसी) "हरियाणा राज्य की अरावली पहाड़ियों में सार्वजनिक भूमि का सुधार" नामक परियोजना के लिए सहायता दे रही है। परियोजना की कुल लागत 48.15 करोड़ रुपए है। मार्च, 1990 में अनुमोदित की गई यह परियोजना आठ वर्षों के लिए है। परियोजना का लक्ष्य हरियाणा में उन अर्द्ध-शुष्क अरावली पहाड़ियों को, जो अवक्रमित हो रही है, को फिर से हरा-भरा बनाना तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना है।

ठाणे के दैनिक रेल यात्रियों की समस्यायें

1058. **श्री राम कापसे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठाणे महाराष्ट्र से दैनिक रेल यात्रियों की समस्याओं से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) ठाणे के यात्रियों से वहां कुछ मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां रोकने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस समय ठाणे स्टेशन 32 मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियों द्वारा सेवित है। इस स्टेशन पर फिलहाल और गाड़ियों को ठहराव देना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

पंजाब में धान की क्षति

1059. **श्री पी॰सी॰ थामस:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदामों में समुचित भण्डारण व्यवस्था न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब में 1989-90 के दौरान खरीदे गये लगभग 50,000 टन धान की क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में अब तक कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या भण्डारण किये गये उक्त चावल में आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं को पोषक चावल सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) खुले में कवर और प्लिंथ में भण्डारण के दौरान लगभग 31,200 मीटरी टन धान घटिया किस्म की हो गई।

(ख) लम्बे समय तक खुले में भंडारण करने के कारण धान घटिया किस्म की हो गई। भारतीय खाद्य निगम ने 2.50 लाख मीटरी टन धान को मिलिंग करवाने के लिए ठेका किया था लेकिन मिल-मालिक अपने संपूर्ण ठेके को पूरा नहीं कर सका। घटिया किस्म की धान की बिक्री/निपटान करने के पश्चात् ही हानि के बारे में पता चलेगा। तथापि, ठेका संबंधी दायित्वों को पूरा न करने के कारण हुई हानियों को वसूली मिल-मालिक से करनी अपेक्षित है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म की धान से चावल तैयार नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलौर के आस-पास रेलवे की भूमि का वाणिज्यिक उपक्षेत्र

1060. **श्री चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगलौर शहर में और इसके आस-पास रेलवे की भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने का विचार है;

(ग) क्या बंगलौर में और इसके आस-पास रेलवे के पास उपलब्ध खाली पड़े कुल भू क्षेत्र के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी खाली भूमि उपलब्ध है; और

(ङ) इस फालतू भूमि की बिक्री से अनुमानतः कितनी धनराशि प्राप्त होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, बेंगलूरु छावनी स्टेशन पर रेलवे के लगभग 4 हैक्टेयर भूखंड के ऊपरी स्थान के वाणिज्यिक दोहन के लिए व्यावहारिकता अध्ययन शुरू किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बेंगलूरु में फालतू रेलवे भूमि नहीं है, अतः इसकी बिक्री का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खेल अकादमी की स्थापना

1061. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में गत तीन वर्षों के दौरान खेलों पर व्यय की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार खेलों के विकास हेतु खेल अकादमी की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा खेलों पर खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:

(रु० लाखों में)

	1989-90	1990-91	1991-92
योजनागत	47.96	52.57	47.67
योजनेत्तर	15.15	15.15	15.86
योग	63.11	67.72	63.53
महायोग	194.36		

(ख) और (ग) संयुक्त प्रयासों द्वारा विविध खेल विद्याओं की खेल अकादमियां स्थापित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीय खेल संघों से बातचीत कर रहा है। भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल विभाग अकादमियों द्वारा बुनियादी खेल सुविधाओं के निर्माण/संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता के अनुरोधों पर विचार करेगा।

[हिन्दी]

गावों के लिए युवा विकास केन्द्र

1062. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रत्येक दस गावों पर एक युवा विकास केन्द्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्र के क्या कार्य होंगे; और

(ग) उड़ीसा के किन-किन गावों को इन केंद्रों में शामिल करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का प्रस्ताव प्रत्येक 10 गांवों के ग्रुप के लिए एक की दर से 18,000 युवा विकास केन्द्र शुरू करने का है।

(ख) युवा विकास केन्द्र ग्रामीण युवाओं के लिए सूचना, खेल, प्रशिक्षण और युवा कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं देगा। केन्द्र के लिए भूमि संबंधित पंचायतों द्वारा दान दी जाएगी। प्रत्येक केन्द्र के लिए श्रम योगदान और सामग्री आपूर्ति के जरिए भवन/खेलों की बुनियादी सुविधाएं शुरू की जाएंगी । अंगभूत गांवों के युवाओं से बनाई गई युवा समिति द्वारा प्रत्येक केन्द्र का प्रबंध किया जाएगा। प्रचालन और रखरखाव खर्च समिति द्वारा उगाहा जाएगा।

(ग) चूंकि यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित है अतः स्थापित किए जाने वाले युवा विकास केन्द्रों की संख्या तथा गांव जहां यह शुरू किए जाने हैं, के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, सरकार इस वर्ष शुरूआत करने के लिए इच्छुक है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में युवा केन्द्र समान रूप से बनाए जाए।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

1063. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी और कितने मूल्य की चीनी का निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) निर्यात की जाने वाली चीनी की दर क्या होगी;

(ग) चालू वर्ष के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन कितना होगा और देश में इसकी खपत कितनी होगी;

(घ) क्या चीनी के निर्यात का प्रभाव इसकी उपलब्धता और देशी बाजार में इसके मूल्यों पर पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) वर्ष 1991-92 मौसम के उत्पादन में से संयुक्त राज्य अमेरिका/ई.ई.सी. को वाणिज्यिक निर्यात तथा तरजीही कोटे के लिह अभी तक 5.72 लाख टन चीनी की मात्रा आवंटित की गई है। निर्यात के लिए चीनी की और मात्रा के आवंटन के मामले पर अगले मौसम के लिए संभावित उत्पादन, आवश्यकता आदि का मूल्यांकन करने के बाद ही विचार किया जाएगा।

चीनी की दरों में उतार चढ़ाव के कारण चीनी निर्यात के कुल मूल्य का निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आवंटित चीनी की सारी मात्रा का अनुबंध/लदान पूरा नहीं हो जाता है।

(ख) सरकार ने निर्यात की जाने वाली चीनी की दर नियत नहीं की है।

(ग) 1991-92 के चालू मौसर के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन 132 लाख टन है तथा मौसम के लिए अनुमानित उपभोग 113 लाख टन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

वधवध्यान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक के बाद एक को अनुमति दे रहा हूं। कृपया आप सभी एक साथ खड़े न हों।

श्री अन्ना जोगी (पुणे): महोदय, 10 जुलाई, 1992 को बंबई के मदलपुर उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर सुबह-सुबह ही एक मोटर कर्मचारी को मार दिया गया जिसके कारण सभी मोटर कर्मचारी और रेल चालक हड़ताल पर हैं। इस कारण (क) बंबई से पुणे और दक्षिण भारत (ख) बंबई से कलकत्ता और देश के अन्य भागों की सभी रेल लाइनें पूर्णतः ठप्प हो गई हैं।

वडनेरा वर्धा लाइन पर दुर्घटना होने के कारण भुसावल से नागपुर तक मधय रेल लाइन कल से ठप्प पड़ी है। इस प्रकार सभी रेल गाड़ियां रुकी हुई है अथवा उनका रास्ता बदल दिया गया है अथवा उन्हें रद्द कर दिया गया है जिसके कारण लाखों रेल यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं सरकार, विशेषरुप से रेल मंत्री महोदय, से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और काम पर आए सभी रेल कर्मियों तथा रेल लाइनों की रक्षा करें तथा लाइनों का रख-रखाव किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दुबारा न घटें।

श्री सुनील दत्ता (मुंबई उत्तर पश्चिम): महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा का और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री काध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में 25,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हे प्रवेश नहीं मिला है। यह अत्यंत क्षोभनीय बात है कि युवकों के साथ ऐसा हो रहा है कि वे अपना भविष्य नहीं बना पा रहे हैं। उन्हें प्रवेश दिलवाना भी अत्यंत कठिन कार्य है। उनका परिवार, माता-पिता प्रेवश के लिए सिफारिशी पत्र प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। प्रावेशिक शुल्क भी बहुत अधिक देनी पड़ती है। यहां तक चिकित्सक बनने के लिए आपको 10 लाख रुपये का प्रावेशिक शुल्क देना पड़ेगा। हमारे देश में कितने लोग अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ाई कराने के लिए 10 लाख रुपये दे सकते हैं? इंजीनिरी कॉलेजों की भी यही दशा है।

अतः मैं यह महसूस करता हूं कि मंदिर बनाने की बजाय हमें स्कूल और कॉलेज बनाने चाहिएं जहां हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपना भविष्य बना सकें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग को यह सोचना चाहिए कि जो विद्यार्थी एक कक्षा पास कर लेता है उसे अगली कक्षा में कैसे प्रवेश दिया जाए।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और हमें इस ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। अन्यथा स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। बेरोज़गारी बढ़ जाएगी । इससे अपराध भी बढ़ेंगे। सभी राज्यों में युवक इसलिए हिंसा के रास्ते पर आ

रहे हैं क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चित है। हमें मंदिरों और मस्जिदों के भविष्य के बारे में सोचने की बजाय अपने देश की जनता के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस (सी एल डब्लयू) को भारतीय रेल के प्रमुख ईंजन विनिर्माण उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था और 1950 से आत्म निर्भरता के लिए महत्वपूर्ण योगदान करते हुए यह सबसे बेहतर सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। 'चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स' न केवल विभिन्न प्रकार के ईंजन (भाप, डीज़ल और विद्युत) बनाने का प्रमुख उत्पादन उपक्रम है बल्कि यह अकर्षण उपस्करों तथा 'रेलिंग स्टॉक के लिए भी विभिन्न कलपुजों का भी निर्माण करता है। यह इलेक्ट्रोनिक नियंत्रण प्रणाली के 5000 हा॰पा॰ के विद्युत ईंजनों का भी निर्माण कर सकता है।

'चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स' में 18,000 कर्मचारी तथा कार्मिक हैं। लेकिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कार्मिकों तथा कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है क्योंकि केन्द्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से विद्युत ईंजन आयात करने का निर्णय लिया है। आयात किए जाने वाले ईंजनों की लागत चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा बनाए जा रहे ऐसे ही ईंजनों से कहीं अधिक है। यह निर्णय भी लिया गया है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में डीज़ल ईंजन के उत्पादन को कम किया जाए जिससे 700 कार्मिक तत्काल अतिरिक्त कार्मिकों की श्रेणी में आ जायेंगे।

ईंजनों के आयात की अनुमति देना राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है क्योंकि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बेहतर सुविधाएं तथा उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

'चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स' की मज़दूर यूनियन द्वारा केन्द्र सरकार के इस निर्णय का विरोध करना सही है क्योंकि इनका आयात करना आवश्यक है और इस प्रकार के ईंजनों का स्वेदेशी विनिर्माण संभव है। 520 करोड़ रुपये लागत के 40 ईंजन उस धन (विदेशी मुद्रा) से खरीदे जायेंगे जो एशियाई विकास बैंक से प्राप्त हुआ है।

ईंजन खरीदने के स्थान पर विदेशी मुद्रा का उपयोग उन आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए किया जा सकता है जो अपने देश में नहीं बनाई जा सकती है।

ईंजन आयात करने का हाल का निर्णय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव के समक्ष झुकना है, यह सही कदम नहीं है और इससे बड़े स्तर पर निवेश और प्रशिक्षित श्रमशक्ति पर कुप्रभाव पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री को लिखा है कि इस निर्णय की संवीक्षा की जाए और 'चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स' में क्षमता तथा श्रम-शक्ति का समुचित उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और ईंजन का आयात करने संबंधी नीति को रद्द कर दिया जाए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस आयात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और अपनी भलाई के लिए हम इसकी क्षमता का उपयोग करें। यह अत्यंत गंभीर मामला है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, सदन में स्कैम के ऊपर चर्चा हो रही थी, वह चर्चा अधर में है। आज की विषय सूची में..

अध्यक्ष महोदय: शायद आज नहीं ले रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं इसी बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सदन में चर्चा नहीं हो रही है लेकिन वित्तीय क्षेत्र में अराजकता मची हुई है। स्टॉक मार्केट बंद है, डेढ़ महीने से ज्यादा हो गये।

जिन्होंने फौरेन एक्सचेंज यहां जमा किया था, आज की खबर है कि 500 करोड़ रुपये का फौरेन एक्सचेंज हमारे एस०आर०आईज० वापस ले जा रहे हैं। वित्त मंत्री सदन में कुछ कहते नहीं हैं। एक मंत्री का इस्तीफा हो गया, अन्य मंत्रियों के नाम अफवाहों के घेरे में आ रहे हैं, यह अनिश्चितता समाप्त होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा के लिये रुकने की ज़रूरत नहीं है। वित्त मंत्री को जो कदम उठाने हैं, वे कदम तत्काल उठाने की जरूरत है। यह अराजकता कैसे चलने दी जायेगी। दुनिया के किसी देश में शेयर मार्केट इस तरह बंद नहीं होते। अमेरिका में जान कैनेडी की मृत्यु पर आधे दिन के लिये मार्केट बंद हुआ था, अन्यथा मार्केट बंद नहीं किया जा सकता, मगर सट्टेबाज अपना खेल खेल रहे हैं, सरकार भी निश्चित नहीं है या तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना चाहिये। यह किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति आप समाप्त करिये। सदन में चर्चा के लिये आप कार्यवाई न रोकें। वित्त मंत्री सदन में आकर बतायें कि इस अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए वे क्या कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में खत्म करूंगा। इस विषय में मैं अटल जी से पूरी तरह सहमत हूं क्योंकि इस वक्त सारे देश में, न केवल वित्तीय क्षेत्र में और स्टॉक मार्केट में, बल्कि आम आदमी को भी बहुत गहरी चिन्ता हो गयी है। उसका कारण यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से सट्टेबाजी बढ़ी है, आम शेयरों के भाव बढ़े, आम आदमी की दिलचस्पी आजाद हिन्दुस्तान में इतनी कभी नहीं हुई और लोगों ने शेयरों को खरीदा। वित्त मंत्री जी ने बाहर तो यह बता दिया कि कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं है, दो दो बयान इनके मैंने खुद अखबारों में पढ़े लेकिन उसके बाद मालूम हुआ कि एक मंत्री ने अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दे दिया। जब सदन में बयान दिया तो वित्त मंत्री जी उस पर चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। किसी मंत्री या मंत्रियों को आपने संशय के कटघरे में क्यों खड़ा किया है।

अभी श्रीमन् मेरे एक मित्र बाहर से आये थे, मैं अपनी बात को शीघ्र खत्म कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि विदेशियों में यह भावना है कि

[अनुवाद]

"जब तक यह स्थिति शांत नहीं हो जाती है तब तक हम भारत नहीं आएगें। स्थिति ऐसी चल रही है।"

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इस पर गम्भीरता से ध्यान दें, सरकार ध्यान दे और वित्त मंत्री जी को इस पर बयान देकर सफाई करनी चाहिये।(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश में गंभीर सूखे की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक दिन जब माननीय कृषि मंत्री ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था, हमें यह जानकर बहुत हैरानी हुई थी..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय यहीं बैठे हैं, वे कुछ तो बताएं कि इस बारे में क्या करने वाले हैं? (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे): अध्यक्ष महोदय, सारे सदन की इच्छा है कि अटल जी ने जो बात उठाई है, उस पर बयान देने के लिए कहिए। सारा देश इससे चिन्तित है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मंत्री महोदय को शेयर बाज़ार में वर्तमान स्थिति के कारण अप्रवासी भारतीयों के जमाखाते, जो देश के बाहर जा रहे हैं, के बारे में वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि वित्त मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यदि वह बिना किसी सूचना के उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने या नहीं करने के लिए नहीं कहूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष जी, मुझे जहां तक जानकारी है, आज प्रातःकाल यह निर्णय हुआ है कि मंगलवार को स्कैम की चर्चा आरम्भ की जाएगी।

[अनुवाद]

इसका वित्तीय स्थिति पर तत्काल प्रभाव पड़ा है। अतः मैं यह समझता हूं कि सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में कुछ कहे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, फायनेंस मिनिस्टर बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): फायनेंस मिनिस्टर तो ठीक हैं, उनकी तरफ से कंडक्ट हम करते हैं।

[अनुवाद]

मैं जानता हूं कि कार्यवाही कैसे चल रही है। वह यह बात नहीं जानते हैं।

[हिन्दी]

बात हम करते हैं, ये नहीं करते हैं। सर, यहां पर स्कैम की बात उठी थी. चर्चा हुई थी, फायनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया था, उसके बाद सदन ने पूरी चर्चा मांगी, हमने पूरी चर्चा सरकार की तरफ से मान ली, शुरू हो गई, लेकिन अपोजीशन की तरफ से ही दूसरा मामला उठा और अयोध्या पर चर्चा शुरू हुई, हमने उस को नहीं रोका। इस तरफ से स्टाल हुआ। तीन दिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। हमारी तरफ से वह विषय खुला हुआ है, कभी भी, किसी भी वक्त चाहें चर्चा कर सकते हैं। हमारे इंस्टांस पर बिलकुल कमी नहीं हुई। यह कहना गलत है कि सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, सरकार छिपाती है, आगे नहीं आ रही है। ये बातें बिलकुल बेबुनियाद हैं।

आज के लिए भी अपोजीशन पार्टी से मीटिंग हुई और उसी में यह तय हुआ कि कश्मीर के बाद अयोध्या लिया जाए। हमने यह नहीं कहा कि आज न लिया जाए और कल भी वोट ऑन नो कान्फिडेंस इन्हीं की तरफ से है, लेकिन यह गलत बात है। हम इनकी हर एक मांग को पूरा करते हैं, चोह वह अयोध्या का डिस्कशन हो, चोह स्कैम हो और चोह वोट ऑन नो-कान्फिडेंस मोशन हो और उसके बाद भी सरकार पर यह आरोप लगाया जाए कि आप चर्चा नहीं करते, दिस इज नॉट फेयर। और इस चीज को टिट-बिट्स में नहीं किया जा सकता है। अब ये कहें ये मंत्री स्टेटमेंट दे दे या वह मंत्री स्टेटमेंट दे दे, यह गलत बात है। अब चर्चा हो रही है, उसी में चर्चा आगे करें।

[अनुवाद]

हमने चर्चा स्थगित नहीं की है। आपने चर्चा स्थगित की है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की नाराजगी का कारण मैं समझता हूं और उसके लिए भी मैं या वाजपेयी जी उत्तरदायी नहीं हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं पर्सनली किसी व्यक्ति या आपके खिलाफ नहीं हूं और न मैंने किसी के खिलाफ कहा है। मैंने तो जनरल बात कही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मैंने या वाजपेयी जी ने जिस कारण से कहा है, वह चर्चा के लिए आरह किया था, ऐसी नहीं है, उनका आग्रह था कि देश की जो स्थिति है और उसका दुष्परिणाम जो सारी वित्त व्यवस्था पर पड़ रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है। आप महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं, तो सरकार कुछ तो इस बारे में कहे कि क्या कदम उठा रही है।

चर्चा तो जरूर होगी। मंगलवार को हो जाए, लेकिन हमको यह लगता है कि इस मामले में सरकार की चुप्पी उत्तरदायी है। दुनिया में कई नाम उछल रहे हैं कि फलां भी दोषी है, फलां ने भी शेयर खरीदे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इसलिए बार-बार कहता हूं कि वाजपेयी जी ने जो बात सुझाई है वह अर्थव्यवस्था के हित के लिए और खुद सरकार के हित के लिए है। आप न बोलना चाहें तो मैं इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, उन्हें उत्तर देने दें। समाचार-पत्रों की खबरें स्पष्ट नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुज़फ्फरपुर): जो सवाल अटल जी ने यहां पर उठाया है वह स्टॉक एक्सचेंज के चलने, न चलने का सवाल नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज, जो इस समय बन्द है, उसका और पार्लियामैंट की बहस का रतीभर संबंध नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के जो दलाल हैं उन्होंने पिछले मार्च-अप्रैल से ऐसी** का सिलसिला देश में चलाया, वह उन्होंने नहीं चलाया होता तो शायद सरकार का और सारा घोटाला यहां पर नहीं आता। एक तरफ जो उन्होंने बन्द किया था उसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। मैंने उस वक्त वित्त मंत्री जी से कहा था कि अंडर दी स्टॉक एक्सचेंज एक्ट आपके हाथ में अधिकार है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो गवर्निंग बॉडी है उसको बरखास्त करना, सुपरसीड करना और दूसरी बॉडी वहां पर बिठाना। यह आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किनसे डरकर यहां बैठे हैं? डेढ़ करोड़ लोग आज इनवैस्ट करके बैठे हैं। हिन्दुस्तान में कुल परिवार 16 करोड़ हैं और डेढ़ करोड़ लोगों का इनवैस्टमैंट है तो एक करोड़ परिवारों की इसमें बात है। उसमें बहुत से ऐसे लोग फंसे हुए हैं जिन्हें इस सट्टे बाजार में नहीं फंसना चाहिए था। अभी बन्द करने के पीछे का कारण मैं बताता हूं। अब तक स्टॉक एक्सचेंज बन्द रहता है तो पैसे के लेन-देन का काम ठप्प रहता है। कोई उसके ऊपर ब्याज बना

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

रहा है, कोई अपने पाप को छिपाने का काम कर रहा है। यहां जो मंत्री महोदय खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने बहस को नहीं रोका, बहस का प्रश्न नहीं है, आपके रोजमर्रा के काम का प्रश्न है। आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी है, डिपार्टमैंट आफ इकोनौमिक अफेयर्स की जिम्मेदारी है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज सही ढंग से चलते हैं या नहीं चलते उसपर निगरानी रखना और अगर वे गलत काम करते हैं तो कानून ने आपको अधिकार दिया है कि उस बॉडी को सुपरसीड करें, दूसरी बॉडी वहां पर बिठाएं। पहले आपके पास कोई साधन नहीं था, आज आपके पास सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड है। आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहें हैं? जो घोटाला है यह उसके साथ जुड़ा हुआ मामला है, मैं मानता हूं। मगर उस जुड़े हुए घोटाले का जब भंडाफोड़ हो जाएगा तब सारी बात साफ हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक करोड़ परिवारों को कष्ट में डालकर आप जो यहां पर चुप्पी साधकर बैठे हैं, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, मैं मानता हूं कि श्री राव ने जो प्रश्न उठाया है वह अति महत्व का प्रश्न है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री यह बात कहकर कि विपक्ष की हर बात हमने मान ली, विपक्ष की बात आपने सदन के भीतर मानी लेकिन सरकार के दायित्व को निभाने के लिए क्या हमें कहना जरूरी है। यह आपके दायित्व का प्रश्न है और वित्त मंत्रालय के दायित्व को आप नहीं निभा रहे हैं। मैं जानता हूं उसके पीछे जो कारण है लेकिन उस दायित्व को निभाना चाहिए और देश के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, बम्बई स्टॉक मार्केट को आदेश दो कि तत्काल खोलो, सारे सौदे, आगे-पीछे जो भी लेन-देन है उनको पूरा करो और 24 घंटे में नहीं करेंगे तो उसको सुपरसीड करने का आदेश दे दें। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपके ऊपर आरोप करना होगा कि वहां की चोरी को छिपाने के लिए आप इस सदन का भी इस्तेमाल करते हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। मंत्री महोदय को अप्रवासी भारतीयों के विदेशी खातों के बाहर जाने के बारे में वक्तव्य देना चाहिए।....(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: सरकार को जिम्मेदारी निभाने के लिए आप मजबूर नहीं करेंगे। यह सदन के साथ अन्याय है।....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: इस समय को, सरकार के ध्यान में जो चीज आपको लानी है, वह लाने के लिए आपने इस्तेमाल किया।.......(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: इसी वजह से सारी चर्चा रह जाती है। आपको जब चर्चा करने के लिए कहते हैं उस वक्त आप नहीं कहते हैं और ऐन वक्त में जवाब मांगेंगे। आप अच्छे ढंग से सरकार के ध्यान में बात लाए हैं उतना ठीक है। जब जवाब देने का वक्त आएगा वे जरूर देंगे।

(**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, वह जवाब देना चाहते थे लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कह कर रोका है कि वह नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। आपने गौर से उनको सुना नहीं है। वह तो बोलने के लिये भी खड़े हो गये थे और बोलने के लिये बिल्कुल तैयार थे....(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): आप गलत बयानी मत कीजिये। हर वक्त आपकी** नहीं चलेगी।.....(**व्यवधान**)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, यह वर्ड पार्लियामेंटरी नहीं है......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जोशी जी, आप बैठ जाओ। आप बिना वजह बार-बार उठ रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: कृषि मंत्री महोदय ने एक दिन यह वक्तव्य दिया था।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वह देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं अतः आप संक्षेप में बोलिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में इस स्थिति के बारे में पूर्ण ब्यौरा है। आंध्र प्रदेश में सामान्य से बहुत कम वर्षा हुई है। इसके परिणामस्वरूप बीज नहीं बोये जा सके। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार को सूखे की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी और आवश्यक सहायता नहीं मांगी। अन्यथा सरकर बहुत सतर्कता से कार्य कर रही है। लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार की गलती के कारण आंध्र प्रदेश के किसानों और जनता को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए समुचित सहायता उपलब्ध करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपका ध्यान किसानों की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बोट क्लब पर 25 हजार किसान मौजूद हैं। भारत की अधिकतर आबादी गांवों में बसती है। किसानों का जो दर्द है, उसके ऊपर यहां बहुत कम चर्चा होती है। हमारे यहां मेरठ के किसान आये हुए हैं। सैकड़ों गांवों की जमीन बिना मुआवजे के अधिग्रहण कर ली गई है। उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। हर किसान त्राहि-त्राहि में है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उन्हें जो जमीन दे रही है उस जमीन का 500 रुपये प्रति गज के हिसाब से मुआवजा दिया जाये और उस मुआवजे का भुगतान जब तक नहीं होता तब तक जमीन का अधिग्रहण न किया जाये। कृषि भूमि पर आयकर को खत्म किया जाये और खेती-बाड़ी की जमीन पर शहरी कानून 1976 लागू नहीं किया जाये। जिन परिवारों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उनके प्रत्येक परिवार को नौकरी दी जाये। यही आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज जम्मू कश्मीर का बिल लाना जरूरी है। आपको कल या परसों बोलने का समय दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम): महोदय, मुझे दो दिन से नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं देशभर से टेलीफोन संदेश प्राप्त कर रहा हूं कि बैंक कांड में विपक्ष का रवैया समझ नहीं आ रहा। जब सरकार की तरफ से प्रधान मंत्री बैंक कांड पर विस्तार से चर्चा के लिए तैयार होकर आए तो चर्चा शुरू हुई। श्री जसवन्त सिंह पहले ही इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा। वे नाटकीय रूप से बदल गए हैं और इस कांड पर चर्चा न करने के लिए सभा का ध्यान बांट रहे हैं। इसका मतलब है कि विपक्षी दल भी बैंक कांड में शामिल हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने मंत्रिपरिषद को एक प्रश्नावली दी है। मैं विपक्षी नेताओं

श्री आडवाणी जी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री चन्द्रशेखर जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह जानने के लिए अपने सदस्यों को प्रश्नावली दी है कि क्या वे बैंक कांड में संलिप्त हैं या नहीं।

इसलिए विपक्ष की यह मंशा है कि सच्चाई जानने की नहीं है। वे नहीं चाहते कि अफसरशाही और राजनीतिज्ञों के बीच संबंध उजागर हो। उन्होंने गत अनेक वर्षों तक देश के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए यदि वे इतने साहसी हैं तो उन्हें अयोध्या और राजस्थान के मामले पर चर्चा रोक देनी चाहिए और तुरन्त बैंक कांड पर चर्चा शुरू करनी चाहिये। हमें देखना है कि क्या उनमें साहस है या नहीं।....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उनको बोलने दीजिए। आप कल बोलेंगे, कल आपको ज्यादा टाइम दूंगा।

श्री रामनिहोर राय (राबर्ट्सगंज): मैं आपका बहुत आभारी हूं। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका सोनभद्र है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। वहां कैमूर सर्वे सैटलमैंट आपके सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में किया जा रहा है। 1960 में जब रिहन्द डैम बनाया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था तो वहां के लोगों को वहां से उजाड़ा गया। हमारे आदिवासी, हरिजन, गिरिजन लोग उजाड़े गये और उनको तीन-तीन, चार-चार बार उजड़ना पड़ा। बभनी एवं म्योरपुर ब्लाकों के गांव बभनी, पोखरा, चैनपुर, बटोर, नलमती, खैराही, चपकी, सोरा, भवर और सिन्दुर आदि गांवों में वह जाकर बसे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों को तीन और साढ़े तीन बीघे से लेकर 10 बीघे तक शासकीय भूमि का आबंटन किया। आज वहां पर तमाम प्रोजेक्ट लग रहे हैं, वहां आपका शक्ति नगर है, अनपरा थर्मल पावर है, कोयले की खदानें हैं। इन लोगों को पट्टा दिया गया है और उसी समय से ये निरीह गरीब अनुसूचित जाति के लोग उस जमीन पर भूमिधर बनकर खेती-बाड़ी कर रहे थे लेकिन आज कैमूर सर्वे सैटिलमैंट के द्वारा वह जमीन भी बड़े लोगों को दे दी गई है.....

अध्यक्ष महोदय: अब बस ठीक हो गया।

श्री रामनिहोर राय: मैं बहुत थोड़े में बोल रहा हूं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि भूमि प्रबन्धक समिति ने गरीबी की रेखा के नीचे के गरीबों को जो भूमि आबंटित की है, उसे भी वन विभाग में कर दिया गया है और ग्राम देरवा में 30 बीघा भूमि रिजर्व फोरेस्ट की थी, उसे धन लेकर, काश्तकारों को न देकर, बड़े लोगों को दे दिया गया, यह मैं बताना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय: अब समाप्त कीजिए।

श्री रामनिहोर राय: जोरूखाड़, बरखड़, घघरी में बड़े अधिकारियों ने आज वहां के विधायक विजय सिंह गौड़ को 9.6.1992 को रासुका में गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि, वह आदिवासी हैं और आदिवासियों की लड़ाई लड़ता था।

मान्यवर, जी० एम० ए० की चौंकाने वाली चीज मैं बताना चाहता हूं म्योरपुर ब्लाक के ग्राम अनपरा के ओड़ी स्टेशन रोड पर प्लाट नं० 956......

अध्यक्ष महोदय: ऐसा करेंगे तो अब आगे टाइम नहीं दूंगा आपको।

श्री रामनिहोर राय: जो सैटिलमैण्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त हैं, उन्होंने अपने लड़के और औरतों के नाम कुंआरी करके दिखाये हैं। एक अन्य अधिकारी ने अपनी पत्नी के नाम पर पबनी क्रासिंग पर साढ़े सात बीघा जमीन को दिया है......

अध्यक्ष महोदय: अब रिकार्ड पर नहीं जायेगा, अगर आप कन्क्लूड नहीं करेंगे।

श्री रामनिहोर राय: जब हमारे आदिवासी विधायक इस मामले को लेकर आये तो नौ तारीख को उन्हें

गिरफ्तार करके जेल के सींखचों में बंद कर दिया गया और उनको हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया गया है, इसी सरकार ने यह किया है, क्योंकि वह आदिवासी है और आदिवासियों की लड़ाई लड़ता है......

अध्यक्ष महोदय: देखिये, इसके बाद मैं रिकार्ड पर नहीं जाने दूंगा।

श्री रामनिहोर राय: वहां हरिजनों पर अत्याचार हो रहा था, सवर्णों द्वारा इसलिए उनको वहां पर रासुका में जेल में बन्द कर दिया गया है, इस तरह से यह अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार है इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार किया गया, बशर्ते यह जो अधिकारी और जो जज सर्वे से संबंधित हैं, उनके द्वारा किये गये आबंटन को निरस्त किया जाये......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

अब यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा।

(व्यवधान)*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

12.30 म०प०

[अनुवाद]

मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण इत्यादि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राय मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग और समुद्र विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2158/92]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(3) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2159/92]

(5) सरदार बल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 2160/92]

(7) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 2161/92]

(9) भारतीय शैक्षणिक परामर्श लिमिटेड और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 2162/92]

(10) (एक) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तर क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 2163/92]

(12) (एक) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2164/92]

(14) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अंतर्गत लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2165/92]

(16) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2166/92]

(18) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2167/92]

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2168/92]

(20) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2169/92]

(22) (एक) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2170/92]

(24) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2171/92]

(26) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2172/92]

(28) (एक) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आरकेटैक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आरकेटैक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2173/92]

(30) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारांगल, के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारांगल, के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारांगल, के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2174/92]

(31) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध और प्रशिक्षण परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध और प्रशिक्षण परिषद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2175/92]

(33) (एक) इलाहाबाद संग्राहालय सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्राहलय सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2176/92]

(35) (एक) साहित्य अकादमी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2177/92]

(37) (एक) संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2178/92]

(39) राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

---

*वार्षिक प्रतिवेदन 29-7-1991 को सभा पटल पर रखा गया।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2179/92]

(41) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) एज्यूकेशनल कन्सैलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ले के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एज्यूकेशनल कन्सैलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2180/92]

(ख) (एक) एज्यूकेशनल कन्सैलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एज्यूकेशनल कन्सैलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2181/92]

(43) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2182/92]

(45) (एक) भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 2183/92]

(47) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 2184/92]

(49) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2185/92]

(51) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2186/92]

(53) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2187/92]

(55) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट आफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट आफ हिस्ट्री आॅफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2188/92]

(57) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2189/92]

(59) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2190/92]

(61) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2191/92]

(63) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2192/92]

(65) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2193/92]

(67) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2194/92]

(69) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2195/92]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): मैं आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक)	विवरण संख्या 30	— छठा सत्र, 1986	[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल॰ टी॰ संख्या	2196/92]	
(दो)	विवरण संख्या 30	— आठवां सत्र, 1987 का भाग 2	[″ ″ ″ ″	2197/92]	आठवीं
(तीन)	विवरण संख्या 29	— नौवां सत्र, 1987	[″ ″ ″ ″	2198/92]	लोक
(चार)	विवरण संख्या 29	— दसवां सत्र, 1988	[″ ″ ″ ″	2199/92]	सभा
(पांच)	विवरण संख्या 24	— ग्यारहवां सत्र, 1988	[″ ″ ″ ″	2200/92]	
(छह)	विवरण संख्या 21	— बारहवां सत्र, 1988	[″ ″ ″ ″	2201/92]	
(सात)	विवरण संख्या 21	— तेरहवां सत्र, 1989	[″ ″ ″ ″	2202/92]	
(आठ)	विवरण संख्या 18	— चौदहवां सत्र, 1989	[″ ″ ″ ″	2203/92]	
(नौ)	विवरण संख्या 14	— पहला सत्र, 1989	[″ ″ ″ ″	2204/92]	
(दस)	विवरण संख्या 15	— दूसरा सत्र, 1990	[″ ″ ″ ″	2205/92]	
(ग्यारह)	विवरण संख्या 11	— तीसरा सत्र, 1990	″ ″ ″ ″	2206/92]	
(बारह)	विवरण संख्या 9	— छठा सत्र, 1990	[″ ″ ″ ″	2207/92]	
(तेरह)	विवरण संख्या 8	— सातवां सत्र, 1991	[″ ″ ″ ″	2208/92]	
(चौदह)	विवरण संख्या 7	— पहला सत्र, 1991	[″ ″ ″ ″	2209/92]	
(पंद्रह)	विवरण संख्या 4	— दूसरा सत्र, 1991	[″ ″ ″ ″	2210/92]	
(सोलह)	विवरण संख्या 2	— तीसरा सत्र, 1992	[″ ″ ″ ″	2211/92]	

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2211/92]

रेल दावा अधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत अधिसूचना

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): मैं रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम 1992 जो 28 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 438(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल॰ टी॰ संख्या 2212/92]

भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचना, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखती हूं:—

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय भेषजी परिषद (संशोधन) विनियम, 1991, जो 21 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-1/80-पी०सी०आई०/भाग-1 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2213/92]

(दो) भारतीय भेषजी परिषद (पेंशन/परिवार पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि तथा सेवा निवृत्ति उपदान) विनियम, 1991, जो 11 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 26-11/83-पी०सी०आई० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2214/92]

(2) (एक) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2215/92]

(4). (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2216/92]

(6) (एक) भारतीय परिचर्या परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय परिचर्या परिषद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2217/92]

(8) (एक) भारतीय भेषज परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भेषज परिषद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2218/92]

(10) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2219/92]

12.31 म०प०

[अनुवाद]

सभापति-तालिका के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि कर्नल राव राम सिंह की मंत्री के रूप में नियुक्ति के परिणाम स्वरूप अब वह सभापति तालिका के सदस्य नहीं रहे हैं। उनके स्थान पर, प्रतिभा संबंधी नियमों के नियम 91 के अन्तर्गत मैंने श्री पीटर जी० मरबनिआंग को सभापति-तालिका का सदस्य मनोनीत किया है।

12.31¼ म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): मैं कार्य मंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.31½ म०प०

[हिन्दी]

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.31¾ म०प०

[अनुवाद]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.32 म०प०

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(नये भाग 9 का अंत: स्थापन और ग्याहरवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नाथू राम मिर्धा (नागपुर): महोदय, मै भारत के संविधान अर्थात् संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 **(नये भाग 9 का अंत: स्थापन और ग्याहरवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)** में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.32¼ म०प०

[अनुवाद]

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(नये भाग 9 का अंत:स्थापन और ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)

संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य

श्री नाथू राम मिर्धा (नागपुर): महोदय, मै भारत के संविधान अर्थात् संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नये भाग 9 का अंत:स्थापन और ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा

[श्री नाथू राम मिर्धा]

जाना) में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अभिलेख सभा-पटल पर रखता हूं।

12.32 $^1/_4$ म०प०

[अनुवाद]

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(नए भाग 9क का अंत:स्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री चित्त बसु (बारसाट): महोदय, मैं भारत के संविधान अर्थात् संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नये भाग 9क का अंत:स्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.32 $^3/_4$ म०प०

[अनुवाद]

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(नए भाग 9क का अंत:स्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना)

संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य

श्री चित्त बसु (बारसाट): महोदय, मैं भारत के संविधान अर्थात् संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नये भाग 9क का अंत:स्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

12.33 म०प०

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मध्य रेलवे के बडनेरा-वर्धा खंड पर 9 जुलाई 1992 को 8033 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रैस का पटरी से उतर जाना

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): बड़े दुख के साथ मुझे सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि 9.7.1992 को 4.05 बजे मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के बडनेरा-वर्धा खंड पर 8033 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रैस गाड़ी की दुखद दुर्घटना हो गई है। जब यह गाड़ी धामनगांव और तलनी स्टेशनों के बीच ब्लाक खंड पर चल रही थी, तब इसके 11 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये जिनमें से 5 सवारी डिब्बे

उलट गये, जिसके फलस्वरुप, 15 व्यक्तियों की जानें गई और अन्य 29 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 8 को गंभीर चोट आयी। घायल व्यक्तियों को वर्धा के सेवाग्राम मेडिकल अस्पताल और यवतमाल सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया था।

दुर्घटना-स्थल से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, दुर्घटना-स्थल के निकट अप और डाउन लाइनों पर फिशप्लेटें और बोल्ट गायब पाये गये। कुछ फिशप्लेट बोल्ट एक निकटवर्ती गांव को जाने वाले रास्ते में भी बिखरे हुए पाये गये हैं। संचार के लिए लगाई गई इमर्जेंसी साकेट भी क्षतिग्रस्त पायी गयी। प्रथम दृष्टि में, यह दुर्घटना संदिग्ध तोड़-फोड़ के कारण हुई है। बहरहाल, रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य सर्किल द्वारा 10.7.1992 से इस दुर्घटना की मुकम्मिल सांवधिक जांच शुरू कर दी गयी है और जांच कार्य चल रहा है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही, वर्धा, अजनी और बडनेरा से डाक्टरों सहित चिकित्सा राहत यान भेजे गये, जो क्रमशः 6.55 बजे, 8.00 बजे और 8.30 बजे दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गए। धामनगांव से कुछ डाक्टरों को भी "लाइट" इंजन द्वारा दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना किया गया, जो 6.05 बजे वहां पहुंचे। सेना के पुलगांव स्थित जवानों ने राहत कार्यों में सराहनीय सहायता की।

फंसे हुए यात्रियों को बसों और एक विशेष गाड़ी द्वारा पुलगांव से हावड़ा भेज दिया गया है।

नागपुर से मंडल रेल प्रबंधक और अन्य अधिकारी 5.05 बजे दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हुए, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक भी बम्बई से दुर्घटना-स्थल को गए और बचाव तथा राहत कार्यों की देख-रेख की।

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और सदस्य यांत्रिक के साथ, मैं भी दुर्घटना-स्थल पर गया था और दुर्घटना-स्थल का निरीक्षण किया।

हम वर्धा के अस्पताल में घायल यात्रियों को देखने भी गये।

दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान की व्यवस्था की गयी है। यह राशि रेल दुर्घटना क्षतिपूर्ति नियम, 1990 के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अलावा होगी। मृत्यु तथा चोट लगने के ऐसे मामलों में, जहां घायल व्यक्ति कोई कार्य करने के योग्य न रह जाए, देय क्षतिपूर्ति की राशि 2 लाख रुपये है, अन्य किस्म की चोटों के लिए यह राशि 16,000 रुपये से 1,80,000 रुपये तक के बीच है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ, सभी रेल कर्मी और मैं इस दुखद दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के रिश्तेदारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं तथा घायल व्यक्तियों के प्रति सच्ची सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

मुझे विश्वास है कि सदन भी मेरे साथ मिलकर, शोक-सन्तप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करेगा।

———

12.35 म॰प॰

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

श्री चिरंजी लाल शर्मा: (करनाल): मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा से श्री सोम पाल की सेवा-निवृत्ति से उत्पन रिक्ति में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा से एक सदस्य का निर्वाचन करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा ऐसे नियुक्त सदय का नाम इस सभा को भेजे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है;

"कि यह सभा राजय सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा से श्री सोम पाल की सेवा-निवृत्ति से उत्पत्र रिक्ति में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा से एक सदस्य का निर्वाचन करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा ऐसे नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को भेजे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.36 म॰प॰

(दो) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं;

"कि भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 17 मार्च, 1992 के संकल्प संख्या 32/33/88-एम के पैरा संख्या 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 17 मार्च, 1992 के संकल्प संख्या 32/33/88-एम के पैरा संख्या 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

12.37 म० प०

संविधान (सतहत्तरवां सशोधन)

विधेयक (अनुच्छेद 323 ख में संशोधन)

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती शीला कौल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं?

12.38½ म० प०

[अनुवाद]

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक*

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जगदीश टाईटलर: में विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

13.39 म० प०

[अनुवाद]

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं डा० मनमोहन सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का

---

*दिनांक 14 जुलाई 1992 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग दो, खंड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[श्री दलबीर सिंह]

अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री दलबीर सिंह: मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

12.40 म०प०

पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): मैं डा० मनमोहन सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम 1947 को निरसित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

> "कि पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को निरसित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करना चाहता हूं।

महोदय, यह विधेयक एक अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 71(1) के अंतर्गत यह कहा गया है:

> "जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूप भेद सहित या उसके बिना सभा में पुनःस्थापित किया जाए तो सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जाएगा, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।"

यह विशेष व्याख्यात्मक विवरण हमें पहले परिचालित नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई अध्यादेश सभा में रखा जाता है, तो उसी समय सभा में विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये क्योंकि उस समय भी सरकार अध्यादेश को जारी करने के कारणों के बारे में बता सकती है। यदि उस समय ऐसा नहीं किया जाता तो जब विधेयक सदस्यों को पहले परिचालित किया जाता है, उस समय विधेयक के साथ व्याख्यात्मक विवरण भी परिचालित किया जाना चाहिये। यदि व्याख्यात्मक विवरण भी हमें पहले मिल जाता है तो यह हम देख सकते हैं कि क्या विवरण में दिये गये कारण सही हैं अथवा नहीं और क्या वे संविधान के अनुसार हैं अथवा नहीं। इसलिये यह आवश्यक है कि

---

*दिनांक 14 जुलाई 1992 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग दो, खंड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

विधेयक के साथ व्याख्यात्मक विवरण भी पहले भेजा जाना चाहिये। मैं जानता हूं कि व्याख्यात्मक विवरण कार्यसूची में अगली मद है। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि यह प्रथा नियम 71(1) के अनुसार बदली जानी चाहिये। वरन् हम अंधेरे में ही रह जायेंगे क्योंकि हमें व्याख्या के बारे में पता नहीं होगा। इसलिये, इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक होना चाहिये कि जब कभी भी कोई अध्यादेश सभा में प्रस्तुत किया जाये तब अध्यादेश के साथ व्याख्यात्मक विवरण सभा में पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि विधेयक को परिचालित करते समय किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता, तो उसके बाद भी व्याख्यात्मक विवरण परिचालित किया जा सकता है जिससे हम संवैधानिक दृष्टिकोण से उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): केवल नियम को पढ़ने से ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह जान कर हमनें इन कागजातों को पहले से ही तैयार रखा है। क्या आपकी अनुमति से मैं इस नियम को पढ़ सकता हूं? नियम 71(1) के अन्तर्गत यह कहा गया है:

"जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यदेश के स्थान में उसमें रूपभेद सहित या उसके बिना सभा में पुरःस्थापित किया जाए तो सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जायेगा, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।"

यहां मैं जब कभी कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है शब्दों पर बल देना चाहूंगा। व्यावहारिक तौर पर आज तक इन शबदों की व्याख्या इन अर्थों में की जा रही है कि हम व्याख्यात्मक विवरण भी प्रस्तुत करते हैं। इसको इस तरह से लागू किया जा रहा है। यदि इनकी कोई दूसरी व्याख्या दी जाती है, तो भी हम सहमत हैं और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब तक तो इसी प्रथा का अनुसरण किया जाता रहा है। ऐसा हो सकता है कि हमें इस नियम को इस दृष्टि से देखना पड़े कि क्या इस नियम में किसी संशोधन की वास्तविक रूप में आवश्यकता है अथवा नहीं। हमें इस प्रथा को बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। अब तक तो यही प्रथा रही है और इस नियम की यही व्याख्या ही मानी जाती रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अब चूंकि मामला उठाया ही गया है, इनमें से कौन सी व्याख्या बेहतर है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): प्रकिया की बात के अलावा, मेंरे साथी ने जो बात कही है, वह एक बहुत ही व्यावहारिक बात है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप इस पर विचार करें। जब विधेयक, पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व, परिचालित किया जाता है तो विधेयक के साथ व्याख्यात्मक विवरण भी परिचालित किया जाना चाहिये। वरन्, इससे उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हम केवल एक परम्परा के पीछे ही चलते आ रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: जहां तक इस बात का संबंध में, मैं विपक्ष के माननीय सदस्य से सहमत हूं। मैं उनके इस दृष्टिकोण की सराहना भी करता हूं। लेकिन अब तक इसकी यही व्याख्या ही की गई है। यदि हमें प्रक्रिया को बदलना भी पड़ता है, तो हमें यह तो देखना ही होगा कि क्या नियमों के अनुसार ऐसा किया जा सकता है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदयः यह एक वैध बात है। फिर भी इस पर मैं कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं दे सकता। मैं इस मामले का अध्ययन करूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को निरसित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामेश्वर ठाकुरः मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

12.44 3/4म० प०

पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): मैं डा० मनमोहन सिंह की ओर से पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

सभा पटल पर रखा गया। देखिये संख्या [एल०टी० 2157/92]

12.45 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) **शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों की बीच में ही स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता:**

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर): चूंकि उड़ीसा और कई अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जाखतियों के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल छोड़े जाने और स्कूल में प्रवेश न पाने के प्रमुख कारणों में से एक कारण आर्थिक पिछड़ापन भी है, इसलिये उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अल्प साक्षरता क्षेत्रों में कुछ प्रोत्साहन योजनायें लागू किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ये प्रोत्साहन दोपहर के भोजन, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, छात्राओं के लिए स्कूल की वर्दी, छात्रवृत्ति में वृद्धि आदि के रूप में हो सकते हैं। संसाधनों की कमी के कारण 'राज्य योजना' के अन्तर्गत पैसे की व्यवस्था करना राज्य सरकारों के लिए सम्भव नहीं हुआ है। विगत कुछ वर्षों में शिक्षा के लिये योजना- परिव्यय में महत्वपूर्ण उत्तरोत्तर कदम उठाने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। इसको देखते हुए यदि मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में केन्द्र की ओर से प्रोत्साहन योजनायें शुरू की जायें तो बेहतर होगा। इन योजनाओं के द्वारा इन राज्यों को, पूर्ण-साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सफलता प्राप्त करने में काफी सहायता मिल सकेगी। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सक्षम बनाने की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाये ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों

के छात्रों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने में पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सके और स्कूल छोड़े जाने की प्रवृत्ति को सख्ती से रोका जा सके।

(दो) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के तमिलनाडु खंड के रख-रखाव के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री एन॰ डेनिस (नागरकोइल): त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर तमिलनाडु सेक्शन की हालत बहुत खराब है। यह सड़क मानसून की वर्षा के कारण टूट-फूट गई है। सड़क में कई जगह छोटे-छोटे गड्ढे और दरारें हैं और सड़क के दोनों ओर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। इसी कारण वहां आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि इस मार्ग के तमिलनाडु में स्थित भाग की दशा खराब रहती है। वर्षा में इस सड़क की हालत ठीक रखने के लिए तमिलनाडु में भी सड़क के रख-रखाव और मरम्मत के लिए वही तरीके अपनाये जायें, जोकि केरल में अपनायें जाते हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस सड़क के रख-रखाव के लिए तत्काल कदम उठाये जायें।

(तीन) रायचूर ताप-विद्युत संयंत्र को चालू रखना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी): रायचूर ताप-बिजली संयंत्र जहां कोयले की भारी कमी हो गयी थी, एक बार फिर संकट ग्रस्त हो गया है, क्योंकि सिंगरैनी कोयला खान के मजदूरों ने 8 जुलाई तक मजदूरी न अदा किये जाने पर हड़ताल करने की धमकी दी है।

कर्नाटक पावर कार्पोरेशन को, जो इस संयंत्र का संचालन करती है, कोल इंडिया लिमिटिड को 18 करोड़ रुपये अदा करने हैं। प्रबन्धक मंडल को यह आंशका है कि यदि कर्नाटक पावर कार्पोरेशन देय राशि का भुगतान नहीं करेगी, तो वह मजदूरों का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर पायेंगे। प्रबन्धक मंडल ने कर्नाटक पावर कार्पोरेशन को कोयला पूर्ति रोक देने के बारे में चेतावनी भी दी है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें और इससे पूर्व कि संयंत्र के बंद हो जाने की नौबत आये, इस मामले को निपटा दिया जाये।

(चार) पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा॰ परशुराम गंगवार (पीलीभीत): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत (उ॰ प्र॰) में संचार विभाग में अव्यवस्था की ओर दिलवाना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र पीलीभीत तराई क्षेत्र का सबसे ज्यादा आतंकवादग्रस्त क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र की बात तो अलग रही, शहर के मुख्य टेलीफोन जैसे — डी॰ एम॰, एस॰ पी॰ तक के टेलीफोन काम नहीं करते हैं। मेरा स्वयं का टेलीफोन, जो कि मेरे निवास पर लगा हुआ है पिछले दो महीने से काम नहीं कर रहा है। बार-बार कहने के उपरान्त भी मेरा टेलीफोन ठीक नहीं हुआ है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए पीलीभीत में तत्काल, इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

(पांच) **देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का मुकाबला करने के लिए पुलिस अधिनियम में संशोधन करने की दिशा में कदम उठाये जाने की आवश्यकता:**

श्री श्याम लाल कमल (बस्ती): भात में पुलिस बल 'पुलिस अधिनियम 1861' से शासित है जिसे ब्रिटिश शासकों ने 1857 के तथाकथित 'गदर' के तुरन्त बाद बनाया था, ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ, सिर उठाने की कोशिश करने वाली जनता का दमन किया जा सके। भारतीय पुलिस अधिनियम तभी से ही अकारगर सिद्ध हुआ है।

निरंतर बढ़ रहे अपराध, आबादी, आवासीय दबाब, हिंसक वारदातें, छात्र आन्दोलन, आतंकवाद तथा आर्थिक और सामाजिक अपराध में निरंतर बढ़ोत्तरी आदि ऐसे पहलू हैं, जिससे सुरक्षा तथा कानून और वयवस्था संबंधी समस्या का स्वरूप काफी बदल गया है। अतः इन कारणों से पुलिस अधिनियम में तत्काल परिवर्तन अपरिहार्य है।

'राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1980-81' ने राष्ट्र-हित में अनेक दूरगामी सिफारिशें की थी किन्तु ये सिफारिशें लागू नहीं की गई है। सरकार को चाहिये कि इन सिफारिशों पर इस सभा में चर्चा करें और उन्हें तत्काल लागू करें।

पुलिस के राजनीतिक स्वार्थों के लिए उपयोग से भारतीय प्रजातंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। सरकार से अनुरोध है कि निम्नलिखित मामलों में तत्काल कदम उठाये जाये:—

(1) इस मामले पर सभा में चर्चा की जाये और सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने की दिशा में कदम उठाये जाये।

(2) राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1980-81 के प्रतिवेदन को कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

(3) पुलिस अधिनियम, 1861 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के स्थान पर तत्काल नए कानून कार्यान्वित किये जाने चाहिये।

(4) पांच लाख या उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरों में पुलिस आयुक्त के अधीन कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिये।

(5) 21वीं शताब्दी की मांगों को ध्यान में रखते हुए पुलिस के लक्ष्यों और दायित्वों को नए सिरे से निर्धारित किया जाना चाहिये।

(6) पुलिस एक्ट को इस प्रकार बनाया जाना चाहिये जिससे उसको नियमित आधार पर अद्यतन किया जा सके।

(छ) **बिहार में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, यों तो सारे देश में मानसून के अभाव में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, पर बिहार की स्थिति विशेष रूप से भयावह है। बारिश नहीं होने के कारण खेतों में लगी फसलें प्रायः झुलस चुकी है। खरीफ की बुआई नहीं के बराबर हो पायी है। बिजली की स्थिति बिहार में सबसे भयावह है। अतः इस माध्यम से सिंचाई की आंशिक पूर्ति भी सम्भव नहीं है। डीजल का अभाव, ट्यूबवैल और नालों की बेमरम्मती ने स्थिति को और अधिक संकटपूर्ण बना दिया है। नगदी फसल गन्ना आदि के सूख जाने के कारण किसानों की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। अतः प्रकृति के इस प्रकोप को केन्द्र सरकार

को चाहिए सारे देश के पैमाने पर युद्ध स्तर का मुकाबला कर, विशेष कर बिहार जैसे राज्य को विशेष वित्तीय सहायता तथा राष्ट्रीय माध्यम से बिजली की आपूर्ति, डीजल का विशेष कोटा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस आसन्न अकाल को रोका जा सकता है, इससे उत्पन्न विकट परिस्थितियों से बचा जा सकता है बशर्ते केन्द्र सरकार नियोजित कार्य योजना के अन्तर्गत युद्ध स्तरीय कार्रवाई आरम्भ करें।

[अनुवाद]

(सात) **मालदा से गुवाहाटी तक रेल लाइन को दोहरी करने का कार्य फिर से आरंभ किए जाने की आवश्यकता:**

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी): महोदय, मैं जिस तथ्य की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि उत्तरी बंगाल का मालदा, जिला, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग और कूचबिहार रेल सुविधाओं की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुये हैं। इन जिलों की जनता को आधुनिक रेल सुविधाओं से वांचित रखा जा रहा है। बलूरघाट जिला मुख्यालय को आज तक भी रेल लाईन से नहीं जोड़ा जा सका। दोहरी रेल लाईन भी नहीं है और इस क्षेत्र में जनता को बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उत्तरी बंगाल की जनता को बेहत्तर रेलवे सुविधायें प्रदान करने की दिशा में व्यावहारिक तौर पर आज तक कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं। इस क्षेत्र की जनता को झूठ-मूठ आश्वस्त करने के लिए एक लाक्षी बलूरघाट रेल लाईन के निर्माण के लिए रेल बजट में एक शीर्ष तय किया हुआ है। मालदा से गुवाहाटी तक बड़ी लाइन का निर्माण शुरू किया गया था, किन्तु अब इसे अकारण ही अकस्मात रोक दिया गया है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि मालदा से गुवाहाटी के बीच दोहरी लाइन बिछाने, एकलाक्षी-बलूरघाट रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने, विद्युत रेल गाड़ी सुविधाओं को उपलब्ध कराने और कटिहार-रायगंज तथा सिलीगुड़ी-अलीपुर द्वार रेल लाईन को मीटर गेज से बड़ी लाईन में बदलने की दिशा में तत्काल कदम उठाये जायें।

(आठ) **तमिलनाडु के उन किसानों को, जिनकी फसलें कीड़ा लगने के कारण नष्ट हो गई हैं मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता:**

श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनम): तमिलनाडु में विशेषकर अर्कोनम निर्वाचन क्षेत्र के चियार ताल्लुक में गन्ने और चावल की खड़ी फसलें कीड़ा लगने की वजह से तबाह हो गई हैं, जिसे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने फसल उगाने के लिये जो रुपया लगाया था, वह भी डूब गया है। यद्यपि तमिलनाडु सरकार ने उन्हें भूमिकर से मुक्त कर दिया है, फिर भी यह राहत समुचित नहीं है। उन्हें जो नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे के रूप में उन्हें नकद राशि दी जानी चाहिये।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु सरकार को इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट देने के लिए हिदायत दे ताकि पता चल सके कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है और गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आज सभा का कार्यवाही समय से पूर्व ही सम्पन्न हो गयी है। अब हम सभा को स्थगित करते हैं। अब सभा 2-00 म०प० पर पुनः समवेत होगी।

आज हमें जम्मू-कश्मीर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पारित करना है। इसके लिये हमारे पास समय भी है।

12.57 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोकसभा 2-05 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

2-05 म०प०

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधान संबंधी कार्यवाही को लेते हैं।

मद संख्या 22 जम्मू-कश्मीर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक। श्री जैकब।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि जम्मू-कश्मीर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाये।"

महोदय, सभा यह जानती है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 के अर्न्तगत राष्ट्रपति महोदय ने 18 जुलाई 1990 को जो घोषणा की थी, उसमें अन्य बातों के साथ इस बात का भी प्रावधान है कि राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार से किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 357 (1) (क) के अन्तर्गत यह कहा गया है कि राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति इस निमित विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें राष्ट्रपति आरोपित करना ठीक समझे, प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद को अनुमति होगी। जम्मू-कश्मीर से संबंधित ऐसे बहुत से वैधानिक प्रस्ताव हैं जिन पर 18 जुलाई 1992 से पूर्व कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। संसद के दोनों सदनों के पास और भी कई किस्म के काम की अधिकता को ध्यान में रखते हुए, संसद के लिये यह संभव नहीं हो सकेगा, कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में तमाम वैधानिक प्रस्तावों को निपटाया जा सके। अतः यह विधेयक राष्ट्रपति को राज्य के लिए राज्य विधान मंडल के समान कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के सम्बन्ध में ऐसे कानून बनाना एक सामान्य प्रथा रही है और वर्तमान विधेयक सामान्य स्वरूप का ही है। इस विधेयक में एक परामर्शदात्री समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें 15 संसद सदस्य (लोक सभा से 10 सदस्य और राज्य सभा से 5 सदस्य) होंगे। इस विधेयक में यह भी उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी कानून में यथावश्यक संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त होगी।

मैं माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि सभा के समक्ष जो भी वैधानिक प्रस्ताव हैं, उन्हें स्वीकृति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संशोधन संख्या 1—प्रो॰ रासा सिंह रावत — अनुपस्थित

संशोधन संख्या 2 — श्री गिरधारी लाल भार्गव

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पर 15 अक्तूबर, 1992 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: संशोधन संख्या 3 — श्री सैयद शाहाबुद्दीन

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कुल एक घन्टे का समय निर्धारित है — कांग्रेस पार्टी के लिए 25 मिनट; भारतीय जनता पार्टी के लिए 12 मिनट; जनता दल के लिए 6 मिनट; मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए 4 मिनट आदि।

प्रो॰ प्रेम धूमल।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम धूमल (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर की वर्तमान कानून और व्यवस्था तथा राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए, मैं जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं क्योंकि वर्तमान स्थितियों में, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों में बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान, कानून में बहुत से ऐसे संशोधन किये गये, जो राज्य कानून के सम्बन्ध में किये गये, उनकी वैधता 18 जुलाई को इस वर्ष समाप्त हो जायेगी। यदि ये अधिकार राष्ट्रपति महोदय को नहीं दिये गये और जिस प्रकार सदन का समय बार-बार स्थगन के कारण बर्बाद हो रहा है, इस सदन को उस प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्याओं और उसके सम्बन्ध में बने कानूनों और उनमें किये गये संशोधनों पर भी विचार करने का समय नहीं मिल रहा है, यह सचमुच में अत्यन्त गम्भीर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

आज जम्मू कश्मीर में विधान सभा नहीं है और इस सदन को उस महत्वपूर्ण प्रदेश के मामलों पर, वहां बनने वाले कानूनों पर और उनमें किये गये संशोधनों पर विचार करने के लिये भी समय नहीं है, इसी कारण से, संविधान की धारा 357 की क्लॉज (1) की सब-क्लॉज (ए) के अधीन राष्ट्रपति महोदय को अब जम्मू कश्मीर राज्य के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया जा रहा है। मंत्री महोदय ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि वे संसद की एक सलाहकार समिति बनायेंगे जिसमें 10 सदस्य लोक सभा के होंगे और 5 राज्य सभा के होंगे।

आपको याद होगा कि पंजाब के बारे में भी आपने एक ऐसी ही समिति गठित की थी लेकिन बैठक कितनी बार बुलायी गयी, उसे रिकार्ड पर आप देख सकते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध रहेगा कि जो समिति आप कश्मीर के बारे में बनाने जा रहे हैं, कम से कम समय पर उसकी बैठक आप अवश्य करायें ताकि थोड़ा लोकतांत्रिक स्वरूप उसका बना रहे और केवलमात्र राष्ट्रपति की ओर से अध्यादेश बनकर ही वह न रह जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर की स्थिति तो वैसे ही विचित्र है परन्तु इस सरकार की नीतियों ने उसे और विचित्र बना दिया है। गृह मंत्री का बयान आता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत शीघ्र चुनाव होने वाले हैं और वहां लोकतांत्रिक प्रणाली शुरू हो जायेगी जबकि आपकी ही सरकार के दूसरे मंत्री कहते हैं कि चुनाव के लिये अभी स्थिति साजगार नहीं है। जनता भ्रम में रहती है कि इस सरकार के दो मंत्री अलग-अलग बयान देते हैं — एक ने कहा जल्दी चुनाव होने वाले हैं और दूसरा कहता है कि चुनाव के लिये वहां अभी स्थिति ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि जम्मू कश्मीर के मामलों का प्रभारी कौन है। कहीं दो मंत्रियों के झगड़े के बीच में वहां की स्थिति और अधिक खराब न हो जाये....**(व्यवधान)**.....वे खुद समझ जायेंगे।

जम्मू कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं हुई जबकि पूरे देश में जनगणना का काम सम्पन्न हो गया, जम्मू

[प्रो॰ प्रेम धूमल]

कश्मीर में आप जनगणना नहीं करा सके। यदि आप वहां चुनाव कराने जा रहे हैं तो उसके लिये मतदाता सूचियां किस जनगणना पर आधारित होंगी। कश्मीर घाटी से जो ढाई लाख विस्थापित आ गये हैं, क्या आप जम्मू में उनके लिये मत देने की व्यवस्था करायेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो जम्मू और कश्मीर की जो विधान सभा है, उसमें जम्मू क्षेत्र की सीटें अनुपात के हिसाब से बढ़ायेंगे। कानून बनाने की शक्ति एवं अधिकार तो राष्ट्रपति या केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले रही है परन्तु कश्मीर घाटी से आये विस्थापितों की समस्या के बारे में आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आज वे विस्थापित दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनकी समस्या को हल करने के लिये आपने कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। पिछले दिनों चूंकि हंगामा बहुत होता रहा, एक खबर यह आयी थी कि कुछ विस्थापितों को उनमें से आप शायद वापस घाटी में ले गये, जिनकी संख्या लगभग 16 थी। बारामूला में उन्हें जहां ठहराया गया, पुष्करनाथ बट्ट मट्टू नाम के एक विस्थापित को वहां उग्रवादियों ने गोली से मार दिया। बाकी जो लोग वापिस गये थे उनको धमकी दी गई की फौरन घाटी छोड़कर चले जाइयें नहीं तो तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो पुष्कर नाथ मट्टू का हुआ। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों के लिये प्रयत्न करें कि घाटी में हालात सुधरे, अच्छी परिस्थितियों हों, लोग वापिस अपने घरों को जायें। लेकिन वहा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं फिर भी आप लोगों को ले जाकर अगर इस तरह की घटनायें करवायेगें तो उसका कुप्रभाव होगा, ठीक असर नहीं होगा और लोगों में असुरक्षा की भावना और अधिक फैलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से पत्र हमें विस्थापितों के आते हैं। विरोधी पक्ष के नेता आडवाणी जी के नाम और मैंने बहुत से ऐसे पत्र गृह मंत्री महोदय को, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय को भेजे हैं। पिछली बार जब राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिये प्रस्ताव आया था उसका समर्थन करते हुये मैंने चव्हाण साहब जो उस दिन उपस्थित थे, उनसे कहा था कि जो पत्र हम लिखते हैं, एक सांसद पत्र लिख रहा है कि फलां व्यक्ति की समस्या है, इसको हल करने के लिये कोई कदम उठाइये तो जम्मू कश्मीर की सरकार, वहां के प्रशासन से हमें उन पत्रों की ऐकनौलेजमैंट प्राप्त नहीं होती, एक्शन क्या होगा। गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं इस मामले को देखूंगा, इसमें कदम उठाये जायेंगे ताकि समस्याएं हल हों। आज तक जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से एक भी पत्र का न तो ऐकनौलेजमेंट प्राप्त हुआ है और न ही किसी पर कार्यवाही की गई है। जो पत्र मैंने केन्द्र सरकार के मंत्रियों को लिखे, विशेषकर गृह मंत्री को, उन पत्रों के उत्तर में भी केवल इतना आया है कि मैं मामले को दिखवा रहा हूं, दि मैटर इन वींग ऐगजामिंड, उसके बाद ऐगजामिनेशन कितने वर्ष चलेगा वह हमारी समझ से बाहर है। आज तक एक पत्र भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ कि फुलां मामला आपके द्वारा हमें भेजा गया था, उस समस्या को हल करके हमने निपटा दिया है। समस्याएं क्या हैं? कुछ कर्मचारी सेवानिवृत हुये हैं जो अपना प्रौवीडैंट फंड मांग रहे हैं, घाटी से आ गये हैं, कोई सिकन्दराबाद में जा बसा है, कोई देश के दूसरे हिस्से में, कुछ स्टूडैंटस ने परीक्षा दी हुई है, उसका अभी तक परिणाम नहीं निकला। एच॰एम॰टी॰ के इम्प्लाइज को वहां से ट्रांसफर किया, वे कानपुर में गये। जो हायर रैंक के थे उनको तो वहां ऐडजस्ट कर दिया, कुछ जो लोअर रैंक के थे, पहले ही गरीब थे, उनको दो-दो कैटेगरी डाउन करके भेज दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में व्यक्तिगत तौर पर बात आई है। वे एल॰पी॰जी॰ गैस कनैक्शन के लिये भटकते फिरते हैं, बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में दाखिल करने के लिये भटकते फिरते हैं। क्या उनके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये बातें बार-बार दोहराई गई हैं लेकिन आज तक केन्द्र सरकार की ओर से विस्थापितों की समस्याओं को हल करने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं।

मैं मांग करना चाहूंगा कि जहां आप राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शक्ति अपने हाथ में ले रहे हैं कि वहां के कानून संशोधनों को आप कर सकें, संसद में भी बहस न हो, अगर संसद में बहस नहीं होगी तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी जिम्मेदारी भी आप समझिये। वह जिम्मेदारी भी आप पर आती है। मैं आशा करता हूं कि

आप पिछले कुछ अनुभवों से लाभ उठाते हुये जो संशोधन आवश्यक हैं उनमें उन शक्तियों का प्रयोग करें, वहीं जो लोग उजड़कर आये हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिये ईमानदारी से प्रयत्न करें।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह विधेयक इस आवश्यकता से लाया गया है क्योंकि जनवरी 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने साम्यवादियों की सहमति से भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित सदस्य को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया था और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार निर्वाचित हो सके, इस इरादे से उन्होंने वहां की पहले से निर्वाचित राज्य विधान सभा को भंग कर दिया गया था।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को लाना इस वजह से जरूरी बन गया है कि भा०ज०पा० द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति को, कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा साम्यावादियों की सहमति से जनवरी, 1990 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था और जम्मू और कश्मीर में उनके आगमन को सरल बनाने के लिये, निर्वाचित राज्य विधान सभा को निलंबित रखा गया है।

हम अपने में से कुछ साथियों की वर्षगांठ मनाते हैं। श्री जगमोहन ने जम्मू और काश्मीर में अपने आगमन की वर्षगांठ हर महीने, जम्मू और काश्मीर राज्य की निर्वाचित विधान सभा को अपनी मर्जी से बिना किसी की राय लेकर यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति, की भी नहीं, भारत के प्रधान मंत्री की भी नहीं, भारत के गृह मंत्री की भी नहीं और पार्टी के अध्यक्ष की भी नहीं, जो उन्हें जम्मू और काश्मीर में भेजने के लिये उत्तरदायी है, भंग कर के मनाने का निर्णय किया।

यह सिर्फ इसलिये था कि जम्मू और काश्मीर के लोगों की इच्छा को पहले उनकी विधिवत् निर्वाचित विधान सभा को निलंबित करके दबाया गया और फिर, राज्यपाल जगमोहन के एकपक्षीय और बिल्कुल व्यक्तिगत निर्णय से विधान सभा को भंग करके उनकी इच्छा को दबाया गया। उसी कारण आज हम जम्मू और काश्मीर राज्य में सतत प्रशासन बनाने के लिये आज हम उचित संवैधानिक और कानूनी उपबंध बनाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। इतने अधिक लोगों के भाग्य का एक पक्षीय निर्धारण की क्षमता जम्मू और काश्मीर राज्य के संविधान-के एक उपबंध, विशेषकर धारा 92; के कारण पैदा हुई, जो राज्यपाल को ऐसी कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करती है। उस धारा में यह उपबंध है कि वह जम्मू और कश्मीर राज्य की निर्वाचित विधान सभा को राष्ट्रपति की सहमति के बिना भंग करने की उद्घोषणा नहीं कर सकते। श्री जगमोहन ने वह सहमति सभा को भंग करने से पहले प्राप्त नहीं की थी , और इस वजह से मार्च, 1990 में श्रीनगर भेजे गये सर्वदलीय शिष्टमंडल ने उस समय की भारत सरकार से निवेदन किया गया था, कि इसमें निहित कानूनी प्रश्नों का शीघ्र निर्णय लिया जाये कि क्या किसी से परामर्श किये बिना जम्मू और काश्मीर राज्य विधान सभा को भंग करने के लिये श्री जगमोहन ने धारा 92 की इस प्रकार व्याख्या करना कानूनी बात थी, हमें उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य से यह पता लगना चाहिये कि क्या यह कदम ठीक था। उस वक्त की भारत सरकार की आदत थी, कि वह आश्वासन किसी बात का देती थी और करती कुछ और थी। हमें उस सरकार के कानून मंत्री ने ही नहीं परन्तु उस सरकार के प्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया था, कि उच्चतम न्यायालय की राय जल्दी से जल्दी ली जायेगी कि क्या राज्यपाल जगमोहन द्वारा की गई कार्यवाही कानूनी है या गैर कानूनी वह निर्णय हमें कभी नहीं मिला। वह राय हमें कभी नहीं मिली। यह बताने के बजाये कि क्या जम्मू और काश्मीर राज्य विधान सभा को भंग करना कानूनी था या नहीं, हमें यह बताया गया कि जम्मू और काश्मीर की स्थिति से निपटने के लिये भारत

[श्री मणिशंकर अय्यर]

सरकार के दो-दो मंत्री होंगे। यह तथ्य है कि उनकी परस्पर नहीं बनती। इसी कारण संभवतः हमें वास्तव में क जाने वाले कार्यवाही के संबंध में सरकारी सदस्यों के बीच कुछ मतभेद होने की वही परम्परा बनाई रखनी होगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा स्थापित की गयी यह एक पुरानी परंपरा है, और महोदय, हम तो उन लोगों में से है जो कि उन जैसे महापुरुष के पदचिन्हों पर चल रहे हैं।

यह बिल्कुल सच है कि जम्मू और काश्मीर की संविधान की धारा 92 के अर्न्तगत जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों, के प्रयोग से ही यह संभव हुआ है। यह कैसे है कि जम्मू और काश्मीर का अपना संविधान है जबकि महाराष्ट्र का नहीं है, जबकि तमिलनाडु का नहीं है और जबकि पश्चिम बंगाल का भी नही है—हालांकि हमारी इच्छा है कि उनका भी संविधान हो—और ऐसा कैसे है कि भारत संघ केवल एक ही राज्य ऐसा है जिसको अपना स्वयं का संविधान रखने का न केवल अधिकार प्राप्त है बल्कि उसका अपना संविधान है भी।

महोदय ऐसा संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण है। चूंकि अनुच्छेद 370 के उद्देश्यों, प्रयोजनों और औचित्य की गलत परिभाषा के आधार पर इस देश में असन्तोष की ज्वाला भड़काने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है, अतः मेरे विचार में इस बात पर विचार करना आवश्यक हो गया है कि हमारे समक्ष प्रस्तुत इस विधेयक को पारित किया जाये या नहीं और इस बात पर विचार किया जाये कि अनुच्छेद 370 किन कारणों से लागू किया गया और इस बात पर विचार किया जाये कि हमारे संविधान में सर्वप्रथम प्रारूप के अतिआवश्यक रूप में अनुच्छेद 370 प्रस्तुत किये जाने के 43 वर्ष बाद भी उसे बनाये रखना क्यों आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, 17 अक्तूबर, 1949 को, उस वक्त के भारत के विधि मंत्री श्री गोपालस्वामी अय्यंगर इस सदन में यह चर्चा प्रस्तुत कर रहे थे कि अनुच्छेद 370 को रखना क्यों आवश्यक है। और यह बहुत दिलचस्प बात है कि यह केसरिया विचारों का प्रतिनिधि नहीं था, परन्तु, वास्तव में एक सम्माननीय मुसलमान था जो संविधान सभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा था और मौलाना हसरत मोहानी, जिसने इस चैम्बर में 17 नवम्बर, 1947 को वाद विवाद में गोपालस्वामी अय्यंगर को रोका और चिल्लाह कर कहा कि यह भेदभाव क्यों? " वह एक मुसलमान भी था जिसने कहा "जम्मू और काश्मीर के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है?" अतः जब श्री आडवाणी हमें बताते हैं, मेरे विचार में उन्होंने 4 फरवरी 1991 को "इंडियन एक्सप्रैस" को दिये गये एक साक्षात्कार में कहा था कि धारा 370 बने रहने का कारण एक ही है कि ऐसे लोग हैं जो भारत की एकमात्र मुसलमान बहुल राज्य को तुष्ट करना चाहते हैं। मै उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, कि जम्मू और कश्मीर के साथ भेदभाव, के खिलाफ पहली आपत्ति भारतीय संघ के एक विधान मंडल में, हमारे गेरूआ वस्त्रधारी मित्रों की आवाज से नहीं की गयी बल्कि वह आपत्ति मौलाना हसरत मोहानी नामक एक मुसलमान द्वारा उठाई गई थी। उन्होंने कहा यह भेदभाव क्यों? और श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने उसका उत्तर दिया।

श्री राम नाईक (बम्बई उत्तर): क्या आपको इस बात का पता है कि 1949 में भाजपा ही नहीं परन्तु जन संघ भी अस्तित्व में नहीं। इस वजह से, यहां पर कोई प्रतिनिधि होने का प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु जिस दिन से जनसंघ की स्थापना की गयी, हम कह रहे हैं, कि अगर आप धारा 370 को कायम रखते हैं तो इससे देश का विभाजन होगा और अब यही हुआ है।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, यह सत्य है कि 1949 में भाजपा नहीं थी और यह भी सत्य है कि जनसंघ भी नहीं थी। परन्तु छोटी छोटी खाकी नीकरों में कुछ सज्जन थे जो कि शाखाओं में पी टी कर रहे थे, इस पार्टी की परम्पराओं की वजह से आजादी की लड़ाई में विघन आया, और स्वतंत्र भारत के लिए भी खतरा पैदा हुआ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: (दक्षिण दिल्ली) आप तो उस समय कच्छा बनियान पहनते थे।

श्री मणिशंकर अय्यर: मुझको बहुत डर है कि यदि मैं कच्छा पहनने लगूं तो मेरा सारा दिमाग सिर से निकलकर कच्छे में पहुंच जायेगा।

[अनुवाद]

जब मौलाना हसरत मोहानी ने पूछा कि 'यह भेदभाव क्यों' तो भारत के कानून मंत्री ने भारत सरकार की तरफ से, यह जवाब दिया, और मैं उसमें से कुछ शब्द बताना चाहूंगा।

श्री गोपालस्वामी अय्यंगर ने कहा कि 'भेदभाव कश्मीर की स्थिति की वजह से है'। उन्होंने कहा कि 'यह राज्य विशेष अभी इस प्रकार एकीकरण के लिए तैयार नहीं है। यह सामान्य आशा है कि वक्त के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर भी एकीकरण के लिए उसी प्रकार तैयार हो जायेगा जो स्थिति दूसरे राज्यों में हुई है। उन्होंने कहा ''कश्मीर की स्थिति'' विशेष है, और इसे विशेष व्यवहार की जरूरत है।,

मेरे विचार में, महोदय, यहां पर यह सबका विचार था कि अक्तूबर 1949 में जम्मू और कश्मीर की स्थिति विशेष थी, वह किसी भी अन्य राज्य की स्थिति से अलग थी और सब लोगों में एक ही आशा थी कि जल्दी से जल्दी, वह विशेष स्थिति सामान्य हो जायेगी ताकि जम्मू और कश्मीर राज्य का भारतीय संघ में विलय उन्हीं शर्तों पर हो पाए जिन पर दूसरी रियासतें भारत संघ में विलय की गयी थीं।

अब, श्री. गोपालस्वामी अय्यंगर के द्वारा बताई गई विशेष परिस्थितियां तीन थीं। इनमें से पहली थी, कि जम्मू और कश्मीर की सीमा में युद्ध चल रहा था। मुझे खेद है, महोदय, कि वह युद्ध अभी भी चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि, वह युद्ध अभी भी चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वह युद्ध जो महाराजा हरी सिंह के जम्मू और कश्मीर राज्य के एक भाग पर पाकिस्तानी आक्रमण से आरंभ हुआ। एक ऐसा युद्ध है, जिसे अन्जाम नहीं दिया गया है। वह ऐसा युद्ध है जो अभी भी चल रहा है, और इस वजह से, भारत के उस भाग में, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है परन्तु एक वास्तविक नियंत्रण रेखा है और जम्मू और कश्मीर पर हमारा दावा, कश्मीर के उन भागों पर भी है जो पाकिस्तानियों के कब्जे में हैं। इस तरह से, श्री गोपालस्वामी अय्यंगर ने जिस पहली बात का उल्लेख किया वह अर्थात 43 वर्ष बाद भी बनी हुई है।

कश्मीर को विशेष मानने के लिए, इन्होंने जो दूसरा कारण बताया वह यह था कि ' राज्य का एक हिस्सा विद्रोहियों और शत्रुओं के हाथों में है और उस राज्य के वह हिस्सा अभी भी विद्रोहियों और शत्रुओं के हाथों में है, क्योंकि भारत के लोगों, ने अपनी बेसमझदारी के कारण भारत का शासन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को सौंप दिया, और जम्मू और कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब हमारे शत्रुओं और विद्रोहियों के हाथों में है।

तीसरा, उन्होंने कहा:

> ''हम इस बात से सहमत हैं कि जन समुदाय की इच्छा, संविधान सभा के माध्यम से ही राज्य का संविधान बनेगा और उसी के द्वारा ही राज्य पर केन्द्र के क्षेत्राधिकार का निर्धारित होगा''

जब हमने स्वयं 1947 में जनमत कराने की पेशकश की तो हमारे लिये यह जरूरी था कि भारत और पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग ने जिस जनमत के आयोजन की सिफारिश की जब पाकिस्तान की हठधर्मिता के कारण वह नहीं कराया जा सका तो हम जनता के विचारों का पता लगाने के लिये कोई तरीका निकालते और हमने यह तरीका निकाला कि जम्मू-कश्मीर को अपनी संविधान सभा बनाने का मौका दिया जावे, जिसके माध्यम से जम्मू और कश्मीर के लोगों की इच्छा का पता चल सकेगा।

[श्री मणिशंकर अय्यर]

जम्मू और कश्मीर संविधान सभा ने जो सबसे पहला काम किया वह यह घोषणा थी कि जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का अविच्छिन्न अंग है। इस वजह से, जम्मू और कश्मीर के राज्य का भारत संघ के साथ विलय का एक मात्र कानूनी आधार जम्मू और कश्मीर का संविधान है और उस संविधान में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जिसमें भारत के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जम्मू और कश्मीर राज्य को भी शामिल किया गया है। अतः यदि आज कोई यह सुझाव दे कि आज समय आ गया है। जब कश्मीर में युद्ध जारी है, जब पाकिस्तानियों द्वारा छिप कर युद्ध जारी रखा जा रहा है, जब कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात से संतुष्ट रखना जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर का भारत संघ के साथ विलय का कानूनी आधार है—उस समय भारतीय संविधान के अस्थायी और अंतरिम उपबंध अर्थात् जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कहना एक बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना कार्य है।

यह एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कार्य है क्योंकि वास्तव में, भारत के लोगों और भारत के उस हिस्से के लोगों, जिसे जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, के बीच आपसी रिश्ते विश्वास पर आधारित हैं। और वह विश्वास जैसा श्री शेख अब्दुल्लाह ने अगस्त, 1952 को जम्मू और कश्मीर संविधान सभा में संविधान पेश करते समय कहाः

"राज्य के निवासियों के अधिकारों और विशेष अधिकारों की कोई भी परिभाषा, स्थिर नहीं रह सकती; कभी न कभी ऐसा समय आ सकता है जब उस व्याख्या को उदार बनाने की आवश्यकता पड़ जाये"। वह स्वयं मान गए थे कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और हम वास्तव में आगे बढ़े हैं, परन्तु अंत में प्रश्न यह है कि क्या भारत के सभी लोगों में आपसी विश्वास बना रहेगा इसके बावजूद कि वह मुसलमान हैं जो घाटी में रहते हैं या वे हिन्दु या दूसरे धर्म के लोग हैं या इस्लाम धर्म के लोग हैं जो भारत के दूसरे भागों में रहते हैं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के सुनहरे शब्द ही, हमें उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां हमें जाना चाहिए। उन्होंने कहा थाः

"भारत के साथ हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी गारंटी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता के समान विचार हैं जिन विचारों ने आजादी के संघर्ष में भारत और जम्मू और कश्मीर के लोगों का पथ प्रदर्शन किया है और जिसके सामने सभी संविधानिक संरक्षण एक गौण होंगे"।

जब तक हम एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेंगे जिसमें प्रत्येक भारतीय का मान भारतीय होने के नाते होगा और जिसमें उसे हिन्दु-मुसलमान, हिन्दु-बौद्ध, हिन्दु-ईसाई, हिन्दु-सिख, हिन्दु-यहूदी और मेरे जैसे लोगों को हिन्दु नास्तिक बन कर नहीं रहना होगा जैसा कि श्री आडवाणी चाहते है कि केवल भारतीय होना ही पार्यप्त नहीं है।

श्री राम कापसेः (ठाणे) क्या आप एक मिनट के लिए सुनेंगे? क्या आपने कभी श्री आडवाणी को ऐसा कहते हुए सुना है?

श्री मणिशंकर अय्यरः मैं आपको उस साक्षात्कार के बारे में बताता हूं जो उन्होंने दिसम्बर, 1989 के अन्त में कलकत्ता के 'टेलीग्राफ' समाचारपत्र को दिया और यह औचित्य बताया था, जैसाकि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने हमें बताया, कि उन्हे आपके साथ समझौता क्यों करना चाहिए और वह किस प्रकार एक अच्छे आदमी हैं और यह प्रत्येक भारतीय के लिए आवस्यक है कि वह पहले स्वयं को हिन्दू कहे। उन्होंने इस साक्षात्कार को 4 फरवरी, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में फिर दौहराया जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

मुझे अचरज है कि भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी में ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो नहीं जानते कि उनके नेता ने क्या कहा है।

श्री राम कापसेः हम जानते हैं। इसके साथ आप पूरे साक्षात्कार की गलत व्याख्या कर रहे हैं। यही समस्या है।

श्री मणिशंकर अय्यरः मैं इस तथ्य से चिंतित हूं कि भारत के अल्पसंख्यकों ने इसे गलत समझा है। मुझे आप लोगों की मंशा से बहुत डर लगता है।

इसे देखते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद दें। कश्मीर में चार शताब्दियों से साम्प्रदायिक सदभावना थी जो आपके प्रतिनिधि ने राज्यपाल के रूप में वहां जाते ही चार दिन में खत्म हो गई। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पुरानी युनानी कहावत का अनुसरण करेंगेः"प्रत्येक व्यक्ति में दो दैत्य होते हैं-एक उसके दायें कंधे पर दूसरा बायें कन्धे पर।" श्री जार्ज फर्नान्डीज के दाये कंधे पर बैठा दैत्य धर्मनिरपेक्ष है जिसे पता है कि आप जैसी साम्प्रदायिक शक्तियों से निपटना अत्यंत खतरनाक है। लेकिन उनके बायें कंधे पर दूसरा छोटा दैत्य बैठा है और जैसा कि आज के 'इंडियन एक्सप्रैस' में लेख में कहा गया है, वह पूछता रहता है कि कैसे आपके केसरिया आश्रय् में फंसे।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंहः (शिवहर) उपाध्यक्ष जी, यहां बार-बार कश्मीर की समस्या पर और कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पर सदन को बहस करनी पड़ती है, यह दुख की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो-तीन पहलू हैं, एक पहलू तो आजादी के दिनों में जाता है जब कश्मीर का आन्दोलन चल रहा था और मैं अपने दोस्तों को उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूं जो आज धारा 370 के खिलाफ बात करते हैं, तो मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जिस समय देश में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उभारने के लिए साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिल करके मुहम्मद अली जिन्ना जब अभियान चला रहे थे या मुस्लिम लीग जब अभियान चला रहा था तो देश की राष्ट्रवादी ताकतों के साथ, राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ, गांधी और जवाहर लाल नेहरू के साथ आवाज में आवाज मिला करके शेख अब्दुला और वहां की नेशनल कांफ्रेंस हिन्दुस्तान की आजादी के संघर्ष के लिए लड़ रही थी और उसी के परिणामस्वरूप जब आजादी के बाद पाकिस्तान का हमला कबाइलियों के रूप में हुआ और जब भारतीय सेना वहां गई, हिन्दुस्तान का संबंध कश्मीर से हुआ तो उसके बाद से नेशनल कांफ्रेंस और शेख अब्दुला ने भारत के साथ अपना स्थाई संबंध बनाए रखा और मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर की विधान सभा जो पहली अक्तूबर को मिली थी उसमें शेख अब्दुला ने क्या कहा था उसको मैं कोट करता हूं—31 अक्तूबर , 1951, जम्मू-कश्मीर विधान-सभा की प्रथम बैठक में शेख अब्दुला ने कहा कि पिछले चार सालों में भारत सरकार ने कभी भी हमारी अन्दरूनी आजादी में दखल देने की कोशिश नहीं की है इससे हमारा भारत सरकार में विश्वास बढ़ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम राज्य नहीं है एक सामन्तवादी राज्य है। भारत में चार करोड़ मुसलमान हैं जब कि पश्चिम पाकिस्तान में ढ़ाई करोड़ हैं। अगर मुसलमानों के साथ रहने की बात है तो क्यों न हम मुसलमानों के साथ रहें। 15 अक्तूबर से 27 अक्तूबर तक, 15 अगस्त, 1947 से 27 अक्तूबर, 1947 तक जम्मू-कश्मीर स्वतंत्र रहा। इसका नतीजा यही हुआ कि हमारे पड़ौसी ने जिससे स्टेंडस्टील समझौता था, हम पर हमला किया। उसके बाद का माहौल क्यों बिगड़ा, क्योंकि 1953 में 9 अगस्त को शेरे कश्मीर शेख अब्दुला को कैद किया गया उस समय यह माहौल बदला। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ बन चुका था और एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान का नारा और आन्दोलन चला और उस आन्दोलन में गिरफ्तार स्वर्गीय श्याम प्रसाद मुखर्जी की हत्या.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति कश्मीर में बनी है, जो आतंकवाद का वातावरण पैदा हो रहा है,उसके बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झाः (मधुबनी) श्यामा प्रसाद जी की गिरफ्तारी भी सिर्फ यह बोलने के लिये नहीं हुई थी, बल्कि कश्मीर में उपद्रव करवाने के लिये गिरफ्तारी हुई थी (व्यवधान)

प्रो॰ प्रेम धूमलः (हमरीपुर) क्या आपने 1942 वाली मिराष्ट्र दोहरानी शुरू कर दी है? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: (मुम्बई-उत्तर) हमें वहां जाने के लिये परमिट की जरूरत पड़ती है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा के समक्ष यह मामला नहीं है।

[हिंदी]

श्री राम नाईक: बाद में नेहरू जी ने जिनको गिरफ्तार किया, उनके शब्दों को आप गोल्डन वर्ड्स कह रहे है?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): हम कम से कम आमतौर-तरीके तो अपनायें। जब हम हस्तक्षेप करते हैं तो संबंधित अध्यक्ष को मान जाने के लिये कहते हैं और यदि वह मान जाते हैं तो हम हस्तक्षेप करते हैं। एक दूसरे पर यह चिल्लाना नहीं होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री राम कापसे: क्या आपने उनका कथन सुना?

श्री मणिशंकर अय्यर: जब आपने कहा तो मैं मान गया था। (व्यवधान)

श्री राम कापसे: श्री रंगराजन कुमारमंगलम ने तौर-तरीकों का उल्लेख किया था। मैं कहना चाहूंगा कि यही तौर-तरीके अन्य भी अपनायें। जब वे इस प्रकार से कुछ का उल्लेख करेंगे तो आप हम से क्या अपेक्षा रखते है। क्या आप उनसे सहमत हैं। यह समस्या है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: मैं यह आरोप नहीं लगा रहा कि केवल विपक्ष ने ही ऐसा किया है मैंने सभा के सभी सदस्यों से अपील की थी।

[हिंदी]

श्री हरि किशोर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, दुखद बात यह है कि आज देश में इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है कि कश्मीर के लोग अपने को हिंदुस्तान से अलग समझने लगे हैं। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी ऐसी बन रही है, ऐसे परिवर्तन हुये हैं, अलगाववाद आये हैं, क्षेत्रीयता की भावना बढ़ी है, सोवियत संघ का विघटन हुआ है, युगोस्लाविया का हो रहा है और क्षेत्रीयवाद की समस्या बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने संविधान की धाराओं और कांस्टीट्वेंट असेंबली का जिक्र किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य में उत्पन्न होने वाली क्षेत्रीयवाद की समस्या को ध्यान में रखते हुये इसका हल निकाला था और धारा 370 का समावेश किया। आज हमारे भाई धारा 370 समाप्त करने की बात करते हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्षेत्रवाद की भावना बढ़ रही है, जिस भावना को कश्मीर में समाप्त कर दिया गया था और संविधान के निर्माताओं ने संविधान में धारा 370 का समावेश किया था, उस क्षेत्रवाद की भावना को फिर से उभारने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान की चर्चा ने करें और "एकता यात्रा" भी न करें। ऐसी यात्राओं से पृथकतावाद की भावना बढ़ती है। वास्तविकताओं के आधार पर देश की राजनीति की संरचना होती है कल्पनाओं के आधार पर नहीं। आज हमारी संस्कृति हमारी विभिन्नता की प्रतीक है और हमारी विभिन्नता में हमने एकता देखी है। यह हमारी एकता का प्रतीक है। राजनीति

के चक्कर में ज्यादा न पड़ें, सांस्कृतिक एकता की बात करिए। सांस्कृतिक एकता के आधार पर यह देश एक रहा है। यह भावना की बात है। देश की एकता की बात यदि हम करते हैं तो हमें सांस्कृतिक एकता की बुनियाद के आधार पर बात करते हैं। राजनीतिक एकता इस देश में रही है, नहीं रही है, देश के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं, आप टुकड़े-टुकड़े करने की प्रक्रिया को ज्यादा जोर न दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। ..(**व्यवधान**).. अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से सर्टीफिकेट तो हमारे नेता ने नहीं दिया था, वी॰ पी॰ सिंह जी ने नहीं दिया, किसी दूसरे नेता ने दिया था कि इनकी सरकार से अच्छी सरकार कोई हुई नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इस देश में कोई प्रधान मंत्री ही नहीं हुआ है, यह हमारे वी॰ पी॰ सिंह जी ने नहीं कहा है, दूसरे किसी नेता ने वाशिंगटन में जाकर कहा है। कश्मीर में न केवल आतंकवादी समस्या है, जिसका सामना करने के लिए सारा राष्ट्र एकजुट है, बल्कि क्षेत्रीय विषमता की समस्या भी उत्पन्न हो रही है तथा लद्दाख काफी उपेक्षित इलाका रहा है। आज लद्दाख में जो बौद्ध संघ ने अपनी मांग रखी है कि उस मांग को भी नजर-अंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने मांग यह रखी है कि लद्दाख को केन्द्र-शासित क्षेत्र घोषित किया जाए। ये जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं लद्दाख और जम्मू में और जो उनके विकास की प्रक्रिया काफी धीमी रही है, पिछड़ा हुआ इलाका है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए नहीं तो लद्दाख में एक दूसरी तरह का आन्दोलन चल रहा है जो हमारे लिए और राष्ट्र के लिए काफी घातक सिद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान से संबंधित होने के साथ-साथ यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है। विश्व की शक्तियां जो 1947 के बाद से हैं, जब हम आजाद हुए, उस समय से हमें सबल राष्ट्र नहीं देखना चाहती। उन शक्तियों में से आज पाकिस्तान को किसी शक्ति ने तरजीह दी है। लम्बे अर्से तक पाकिस्तान उनके वर्दहस्त में रहा है तथा सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता देकर आज पाकिस्तान को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि वह एक आणविक शक्ति हो जाए। पाकिस्तान आणविक शक्ति हो गया है। पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो राजनीति है, कश्मीर में आतंकवादियों को सहायता देने की, उसकी सारा देश भर्त्सना करता है। उस पर राष्ट्रीय सहमति है। कुछ न कुछ ऐसा इन्तजाम जरूरी करना चाहिए कि इसका अन्त हो, पाकिस्तान से बात करके हो। अगर यह असंभव हो जाए तो लम्बे अर्से तक "लो-की" वार जो लगे हुए हैं उसका अन्त होना चाहिए, चाहे जिस तरह से भी हो नहीं तो हमारी राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंच रही है, एकता को ठेस पहुंच रही है। साथ ही साथ अय्यर साहब ने चर्चा की कि राष्ट्रीय मोर्चे की जब सरकार थी तो दो मंत्री परस्पर विरोधी जुबान में बात करते थे। आज क्या हो रहा है? आज भी दो मंत्री हैं, एक मंत्री हैं जिनको दूसरे मंत्री आमतौर पर, सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ित करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आदत नहीं छोड़ी है। एक तो गृह मंत्री हैं और दूसरे पायलट साहब। पता नहीं पायलट साहब कौन से प्लेन की पायलटिंग करके चले जाते हैं....(**व्यवधान**) सरकार को एक बात करनी चाहिए। कभी यह नहीं कहना चाहिए कि हम वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। वहां चुनाव होने चाहिए। ऐसे चुनाव नहीं होने चाहिए, जैसे पंजाब में हुए हैं। 1977 में जिस तरह के चुनाव हुए थे, उस तरह का चुनाव होना चाहिए। ...(**व्यवधान**) कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए सारे राष्ट्र का समर्थन सरकार को है। लेकिन सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता नहीं है। अगर दूरदर्शिता रहती तो फारूख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता और न उनसे सांठ-गांठ करके... (**व्यवधान**) उनको राजनीति दृष्टि से समाप्त कर दिया जाता। आज फारूख अब्दुल्ला को आपने इतना बरबाद कर दिया है, कि वे कुछ करने लायक नहीं रह गए हैं। आज कश्मीर में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनको प्रोत्साहित करके कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जम्मू कश्मीर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक सरकार के सम्मुख कुछ व्यावहारिक तथा संवैधानिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाया गया है। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि इस अवसर पर सभा में यह कहा जाए और उत्तेजना उत्पन्न की जाए कि कश्मीर का विलय कैसे हुआ और गत वर्षों में क्या हुआ है।

मैं स्वयं को विधेयक के उपबंधों और उद्देश्यों तक ही सीमित रखूंगा। जैसा कि मैंने कहा है कि यह विधेयक कुछ संवैधानिक और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए है। 19 जनवरी, 1990 को राज्यपाल शासन घोषित हुआ और इसके बाद एक महीने के अन्दर विधान सभा को भी तत्कालीन राज्यपाल के समय में भंग कर दिया गया। इस दौरान विधान सभा की शक्तियां राज्यपाल ने ले ली थी और राज्यपाल की हैसियत से अनेक कानून पारित किए। अब संविंधान के अनुसार इन कानूनों के उपबंध 18 जुलाई, 1992 को समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन कानूनों को प्रभावी रखने और कानूनी मामलों में और उलझन से बचने के लिए उपबंधों का प्रावधान करना आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। उदाहरण के लिए जम्मू-कश्मीर (अशान्त क्षेत्र) अधिनियम भी ऐसा एक अधिनियम है; जन सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम के तहत बन्दियों को राज्य से बाहर भेजने का प्रावधान है, यह भी ऐसा ही अधिनियम है; जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम पुनर्निर्धारण आयोग के गठन से संबंधित है और यह भी इसमें शामिल है; 'माता वैष्णव देवी ट्रस्ट' भी इन उपबंधों के न होने पर समाप्त हो जाएगा। इस कम समय में संसद के लिए इन सभी संशोधनों को पूरा करना इन्हें पारित करना और प्रभावी रखने के उपबंध बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने यह रास्ता निकाला और अनुच्छेद 357(1)(क) का सहारा लिया। इसमें ऐसी परिस्थितियों में विधायी शक्तियां संसद को प्रत्यायोजित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को दी जाएंगी। इन शक्तियों का प्रयोग करके हम विधेयक के तहत इन उपबंधों का प्रावधान कर रहे हैं और इन कानूनों और संशोधनों के संबंध में इन कानूनों को प्रभावी करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां प्रत्यायोजित कर रहे हैं। अब इस विधेयक में दो उपबंध बना कर इस संसद की शक्तियों की पूर्णतः सुरक्षा की गई है।

पहले, एक समिति गठित की जाएगी जो परामर्शदात्री समिति जैसी होगी और 10 सदस्य इस सभा से और 5 सदस्य उच्च सदन से होंगे और इन शक्तियों का प्रयोग करते समय कोई कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा इस समिति से परामर्श किया जाएगा। इस प्रकार जम्मू-कश्मीर के मामले में कानून बनाने की इस प्रक्रिया में यह संसद पूर्णतः शामिल होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम राष्ट्रपति द्वारा बनाए कानून से सहमत नहीं हैं, जो कि 30 दिन के अन्दर सभा पटल पर रखे जाते हैं, तो हमें इन कानूनों को संशोधित करने का अधिकार है। यदि हम इन कानूनों से सहमत नहीं हैं तो इस सभा में इन कानूनों के संशोधन से संबंधित संकल्प लाया जा सकता है।

इसलिए जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह पूर्णतः संविधान तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की भावना के अनुरूप है और हमारे अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं कि उसने यह कदम उठाया ताकि अत्यंत अच्छे और उपयोगी कानून इस प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में रहें।

अब हम इस तदर्थ व्यवस्था को कब तक जारी रखेंगे? वहां पर राष्ट्रपति का शासन है और समय-समय पर इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है और मैं सरकार से भी जानना चाहूंगा कि इस समय कश्मीर राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या हम आशा करें कि निकट भविष्य में उस राज्य में लोकतांत्रिक शासन बहाल

हो जाएगा? इस संबंध में रिपोर्टों के मुताबिक तो मैं समझता हूं कि स्थिति बेहतर होने के आसार नजर आ रहे हैं जिन पर अत्यंत विचारपूर्वक ही उम्मीद की जा सकती है। वहां हो रही भारी हिंसा की लोगों द्वारा कड़ी निन्दा की जा रही है और हड़ताल की बार बार अपील पर भी काफी रोष हो रहा है। इसलिए आशा है कि स्थिति बदल रही है यद्यपि यह हमारी अपेक्षा अनुसार तेजी से नहीं बदल रही है। कश्मीर के लोगों में अलग-थलग पड़ जाने की एक भावना आ गई है। इसके फलस्वरूप अगर सरकार इस समय चुनाव घोषित करने के लिए कार्यवाही करती है तो मैं नहीं समझता कि यह सही कदम होगा क्योंकि संभवतः चुनाव लड़ने से बहिष्कार मतदान केन्द्रों पर जाने का बहिष्कार के माध्यम से प्रतिक्रिया होगी और इस राज्य में लोकतंत्र मजाक बन जाएगा। इसलिए यह सही होगा कि कुछ समय इंतजार करें, और अधिक परिवर्तन का इंतजार करें। इसका अन्त शुरू हो चुका है और इस राज्य में अच्छे परिवर्तन के कुछ आभास नजर आ रहे हैं, यद्यपि हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जिसमें हम चुनाव करवा सकें और राज्य में लोकप्रिय सरकार बहाल कर सकें।

3.00 म०प०

इसलिए ऐसे उपबंध जरूरी हैं। इस बीच ऐसे प्रावधान करना जरूरी है, जो इन कानूनों को ऐसे माध्यम या तंत्र द्वारा प्रभावी रखे, जो यथा संभव शीघ्र कार्य करे। इस दृष्टि से संसद द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रत्यायोजन स्वागत योग्य है और मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करता हूं कि ऐसे कानून लोकतंत्र के विरुद्ध हैं। निःसन्देह जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति-शासन लागू करना बड़ी गलती थी। राज्य विधान सभा को भंग करना इससे भी बड़ी गलती थी। जब ये कार्य हो रहे थे तो हमने इनकी निन्दा की थी। अब हर व्यक्ति इन कार्यों का जम्मू-कश्मीर के लोगों पर बुरे प्रभाव और वहां पर मौजूद स्थिति को जानता है।

3.01 म०प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

इस विधेयक के माध्यम से यह किया गया है कि संसद में निहित राज्य विधान मंडल की शक्ति राष्ट्रपति को दे दी जाएंगी। यह लोकतंत्र को और अधिक खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं है। इस कार्यवाही का जम्मू-कश्मीर के लोगों और इस देश में लोकतंत्र को चाहने वाले पर क्या असर होगा? सरकारी पक्ष निःसन्देह जम्मू-कश्मीर में वास्तविक स्थिति का तर्क देगा। लेकिन मुद्दा यह है कि सरकार के लिए ऐसे उपाय क्यों आवश्यक हो गए हैं। वे ऐसे कदम क्यों नहीं उठा सके जो घाटी तथा राज्य में स्थिति में वास्तव में सुधार लाते। यह महत्वपूर्ण है। सरकार किस दिशा में जा रही है? अब क्या वे वहां विद्यमान आतंकवाद की स्थिति से निपटने के बारे में सोच रहे हैं? वे लोगों के अलगाव को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कड़े प्रशासनिक कदम उठाने, सीमा पार से घुसपैठ रोकने, विद्रोह तथा उग्रवादी गतिविधियों से निपटने की आवश्यकता है। इसके लिए कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी ओर हमें जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना है। हमें उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। घाटी में कुछ समय से स्पष्ट और अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रेस में जो समाचार छपे हैं कि अधिकारियों तथा रक्षा बलों के समक्ष उग्रवादी समर्पण कर रहे हैं, उनमें कितनी सफलता मिली है। उन्हें जनता से काफी जानकारी मिल रही है।

अब ऐसे समाचार आ रहे हैं कि जनता आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आ रही है। जनता के मन में आतंकवाद के प्रति बहुत रोष है। हम स्थिति से किस प्रकार लाभ उठा रहे हैं? हमें कश्मीर को भारत में ही रखना है। हमें जम्मू और कश्मीर की जनता का मन जितना है। हमें आवश्यक कदम उठाने

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

चाहिएं। इसके लिए हमें राजनीतिक पैकेज के बारे में सोचना है। इसे यूं ही नहीं लेना चाहिए बल्कि हमें साबित करना है कि हम लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं। अपनी लोकतांत्रिक सद्भावनाओं को दर्शाने के लिए हमें स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने हैं और चुनाव कराने के बारे में खोखली घोषणा नहीं करनी है। इसका वही प्रभाव होगा जो 'एकता यात्रा' का हुआ था। हमें चुनाव के लिए आधार तैयार करना है और यदि हम इसके लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो हमें आलोचना का सामना करना पड़ेगा।

सकारात्मक पहलू के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि हमने उन्हें इकट्ठा करने के लिए क्या प्रयास किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर गठित की गई परामर्शदात्री समिति किस प्रकार कार्य कर रही है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस परामर्शदात्री समिति का राज्य के प्रशासनिक कार्यनिष्पादन तथा राज्य स्तर पर जनता पर कोई स्पष्ट प्रभाव पड़ा है? विकास कार्य किस प्रकार चल रहा है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक दुबारा बातचीत करने का संबंध है, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन जनता तथा उनके प्रतिनिधि घाटी में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम उनके साथ संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह औपचारिक बातचीत नहीं होगी लेकिन यह उनका विश्वास जीतने के लिए उनके साथ संपर्क करने का एक तरीका है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान जे०के०एल०एफ० तथा उसका अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। हम उससे कैसे निपट रहे हैं? यह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मैं राजनीतिक पैकेज को बहुत महत्व देता हूं। चुनाव की बात करने से पहले अन्य राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर हमें इस मुद्दे के बारे में निर्णय लेना चाहिए। हम अधिक स्वायत्ता देने के बारे में क्या कर रहे हैं? स्वायत्ता का प्रश्न धार्मिक अथवा सांप्रदायिक प्रश्न नहीं है। स्वायत्ता का प्रश्न जम्मू और कश्मीर के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न केवल जम्मू और कश्मीर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि हमारे देश की राजनीतिक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम पूरे विश्व की घटनाओं को देखें, तो हम अपनी आंखें बंद करके नहीं रह सकते हैं और हम स्वायत्ता की किसी मांग को सांप्रदायिक नहीं कह सकते हैं और हमें यही कहना है कि 'हिन्दुस्तान एक रहे'। प्रश्न यह नहीं है। विविधता में ही हमारी एकता है और हमें उसे बनाए रखना है। हमें सांस्कृतिक विविधता तथा धार्मिक बहुलता आदि का सम्मान करना है। हमें इन सबका सम्मान करना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार कौन सी राजनीतिक कार्यवाही कर रही है और वह अन्य राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने के लिए क्या कर रही है। इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः यदि आप स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाते और यदि आप इस प्रकार के तदर्थ कार्य करते रहेंगे तब घाटी की स्थिति में सुधार नहीं होगा बल्कि इससे स्थिति और खराब होगी।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल यही चाहता हूं कि आप तदर्थ आधार पर बातचीत न करें, हां चुनाव करवाने की भी बात न करें क्योंकि इससे स्थिति और खराब होगी। हमने देखा है कि घाटी के जितने भी राजनीतिक नेता हैं चाहे वे व्यक्ति नेता बन गए हैं और आज उनका इतना महत्व नहीं है उन्होंने समुचित आधार, समुचित राजनीतिक पैकेज तथा स्थिति का उचित समाधान किए बिना चुनाव कराने के विचार का विरोध किया है। अतः मेरा कहना है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रतिकूल नियम नहीं बनाने चाहिएं। आप राजनीतिक दलों और सभा को विश्वास में लें। यदि सरकार जम्मू और कश्मीर की स्थिति से निपटने के लिए सही दिशा में प्रयास करेगी तब हम उसका समर्थन करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल एक अनुरोध करता हूं। यह प्रश्न केवल घाटी का नहीं है बल्कि पूरे जम्मू, कश्मीर घाटी तथा लद्दाख का भी है। हमें प्रत्येक क्षेत्र की भावनाओं की ओर भी ध्यान देना है। यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हुई है कि जम्मू के प्रतिनिधि आए हैं। वे संविधान की आठवीं अनुसूची में डोगरी

भाषा को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने एक बैठक बुलाई थी और मैं उस बैठक में उपस्थित था। तीन भाषाओं को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि संविधान की आठवीं अनुसूची में डोगरी भाषा को भी शामिल किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): सभापति जी, आज फिर कश्मीर के मसले पर हम बहस कर रहे हैं। कश्मीर जो भारत से भी प्राचीन नाम है—कश्यप मेरू—जब इतिहास के सबसे पड़े पैट्रियाटिक, पूरे मानव इतिहास की जहां तक मुझे जानकारी है, जब वे यहां आये तो उनके नाम के आधार पर ही उसका नाम कश्यप मेरू यानी कश्मीर पड़ा। वे प्रागैतिहासिक काल के महान अभियन्ता थे जिन्होंने उस घाटी की संकरी पहाड़ी को काटकर एक दरिया बनायी—झेलम दरिया—वह मानवीय दरिया है, आर्टीफीश्यल दरिया है और वह घाटी भी रहने लायक है। उस प्राचीनतम सभ्यता का केन्द्र आज इस हालत में है कि हम वहां चुनाव भी नहीं करा पा रहे हैं, संकट पर संकट लादते जा रहे हैं।

हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि जब वहां फारूख अब्दुल्ला की सरकार थी तो उनको हटाने के लिये और शाह साहब को वहां का मुख्यमंत्री बनाने के लिये कांग्रेस दल ने क्षुद्र दलीय हित में वहां जनतंत्र पर चोट की। उन शाह साहब की हालत हम सब जानते हैं। दुर्भाग्य से ऐसी ही चोट उस सरकर द्वारा भी हुई, जिसके हम समर्थक थे, जिन्होंने जगमोहन को वहां भेज कर फारूख अब्दुल्ला को फिर से इस्तीफा देने पर मजबूर किया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस समय वहां की विधान सभा को भी भंग कर दिया गया जिससे कोई जनतांत्रिक संबंध केन्द्र और कश्मीर की जनता के बीच में नहीं रह गया। यह उस पर दूसरी करारी चोट पड़ी। इसके चलते आज जो स्थिति है, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि कश्मीर के मामले में क्या किया जाए।

यह ठीक है कि कश्मीर की हालत आज बिगड़ी है। कुछ लोग उसको साम्प्रदायिक रूप से देखते हैं, दुर्भाग्य से साम्प्रदायिकता को राजनीति से मिलाकर देखा जाने लगा है। जो ऐसा देखते हैं, उन मित्रों से मैंने पहले भी आग्रह किया था और आज फिर आग्रह कर रहा हूं। जब महाराजा हरि सिंह भारत में शामिल होने से इंकार कर रहे थे, उन्होंने इंकार कर दिया था और जब पाकिस्तानी हमलावरों ने श्रीनगर की घाटी पर कब्जा कर लिया, तो महाराजा हरि सिंह श्रीनगर छोड़ कर इस तरह भाग आए और जम्मू में आ गये मगर उन्होंने तब भी भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। उन पर लोगों ने दबाव भी डाला मगर वे तैयार नहीं हुए। ऐसे समय पर भारत के साथ रहने का ऐलान नेशनल कान्फरैंस ने किया, शेख अब्दुल्ला ने किया और उनके हजारों स्वयं सेवकों ने हथियार लेकर पाकिस्तानी हमलावरों का मुकाबला किया, महाराजा हरि सिंह ने नहीं किया जब कि वे भाग कर जम्मू चले आये थे, तब भी नहीं किया। जम्मू में आने के बाद जब उन पर दबाव बहुत पड़ा फिर वे कहीं भारत के साथ शामिल हुए।

इसलिये वहां की जो शानदार परम्परा रही है, उस पर आज भी चोटें पड़ रही हैं जब हममें से कोई कहता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ो तो कश्मीर में एकता के प्रतीक जो लोग हैं, अभी भी जवांमर्दी और हिम्मत से कहते हैं कि हम भारत के साथ हैं, भारत के अंग हैं मगर उनकी जीभ को काटने का काम हम करते हैं, उनकी बोलने की हिम्मत को तोड़ते हैं चूंकि उनके विरोधी कहते हैं कि जिस भारत में एक मस्जिद तोड़ी जा रही है, उस भारत में हम कैसे रह सकेंगे। इसलिये मेरा आग्रह है...(**व्यवधान**)... आप खुलकर कह दीजिये, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा कि मस्जिद को तोड़ने का इरादा हमने छोड़ दिया है। अभी भी बोल दीजिये। कहिये, अभी भी कह दीजिये, मैंने कहा कि मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, बोल दीजिये।

सभापति महोदय: उनको कहना है कि छिपे रूप से प्रलोभन दे दो, खुल्लमखुल्ला मत दो।

श्री भोगेन्द्र झा: सभापति जी, मैं अभी भी कहता हूं, ये अभी भी कह दें तो बड़ा देश हित में काम करेंगे

[श्री भोगेन्द्र झा]

क्योंकि गेंद जब किसी दिवार में मारते हैं तो वह उलट कर दूसरी दीवार पर जाती है। इसलिये अयोध्या के इस मामले से कश्मीर की एकता पर चोट होती है, भले ही आपकी नीयत हो या न हो, आप चाहें या न चाहें लेकिन उसका बुरा असर कश्मीर पर पड़ रहा है।

इसीलिये मेरा आग्रह है कि आप कोई ऐसी कार्यवाही मत करिये ऐसे वचन मत बोलिये जो उस जन्नत की कड़ी पर चोट करने का काम करे, जो अयोध्या में गलत नारा देकर किया जा रहा है। अभी भी आप उसे याग दीजिये, पिछला जो कुछ हुआ, उसे छोड़ दीजिये।

सभापति जी, अभी वहां जो स्थिति है, कश्मीर की हालत बिगड़ी है, आपके कारण उसका समाधान एक मसले से नहीं होगा। अभी लाखों कश्मीरी लोग भागे हुए हैं, जम्मू में हैं, दिल्ली में है और वे अपनी ही भूमि में विस्थापित बनकर बैठे हैं। यह हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। भारत सरकार के लिए यह जिम्मेदारी है कि यह स्थिति राजनैतिक कदमों के जरिए, सुरक्षा के कदमों के जरिए पैदा करें कि वे लोग अपने घरों को वापिस जाएं।

हमारे गृह मंत्री ने चुनाव की पृष्ठभूमि की बात की है। जो परामर्शदात्री समिति है उसमें भी बातें हुई थीं, हम लोग थे। मेरा आग्रह है कि पृष्ठभूमि तैयार करना संभव है। हालत में कुछ सुधार हुआ है। संतोषजनक नहीं हुआ है मगर कुछ सुधार हुआ है। इसको हम बढ़ाएं। 10-20-50 हजार कश्मीरी भारत के अन्य भागों में कार्य में हम लगाएं ताकि एक राष्ट्रीय एकता का वातावरण तैयार हो, वे भी समझें कि हम भारत के अंग हैं। बेकारी का सवाल हल हो वह एक बड़ा मामला है। 85 करोड़ लोगों के देश में 25-50 हजार लोग अगर भारत के विभिन्न हिस्सों में आएंगे तो उससे बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए पैदा नहीं होगा। कश्मीर में विकास का काम उत्पादक कार्य का काम, गृह उद्योग हो, लघु उद्योग हो, सुनियोजित उत्पादक उद्योग हो, उसमें कुछ विशेष बढ़ावा दें, मैं खैरात की बात नहीं कह रहा हूं जिसमें इतनी बरबादी और भ्रष्टाचार हुए, मगर उनको सुनियोजित उत्पादक साधन देकर अपने पांव में खड़ा होने में मदद करें ताकि हम मिट्टी के साथ अपने हित से उनका मेल ज्यादा बढ़े।

सभापति महोदय, इस स्थिति में कुछ राजनीतिक कदम की भी आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि आप रिहर्सल के रूप में कश्मीर में स्वायत्त निकायों के चुनाव को कराएं। ग्राम पंचायत, नगर पालिका उन चुनावों को करे और ईमानदारी से स्वतंत्र चुनाव होने दें। अगर विघटनकारी जीत जाएंगे तो भी उससे ग्राम पंचायत का विघटन नहीं होगा। उनका अधिकार नहीं है, नगर पालिका का नहीं है लेकिन जनतंत्र में हमारे कुछ मित्र कहते हैं आदर्श जनतंत्र नहीं है। आदर्श कहां का है यह सुनने में, कहने में दिक्कत होगी। हमारे यहां बिहार में ही उलट-पुलट हुआ है, कई जगह हुआ है। जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की तैयारी करके शुरूआत कर दें ताकि लोग समझें कि हम चुनाव में जीतने, जिताने के लिए, मत देने के लिए, लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उसमें सरकार बाधक न हो, सरकारी दल न हो, हम, आप कोई न हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग देश के साथ हैं वे जान दे रहे हैं। जान देने में हमारे स्वतंत्रता सेनानी कामरेड रमजू जो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, शहीद हो चुके हैं उनके हाथों जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। जहां एक तरफ देश की एकता चाहने वाले शहीदों की कतार को बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार उसमें साधक हो, बाधक न हो, सहायक हो और इसके साथ जो विधेयक आया है वह बहुत ही खतरनाक है। मैं चाहूंगा इस विधेयक के कुछ पहलुओं को हम, आप गौर कर लें। जो विधेयक में कहा गया है, उस उद्देश्य में है:

[अनुवाद]

"चूंकि ऐसे बहुत से नियम लागू करने है, इसलिए संसद के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह इन्हें लागू कर सके। अतः यह प्रस्ताव है कि संसद इसके अनुसार......राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करे।"

[हिन्दी]

इस विधेयक के जरिए भारत की संसद पर हमला किया गया है। भारत की संसद पर यह आक्रमण है कि इसका इस सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए वह अधिकार चाहती है कि राष्ट्रपति को दे। हमारे संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के मायने मंत्रिमंडल है, अल्पमत का मंत्रिमंडल। यह अल्पमत की सरकार इस संसद से वह अधिकार छीनना चाहती है जो संसद एकमत से इसको लागू करने को इच्छुक है। अभी जो सरकार है वह अल्पमत की है। अल्पमत के मंत्रिमंडल के हाथों में वह शक्ति देकर संसद अपने हाथ से, अपने अधिकार की आत्महत्या कर रही है। उसी से संबंधित यह विधेयक है। धारा तीन पर इसी को इन्होंने और साफ किया है। मैं अपने मित्रों से आग्रह करूंगा कि वे भी इस पर विचार कर लें। धारा तीन में कहा गया है।

[अनुवाद]

"जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान सभा के कानून बनाने के अधिकार, जिसे उद्घोषणा द्वारा संसद द्वारा अथवा उसके अंतर्गत उपयोग किया जा सकता है, राष्ट्रपति को सौंपा जाता है।"

[हिन्दी]

अब तक जो पार्लियामेंट को अधिकार है, वह पार्लियामेंट अपने अधिकार से इस्तीफा दे रही है, संसद अपने अधिकार से इस्तीफा दे रही है और राष्ट्रपति के हवाले कर रही है। इसी को आगे बढ़ा कर कहा गया है कि एक परामर्शदात्री समिति बनेगी। उस समिति में 15 सदस्य रहेंगे। यह जान करके हैरत हुआ कि अभी भी हमारे बहुत से साथी वहां शहीद हो रहे हैं। यह ठीक है कि आज हम अलग भी हुए हैं लेकिन एक भी रहे हैं। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी समस्त देश की एकता के लिये लगातार लड़ने वालों में अगली कतार में रही है। वहां पर किस राय से और किस विचार से ऐसा किया गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि इसी विधेयक के बीच में मंत्री जी इस गलती के सुधार का ऐलान करें। वह इसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

"बशर्ते कि राष्ट्रपति जब भी ऐसे अधिनियम लागू करने की आवश्यकता समझता है तब उसे इस उद्देश्य के लिए गठित समिति से परामर्श करना होगा जिसमें लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित दस सदस्य तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे।"

[हिन्दी]

मतलब प्रेजिडेंट जब व्यावहारिक समझेंगे तब कमेटी की राय लेंगे। कम से कम यह हटा दिया जाये कि जब भी वह इसे लागू करना चाहे। [हिन्दी] पार्लियामेंट के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है क्योंकि बहुत से विधेयक आयेंगे और परामर्शदात्री समिति बनेगी जिस में दस लोक सभा और पांच राज्य सभा के सदस्य होंगे। जब व्यावहारिक नहीं होगा तब अकेले ही इसको कर देंगे यह बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं। ऐसी आगे के लिये परम्परा डाली जा रही है कि जनतांत्रिक तरीके से जनतंत्र को खत्म कर दिया जाये। हो सकता है आज कश्मीर में करे, कल किसी दूसरे राज्य में हो, परसों बंगाल में हो और बाद में केरल में हो। ये भयंकर बातें हो रही हैं। इसलिये इच्छा रहते हुए भी यह विधेयक समर्थन के लायक नहीं है, जनतंत्र पर करारी चोट है। इस पर बहुत विचार करने का हमें मौका नहीं मिला है इसलिये में समझता हूं कि यह विधेयक विरोध करने के लायक है और संसद इसको ठुकरा दे। जिन शब्दावलियों में परामर्शदात्री समिति से विचार करना व्यावहारिक नहीं होगा, आप उस पर विचार करेंगे। यों भी राष्ट्रपति, को मतलब सरकार को अध्यादेश निकालने का आम तौर पर अधिकार है। जहां विधान सभा नहीं है, वहां के संबंध में पार्लियामेंट से स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि विधेयक के जरिये पूरा अधिकार प्राप्त हो। वैसे भी यह सरकार अल्पमत में है। हमेशा हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं बाई कन्सैसस हम करेंगे, सब की राय लेकर करेंगे। यहां आप हम से इसे पास करवाना चाहते हैं। इससे राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आवश्यकता को निर्मूल कर देंगे और वह भी

[श्री भोगेन्द्र झा]

कश्मीर के मामले में, जहां 85 करोड़ देशवासी एकमत होना चाहते हैं और एकमत होने की जरूरत भी है। उस आधार को आप काट रहे हैं। यह गंभीर विधेयक आप हम से हल्के ढंग से पास करवा रहे हैं। इस पर बोलने के लिये थोड़ा समय दिया गया है ताकि आनन-फानन में यह हो जाये।

मैंने पहले ही कह दिया है कि विचार का मौका नहीं मिला है। मैं इसका विरोध करता हूं और सदन के सभी मित्रों से आग्रह करूंगा और कांग्रेस वालों से भी आग्रह करूंगा कि वह इसका विरोध करें। अच्छा होगा गृह मंत्री जी इसको वापिस ले लें और कल ही इसको फिर लायें। 2-3 चीजें जो कि विरोध करने लायक हैं, उनको हटा दें ताकि एकमत से इसको पारित किया जा सके। एक तो आपने विधान सभा को खत्म कर दिया और अब आप संसद को किनारे कर रहे हैं। संसद का भी अधिकार राष्ट्रपति के नाम पर केवल मंत्रिमंडल को दे दें, अल्पमत की सरकार को दे दें और परामर्शदात्री समिति की भी राय अगर लें, व्यावहारिक न समझें तो वह भी राय न लें, 15 आदमियों की समिति, उसको भी व्यावहारिक नहीं समझें तो उसकी राय न लें, यह खतरनाक चीज हो रही है। यह एक ऐसी चीज हो रही है जिसका जिम्मा बहुमत की सरकार को भी अपने माथे पर नहीं लेना चाहिए लेकिन यह जो अल्पमत की सरकार है, जो हमारी जनतांत्रिक परम्परा पर एक गहरी चोट है, मैं लम्बा समय लेकर, और बातों में जाकर समय नहीं बिताना चाहूंगा, क्योंकि, मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को गंभीरता से ले और इसको बिना परिवर्तन कराये हम पारित नहीं करें और मैं अभी भी सरकार से चाहूंगा कि सद्बुद्धि लेकर जो मंत्री जी नोट कर रहे हैं, वह सीधे जवाब नहीं दें, गृह मंत्री हों, प्रधान मंत्री हों, उनके विचार लें और इसको संशोधित करके आज नहीं हो तो कल इसको दोबारा लायें ताकि एकमत से इसको हम लोग पारित करें।

जहां तक चुनाव का मामला है, पंजाब में भी ठीक है। जैसा हम चाहते हैं, हमेशा चुनाव नहीं हुआ, वैसा वातावरण भी नहीं था मगर फिर भी मैं कहूंगा कि जब चुनाव नहीं हुआ था तो उससे बुरा हाल आज नहीं है। आदर्श जनतंत्र दुनिया में कहां हुआ है, मुझे पता नहीं और कहां होगा, मुझे पता नहीं लेकिन कोई भी जनतंत्र किसी भी तानाशाही से बेहतर है, एक कदम उससे बेहतर है इसलिए चुनाव आगे हों, वह भी बेहतर है लेकिन जनतंत्र पर चोट करके यह चुनाव की तैयार नहीं है और दूर फेंकने की चाल है। इसको आपने सोचकर किया हो, जल्दबाजी में किया हो, बगैर ध्यान दिये हुए किया हो, एकाध आफिसर ने इस को कर लिया हो, यह विधेयक इस सदन से पारित न करायें, सदन भी इसको पारित नहीं करे इसलिए जो खास पहलू मैंने कहा है, एक इच्छा रहते हुए कि हम इसका समर्थन करें, इसका विरोध करके मैं आपके जरिये सभी मित्रों से, सभी सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि इसका विरोध करें। संसद अपने हाथ से अपनी आत्महत्या न करे। यह संसद् की भी जरूरत नहीं है...(व्यवधान)... वही मैं कह रहा हूं, वह हम न करें और वह हत्या कर देंगे, ऐसी ताकत उनकी अभी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले पर जनतंत्र का सवाल, कश्मीर का सवाल, आगे की परम्परा का सवाल है, एक बात हमने ऐसा कर लिया तो और भयंकर बात हो जायेगी। कोई बहुमत की सरकार होगी तो इसी को एक आधार बनाकर कर ले सकती है कि किसी राज्य के लिए बिना पार्लियामेंट सीधे राष्ट्रपति को कर दे इसलिए यह बहुत खतरनाक चीज है।

मैं इसका विरोध करते हुए सदन से आग्रह करता हूं कि वह इसको ठुकराये या सरकार दोबारा संशोधित करके इसको लाये या उन मुद्दों को हटाकर तब इस विधेयक को सामने रखें।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकनाल): सभापति महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम उच्चतम विधायी मंच, संसद में इस विधेयक पर उस समय चर्चा कर रहे हैं जब जम्मू और कश्मीर में कोई विधान सभा नहीं है और न ही इसके सदस्य लोक सभा में हैं, इसके सदस्य केवल राज्य सभा में हैं। अतः मैं जो कुछ हुआ

उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता और मैं यह भी नहीं जानना चाहता कि राज्यपाल का शासन क्यों लागू किया गया क्योंकि 1990 में मैं इस सभा का सदस्य नहीं था। मैंने सभा के दोनों पक्षों के भाषणों में यह सुना है कि किस प्रकार 19 जनवरी, 1990 को वहां की विधान सभा स्थगित कर दी गई और 19 फरवरी, 1990 को उसे भंग कर दिया गया।

जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 में संवैधानिक तंत्र विफल होने के विशिष्ट प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं है और मैं धारा (1) से उद्धृत करता हूं:

> "यदि राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, राज्यपाल उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी अथवा कुछ अधिकार तथा किसी अन्य व्यक्ति अथवा राज्य प्राधिकरण में विहित और उपयोग की जाने वाली समस्त अथवा कुछ शक्तियों को अपने हाथ में ले सकेगा।"

इसमें आगे और बातें कही गई हैं लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें यह नहीं कहा गया है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय की विहित तथा उपयोग की जाने वाली शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है।

इस बात पर कोई झगड़ा नहीं है। 1990 में कुछ कारण रहे होंगे। इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वास्तविकता यह है कि लोकतंत्र कार्य कर रहा है जिसके बारे में मेरे मित्र को आशंका है। वह राज्य में राज्यपाल का शासन लागू करने के पक्ष में थे अर्थात् वह लोकतंत्र की हत्या करने और नौकरशाहों के माध्यम से राज्यपाल को सत्ता सौंपने के पक्ष में थे।

महोदय, हमारा पिछला अनुभव यह बताता है कि जब 1989 में सभा संविधान (चौसठवां और पैसठवां) संशोधन द्वारा जनता को शक्ति प्रदान करना चाहती थी और मेरे मित्र जो लोकतंत्र का समर्थन करते थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया—118 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था—वे चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते थे। वे राज्य सभा में अपनी पूरी संख्या नहीं जुटा पाए। अब गृह राज्य मंत्री संसद के समक्ष यह विधेयक क्यों लाए हैं? अगले तीन दिनों में 16 विधेयक अधिनियमित किए जाने हैं। महोदय, इन तीन दिनों में ही क्या खास बात है? वास्तविकता यह है कि यह उद्घोषणा 18 जुलाई, 1990 को की गई थी और जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 92 की उप-धारा 4 में कहा गया है:

> "यदि राज्यपाल इस धारा के अंतर्गत कानून बनाने की विधायी शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है अथवा इस अधिकार का उपयोग करते हुए वह कोई नियम बनाता है, तो वह नियम इसकी शर्तों के अध्यधीन है और यह उद्घोषणा लागू करने के दो वर्ष तक प्रभावी रहेंगे और इन्हें इसके बाद लागू करने के लिए विधान सभा के किसी अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किया जाए अथवा विधान सभा द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या ऐसे कानूनों के माध्यम से की जाएगी।"

उप-धारा (5)—इसके अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना उप-धारा (1) के अधीन कोई उद्घोषणा जारी नहीं की जाएगी।

उप-धारा (6)—इस धारा के अंतर्गत जारी उद्घोषणा, केवल पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापिस लेने के मामले को छोड़कर विधान सभा के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अतः महोदय, श्री जैकब ने यह विधेयक प्रस्तुत कर संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के संविधान में प्रावधान है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 357(1) के अनुरूप है। लेकिन श्री भोगेन्द्र झा ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसे समाप्त किया जा रहा है, हम संसद में राष्ट्रपति को शक्तियां प्रत्यायोजित कर रहे हैं। महोदय, कश्मीर की जनता के मन में यू

[श्री के० पी० सिंह देव]

ही असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास चल रहा है। 15 संसद सदस्य परामर्शदात्री समिति में शामिल किए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सरकार भी राज्य में सलाहकार परिषद् गठित करने का प्रयास कर रही है जहां प्रमुख गैर-सरकारी नागरिक इससे संबद्ध किए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए गठित यह पैनल केवल दिखावा बन कर नहीं रह जायेगा परन्तु लोगों की शिकायतों के प्रति ध्यान देगा जो कि जन सामान्य के सामने एक बाधा बनी रहती हैं तथा समस्या का मूल कारण हैं। यह सब लोगों की समस्याओं के प्रति उदासीन प्रशासन के कारण हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह शिकायत निवारण तंत्र गांव स्तर तक प्रभावी ढंग से कार्य करेगा जिससे कि आम आदमी को न्याय मिल सके तथा उनकी समस्याओं का समाधान एक निश्चित अवधि के भीतर हो जाए। इस तंत्र के अभाव में इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर लोग आतंकवाद तथा उग्रवाद का शिकार बन जायें। जब उदासीन प्रशासन लोगों की आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता तो इसके अतिरिक्त लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता जैसा कि इसके अतिरिक्त हमने अन्य राज्यों में देखा है।

एक अन्य बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि अफगानिस्तान के मुद्दे के पश्चात् अब विश्व के राजनैतिक तथा सामरिक वातावरण में परिवर्तन आया है तथा अगर आप पिछले कुछ दिनों के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के आसूचना सेवा अधिकारी अफगानिस्तान के प्रशासन, पुलिस तथा सुरक्षा सेनाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। इससे जम्मू-कश्मीर राज्य में हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे विचार में इस संबंध में सरकार को हमें विश्वास में लेना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि इस संबंध में उठाये गये कदमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाये, परन्तु संसद को इतना विश्वास अवश्य दिलाया जाना चाहिए कि विश्व के नए बदले हुए राजनैतिक तथा सामरिक वातावरण के संदर्भ में सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि चुनाव यथाशीघ्र करवाये जाने चाहिए, परन्तु राजनैतिक प्रक्रिया बहाल करने तथा राजनैतिक दलों को जन सामान्य से निकट सम्पर्क बनाने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि वहां का सुरक्षा-वातावरण कैसा है, वहां यह संभव है या नहीं परन्तु माननीय गृह मंत्री महोदय ने यह जो कहा है कि वहां के सामान्य वातावरण में, सुरक्षा वातावरण में, तथा राजनैतिक वातावरण में काफी सुधार हुआ है, यह बड़ी उत्साहवर्धक बात है। मेरे विचार में यह जो प्रक्रिया आरम्भ हुई है—जिससे कि लोगों ने घरों से निकलना आरम्भ कर दिया है, जैसे कि एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि लोगों ने आतंकवादियों का प्रतिरोध करना आरम्भ कर दिया है, लोगों ने घरों से बाहर आ कर प्रशासन के साथ सहयोग करना आरम्भ कर दिया है, इस प्रक्रिया को सुदृढ़ तथा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लोगों के प्रशासन के साथ सहयोग तथा प्रशासन की लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूकता की भावना को सुदृढ़ तथा प्रोत्साहित किया जा सके तथा तत्पश्चात् जैसे कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, यथाशीघ्र पंचायत स्तर तक तथा शहरी निकायों के स्तर पर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाये ताकि बिल्कुल निचले स्तर से लोकतांत्रिक प्रणाली का सूत्रपात किया जा सके तथा जितनी जल्दी वहां पर विधान सभा तथा लोक सभा के चुनाव हो जायें उतना ही लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा जिसके प्रति हम वचनबद्ध हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी, जिन्होंने इस बिल को सदन में रखा है उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह है कि बिल में कहा गया है :

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1992 में इस प्रकार कहा गया है:

"राज्य में राज्यपाल के शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमितियों में अनेक संशोधन हुए हैं जिनकी विधि मान्यता जुलाई, 1992 में समाप्त होने वाली है।"

[हिन्दी]

पार्लियामेंट के पास समय नहीं, जो ऑलरेडी पहले पास हो चुके हैं उनके लिए समय नहीं, यह बात इसमें कही गई है।

[अनुवाद]

इसमें आगे ऐसा कहा गया है:

"ऐसी अधिनियमितियों में संशोधन की बहुल संख्या के कारण संसद के लिए यह संभव नहीं कि वह उन्हें अधिनियमित करने के लिए पर्याप्त समय निकाल सके। अतः यह प्रस्थापना की जाती है कि संसद् को, संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) के उपबंधों के अनुसार विधि द्वारा राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान मंडल की उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्तियां प्रदान करनी चाहिएं।"

[हिन्दी]

मेरा यहां पर यह निवेदन करना है कि जिस कारण से यह बिल लाया गया है उसके पीछे क्या कारण है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार ने बहुत सारे कानून पास कर लिए और वह कानून संसद में समय न रहने के कारण नहीं आ सके, संसद उस पर विचार नहीं कर सकी। मेरा कहने का मतलब यह है कि 18 जुलाई, 1992 तक जो कानून वहां पर जम्मू-कश्मीर में बन चुके उनकी पावर तो आप राष्ट्रपति को दे दीजिएगा। लेकिन भविष्य में कभी भी गवर्नर कोई काम करेगा, क्या वह भी संसद की स्वीकृति के लिए नहीं आएगा। इसलिए संसद के जो अधिकार हैं, उनको बने रहने दीजिए। आपने अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एंड रीजन्स में कहा है कि समय नहीं था, इसलिए यह कानून पास हो गया, लेकिन अगर संसद इसको पास नहीं करेगी तो अनर्थ हो जाएगा, हम भी इस बात को मानते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी 18 जुलाई, 1992 तक पास कर लिया, उसकी तो वेलीडिटी कर लें और भविष्य में वहां के राज्यपाल जो करें, जैसा दूसरी स्टेट्स के राज्यपाल करते हैं, उसको कन्फर्म करने के लिए संसद में भेजा जाए, उसको संसद में लाने का अधिकार वैसा ही बना रहे, यह पहला मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): यह स्पष्टीकरण होगा या संशोधन होगा?

श्री गिरधारी लाल भार्गव: कुछ भी कह लीजिए, संशोधन ही होगा, तो पहली बात तो मेरी यह है। बाकी बातें जो इसमें जुड़ी हुई हैं जैसे 10 लोक सभा और 5 राज्य सभा, ये सारी बातें अलग हैं। यदि मेरा सुझाव माननीय मंत्री जी मान लेते हैं, फिर कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद रह नहीं जाता है, मेरा उनसे यह अनुरोध है और मैं समझता हूं कि जो बातें उन्होंने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में कही हैं, उनकी पूर्ति हो जाएगी।

दूसरी बात यहां पर कई साथियों ने कश्मीर की बात को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं इतनी बात निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर आखिरकार हमारे देश का अविभाज्य अंग है, इस बात से कोई इंकार नहीं करता सब कहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि कश्मीर का मामला सदैव के लिए समाप्त हो गया,

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इसके लिए न हम विरोध कर रहे हैं और न कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन यह जो टूटी हुई स्थिति है, फ्रेक्चर हो जाने के बाद पट्टी बांध लीजिए, लेकिन डाक्टर के पास जाएंगे तो फ्रेक्चर तो वह आखिरकार कहलाएगा ही। मेरा कहना यह है कि आज कश्मीर अलग-थलग नजर आ रहा है। कहने को हम कह रहे हैं कि एक है, लेकिन कहां एक है। यह नारा दिया गया था कि एक देश में एक प्रधान और एक निशान, दो नहीं चलेंगे। पहले वजीरेआजम कहा जाता था लेकिन आखिरकार देश में वह स्थिति समाप्त हुई, अब वहां भी मुख्यमंत्री है, लेकिन आज भी हम वहां पर स्वतंत्रतापूर्वक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते हैं, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, वहां पर राष्ट्रीय ध्जव नहीं फहराया जा सकता है, निर्विवाद ध्वज नहीं फहरा सकते हैं, तो कहने मात्र से काम नहीं चलेगा।

आज वहां पर क्या हो रहा है। हमारे मंत्री राजेश पायलट जी वहां पर गए, वे तो बड़ी कश्मीर की वकालत करने के लिए गए थे, लेकिन उन पर आक्रमण हुआ। क्या वे लोग समझते हैं कि ये किसी दूसरे देश के मिनिस्टर वहां पर आ गए हैं जो हमसे अलग हैं। इन सारी बातों से मालूम पड़ता है कि वहां क्या स्थिति है, कश्मीर क्या हमारा अविभाज्य अंग है, वास्तव में आज की स्थिति में नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि चुनाव कराने के लिए वहां पर सामान्य स्थिति नहीं है, हम लोगों को वहां पर नहीं ले जा सकते। जगमोहन जी जो राज्यपाल थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, आज बहुत से लोग उनसे नाराज हैं, लेकिन आज भी अगर वहां पर जाएं तो लोग जगमोहन जी की तारीफ करते हैं। और बात तो छोड़ दीजिए वैष्णो देवी पर जाते हैं तो हर 5 सीढ़ियां चढ़ने के बाद लोग जगमोहन जी की तारीफ करते हैं, पहले बड़ा ऊबड़-खाबड़ रास्ता था, लोग उनको याद करते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा: विधान सभा को भी भंग कर दिया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप देखिए उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कामों की तारीफ करना सीखिए। हर चीज को एक ही चश्मे से मत देखिए। आज वे हमारे पाले में हैं। इसलिए इस तरह की बात मत करिए। उनकी तारीफ करनी चाहिए। और उनको हमने नहीं भेजा था, कांग्रेस ने भेजा था और आज कांग्रेस के लोग ही उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आलोचना नहीं करनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि आज हालत यह है सभापति महोदय कि जम्मू कश्मीर के लोग भारतवर्ष में आए हुए हैं, वे आखिरकार हमारे भाई हैं, उन भाइयों की क्या दशा है उस ओर कांग्रेस के लोगों को विचार करना चाहिए। उनकी समस्या के समाधान के लिए हमसे इन्हें सहयोग लेना चाहिए। आज हालत यह है कि वे जिन तम्बुओं में रह रहे हैं वे फटे हुए हैं। इससे भी बढ़ कर कष्टदायक बात यह है कि एक तम्बू में जितनी संख्या में वे रहने चाहिएं उससे भी ज्यादा संख्या में वे रह रहे हैं और नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या उस ओर हमने चिन्तन किया है कि वे हमारे देश के ही भाई हैं, हम उनको ठीक प्रकार से रखें? उनके लिए मैडिकल सुविधाओं के बारे में क्या कभी हमने विचार किया? जो भारतवर्ष में लाखों की संख्या में शरणार्थी बन कर आए हैं उनकी दशा को हम ठीक नहीं कर सके। उनको आर्थिक सहायता, जो 500 या 800 रुपये देते हैं, आप विचार कीजिए कि 500 या 800 रुपये में कोई अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे कर सकता है। कोई मंत्री मेरे पास आए मैं उसे 800 रुपये अपनी ओर से देता हूं वह अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण कर के दिखाए। उनको इस पर विचार करना चाहिए। उनको दी जाने वाली मदद और बढ़ायी जाए, इस संबंध में विचार हो।

नौकरियों में भी उनको प्राथमिकता मिले। क्योंकि वे वहां से सब कुछ छोड़ कर यहां आए हैं। स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता है उनमे टी॰सी॰ मांगा जाता है। इंजीनियरिंग या मैडिकल का कोई बच्चा वहां से निकल कर आता है तो वह टी॰सी॰ कहां से लाएगा। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों को नौकरियां दी जाए, केन्द्रीय विद्यालयों में उनके बच्चों को एडमिशन मिले, गैस तथा टेलीफोन की सुविधाएं उनको मिलें। साथ ही, बैंक के खाते जो ट्रांसफर हो कर यहां आने चाहिएं वे खाते ट्रांसफर हों ताकि जो कुछ भी धन उनके पास

था वह उनको मिले, मकान तो उनके बरबाद हो गए हैं। सुबह आप टी॰वी॰ खोलेंगे तो पंजाब के समाचार आयेंगे, जम्मू कश्मीर के समाचार आयेंगे कि अपहरण कर लिया, इतने मार दिए, इतने छोड़ दिए। यदि जम्मू कश्मीर हमारे देश का भाग है तो रोजाना टी॰वी॰ पर इस तरह के अपहरण के समाचार कैसे आते हैं। तो बैंक के उनके खाते ट्रांसफर हों, उनको नोकरियां मिले, सब प्रकार की सहूलियतें मिले, यह मेरा निवेदन है।

जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिभाज्य अंग है तो मंत्री जी, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी भावना का मैं स्वागत करता हूं, जो कानून बनाया गया है उसको वैलीडेट करने के लिए 18 जुलाई, 1992 तक का समय दिया है, लेकिन पार्लियामेंट का अधिकार भविष्य में अंधकार में रखना चाहते हैं, सदैव के लिए राष्ट्रपति होंगे, 10-5 लोग होंगे, उनको कंसल्ट करेंगे, यह न करें। यह अधिकार उनको न दें। अभी तक के कानून को वैलीडेट कर दें जिससे नुकसान जो होने वाला है, वह न हो। यह मेरा विनम्र निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप मेरे रचनात्मक सुझाव को, बिना पार्टी का भेदभाव किए अवश्य मानेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: इस विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे की अवधि निश्चित की गई है। इस चर्चा पर पहले ही निर्धारित अवधि से 15 मिनट अधिक चर्चा हो चुकी है। अभी भी सात या आठ सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर देना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री चित बसु।

श्री चित्त बसु (बारसाट): सभापति महोदय, भारत सरकार की कश्मीर नीति के सम्बन्ध में मैं कुछ विसंगतियां तथा कमजोरियां सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा।

मैं ऐसे कहने पर बाध्य हूं कि वास्तव में सरकार की कश्मीर के संबंध में कोई नीति नहीं है। इस संबंध में सरकार की नीति काम-चलाऊ, टाल-मटोल, अस्थिर तथा तदर्थ प्रवृत्ति की है। सरकार कश्मीर के संबंध में एक व्यापक, तालमेलपूर्ण तथा समन्वित नीति बनाने में असफल रही है।

महोदय, मैं दो तीन उदाहरण देना चाहूंगा। दो तीन उदाहरणों से मेरी बात प्रमाणित हो जायेगी।

कुछ समय पहले प्रधान मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य दिया था कि 'आजादी' को स्वीकार नहीं किया जायेगा। कश्मीरी लोगों के लिए आजादी को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी भारतीय जनता पार्टी की मांग को कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा। परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि कश्मीर को और स्वायत्तता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है तथा स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न पैदा होता है कि स्वायत्तता की परिभाषा क्या है; भारत के वर्तमान संविधान के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर सहित अन्य सभी राज्यों को कितनी स्वायत्तता दी जा सकती है। क्या आपने इसका पुर्नाकलन किया है। क्या सरकार इसका पुर्नाकलन करना चाहती है। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर में व्याप्त विशिष्ट परिस्थितियों को समक्ष रखते हुए तथा उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समक्ष रखते हुए जिसके कारण अनुच्छेद 370 का प्रावधान करना पड़ा था। क्या कोई विशेष स्वायत्तता जम्मू-कश्मीर को प्रदान की जायेगी।

महोदय, माननीय गृह मंत्री को संसद के समक्ष इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये बातें प्रधान मंत्री द्वारा कहीं गई हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के संबंध में और स्वायत्तता देने पर वह विचार कर सकते हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? मैं इस संबंध में सरकार के इरादे की जानकारी चाहता हूं।

इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर समस्या केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है। न तो कानून की

[श्री चित्त बसु]

पुस्तकें अथवा कानून और न ही पुलिस अथवा केन्द्रीय सुरक्षा बल इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं जो कि एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है तथा इस समस्या को पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाये बिना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में देखा जाना चाहिए। परन्तु, भारत सरकार की नीति से ऐसा परिलक्षित नहीं होता। इससे इस संबंध में अपनाया गया पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट छलकता है तथा इसी से कठिनाई तथा समस्या उत्पन्न होती है।

एक मुख्य समस्या यह है कि कश्मीर के लोग भारतीय राजनीति की मुख्यधारा से अपने आपको अलग-थलग महसूस करते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कश्मीर के लोगों का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है तथा अगर हम कश्मीर के लोगों को वास्तव में भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो इस विशिष्टता को सवीकार किया जाना चाहिए तथा भारत की अनेकता में एकता का मूलभूत सिद्धांत जीवन के हर पक्ष में लागू किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात्, चुनावों का प्रश्न आता है। यहां भी द्विभाजन नजर आता है। अब गृह मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए यथाशीघ्र चुनाव् करवाये जाने चाहिए। प्रधान मंत्री महोदय ने भी यह कहा है कि इसमें यदि थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ा तो उठाना चाहिए। चुनाव करवाना बेहतर है। उनका कहना है कि जोखिम अवश्य है, परन्तु यह जोखिम उठाना ठीक है। परन्तु उनके अन्य मंत्रिमण्डलीय सहयोगी इस संबंध में क्या कहते हैं। हमारे संचार मंत्री श्री राजेश पायलट का कहना है कि इस समय कश्मीर में चुनाव करने पर विचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा स्पष्ट रूप से प्रैस कान्फ्रैंस में कहा। उन्होंने समाचारपत्रों को यह बताया कि कश्मीर की वास्तविक स्थिति आज पंजाब से भी बदतर है। उन्होंने यह बात जून में कही थी। अब प्रधान मंत्री कहते हैं कि चुनाव की आवश्यकता है। वह कहते हैं कि खतरा है, लेकिन इस खतरे को उठाया जा सकता है और एक केन्द्रीय मंत्री कहते हैं कि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां चुनाव कराए जा सकें। तो आप क्या संकेत दे रहे हैं? .... (व्यवधान) मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री का प्रभाव होगा और उस स्थति में मैं गृहमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रधान मंत्री का प्रभाव है और यदि उनका प्रभाव रहता है तो क्या आप जम्मू और कश्मीर में चुनाव के लिए कोई तिथि निर्धारित करने जा रहे हैं? मुझे चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए वहां की वास्तविक स्थिति अनुकूल है, जहां तक हमारे अनुमान का संबंध है, जहां तक मेरी पार्टी के अनुमान का संबंध है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये उपयुक्त स्थिति नहीं है। आप पंजाब के जैसा चुनाव करा सकते हैं। वहां भी खतरा है। आपने सभी स्थानों पर जीत हासिल की है। आपने सभा में शक्ति बढ़ा ली है और जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराके अपनी शक्ति में थोड़ा और इजाफा करना चाहते हैं। यदि आपके यही प्रयास है तो आप चुनाव कराऐं और उसमें धांधली करवालें, क्योंकि आपने पहले भी ऐसा ही किया है। एक धांधलीपूर्ण चुनाव सबसे बुरा होता है। उग्रवादियों, अलगाववादियों तथा विघटनकारियों को बल मिलेगा। इसलिये, यदि आप यह समझते हैं कि इस सभा में आपको अपनी सदस्य संख्या बढ़ानी है, तो जैसा कि पंजाब के मामले में हुआ उसी तरह आप चुनाव कराने के लिए आजाद है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अंतिम तौर पर चुनाव कराने का विचार कर लिया है, यदि हां, तो यह चुनाव पंजाब के चुनाव जैसी होगी जिसका आपने हाल ही में अनुभव प्राप्त किया है।

कश्मीर समस्या का वैदेशिक पहलु भी है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हाल ही में इस्लामिक देशों के संगठन ने सभी तरह के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की निंदा करते हुए एक संकल्प पारित किया है। उस दस्तावेज में इस्लामी देशों के संगठन ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा व्यापक उल्लंघन किए गए हैं और इसलिये कश्मीरी लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने के साथ स्वनिर्णय के अधिकार भी शामिल हैं। अब पाकिस्तान इस मुद्दे

का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है। इस्लामी देशों के संगठन ने स्वनिर्णय की मांग को भी स्वीकार करने की बात कही है। इस संदर्भ में, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर के संबंध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है, इसकी जानकारी देने के लिये कोई प्रचारतंत्र नियत किया है और कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है यह प्रभावी रूप से सिद्ध करने का कोई उपाय किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि उक्त मामले के संबंध में स्वनिर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के जेलों में बहुत अधिक संख्या में कैदी हैं। हाल ही में मुझे यह जानकारी मिली है कि एक जांच समिति वहां गठित की गई है और इस जांच समिति ने 788 मामलों पर विचार किया और 97 कैदियों को छोड़ने की सिफारिश की है। 788 मामलों की जांच की गई और केवल 97 कैदियों को छोड़े जाने योग्य समझा गया। क्या इसीका यह अर्थ है कि स्थिति में सुधार हुआ है।

4.00 म०प०

क्या इसका यह तात्पर्य है कि वहां की स्थिति सामान्य है और लोगों को जेलों में डाल कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से बहाल किया जा सकता है? क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में आम माफी के घोषणा का विचार रखती है?

अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक समाचार पत्र में यह रिपोर्ट आई है कि जे०के०एल०एफ० एक सम्मेलन का आयोजन करना चाहता है। पहले वे पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्र में यह आयोजित कराने जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने स्थान बदलकर जेनेवा में आयोजित करने का विचार किया है। कुछ भारतीय नेता अमानुल्लाह द्वारा स्थापित जे०के०एल०एफ० के सम्मेलन में शामिल होना चाह रहे हैं। इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है? क्या उन भारतीयों को सरकार उक्त सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देगी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं जवाब चाहता हूं।

जहां तक विधेयक का संबंध है, मैं यह कहता हूं कि यह सरकार की विफलता है। सरकार इस संबंध में चाहे जो भी कहे। इन कानूनों को समय-समय पर लागू किया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं इस सभा का एक गैर जिम्मेदार सदस्य के रूप में कार्य करूं। इसलिये पूरे दायित्व के साथ मैं यह कहता हूं कि आपके पास 'हां' कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ताकि कानून अप्रभावी न हो जाए। इसलिए विवश होकर मैं इसे स्वीकार करता हूं।

जिस समिति को सुझाव प्रायः देने के लिये आपने गठित किया है, थोड़े-बहुत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बावजूद उस समिति का चुनाव सभा द्वारा नहीं करवाया जा रहा है और फिर भी आप कहते हैं कि आप उस समिति के सिफारिशों को अस्वीकार भी कर सकतें हैं, जिसे आप ही गठित करने जा रहे हैं। गृह मंत्री जी मुझे खेद है लेकिन आप जो चाहे वह करें। इससे सरकार के सही इरादे सामने नहीं आते।

इसलिये मैं पुनः यह निवेदन करता हूं कि इस विशेष पहलु के संदर्भ में यदि किसी विधेयक या कानून में कोई संशोधन करना हो, तो उसे निश्चित रूप से इस समिति को भेजा जाना चाहिए उसके सुझावों पर ही संसद की ओर से राष्ट्रपति को विधान बनाना चाहिए।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) सभापति महोदय, विधेयक पर चर्चा में जब मैं भाग ले रहा हूं तो मैं मिश्रित विचारों के साथ बोल रहा हूं। यह मिश्रित विचार इसलिए है कि एक ओर सरकार की ऐसी विकट स्थिति है कि उसे इस तरह विधान बनाने पड़ रहे हैं, अनुच्छेद 357 को लागू करते हुए यह बताना पड़ रहा है कि ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर की जनता की भावनाओं की बात है जिन्हें प्रशासन चलाने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

[श्री ई० अहमद]

मेरे विचार में चौथी या पांचवी बार सरकार कश्मीर के संबंध में कुछ कहने के लिए सभा के सामने आई है। इस बार अनुच्छेद 357 के तहत एक विधान लेकर वह आई है।

4.03 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

यह विशेष प्रकार का विधान है। इसकी आवश्यकता श्री जगमोहन के राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान, जिन लोगों ने शासन किया, उनकी गलतियों के कारण उत्पन्न हुई है। भाजपा के मेरे मित्रों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में श्री जगमोहन को जनता पसंद करती थी। शायद, मेरे विचार में, जहां तक कश्मीर का संबंध है वहां श्री जगमोहन के शासन काल के बारे में ऐसी बातें कहना अत्यंत दुष्कर है।

अब आप श्री जगमोहन के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई गलतियों की सराहना कर रहे हैं। अब भी मुझे याद है सी०पी०आई० जैसी सहयोगी पार्टी ने कशमीर में श्री जगमोहन के शासन काल के बारे में क्या टिप्पणी की थी। मुझे याद है कि सीपीआई के एक सदस्य ने वी०पी० सिंह सरकार को समर्थन देते हुए यह टिप्पणी की थी कि जगमोहन ने जम्मू और कश्मीर की जनता के प्रति अपराध किया है। विधान सभा को भंग करने का यह कार्य जगमोहन का ही था, जिन्होंने मनमाने ढंग से कार्य किया, जिससे केवल देश ही बदनाम नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद प्रशासन को अत्यंत नाजुक और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन महोदय, गृह मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि कौन इस कानून को लायाः क्या वह इस सभा को विश्वास में लेकर हमें बताएंगे कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर में कौन सी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। यह निर्विवाद सत्य है कि जम्मू और कश्मीर के अधिकांश लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और साथ ही वे भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को भी मानते हैं। लेकिन कदम ऐसा है कि सरकार उन्हें देश के अन्य हिस्सों से केवल अलग-अलग करने का कार्य कर रही है। जब भारत की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं तो उस अधिकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों का यह दुर्भाग्य है कि उन्हें लम्बे समय से इससे वंचित किया जा रहा है और यहां तक कि यह कानून भी जिसे लाने में सरकार विवशता महसूस कर रही है मैं यह मानता हूं कि वह भी जम्मू और कश्मीर के लोगों को सही संकेत नहीं देगा। जम्मू और कश्मीर के लोग उस राज्य में रह रहे हैं, जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और उन्हें तथा कथित विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्राप्त है। एक ओर जम्मू कश्मीर के लोग स्वायत्तता और शक्तियां चाहते हैं, और दूसरी ओर हम ऐसे कानून बनाने में विवशता महसूस कर रहे है जिससे हम एक हाथ से जो कुछ भी प्रदान करते हैं दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। इसलिये, भारत सरकार के लिये यह अनुकूल समय है कि बात-चीत से जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक तत्वों के साथ मिलकर उन्हे भारतीय लोकतन्त्र की मूल धारा में शामिल करने के लिये राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करें।

मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जम्मू और काश्मीर भारतीय संघ का एक राज्य है न कि कोई साधारण नगरपालिका। विकास, शैक्षिक सुविधाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे मामलों में देश का वह भाग पिछड़ा हुआ है। यह भी भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह जम्मू और कश्मीर के लोगों के विकास के लिये एक व्यापक योजना तैयार करे और मुझे पूरा विश्ववास है कि सरकार अपनी इस कठिन जिम्मेदारी को जो महसूस करेगी कि वह जम्मू और कश्मीर के लोगों में भारतीय संघ का नागरिक होने की भावना पैदा करे।

महोदय, मैं मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि इस अधिनियम के प्रावधानों को पहले भी कई विधानों के तहत जिसे सभा ने अब तक पारित किया है, उसमें शामिल किया गया है। जैसे पंजाब अधिनियम, 1951 और अन्य कई विधान। उदाहरणार्थ, पंजाब राज्य विधान (शक्तियों का प्रत्यायोजन), 1951 यह पटियाला एवं

पूर्व पंजाब राज्यों का केन्द्रीय विधान (शक्तियों का प्रत्यायोजन) और आंध्र राज्य विधान (शक्तियों का प्रत्यायोजन), त्रावणकोर-कोचिन राज्य विधान (शक्तियों का प्रत्यायोजन) तथा केरल राज्य विधान (शक्तियों का प्रत्यायोजन) आदि मामले जो कि अनुच्छेद 357 के अंतर्गत है, उनके लिए एक समय सीमा निर्धारित है। लेकिन इस विधेयक में समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। तब पुनः पंजाब विधान में इस प्रावधान के संबंध में यह कहा गया है कि इस कानून को सभा पटल पर धारा तीन के तहत अधिनियम को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के सात दिनों के अंदर रखना होगा। लेकिन इस विधेयक में उसके बदले यह कहा गया है कि यह ध्यान दिया जाए कि संसद का कोई भी सदन धारा 3 के अंतर्गत जिस तिथि को अधिनियम उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया उससे 30 दिन के अंदर संकल्प पारित कर सकता है। अतः जब एक अन्य विधान ने 7 दिनों का समय दिया है, तो यह विधान सरकार को विधेयक सभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिये तीस दिन का समय देता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार भी आवश्यक संशोधन करेगी।

महोदय, एक बार फिर मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार के पास भारतीय संघ की मूलधारा में अधिसंख्य कश्मिरियों को शामिल करने का यही समय है और यही मौका है कि बिना समय बर्बाद किए सरकार राजनीतिक बातचीत शुरू करे ताकि देश के साथ ही कश्मीर को भी संविधान के तहत लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ शामिल किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी॰ श्रीनिवासन (डिन्डिगुल): सभापति महोदय, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जम्मू और कश्मीर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1992 पर बोलने का मौका दिया है, जम्मू और कश्मीर राज्य पिछले कुछ सालों से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। राज्य की विधान सभा को भंग कर दिया गया है। इस वजह से राज्य के कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। तदनुसार वर्तमान विधेयक राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर के लिये कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में संसद सदस्यों की एक सलाहकार समिति गठित करने का परावधान है, क्योंकि सभा में जम्मू और कश्मीर से कोई भी सदस्य नहीं है। मेरे विचार से इस समिति में जम्मू और कश्मीर के विभिन्न नेताओं, को भी शामिल करना चाहिए ताकि वास्तविक समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके और राष्ट्रपति को जहां जरूरत हो कानून बनाने की सलाह दी जा सके।

महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि पंजाब में उन्होंने प्रभावी तरीके से, आतंकवाद को रोका है और राज्य में चुनाव करवाए हैं। इसी प्रकार सरकार को जम्मू और कश्मीर ने भी चुनाव करवाने के लिए सही वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान से सहायता प्राप्त हो रही है। ऐसे समाचार हैं कि पाकिस्तान द्वारा लिट्टे को तीन जहाजों में शस्त्र भेजे जा रहे हैं। इस विषय पर, हमें प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ, रियो में हुई बातचीत का स्वागत करना चाहिए। हमें ऐसे सभी मार्ग अपनाने चाहिए जिन से पाकिस्तान से भारत के आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई को रोका जा सके।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन उद्योग बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। बहुत से लोग बेरोजगार हैं। पर्यटकों ने राज्य में आना बंद कर दिया है। जवान और बूढ़े लोग आतंकवाद को अपना रहे हैं। इसलिये यह जरूरी है कि केन्द्र सरकार कुछ ऐसे कदम उठाये कि घाटी में बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके। जब लोगों को यह विश्वास हो जायेगा कि सरकार वास्तव में और गंभीरता से उनकी भलाई करना चाहती है, फिर तो लोग निश्चय ही आतंकवाद को छोड़ देंगे, और चुनाव कराने के लिए उचित वातावरण बन जाएगा।

इस सिलसिले में, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान लिट्टे उग्रवादियों को काबू करने हेतु पुरायितैलाने के प्रतिभाशाली नेतृत्व में तमिलनाडू सरकार द्वारा उठाये गये प्रभावी कदमों की तरह आकर्षित करना चाहूंगा। आज तमिलनाडू

[श्री सी॰ श्रीनिवासन]

एक ऐसा राज्य है जो कि आतंकवाद के चंगुल से बहुत तेजी से मुक्त होता जा रहा है। इस मौके पर, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि वह तमिलनाडु सरकार को आतंकवाद को मिटाने में पूरी सहायता प्रदान करें। इस संबंध में, मैं प्रधान मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वह आतंकवाद से लड़ने के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक राष्ट्रीय आतंकवाद सहायता कोष बनाए।

अंत में, मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं जो संविधान के अनुच्छेद 370, को हटाने की मांग कर रहे हैं। अगर अनुच्छेद 370, को हटाया जाएगा तो मुसलमानों को हमारे संविधान में और धर्मनिरपेक्षवाद में आस्था मिट जाएगी। इसी अनुच्छेद की वजह से, जम्मू और काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, और इसे कायम रहना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि जैसा कि श्री चित्त बसु ने सारांशतः कहा है, यह तो एक अनिवार्यता ही है। हालांकि, श्री भोगेन्द्र झा की तरफ से इस आशय की कुछ आपत्तियां की गईं कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो यह सदन अपने विधायी कार्यों को नहीं कर पायेगा; सत्य से दूर हैं। यह इसलिए कि किसी भी प्राधिकारी को विधायी शक्तियां सौंपने से पहले कुछ पूर्ववर्ती शर्तें होती हैं और वे ये कि विधान मण्डल के पास उनका नियंत्रण होना चाहिए और वह क्रियाविधि इस विधेयक में पहले से इस रूप में निहित है, कि यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और यह सदन उसमें कोई भी फेरबदल कर सकेगा। साथ ही उस में एक सलाहकार समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

सामान्य स्थिति में, इस प्रकार का विधेयक, एक बड़ा ही कठोर उपाय सिद्ध होगा। परन्तु हम सामान्य स्थिति से नहीं गुजर रहे हैं। हम जम्मू और काश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वह राज्य एक किलाबन्दी जैसी स्थिति में है। काश्मीर के लोगों को आतंकवाद से बचाने के लिए हमने क्या किया है? इस स्थिति को सुधारने के लिए हमने कौन सा कार्य विधि अपनाए है? यह एक महत्वपूर्ण बात है, और हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए।

क्या हमने उन कारणों को जानने की कोशिश की है जिनसे यह स्थिति उत्पन्न हुई? हम जानते हैं कि अतीत में बहुत-सा धन जम्मू और कश्मीर में भेजा गया था। वास्तव में, मैं 1991 के योजना परिव्यय का उदाहारण देता हूं। जम्मू और कश्मीर में यह 650 करोड़ रुपये था, जबकि केरल को 635 करोड़ रुपये दिए गए। इसकी तुलना में आप देखेंगे कि हमने राज्य के लिए अत्याधिक वित्तीय प्रविधान किया है। परन्तु क्या वह सामान्य लोगों तक पहुंचा है यह महत्व की बात है। पिछले कुछ सालों से, हम वास्तविकता देखते आये हैं, वहां आज भी सामान्य व्यक्ति को मिट्टी के तेल के डिब्बे के लिए, एक पूरा दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को जीवन की मूल सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं। जिस अत्याधिक गरीबी में जम्मू और कश्मीर के सामान्य लोग रहते हैं, उसका विश्वास तो आपको उन्हें देखकर ही होगा क्योंकि वहां के आत्मपोषी धन लोगों ने जम्मू और कश्मीर में विकास के फल को खुद ही हड़प लिया है और उनकी समस्या का मूल कारण ही यही है। आज आप इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कर रहे हैं?

जम्मू और कश्मीर का सामान्य व्यक्ति साम्प्रदायिक नहीं है। कश्मीरी मुसलिम हो या अन्य कोई भी व्यक्ति काश्मीरी अवाम कभी भी साम्प्रदायिक नहीं रहा।

अगर आप इतिहास को देखें तो आप श्री सोमनाथ शर्मा के श्रीनगर बचाने के साहस की प्रशंसा करेंगे। परन्तु हम इस बात की उपेक्षा करते हैं कि ब्रिगेडियर उसमान ने भी उस राज्य को बचाते वक्त छीने गये क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने हेतु अपना जीवन बलिदान कर दिया था। 1965 में जब पाकिस्तान से घुसपैठिये

कश्मीर में आए, तो उनको बाहर निकालने में काश्मीरी मुसलमानों ने भारतीय सेना की मदद की थी। परन्तु जब हम इस समस्या के साम्प्रदायिक पहलू पर विचार करते हैं तो हम इस तथ्य की उपेक्षा कर देते हैं। आज स्थिति साम्प्रदायिक बन रही है जैसे कि वह पहले कभी भी नहीं थी; और यह एक बहुत ही गंभीर चिन्ता की बात है।

वर्ष 1987 से पहले मैं वहां था। हमने पांच साल तक वहां पर काम किया। परन्तु किसी भी व्यक्ति ने वहां पर साम्प्रदायिक आधार पर बात नहीं की। वहां पर पूरी तरह से साम्प्रदायिक सद्भाव व्याप्त था। परन्तु वर्ष 1987 के बाद क्या हुआ है? स्थिति साम्प्रदायीक बन चुकी है। वर्ष 1986 से, अर्थात भारत को अस्थिर बनाने की जनरल जिया की योजना के वक्त से, पाकिस्तान काश्मीर की स्थिति को साम्प्रदायीक बनाने का प्रयत्न करता रहा है। उनकी मदद किसने की है? पाकिस्तान की मदद हमारे मित्र, भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जब उन्हेंनि रामजन्मभूमि के मुद्दे को उठाया, क्योंकि यही एक ऐसा मुददा है जिस पर काश्मीर के लोगो का मन बदला है। काश्मीर के दूर दराज के हिस्सों के लोग, अपनी मस्जिद के गिरने से उत्तेजित हुऐ थे। इस पार्टी ने इस मुद्दे से लाभ उठाया है, और हरेक गांव में और हरेक कसबे में हमारा घोर प्रचार किया है, और उसी के प्रभाव से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आज काश्मीर की स्थिति साम्प्रदायीक बन चुकी है।

हम विदेशी अन्तराक्षेप के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को सहायता दे रहा है और भारत में भारत के विरुद्ध एक अभियान शुरू कर रहा है। इसमें कुछ भी नया या हैरान होने लायक नहीं है। हम पाकिस्तान से ऐसी अपेक्षा उम्मीद रख सकते हैं। परन्तु आपने पाकिस्तान की इन हरकतों का मुकाबला करने के लिए, क्या किया है? यह सिर्फ पाकिस्तान की ही हरकत नहीं है। जैसे वह विकसित देश, विशेषकर अमरीका भी भारत और पाकिस्तान के आपसी समस्याओं को सुलझाने में द्विपक्षिता की बात करते हैं। दूसरी तरफ, वह पाकिस्तान को उकसा रहा है। हमें इस पहलू से भी अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए कि कुछ देश आज तो द्विपक्षिता की दुहाई दे रहे हैं, परन्तु कल को स्थिति बदल जाएगी, जब कुछ देश पाकिस्तान को उकसायेंगे और उसकी ही मदद करेंगे, और काश्मीर के आतंकवादी भारत के लिए और अधिक परेशानी का कारण बन जायेंगे।

अब मैं उन अब तक हुई उस सरकारी कार्यवाही का सारांश दे रहा हूं, जिसका प्रभाव निचले स्तर के सरकारी कार्य पर हो सकता है। पहले, सुरक्षा बलों की भूमिका है। कश्मीर में सेना, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल तैनात हैं। इन बलों के बीच बिल्कुल भी समन्वय नहीं है और यही उनकी ज्यादती का कारण है। सेना, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल अनेक अवसरों पर गलती से एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं। उन पर नियन्त्रण की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो एक विशेष कार्य प्रणाली बना सकें। आज कश्मीर में कानून और व्यवस्था की नहीं बल्कि विद्रोह की समस्या है। इतिहास ने सिद्ध किया है कि केवल सेना ही विद्रोह की स्थिति का सामना करने में समर्थ है। उन्होंने मिजोरम में यह सिद्ध किया है। उन्होंने नागालैंड में यह सिद्ध किया है। सेना सख्ती से प्रशासन चलाती है। हमें अब इसी पर ध्यान देना है। हम पार्टी में आतंकवादी विरोधी कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। ऐसा करने के मुख्य उद्देश्य और भूमिका हेतु किस बल को यह कार्य सौंपा जाए? हमें एक संगठित कमांड बनानी चाहिए एक ऐसी नियंत्रण व्यवस्था जिसमें सभी बल सद्भावना से कार्य करें।

दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा आसूचना एजेंसी है। मैंने वहां पर आई० बी० सी० आई० बी० और रॉ तथा खुफिया इत्यादि अनेक आसूचना एजेंसियां देखी हैं। वे सभी एक दूसरे के विपरीत उद्देश्यों के तहत कार्यरत हैं। कोई भी राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय उद्देश्य ध्यान में नहीं रख रहा। निचले स्तर पर प्रत्येक एजेन्ट कुछ जानकारी लेकर तुरन्त दिल्ली आना चाहता है। वह निचले स्तर पर ही जानकारी को नहीं देता। इसका यह परिणाम होता है कि जब जानकारी आसूचना रिपोर्ट में बदलती है और फिर सुरक्षा बलों द्वारा अपने अभियान में इसका

[श्री सुधीन सावन्त]

उपयोग होता है तो बहुत देरी हो जाती है। अक्सर यह होता है कि जब सुरक्षा बल एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचते हैं तब तक पकड़े जाने वाले आतंकवादी वहां नहीं होते और आम आदमी को सुरक्षा बलों के अभियान के कुप्रभाव का सामना करना पड़ता है। जब हम वहां पर ज्यादतियों की बात करते हैं तो ऐसा होता है।

अगला मुद्दा प्रशासन से संबंधित है।

सभापति महोदयः कृपया अब समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुधीर सावंतः मैं कुछ मिनट और लूंगा। मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदयः कुछ मिनट नहीं। कृपया एक मिनट और लीजिए।

श्री सुधीर सावंतः मैं इस मुद्दे को समाप्त करने से पूर्व अपनी सिफारिश बताना चाहता हूं क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर मैं पहले कह चुका हूं, बुनियादी सुविधाएं, और आम आदमी द्वारा जिन बुनियादी समस्याओं का सामना किया जा रहा है वे पूर्णतया उपेक्षित हैं क्योंकि अफसरशाही और लोगों के बीच कोई सम्पर्क नहीं है। गैस एजेन्सी जैसे साधारण कार्य अथवा एक गैस कनैक्शन लेने के लिए राजौरी में गैस सिलैंडर हेतु 300 रुपये देने पड़ते हैं पूंछ में 350 रुपये देने पड़ते हैं; उरी में यह उपलब्ध ही नहीं है। इन मुद्दों पर प्रशासन ध्यान दे क्योंकि आज शिकायतों पर गौर करने हेतु कोई नहीं है। मैं निम्नलिखित कार्यवाही की सिफारिश करूंगा। पहला कार्य यह है कि आप राज्य स्तर से जिला स्तर और तहसील स्तर तक सुरक्षा बलों के बीच, आसूचना एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच संगठित नियंत्रण कायम करें। आज इसका एकदम अभाव है। प्रत्येक जिले में तुरन्त कार्यवाही दल कायम किए जाएं। इनके पास आवश्यक खुफिया व्यवस्था हो। आसूचना एजेंसियों को पूर्णतः संगठित किया जाए। हमें आज कार्यरत आसूचना एजेंसियों के अन्दर बाहरी तत्वों की घुसपैठ नहीं होने देनी चाहिए लेकिन हमें उन को कम से कम कार्य में लगाना चाहिए।

मानव अधिकारों के मामले में ज्यादतियों की रिपोर्ट मिली है।

सभापति महोदयः यह विधेयक राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्रत्यायोजन करने से संबंधित है।

श्री सुधीर सावंतः मैं एक बात गर्व से कहना चाहता हूं। जब भी ज्यादतियां हुई हैं, कार्यवाही की गई है। 114 मामलों को दर्ज किया गया है; 29 मामले सुलझाए गए और तीन अधिकारियों को सख्त जेल की सजा दी है। लेकिन ज्यादतियों पर नियंत्रण किया जाए और आवश्यक कार्यवाही स्नेहपूर्वक की जाए। आप ग्राम शांति समिति स्थापित करें और परामर्शदात्री समिति और सलाहकार समिति राज्य स्तर पर हैं। एक समिति प्रत्येक जिला स्तर पर कायम की जाए। मैं यहां पर आग्रह करता हूं कि हमें आज मौजूदा वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है और स्थाई उपाय करने हैं क्योंकि इसके कम अवधि के उपाय नहीं है। केवल दीर्घकालिक उपाय इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। हमें समय से पूर्व चुनाव नहीं कराने चाहिएं। मेरा यही अनुरोध है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज): महोदय कश्मीर राष्ट्रपति-शासन के अधीन है। हमारा अनुभव रहा है कि विभिन्न समय पर अनेक राज्य राष्ट्रपति-शासन के अधीन रहे हैं। यह अनूठी स्थिति नहीं है। लेकिन कश्मीर की कुछ विशेषताएं हैं। मैं विस्तार से नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर की तुलना पंजाब से भी नहीं की जा सकती है। इसलिए सरकार आज इस शक्ति का प्रयोग करना चाहती है, यह संविधान में है और संविधान के तहत है और पहले भी इसका प्रयोग किया गया है लेकिन कश्मीर में कभी नहीं और पंजाब में भी बहुत कम हुआ है। इसलिए कश्मीर का अपना संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा कश्मीर के दर्जे का निर्धारण अथवा संचालन होता है। राष्ट्रपति शासन के मौजूदा दौर में कश्मीर का कष्टपूर्ण इतिहास रहा है। महोदय, जम्मू-कश्मीर के संविधान के तहत राज्यपाल को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया था। इसके बाद, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 356 के

तहत उद्घोषणा जारी की गई थी। अब मैं एक तकनीकी मुद्दा उठाना चाहता हूं। अनुच्छेद 357(1) (क) के तहत ऐसी उद्घोषणा के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति को संसद द्वारा विधाई शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुमति है, हमें इसे संविधान के परिशिष्ट II धारा 19, उप-धारा 6, उप-धारा (घ) के साथ पढ़ना है जो राष्ट्रपति द्वारा विधाई शक्तियों के प्रयोग पर सीमा लगाता है। विधेयक में इस सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। यह धारणा उत्पन्न की गई है कि राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित शक्ति अन्य राज्यों की स्थिति के बराबर होगी। ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस मुद्दे को स्पष्ट करें कि क्या मेरे द्वारा उद्दत इस उपबन्ध को उन्होंने विधेयक तैयार करते समय ध्यान में रखा था अथवा वह इस स्थिति से कैसे निपटेंगे।

जैसा कि मैंने कहा इस मामले में राज्यपाल ने राज्य के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत विधान सभा के भंग होने के बाद पहले विधाई शक्ति का प्रयोग किया था। इसके बाद राज्यपाल ने शक्ति का प्रयोग करते हुए दो कार्य किए जिनसे जम्मू-कश्मीर में स्थिति बिगड़ने में योगदान दिया। पहला कार्य यह था जबकि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत विधाई शक्ति ग्रहण की, इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है जैसा कि माननीय मंत्री जानते हैं और जहां तक मुझे पता है इस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। यह अभी भी उच्चतम न्यायालय के सम्मुख लम्बित पड़ा है। मेरी जानकारी के अनुसार दूसरा कार्य यह था कि उन्होंने केन्द्र सरकार से परामर्श किए बिना ही राज्य विधानसभा को खत्म कर दिया। इन दोनों कार्यों के फलस्वरूप घाटी में असंतोष बढ़ा है। हम आज जो कुछ करने जा रहे हैं और सरकार जिन मजबूरियों का सामना कर रही है वे भी जम्मू-कश्मीर के लोगों को गलत संकेत दे रहे हैं। सत्ता पक्ष से मेरे मित्र संविधान के अनुच्छेद 370 के पक्ष में तर्क दे रहे हैं और यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 370 को कम कर रहा है। इसलिए मैं इस कार्य का औचित्य नहीं समझ रहा। मैं राजनैतिक परिणाम दे सकता हूं; राजनैतिक मजबूरियां, संवैधानिक संकट देख सकता हूं। लेकिन मैं सत्ता पक्ष के इस तर्क को नहीं समझ रहा कि एक तरफ तो वे संविधान के अनुच्छेद 370 के पक्ष में इसकी पवित्रता और महत्व पर बोलते हैं और वे इसे कम करने का प्रयास भी करते हैं।

एक और पहलू है। मैं इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसके उद्देश्य और कारण एक दयनीय झलक देते हैं। यह एक तुच्छ बहाना है। इसमें कहा गया है कि इस संसद के पास समय नहीं है। यह संसद रात तक चल सकती है और आवश्यक हो तो रात-दिन बैठ सकती है। कोई यह क्यों कहे कि इस संसद के पास समय नहीं है? सरकार गत छहः महीने से क्या कर रही थी? यह स्थिति जुलाई, 1989 में उत्पन्न होनी थी। इसके बारे में पता था। क्या यह सरकार सदैव निष्क्रिय रहती है और केवल कठिन समय पर ही सक्रिय होती है और फिर निर्विवाद तथ्य के रूप हमारा सामना करती है और कहती है कि हमारे सम्मुख कोई विकल्प नहीं है? क्या सभा की गरिमा का सम्मान करने का यही तरीका है? क्या सरकार चलाने का यही तरीका है? मैं यह नहीं समझ रहा। इसमें यहां कहा गया है: "राज्यपाल के शासन के दौरान विभिन्न राज्य अधिनियमनों में किए गए अनेक संशोधन।" इसमें पुनः कहा गया है: "ऐसे अनेक अधिनियमन"। पहले इसमें कहा गया है कि अनेक अधिनियमन और फिर इसमें कहा गया है कि बहुत सारे अधिनियमन। माननीय मंत्री ने अपने प्रारम्भिक टिप्पणियों में इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि ऐसे कितने अधिनियमन लम्बित हैं और कितने अधिनियमनों को नियमित करना है। कृपया हमें विश्वास में लीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमें बताएं कि ऐसे कितने अधिनियमन लम्बित हैं जिन्हें 18 जुलाई से पूर्व अवश्य ही नियमित किया जाना है और जिसके लिए आप यह शक्ति मांग रहे हैं। आप एक क्षणिक कठिन स्थिति से निपटने के लिए स्थाई अधिकार के रूप में यह शक्ति क्यों मांग रहे हैं? सभापति महोदय, क्या यह सही है?

इसलिए मैं उद्देश्य और कारणों के कथन में दिए गए कारणों को स्वीकार नहीं करता। महोदय, एक मुद्दा और उठाना है। मेरे विचार से यह मामला बहुत महत्वपूर्ण नहीं था कि सरकार अपनी समस्या से राजनैतिक कारणों से

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

इसे तैयार करती। सरकार राजनैतिक दलों की बैठकें बुला रही है; वे संसदीय ग्रुपों के नेताओं की बैठक भी कर रहे हैं। इस मामले में मुझे नहीं पता कि क्या कोई ऐसी कार्यवाही की गई थी। क्या उन्होंने उनसे परामर्श किया या नहीं? क्या उन्होंने इस संकट, आसन्न संकट की कठिनाई को राजनैतिक दलों के नेताओं के सम्मुख रखा था? अगर कश्मीर राष्ट्रीय समस्या है तो आपको हर चरण पर सभी राजनैतिक दलों, गुटों से परामर्श करना चाहिए। यह नहीं किया गया। मुझे इस पर भी सन्देह है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मामले में महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों से भी पराशर्म किया हो। मुझे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर नेंशनल कान्फ्रेंस को भी विश्वास में नहीं लिया गया, उससे परामर्श नहीं किया गया। निश्चित रुप से, राष्ट्रीय स्वरूप की एक राजनैतिक समस्या से निपटने का तरीका नहीं है।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा, इसमें अत्यधिक राजनैतिक कारण हैं। मैंने कहा कि हम यह संकेत दे रहे हैं कि कार्यकारी शक्ति लेकर राज्यपाल के माध्यम से इसका प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें हमने नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति में कश्मीरियों का कोई हाथ नहीं है, उनके व्यवहार पर कश्मीरियों का कोई नियंत्रण नहीं है, वह एक महाराजा, वाइसराय की तरह हैं, तब कार्यकारी के हाथ में विधायी शक्ति भी छीन रहे हैं। अतः केन्द्रीय सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य के शासन का संचालन कर रही है हम सभी जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार ही राज्य के न्यायपालिका और विधायिका का संचालन कर रही हैं। इसलिये आज सारी शक्तियां केन्द्रित हो गई हैं। हम विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता और जम्मू और कश्मीर को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री भी इसकी बात करते हैं। पिछले दिनों एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने जम्मू और कश्मीर समस्या के हल का संकेत दिया और कहा कि समस्याओं की गुफा में हमें अभी तक आशा की कोई किरण नहीं दिखी है लेकिन समस्या स्वायत्तता को और यथासंभव अधिक से अधिक बढ़ाने से ही हल हो सकती है जो कि भारत की तथा इस घाटी की जनता को भी स्वीकार्य होगा। अब, यदि ऐसा होता है तो आप एक दम विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। आप स्वायत्तता की बात करते हैं और साथ ही उन्हें अधिक स्वायत्तता देने की बात करते है, आप शक्ति केन्द्रित कर रहे है—पहले कार्य पालिका, फिर विधायिका और न्यायिक शक्ति किसी का अस्तित्व में नहीं है।

इसीलिये मैं यह महसूस करता हूं कि जब तक सरकार समस्या का राजनीतिक हल गंभीरता पूर्वक नहीं खोजती है तो केवल यह मंत्रोच्चार करने से काम नहीं चलेगा कि हम राजनीतिक समाधान चाहते हैं। इसके लिये आपको एक माहौल तैयार करना होगा। आज हम आशा की एक चमक देख सकते हैं। आज पहली बार ढाई साल के बाद एक बात चीत शुरू हुई है, विचार-विमर्श शुरू हुआ। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। उन्होंने एक अलग मार्ग चुना है और वे पूछ रहे हैं—क्या यह बंदूकों की प्रवृत्ति हमें किसी उचित राह पर ले जाएगी? उनके मन में यह शंका पैदा हो रही है और पाकिस्तान से उनका मोहभंग हो गया है। वे एक रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं—और इस समय आप बिल्कुल गलत संकेत दे रहें है—एक गलत संकेत, गलत समय पर दे रहे हैं। इससे और अधिक घातक बात देश के लिए क्या हो सकती है? सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि जिस स्थिति में आपने हमें पहुंचा दिया है, जिस स्थिति में सरकार ने हमें पहुंचाया है—इस प्रभावहीन सरकार ने जिस स्थिति में पहुंचा दिया है—अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सभापति महोदय, इसीलिए हम बड़ी अजीब स्थिति में हैं। अनुच्छेद 370 को रखने या न रखने के बारे में कहा जाता रहा है, हमें कश्मीर के लोगों को गलत संकेत दिए जाने का खेद है, केन्द्रीय सरकार के पास कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों के केन्द्रित हो जाने का हमें खेद है, ये सभी हमारी घोषणाओं के विरुद्ध है और यही मूल रूप से कश्मीर में समस्या पैदा करने के लिये उत्तरदायी है फिर भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अतः इस सभा में हमारे पास दो ही विकल्प हैं या तो हम आपका समर्थन करें या दूर रहें। उस स्थिति का यही त्रासद पहलु है। मैं कश्मीर की स्थिति का उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं चूंकि लोग इससे अच्छी तरह अवगत है। लेकिन वहां प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं। प्रति दिन आप रेडियो पर समाचार सुनते हैं और समाचार पत्रों में

पढ़ते हैं और आपको रोजाना ही एक आघात सा लगता है। राज्य में उच्च अधिकारियों में जो शीर्षस्थ हैं। उन्होंने ही मुझे यह बताया है जो कि राज्य की स्थिति पर नियंत्रण रखते है और उसे व्यवस्थित करते हैं जो स्थिति के लिये उत्तरदायी हैं और जब आप कुछ प्रगति करते हैं तभी कोई न कोई अत्याचार की घटना घट जाती है और पुनः आप पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं आपने जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त की है उसके दो गुना क्षति हो जाती है।

इसलिये मेरा इतना ही कहना है कि यदि सरकार वास्तव में समस्या के समाधान के लिये कोई राजनीतिक हल ढूंढने के प्रति गंभीर है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस तरह का संकट हमारे सामने पुनः न आए तो सरकार को पूरा प्रयास करना होगा। यदि आप हमें भी संसद् में अधिक समय कार्य करने नहीं देना चाहते हैं तो आप कठिन परिश्रम कर सकते हैं और कश्मीर समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं। कार्य शुरू करें, राजनीति प्रक्रिया के लिए माहौल पैदा करें, इस बात-चीत को आगे बढ़ाएं, जनता को उनकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता प्रदान करें ताकि कठिन प्रश्न पूछ सकें और उसका हल निकाल सकें।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम): सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। जम्मू और कश्मीर के मामले में राज्यपाल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देने के लिये सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाने का प्रावधान करने के लिये गृह मंत्री को मैं बधाई देता हूं।

जब एक वर्ष पूर्व वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी तो नई कांग्रेसी सरकार जिस गंभीर समस्या का सामना कर रही थी और जो गंभीर समस्या उसे विरासत में मिली थी वह थी कश्मीर की विकट समस्या। यह कुशासन और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के भाजपा के साथ मिलकर मौका परस्त राजनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम है जिसने कश्मीर को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से कोई वापसी नहीं है। यहां तक कि कश्मीर के अत्यंत उथल-पुथल से भरे ऐतिहासिक दौर में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। आज हमें विभाजनकारी और विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला करना है जिन्हें सीमापार से समर्थन मिलता है और राज्य में सम्प्रदायिकता भयंकर दैत्य पैदा होता है। हमें कश्मीर में ऐसी विभाजनकारी शक्तियों को यह बताना होगा कि ऐसे गलत तत्वों के समक्ष राष्ट्र थोड़ा भी नहीं झुक सकता जिस तरह हमने पंजाब में किया है। आतंकवाद के कारण जिन्होंने कश्मीर घाटी को छोड़ दिया है उन्हें वापस भेजने का प्रयास करना होगा।

यहां भी मैं उस महान सभा को बताना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि जिसने हजारों लोगों को कश्मीर में अपना घर छोड़कर भागने के लिये बाध्य कर दिया मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह उन हजारों कश्मीरियों की कुशलता पर पर्याप्त ध्यान दे जो अपना घर छोड़कर देश के अन्य भागों में पलायन कर गए हैं।

दूसरे पक्ष के हमारे कुछ मित्रों द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस की कश्मीर के संबंध में क्या नीति है। कश्मीर के शासन और राजनीतिक मामलों के बारे में कांग्रेस भी स्थिति से पूरी तरह अवगत है। कांग्रेस के तिरुपति में विगत संपूर्ण अधिवेशन के दौरान हमने इस संबंध में अपनी नीतियों को स्पष्ट कर दिया था। हमारे राजनैतिक संकल्प में कहा गया है कि देश की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय संविधान की उदार सीमाओं के अंतर्गत किया जाएगा और संघीय और लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत यह कार्य किया जाएगा।" राजनीतिक विचार विमर्श का समय आ गया है। राज्य शासन को कश्मीर की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि को सौंपने के उद्देश्य से अविलम्ब राजनीतिक प्रक्रिया शुरू किया जाए।

कश्मीर की लोकतांत्रिक शक्तियों ने क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की है और राजनीतिक शक्तियों का जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जाए। इससे राज्य के शासन ये जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक सौहार्द पैदा होगा और भावनात्मक एकता मजबूत होगी। मैं भारत सरकार से यह

[प्रो॰ के॰ वी॰ थामस]

निवेदन करता हूं कि जिन दलों का कश्मीर में कोई आधार है उनसे यह बात चीत करें ताकि कश्मीर के भाग्य का निर्णय वहां की जनता स्वयं कर सके।

पाकिस्तान की ओर से लगातार दखलंदाजी हो रही है। वह देश के आंतरिक मामलों में बराबर दखल दे रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 45 वर्षों के दौरान पाकिस्तान ने खुले तौर पर तीन युद्ध लड़े और अब वह अघोषित युद्ध लड़ रहा है। यह भारत में उग्रवाद और सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दे रहा है। कश्मीर और पंजाब के हजारों दिक् भ्रमित युवकों पर अपना मत आरोपण कर रहे हैं और तोड़ फोड़ की गतिविधियों को चलाने के लिये उन्हें पाकिस्तानी सीमा में स्थित कई सैनिक शिविरों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। और उनसे इस देश में आतंक फैलाया जा रहा हजारों लोगों के दिलों दिमाग को पाकिस्तान की सांप्रदायिक एवं धार्मिक विचारों से कलुषित किया जा रहा है।

पूर्व सोवियत संघ के विखराव के बाद इस्लामिक राष्ट्रों का एक समूह बनाने का प्रचार सोवियत संघ से अलग हुए पांच मुस्लिम बहुल राज्य, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान से कश्मीर तक किया जा रहा है। यह अत्यंत गंभीर स्थिति है जिसका हमें विश्लेषण करना होगा।

हाल ही में, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि कश्मीर में रह रहे मेरे भाइयों आप भी जल्द ही स्वतंत्र हो जाएंगे। हम एक शांतिप्रिय राष्ट्र हैं लेकिन हम अपने पड़ोसी के द्वारा देश में सांप्रदायिक हिंसा और घृणा पैदा करने के प्रयास को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह कश्मीर के विकास पर नए सिरे से बल दे। कश्मीर के विकास के लिए नए तरीके से जोर लगाना होगा। 1989 से कश्मीर में पर्यटन पूरी तरह बर्बाद हो गया है। लघु एवं वृहद् उद्योग बंद पड़े हैं। व्यापक रूप से गरीबी और बेरोजगारी है। अतः नई विकास परियोजनाओं को कश्मीर में लागू करना होगा। मुझे खुशी है कि कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में 8,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि कश्मीर में चलाई जाने वाली विकास परियोजनाओं को रोजगारोन्मुखी होना चाहिये।

प्रो॰ उमा रेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): सभापति महोदय, सरकार पांचवीं बार जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक लेकर सभा में उपस्थित हुई है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 18.7.1990 3.3.1991, 3.9.1991 और 2.3.1992 को इसकी अवधि बढ़ानी पड़ी और एक बार फिर यह सभा के समक्ष है।

पांच बार जब भी कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की गई है तो हर बार सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की अवधि अंतिम बार बढ़ाई जा रही है और सरकार इस तरह की 'स्वकृति प्राप्त करने' के लिये सभा में दुबारा नहीं आएगी। हर बार सरकार यह स्थिति सामने रखती है कि माहौल उपयुक्त नहीं है और चुनाव कराने की लिये स्थिति अनुकूल नहीं है। राष्ट्रपति शासन को लम्बे समय तक नहीं लगाए रखा जा सकता। यहां तक कि इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह सीमा निर्धारित है कि यह अवधि छः बार से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। पहले ही राष्ट्रपति शासन की अवधि उप-अन्तिम बार बढ़ाई जा चुकी है। यह बार-बार लोकतंत्र का गला दबाने वाली बात है। क्योंकि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यही प्रावधान है, इसलिए मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि छः बार से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। इन ढाई वर्षों के दौरान लगातार पांच बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा कर घाटी में एक राजनैतिक शून्य पैदा कर दिया गया है।

लोग दिन-प्रतिदिन की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं तथा जीवन इतना दयनीय हो गया है कि लोग अपना दिन प्रति-दिन का काम-काज करने में भी असमर्थ हैं। घाटी के लोग बड़े निराश हैं। यह भी पता चला है कि लोग आज कल आगज़नी, लूटपाट तथा बलात्कार इत्यादि में लगे

आतंकवादियों का प्रतिरोध कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में यह कुछ सकारात्मक परिवर्तन है। सीमा पार जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान का संरक्षण मिला हुआ है, वे भी अपने आपको दोराहे पर खड़ा पा रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन वापस लेने पर बाध्य है। राजनैतिक अस्थिरता के कारण रूस से भी अपेक्षित सहायता पाकिस्तान को नहीं मिली है। घाटी में आतंकवाद को कम करने की दिशा में यह सभी सकारात्मक संकेत हैं।

इसलिए सरकार को वहां लोकतांत्रिक सरकार का गठन करके वहां का शासन चलाना चाहिए।

माननीय गृहमंत्री महोदय ने सदन में 26 फरवरी, 1992 को बताया था कि परिसीमन समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया था कि परिसीमन सम्बन्धी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने में विलम्ब हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रक्रिया अब पूरी हो गई है तथा इस समय यह परिसीमन प्रक्रिया किस चरण में है।

भारत एक धर्मनिर्पेक्ष देश है। भारत का संविधान धर्मनिर्पेक्ष है। हमारे भा॰जा॰पा॰ के मित्रों ने अपनी एकता यात्रा के द्वारा जो संदेश दिया है, वह देश की अखण्डता के हित में नहीं है। इसने बहुत ही गलत संकेत दिये हैं तथा घाटी के लोगों को इस सम्बन्ध में बहुत ही दृढ़ तथा ठोस संदेश देना होगा कि भारत धर्मनिर्पेक्षता में अपने विश्वास के प्रति वचनबद्ध है।

कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत करनी भी है तो वह शिमला समझौते के अन्तर्गत ही की जानी चाहिए। तथापि संवैधानिक बाध्यता के कारण मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मेरा यह सुझाव है कि घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने, चुनाव करवाने तथा यथाशीघ्र वहां पर लोकप्रिय सरकार का गठन करने के लिए सरकार को सभी दलों से बातचीत आरम्भ करने के लिए कदम उठाने चाहिये ताकि राष्ट्रपति को इन शक्तियों के प्रत्यायोजन की अवधि में छठी बार बढ़ोत्तरी के लिए इस सदन में न आना पड़े।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰एम॰ जैकब): महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस चर्चा में लगभग 15 सदस्यों ने भाग लिया यद्यपि प्रस्तुत विधेयक जम्मू-कश्मीर से सम्बद्ध विशिष्ट मुद्दे, जनवरी तथा जुलाई, 1990 के दौरान राज्यपाल द्वारा बनाये गये अधिनियमों के सम्बन्ध में है। राज्य द्वारा जारी उद्घोषणा जो इस समय कश्मीर में लागू है, उसकी स्वीकृति प्रदान करनी है, क्योंकि 18.7.92 को इसकी अवधि समाप्त हो जायेगी। जम्मू-कश्मीर में 18.7.90 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ऐसी उद्घोषणा स्पष्टतः दो वर्ष के लिए वैध रहती है। अगर वहां पर निर्वाचित सरकार होती, तो मैं इस सम्बन्ध में आपके समक्ष नहीं आता। हम इस समय इस विधेयक को विधिमान्य बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरकार के पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता कि संसद से इस सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त किया जाये।

महोदय, मैं एक-एक करके सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि विशिष्ट रूप से तथा सामान्य चर्चा के रूप में कई मुद्दे उठाये गये हैं। सामान्य मुद्दों पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने कश्मीर नीति का उल्लेख किया है कि 1947 में क्या हुआ, महाराजा का भारत के साथ मिलने का निर्णय तथा शेख अब्दुल्ला की उसके प्रति प्रतिक्रिया इत्यादि। अगर मैं इन सब मुद्दों पर चर्चा करनी आरम्भ करूंगा तो मेरे विचार में आज शाम तक मेरा उत्तर समाप्त नहीं हो पायेगा तथा वास्तव में इस विधेयक को लाने का उद्देश्य भिन्न है। कश्मीर के इतिहास तथा पृष्ठ भूमि पर चर्चा में काफी समय लग जायेगा तथा मैं नहीं समझता कि सदन इसकी अनुमति मुझे देगा। परन्तु एक बात कहने की मैं अनुमति चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में भारत के अन्दर तथा बाहर जो प्रचार चल रहा है इस संदर्भ में वास्तविकता यह है कि कश्मीर से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना करने की सारी

[श्री एम० एम० जैकब]

कठिनाइयों के बावजूद, जो कि पाकिस्तान द्वारा छेड़े गये अप्रत्यक्ष युद्ध का परिणाम है, जो हमारे सूत्रों तथा अन्य सूत्रों से जो सूचना प्राप्त हुई है, उससे यही पता चलता है कि कश्मीर घाटी तथा जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा वातावरण में काफी सुधार हुआ है। यह कहते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। हम सभी यह जानते हैं कि लगभग चार-पांच वर्ष पहले जब ज़िआ-उल-हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने किसी भी तरह कश्मीर को भारत से अलग करने की योजना बनाई थी। अगर मेरी समझबूझ तथा जानकारी ठीक है तो सरकार में आने से पहले मुझे जो सूचना प्राप्त हुई थी, वह यह थी कि भारत में राजनैतिक अस्थिरता है, भारत में एक कमज़ोर सरकार बनेगी, भारत टुकड़ों में बंट कर कमजोर हो जायेगा। ऐसे समय में पाकिस्तान ने कश्मीर में दाखिल हो कर उसे भारत से पृथक करने की योजना बनाई। यह योजना चार चरणों में बंटी हुई थी जैसे दूतों, राजदूतों तथा मंत्रियों को प्रचार के लिए विभिन्न देशों में भेजना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ज़ोन के पक्ष में समर्थन तैयार करना, तथा तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि घाटी के सभी कश्मीरी लोग भारत के विरोधी बन जाये तथा इसका एक दिन पाकिस्तान में विलय हो जाये। वे भ्रम में थे। यहां तक कि पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई इस कार्य योजना का ज्ञान कश्मीर के लोगों को भी नहीं था। यह आसूचना एजेन्सियों द्वारा बनाई गई थी जिसे आईएसआई के नाम से जाना जाता है।

5.00 म० प०

मैं संसद के बाहरी तथा संसद सदस्य द्वारा शुद्धि के अध्यधीन हूं। अगर मेरी जानकारी सही है तो पाकिस्तानी आसूचना एजेंसी सरकार के नियंत्रण से मुक्त है तथा पाकिस्तान सरकार की सूचना के बगैर भी वह कार्रवाई कर सकती है। कम से कम प्रत्यक्ष रूप में तो ऐसा ही लगता है। इसलिए कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए वह कोई भी कार्रवाई कर सकता है।

सौभाग्यवश, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। विभिन्न राजनीतिक दलों में चाहे कुछ भी मतान्तर हों, लेकिन जब भारत की एकता का प्रश्न आता है वह सब एक हो जाते हैं। हमने विश्व के सामने यह प्रमाणित कर दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत में कोई मतान्तर नहीं है। इस संबंध में हर व्यक्ति एक ही आवाज में बोलता है तथा एक ही भावना रखता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।

एशिया वाच तथा ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल जैसी विभिन्न संस्थाओं ने इस संबंध में प्रचार किया है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जम्मू और कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। परन्तु हमने तथा अन्य एजेंसियों ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है। पिछले दिनों इन ऐजेंसियों ने यह महसूस किया कि उनके वह प्रकाशन पूरी तरह सत्य पर आधारित नहीं हैं। उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है। इसीलिए अभी भी लन्दन से ऐसे समाचार आ रहे हैं कि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी वहां के लोगों का जीवन तबाह कर रहे हैं। वे सभी प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं तथा लोगों की हत्या भी कर रहे हैं। 'ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल' ने सार्वजनिक रूप से जर्मनी में यह मांग की है कि आतंकवादियों को भारत में कश्मीर में निर्दोष लोगों का उत्पीड़न बंद करना होगा जिससे उनका जीवन करूणाजनक बना हुआ है।

इसके साथ मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारे अर्द्धसैनिक बलों तथा सेना के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। एक सरकार तथा एक राष्ट्र के रूप में जो भी कार्यवाही हम अपने कानून के तहत कर सकते हैं, कर रहे हैं। वर्तमान कानूनी ढांचे के अन्तर्गत मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध हम कार्यवाही कर रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि दोषियों को दण्ड देने में यह सरकार कोई नरमी नहीं बरतेगी। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष वहां पर तैनात विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों के विरुद्ध 114 आपराधिक मामले दर्ज किए गये। मेरे मित्र ने अभी यहां पर

उल्लेख किया कि उनमें से कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और कुछ लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है। इससे ऐसी कठिन स्थिति से निपटने के प्रति भारत सरकार की ईमानदारी का पता चलता है। मैं यह नहीं कहता कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है। अत्याचार के कुछ मामले हो सकते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम मानवीय मूल्यों तथा मानवीय अधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर पाये हैं? मेरा यह कहना है कि हम ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं हैं। दोषी अधिकारियों को जेल भेजा गया है। सैनिक अधिकारी जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण पिछले दस-ग्यारह वर्ष से कठोर कारावास भुगत रहे हैं।

इसलिए क्या आप यह आरोप लगा सकते हैं कि जब देश के इस भाग में अत्याचार हो रहे हैं, सरकार सो रही है? अगर अर्द्धसैनिक बलों तथा सेना द्वारा अत्याचार होता है तो उनको दण्डित करने के भी हमारे पास तरीके हैं तथा हम उन पर कार्यवाही कर रहे हैं।

अब यही प्रश्न हम 'एशिया वॉच' तथा अन्य ऐसी ऐजेंसियों से पूछते हैं जो कि अन्य देशों में सभी प्रकार का प्रचार कर रही हैं। क्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के विरुद्ध भी वे वही मानक तथा नियम अपना रहे हैं जो कि भारत आकर लोगों के शान्त जीवन में उथल-पुथल मचा रहे हैं? बंध के आह्वान तथा प्रदर्शनों के कारण दुकानें कई-कई दिनों तक बंद रहती हैं। अभी कुछ महीने पहले ऐसी ही स्थिति थी। अब घाटी में रहने वालों ने वास्तविकता को समझ लिया है।

लगभग छह महीने पहले मैं कश्मीर से सम्बन्धित कुछ मुद्दों को राज्य सभा में देख रहा था तथा हमारे मित्रों ने सदन के भीतर तथा बाहर दोनों जगह हमारी आलोचना की गई। उनका कहना था कि रोगियों को देखने के लिए वहां पर डाक्टर नहीं हैं, महिलाओं को उपचार सुविधायें नहीं मिल रही हैं क्योंकि अस्पतालों में काम नहीं चल रहा है। परन्तु आज ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है। डाक्टर उपलब्ध हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं। इसलिए कश्मीर में स्थिति काफी हद तक सुधर गई है तथा इसमें दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। अब यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या इस बदले हुए माहौल में चुनाव करवाये जा सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि हां, वहां पर किसी भी कीमत पर चुनाव करवाने होंगे।

हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। परिसीमन समिति, जिसका कि कश्मीर में गठन किया गया था, इसने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। वास्तव में आज जिस विधेयक की यहां पुष्टि करवानी है, वह इसी से सम्बन्धित है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। चुनाव आयोग ने अपना कार्य पूरा करना है। परिसीमन आयोग ने अपना कार्य पूरा करना है। राजनैतिक प्रक्रिया पूरी करनी है, सभी राजनैतिक दलों को एक साथ बैठ कर समन्वय स्थापित करना है। श्री सैफुद्दीन ने पूछा है, "क्या आप चुनाव करवाने के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों को विश्वास में लेने के लिए तैयार हैं।" हम सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लेने के लिए तैयार हैं।

हम चाहते हैं कि चुनाव लोकतंत्रात्मक ढंग से आयोजित किए जाएं। चुनाव की तिथि तो सुरक्षा के माहौल पर निर्भर करेगी। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम ऐसे माहौल को कितनी जल्दी तैयार कर पाते हैं जिसमें हम चुनाव संबंधी प्रचार कर सकें और लोग निष्पक्ष होकर अपना मतदान कर सकें। मैं यह चाहता हूं कि आप सभी कश्मीर जा कर यह देखें कि हम इस लक्ष्य को किस तरह बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं।

हम सभी को इस जिम्मेदारी को निभाना है। कश्मीर भारत का एक अंग है। हमें यह देखना है कि परिस्थितियां इस तरह की पैदा की जायें जिनमें चुनाव शान्तिपूर्ण तरीके से किये जा सकें। कुछ सदस्यों, जो अभी बोल रहे थे, ने कहा है कि कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के लिये 5200 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि 2,006 करोड़ रुपये थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में इस

[श्री एम० एम० जैकब]

योजना में विद्युत क्षेत्र में राशि में काफी वृद्धि की गई है। हस्त-शिल्प, कृषि उद्योग, रेशम उद्योग, जैव-प्रौद्योगिकी और इसी तरह के कार्यों के विकास के लिए राज्य सरकार योजनाओं को अंतिम रूप देने जा रही है। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है। यह सभी कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं।

हमें कश्मीरी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमें कश्मीर के लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। कश्मीर में पर्यटन संबंधी गतिविधियां पूर्णतः ठप्प हो गई हैं। और उनके इस तरह से ठप्प होने के कारण हमें कश्मीर की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये नये उपायों का पता लगाना होगा और लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करना होगा। केवल अर्धसैनिक बल ही कश्मीर की समस्या का हल नहीं। इसलिये इसका एक भाग तो उग्रवादियों को दूर रखना है यानि उन लोगों को दूर रखना है जोकि प्रशिक्षण लेकर हमारे देश में निर्दोष लोगों पर हमला कर रहे हैं। हमें यह बात याद रखनी होगी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें कश्मीर के विकास की ओर अपना ध्यान देना है और इसके साथ-साथ हमें सुरक्षा-परिदृश्य को भी सामान्य बनाना है।

अब सभा के समक्ष जो विधेयक है, उसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि विधेयक के बारे में कई प्रश्न पूछे गये हैं। सबसे पहले प्रो० छूमल ने पूछा है कि क्या परामर्शदात्री समिति की बैठक होगी। परामर्शदात्री समिति की बैठकें होनी चाहिएं। मुझे आशा है कि परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसलिये हमें राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करनी है। परामर्शदात्री समित के गठन के लिये लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा लोक सभा से दस सदस्य और राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा से पांच सदस्य सामान्य प्रक्रिया में चुने गये हैं। हमें एक साथ बैठने और चर्चा करने और इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लिये लाभकारी सिद्ध होने वाले कानून बनाने के लिये पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे।

दूसरे उन्होंने शरणार्थियों की समस्या से संबंधित भी प्रश्न उठाया है। यह सही है कि हम लोग कश्मीर के शरणार्थियों के इधर आने, इधर-उधर भटकने और अपनी कठिनाइयों को कहने की बात से खुश नहीं हैं। कश्मीर एक सुन्दर राज्य है। वह एक दिलचस्प, अच्छा और खूबसूरत राज्य है। उन्हें वहीं रहना होगा लेकिन इस समय वहां जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ रहा है। हम इस बात को समझते हैं। इसी वजह से 40,000 शरणार्थियों की तो जम्मू में देखभाल की जा रही है और 18,000 परिवारों की दिल्ली में देखभाल की जा रही है। अब सरकार इस बात पर बल देना चाहती है अथवा सरकार का इरादा यह है कि इन शरणार्थियों को जम्मू-कश्मीर वापिस जाना चाहिये, और वहीं जाकर बसना चाहिये और यहां स्थायी तौर पर नहीं बसना चाहिये। इस बात को मद्देनजर रखकर हमें स्थिति को सामान्य बनाना है। चुनाव के बाद अथवा चुनाव के दौरान हमें अन्य बातों के साथ इस बात का भी प्रयत्न करना है और यह देखना है कि इन शरणार्थियों को वापिस वहां भेजा जाए। तब तक हमें इन शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेनी है। हम जम्मू और दिल्ली दोनों स्थानों पर शरणार्थियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। शरणार्थियों के लिये लगभग एक हजार टेनेमेन्ट्स बनाये गये हैं और 1250 बैरक्स निर्माणाधीन हैं। यह सब कश्मीर घाटी से विस्थापित शरणार्थियों, जोकि यहां रह रहे हैं, की सहायता के लिये ही किया जा रहा है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन: आपको इस बात की परिस्थितियां पैदा करनी चाहियें जिससे ये लोग घाटी में वापिस जाकर शान्ति और सम्मान के साथ रह सकें। उन्हें जम्मू में न बसाया जाए।

श्री एम० एम० जैकब: शहाबुद्दीन जी, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। हमारा यही इरादा है। हमारा यही प्रयास है। हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): आपने कहा कि जितने विस्थापित वहां से जम्मू आ गये हैं, दिल्ली आ

गये हैं उनको फिर से वहां बसाने का काम करेंगे मगर जो लोग यहां से घाटी में वापस भेजे गये थे, दिल्ली से, उन्हें वहां फिर से मार-मार कर भगा दिया गया। उनमें से केवल 7 आदमी ही दिल्ली वापस आये हैं और बाकी सब को उन्होंने वहीं मार दिया।(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र: (पडरौना): मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब कश्मीर घाटी से ढाई लाख परिवारों को भगा दिया गया जो आज कश्मीर से बाहर रह रहे हैं। वे ढाई लाख परिवार आज सड़कों पर घूम रहे हैं, आप उनके लिये क्या कर रहे हैं। आप कश्मीर के विस्थापितों को कश्मीर में बसाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम॰ एम॰ जैकब: मैं अपना उत्तर समाप्त करने के बाद ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

सभापति महोदय: अभी कोई व्यवधान न डालें। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र: दूसरे, चुनाव होने से पहले क्या उन ढाई लाख परिवारों को आप कश्मीर में ले आयेंगे और तब चुनाव करायेंगे। कैसे करेंगे। इसके साथ ही, लद्दाख के लोग आज बहुत दुखी हैं। वे मांग कर रहे हैं अपना अलग से स्वायत्तशासी निगम बनाने की, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी नहीं मान रहे हैं। आप कृपया बैठ जाईये।

श्री एम॰ एम॰ जैकब: मैं इनका भी उत्तर दूंगा।

सभापति महोदय: मैं इस तरह के प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। किसी को भी इस तरह से बाधा नहीं डालनी चाहिये।

श्री एम॰ एम॰ जैकब: महोदय, कोई भी व्यक्ति जो कश्मीर अथवा कश्मीर घाटी से दिल्ली आया है और उसने शरणार्थी के रूप में दिल्ली प्रशासन के साथ अपना पंजीकरण करवाया है, उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है और ऐसे 18,000 परिवार यहां पर आये हुए हैं। इस संबंध में हमारी यह सूचना है। यदि कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने रहने के स्थान के बारे में हमें सूचना नहीं दी है अथवा वे किसी के साथ रह रहे हैं, तब उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि ऐसे कितने लोग हो सकते हैं। क्योंकि मुझे खेद है, कि जो लोग अपना परिचय देकर नहीं रहते अथवा अपने बारे में इस तरह की सूचना हमें नहीं देते, तो हम इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेते। जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों से 40,000 विस्थापित परिवार आये हैं और सरकार इन की भी देखभाल कर रही है। मैंने पहले भी यही कहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि उन परिवारों को वापस घाटी में ले जाने के लिये आप कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं और कब तक वे परिवार कश्मीर में चले जायेंगे, मैं स्पेसिफिक तौर से जानना चाहता हूं। जो लोग जम्मू में बसे हुए हैं, अपने घर छोड़ कर भाग आये हैं, उन्हें वहां से भगाया गया है, आज वे सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें आप कब तक कश्मीर में बसाने की व्यवस्था करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम॰ एम॰ जैकब: आप गुस्से में न आइये। जैसे ही उनके लिये वापिस जाना संभव होगा, वे चले जायेंगे। (व्यवधान)

[श्री एम० एम० जैकब]

मैंने इस बारे में स्पष्ट तौर पर बताया है कि सरकार का इरादा इस बात को सुनिश्चित करने का है कि शरणार्थी जम्मू और कश्मीर वापिस चले जायें। इस दौरान, जब वे लोग यहां बस रहे हैं, उनमें से जिन लोगों ने अपना परिचय दिया है, हमें बताया है कि वे शरणार्थी हैं और उनके नाम पंजीकृत हैं। सरकार उनकी देखभाल करेगी; और जब उनके वापिस जाने के लिए अनुकूल समय बनता है तो हम उन्हें बड़े आराम से वापिस जाने की अनुमति देंगे, अन्यथा नहीं।

श्री इंदरजीत (दार्जिलिंग): जम्मू में रह रहे शरणार्थियों ने बार-बार यही शिकायत की है कि किसी भी केन्द्रीय मंत्री ने उनके शिविरों का दौरा नहीं किया। क्या यह सत्य है ?

श्री एम० एम० जैकब: यह सत्य नहीं है। मैंने स्वयं यहां दिल्ली में बहुत से शरणार्थी कैम्पों का दौरा किया है। श्री एस० बी० चव्हाण भी जम्मू गये थे। राजेश पायलट और अन्य कई मंत्रियों ने भी उनके यहां दौरा किया है। श्री के० सी० लेंका भी वहां गये थे। कई मंत्री वहां पर गये हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर ने अपने आज के भाषण में चर्चा की शुरूआत की है; कश्मीर नीति और कश्मीर योजना के तमाम परिदृश्य को दर्शाने वाले विधेयक से हमारे बिल्कुल अलग रहने के पीछे यह भी कारण हो सकता है। ऐसा करने के लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन उन्होंने जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के विघटन से जुड़ा एक कानूनी प्रश्न किया है। यह मामला न्यायालय के समक्ष है। क्या इस समय यह हल सही था अथवा नहीं। यह मामला तो न्यायालय के समक्ष है। इसलिये मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। न्यायालय ही यह निर्णय करेगा कि क्या यह मामला सही है अथवा नहीं, और यदि यह सही नहीं है तो न्यायालय इससे विमुख होकर हमें बतायेगा कि असली स्थिति क्या है। इसलिये मैं जम्मू-कश्मीर विधान सभा के विघटन के वैधानिक प्रश्न के वैधानिक परिणाम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता। बहुत से सदस्यों ने कश्मीर के पीछे पाकिस्तान के हाथ की बात कही है। हर कोई यह जानता है कि पाकिस्तान आई०एस०आई० के जरिए प्रत्यक्ष रूप से कश्मीर से जुड़ा है जिसके माध्यम से पाकिस्तान अपने प्रशिक्षित उग्रवादियों को भारत में भेजने और हमारे युवा लोगों को यथासंभव प्रशिक्षित करने और उन्हें उग्रवादी बनाकर भेज रहा है। इसी वजह से हमें यह सारा कष्ट झेलना पड़ रहा है। यह एक अप्रत्यक्ष युद्ध चल रहा है; और हम बार-बार यह कहते रहे हैं कि यह एक अप्रत्यक्ष युद्ध है; हमें सभी स्रोतों से सारी जानकारी मिल रही है कि इस बात से इंकार किया जा रहा है जबकि तथ्य यह है हमने उनसे अनुरोध किया था कि सीमा पार सभी आतंकवादी प्रशिक्षिण शिविरों को बंद किया जाना चाहिये। अभी तक भी उन्होंने ऐसा नहीं किया और सीमा पार किसी भी आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को बंद नहीं किया है।

इसके विपरीत अफगानिस्तान में आज क्या हो रहा है? मुजाहिदीन पुनः वहां प्रवेश कर सकते हैं और इसी तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वे बड़े पैमाने पर प्रवेश की योजना बना रहे हैं और अन्य समस्याएं पैदा कर रहे हैं। हम भी इसके बारे में सजग हैं; और इस बारे में तमाम कोशिश की जा रही है कि किसी को भी यहां नहीं आने दिया जाएगा और अपनी इच्छानुसार नहीं चलने दिया जाएगा। हम भी उन्हें रोकने में काफी सक्षम हैं।

श्री शरद दिघे ने इसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है; उन्होंने बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): एक संसद सदस्य दीर्घा अधिकारी को सम्बोधित कर रहे हैं। वह इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकते हैं? (व्यवधान) क्या यह आपत्तिजनक नहीं है? क्या इस कार्यवाही की अनुमति दी गई है? (व्यवधान) वह अपनी शानदार टोपी धारण किये हुए दीर्घाधिकारी से बात कर रहे थे।

सभापति महोदय: यह उचित नहीं है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री एम०एम० जैकब: श्री सैफुद्दीन चौधरी ने एक प्रश्न पूछा है। मैंने उस बारे में एक बात का उल्लेख किया है।

श्री भोगेन्द्र झा ने प्रश्न पूछा है कि क्या यह विधेयक संसद की सभी शक्तियों पर प्रहार करता है। उन्होंने यह एक प्रमुख प्रश्न पूछा है। यह विधेयक संसद की शक्तियों पर प्रहार नहीं कर रहा है। इस विधेयक के द्वारा संसद द्वारा राष्ट्रपति महोदय को प्रत्यायोजित शक्तियां सौंपी जाती हैं। संसद राष्ट्रपति महोदय को शक्तियां प्रत्यायोजित कर रही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): राष्ट्रपति महोदय भी संसद का ही एक अंग है।

श्री एम०एम० जैकब: राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित घोषणा वापिस संसद में ही आयेगी। वह संसद के दोनों सदनों में ही वापिस आयेगी। तब संसद में आप 30 दिनों में एक संकल्प पारित कर उसमें किसी संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। वह भी उसका ही एक अंग है। संसद सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहती है; इस विधेयक के द्वारा हम संसद की शक्तियों पर प्रहार नहीं कर रहे हैं।

चूंकि समय कम है, मैं हर किसी की बात का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि अधिकतर बातें तो बार-बार ही दोहरायी जा रही हैं। श्री चित्त बसु, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री ई० अहमद, श्री श्रीनिवासन और मेजर श्रीधरन बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच कोई समन्वय नहीं है। मुझे खेद है मेरा मतलब मेज़र सावन्त से है। मैं कहता हूं कि सेना और अन्य बलों के बीच समन्वय है। उन्होंने इस पर चिन्ता व्यक्त की है कि कोई समन्वय नहीं है। समन्वय है और राज्य सेना, अर्धसैनिक बलों तथा वहां की दूसरी एजेंसियों के बीच समन्वय बनाये हुए हैं। असमन्वय के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं है और वे लोग पूरी तरह से सुव्यवस्थित समन्वयकारी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

अन्तिम मुद्दा लम्बित विधेयकों के बारे में है। सभापति महोदय, जब आप चर्चा कर रहे थे तो आप विधेयकों की संख्या जानना चाहते थे और आपने दो या तीन विधेयकों का उल्लेख किया था। मैं लम्बित विधयकों के बारे में बता सकता हूं। ग्यारह, विधेयक लम्बित हैं। जो इस प्रकार हैः—सामान्य खंड (संशोधन) अधिनियम, साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, सम्पत्ति अन्तरण (संशोधन) अधिनियम, जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, जम्मू और कश्मीर लोक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, सामान्य बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, पथकर लेवी (संशोधन) अधिनियम, जम्मू और कश्मीर विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, जम्मू और कश्मीर के उपकरण अधिनियम के निरसन को रद्द करने संबंधी आदेश और जम्मू और कश्मीर वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1 से 11 विधेयक लम्बित हैं।

अब समय कम है। उन्हें पारित करने के लिए समय नहीं है, हमने यह भी कहा है कि इन सभी विधेयकों को अलग से पारित करने के लिए समय नहीं है।

इसलिए मैं आशा करता हूं कि सम्माननीय यह सभा इस विधेयक को पारित करने की बात का अनुमोदन करेगी और हमें इसे दूसरे सदन में पारित करने के वास्ते ले जाने के लिए अनुमति देगी।

मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सहयोग देने की बात कही है।

सभापति महोदयः श्री गिरधारी लाल भार्गव। क्या आप अपना संशोधन परिचालित करवा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गवः सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः क्या सभा श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या-2, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान मंडल की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडशः विचार करेगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम०एम० जैकब: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज़ (मुजफ्फरपुर): सभापति जी, मुझे इस कानून के विरोध में कुछ बातें कहनी हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज: सभापति जी, वैसे काफी बातें तो सामने आ चुकी हैं लेकिन मंत्री जी ने अभी इसके बचाव में जो बातें कहते हुए अन्त में जो सूची यहां पर पढ़कर सुनाई, उसको सुनने पर इनके इरादे क्या हैं, यह बहुत ही स्पष्ट होता है। चूंकि यह कानून जितना सीधा-सादा लगता है या वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधा-सादा है, वैसा नहीं है। मुझे बहुत आपत्ति है, जिस तरह से गृह मंत्री ने इस कानून को पेश करते हुए, इसको पेश करने की जरूरत को जिन शब्दों में यहां पर रखा है, चूंकि इससे बढ़कर मेरे ख्याल से सरकार के किसी दस्तावेज में इस सदन का अपमान आज तक नहीं हुआ होगा। चूंकि इसमें यह कहा जाता है कि इतने कानून हैं कि जिन्हें संसद के सामने रखने के लिए अभी समय नहीं है। तो यह संसद की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को इतने हल्के ढंग से यहां पर लिया जाता है कि हमें समय है, नहीं है, यह सदन कितना काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, यह तय करने का भी काम अब आपके गृह मंत्रालय ने अपने हाथों में लिया

है? अगर सही मायनों में आपको सदन के पास समय है या नहीं है, इसको तय करना होता तो आप सदन के सामने आते, प्रस्ताव लेकर आते या जैसा साथियों ने, सदस्यों ने कहा, आप विपक्ष के और सरकारी दल के नेताओं को स्पीकर के कमरे में बैठाकर इसकी चर्चा करते। आप कौन होते हो, तय करने वाले? गृह मंत्रालय में बैठकर यह तय करने का अधिकार आपको किसने दिया कि सदन के पास समय है कि नहीं है?

हमारे पास समय है, आप इसको वापस लीजिए। हम बैठेंगे, आज रात को हम बैठेंगे, कल रात को हम बैठेंगे, 24 घंटे हम बैठेंगे। दुनिया की संसदों में 24 घंटे लोग बैठे हैं। संसद कोई नई चीज नहीं है, विश्व में। रात भर बैठते हैं, सुबह होने तक बैठते हैं, नाश्ता खाकर आते हैं, फिर बैठते हैं और यहां भी ऐसी घटनायें घटती हैं, इसके पहले। आप कौन होते हैं, तय करने वाले कि सदन के पास समय नहीं है? तो केवल इस एक तर्क के ऊपर इस विधेयक को न केवल विरोध करना चाहिए, बल्कि इसको हराने का काम इस सदन को करना चाहिए, यह मेरी इस सदन से पहली प्रार्थना है।

दूसरा इसमें बहुत ही हल्के शब्दों में अभी मंत्री जी ने यहां पर कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि सदन को कोई बाइपास करना है। चूंकि आपकी जो यह समिति है, यहां किसी सदस्य ने पूछने पर कह दिया कि 10 यहां के हैं और 5 वहां के हैं और कमेटी तो हम बुलायेंगे। कहां बुला रहे हैं आप? क्या लिखा है आपने यहां पर, जिस दिन आपका गृहमंत्रालय तय करेगा कि कमेटी बुलानी है तब आप बुलाओगे, यह आपने लिखा है यहां पर। ...(व्यवधान)... वही तो मैं कह रहा हूं। तो यह तय करेंगे और यही है थर्ड रीडिंग, आपको क्या मालूम। नियम पढ़ो। थर्ड रीडिंग तो यही होती है, क्यों विरोध है या क्यों पक्ष में है, यह बोलना थर्ड रीडिंग होती है, यह नियम है। यही है। ...(व्यवधान)... थर्ड रीडिंग भाषण ही होता है। इन्होंने क्या लिखा है:

[अनुवाद]

"बशर्ते कि इस तरह के किसी अधिनियम के अधिनियमन से पहले राष्ट्रपति जब कभी ऐसा करना व्यवहार्य समझें..."

अतः उनके लिए यह जरूरी नहीं है लेकिन केवल तभी जब वह इसे व्यवहार्य समझें। वह कह सकते हैं "मैं इसे व्यवहार्य नहीं समझता हूं कि मुझे दस यहां से और पांच वहां से बुलाने पड़ें।"

[हिन्दी]

तो, सभापति जी, सदन के और इस संसद के सारे अधिकारों को इस विधेयक के द्वारा छीन लेने का काम सरकार आज कर रही है और इस कानून का समर्थन करना हमारे लिए कम से कम संभव नहीं है।

अब, जहां तक मंत्री जी ने यहां पर जो बातें कही हैं...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुझा): महोदय, क्या यह तृतीय पठन है? (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज: जी हां, यह बिल्कुल तृतीय पठन है। कृपया नियमों को पढ़ें।

श्री पी०सी० थामस: मैं समझता हूं कि ऐसा नियमों में है। लेकिन क्या यह आवश्यक है? (व्यवधान)

सभापति महोदय: तृतीय पठन में, सदस्य विधेयक का विरोध कर सकते हैं।

श्री पी०सी० थामस: लेकिन क्या इससे यह बात निहित है कि इस चरण में भी यह व्याख्यान देते जायें और प्रत्येक शब्द बोलते जायें? यह अनावश्यक है...(व्यवधान)...

सभापति महोदय: उन्हें संक्षेप में कहना चाहिए, बस इतना ही।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज: सभापति जी, जहां तक काश्मीर के सवाल को लेकर जिन बातों को मंत्री जी ने यहां पर रखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत भारी विकास का काम करने जा रहे हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा आपने ऐलान किया है तो प्लान के ऊपर कितना अधिक खर्च करने के लिए जा रहे हैं? क्या यह बात सही नहीं है, इस महीने जम्मू-काश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है? क्या यह बात सही नहीं है, वहां तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है? इस प्रकार की स्थिति की पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है। क्या आपके वित्त मंत्रालय ने, आपके गृह मंत्रालय ने जम्मू काश्मीर में ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं किया है कि वहां जो ओवर-ड्राफ्ट की जरूरत है, वह ओवर-ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा है? क्या यह सही नहीं है जम्मू-काश्मीर बैंक ने सरकार के जो चैक्स हैं, उन चैक्स को कैश करने से इंकार किया है? यह है, वहां पर पिछले कई दिनों से निर्माण स्थिति।

एक माननीय सदस्य: कारण जगमोहन है।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज: इस स्थिति के पीछे जो वजह है, अगर उस वजह में जगमोहन का नाम जोड़ना चाहते है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केन्द्रीय सरकार की एक नई साजिश है जम्मू-काश्मीर के बारे में और वह साजिश यह है कि पैसे के मामले में, विकास के मामले में, वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के मामले में, जितना उन्हें तंग किया जा सकता है, उतना तंग किया जाना चाहिए। कृपया गृह मंत्री जी बतायें या आप जब कह रहे हैं कि हम लोगों का इरादा नहीं है, तो आप बतायें—क्यों आप जम्मू-काश्मीर के प्रशासन को ओवर-ड्राफ्ट देने से इंकार कर रहे हो, क्यों वहां कर्मचारियों की तनख्वाह देने में नई परिस्थितियां निर्माण की हैं? क्या यह सही नहीं है, इस विधेयक को आप पारित करने के लिए खड़े हैं और पिछले तीन दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं दी गई है? क्या इन चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं है? कहा जाता है, जम्मू-काश्मीर का प्रश्न काबू हो गया है, सारे मामले हल हो गए हैं और अब एक अच्छी स्थिति बन गई है। मैं मानता हूं कि लोगों में, जैसा शहाबुद्दीन साहब ने कहा भी है, एक ऐसी भावना का तो निर्माण हुआ है कि बन्दूक इलाज नहीं है। बन्दूक के रास्ते समस्याओं का हल नहीं है। इसकी जानकारी अगर लोगों में महसूस होती है, तो हमें खुशी है। लेकिन जहां इस परिस्थिति का निर्माण होता है, तब आपकी तरफ से वहां और हरकतों का निर्माण करने की बात शुरू हो जाती है। मुझे अफसोस इस बात का होता है ...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी): श्री जगमोहन के समय में जो कुछ हुआ यह उसका परिणाम है। आपकी सरकार ने ही उन्हें वहां राज्य विधान मंडल को भंग करने के लिए भेजा था।

सभापति महोदय: कृपया बाधा न डाले। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नांडीज: सभापति जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जगमोहन को वहां 1984 में भेजा गया था। चुनी हुई सरकार को हटाकर, जिस पाकिस्तान-पाकिस्तान के नारे दिए जाते हैं, किसने वहां पर गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाया—क्या जगमोहन ने मुख्य मंत्री नहीं बनाया? किसने जगमोहन को वहां पर

भेजा था, क्या आप लोगों की सरकार ने नहीं भेजा था? आप लोग इतिहास को इतनी जल्दी भूल जाते हो, इतिहास को कम से कम आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं भूल जाना चाहिए।

सभापति जी, हम सरकार से दो बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। पहला—इस कानून में आपने जिस प्रकार से इस संसद के अधिकार के हनन का मामला रखा है, जिस कानून की सूची अभी आपने पढ़ी, तो कानून की चर्चा इस सदन के भीतर होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस कानून को वापिस लीजिए। दूसरा—इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वित्त के मामले में काश्मीर में जो स्थिति का निर्माण करके रखा है, उस स्थिति को तत्काल हल करने के लिए जम्मू-काश्मीर की सरकार को उनकी आवश्यकता के अनुसार पूंजी दी जाए, उसकी पूर्ति करने के लिए कदम उठाए जायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस कानून का सख्त विरोध करता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): सभापति महोदय, मैं दो-तीन मुद्दों पर इस विधेयक का विरोध करने वाला हूं। पहला तो यह है कि हमारे कानून बनाने का अधिकार हम से वापिस लिया जा रहा है और कल को हो सकता है कि जम्मू-काश्मीर का बजट भी इस सदन में चर्चा न करके ऐसे ही पारित किया जाए। इस प्रकार का भी विधेयक लाया जा सकता है। इसलिए हमारे कानून बनाने का जो अधिकार है, वह हम देना नहीं चाहते हैं। यह देखा गया है कि कठिनाइयों का निर्माण हुआ है, ग्यारह विधेयकों के बारे में आपको यह अधिकार दिया जा सकता है। इसलिए इसके आगे कोई भी नया विधेयक आपको इस संसद के बाजू में रखते हुए, मंजूरी करने के लिए, अधिकार देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब जो बात बार-बार आई है और उसकी चर्चा का कोई मतलब नहीं है और वह है जगमोहन जी की, अब अगर हम कितने भी, किसी का भी नाम लेंगे तो गया हुआ इतिहास वापस नहीं आएगा। जगमोहन जी कितने अच्छे थे, कितने खराब थे इस बात को आप सब लोग जानते हैं। आपने ही नियुक्त किया था, आपने ही बुलाया था, फिर इन्होंने नियुक्त किया था इसलिए सभी विषय जगमोहन जी के साथ न जोड़ें, मेरे कहने का मुख्य मतलब यह है कि अपना कोई भी अधिकार हम सरकार के पास देने के लिए तैयार नहीं हैं।

दूसरी बात जो भी जम्मू-कश्मीर में चर्चा होती है, जो भी यह संसद, आपकी कमेटी कायम करेगी उसके सामने जो-जो कागज आते हैं वे सारे के सारे कागज इस सदन के पटल पर हम रखने की मांग करते हैं, नहीं तो इस सदन को पीछे अंधेरे में रखते हुए आप कोई भी काम करोगे तो यह नहीं चल सकता है। इसलिए मेरी मांग यह है कि यह जो कमेटी बनेगी उसके सामने जो-जो कागज आएंगे इस पर यदि पहले यहां पर विधेयक आता तो उस पर हम विचार कर सकते थे, तो ये सारे जो कागज होंगे, डाकूमेंट्स होंगे वे इस सदन के पटल पर रखने चाहिए, यह मेरी मांग है और तीसरा, कोई भी विधेयक अपनी जगह छोड़कर, इस प्रकार की चर्चा न होते हुए होना यह संसद की गरिमा, संसद के अधिकार को छोड़कर करने वाली बात है और इसलिए हम इसका आगे भी डटकर विरोध करेंगे।

अब मैं प्रार्थना यह करूंगा कि अब बहुत हो गया जगमहोन, जगमोहन करके, अब जरा कोई काम करें। जम्मू-कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम करिए, नहीं तो एक-दूसरे को गाली-गलोच करते हुए, जो जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ऐसा हम भाषण के लिए आज कहते हैं लेकिन वहां जो आज हालत हो रही है उसको आप देख रहे हैं। यदि हमें सीधे रास्ते पर उसको लाना है तो सारे संसद को हर मामले पर विश्वास में लेना चाहिए, यही मेरा आपसे आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा: सभापति महोदय...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया इसी विधेयक पर कोई दूसरा भाषण नहीं होगा। आपने विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव पर कहा है।

श्री एम०एम० जैकब: महोदय, हम तो केवल वहां चुनी हुई सरकार के न होने पर राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान कर रहे हैं। वह इस तरह हमेशा राष्ट्रपति को शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि यह केवल सीमित प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। ये विधेयक दो वर्ष पूर्व राज्यपाल के शासन के दौरान पारित किये गये थे। अब वहां राष्ट्रपति शासन है और इसकी खत्म होने की अन्तिम तिथि नजदीक आ रही है; इसको लाने का मुख्य प्रयोजन यही है...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: इसे समाप्त होने दीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा: यह भविष्य के लिए भी है।

श्री एम०एम० जैकब: यह स्वाभाविक रूप से भविष्य में भी लागू होगा। लेकिन यह संसद का विशेषाधिकार है कि वह पुनः यह लेकर आ सकती है और फिर जो भी जरूरी संशोधन हो उसे पारित कर सकती है। इसे देखते हुए मैं नहीं समझता कि इस समय इस पर चर्चा करना आवश्यक है।

श्री जार्ज फर्नांडीज ने जिक्र किया है कि वेतन नहीं दिया गया है। मैं इसे मानने से इंकार करता हूं। मुझे बताया गया है कि वेतन दिया गया है। मैं इसकी पुनः जांच करूंगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

दीर्घायें खाली कर दी जायें—

सभापति महोदय: अब दीर्घायें खाली कर दी गयीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 1] [समय 5.50 म०प०

आदित्यन, श्री धनुषकोडी आर०

अन्बारासु, श्री इरा

अय्यर, श्री मणिशंकर

अयूब खान

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री ई०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

इन्द्र जीत, श्री

इस्लाम, श्री नुरूल

उम्बे, श्री लाईता

उपाध्याय, श्री स्वरूप

ओडेयर, श्री चनैया

करेद्दुला, कमला कुमारी

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम

कामत, श्री गुरूदास

कालियापेरूमल, श्री पी० पी०

कुमारमंगलम, श्री पी० आर०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

कैनिथ, डा० विश्वानाथम

कोंतला श्री राम कृष्ण

कौल, श्रीमती शीला
खान, श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गालिब, श्री गुरुचरण सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम॰
चार्ल्स, श्री ए॰
चिन्ता मोहन, डा॰
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापू हरि
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी॰
जांगड़े, श्री खेलनराम
जाखड़, श्री बलराम
जाफर शरीफ, श्री सी॰के॰
जावाली, डा॰ (बासवराज) बी॰जे॰
जीवरत्नम, श्री आर॰
झिकराम, श्री मोहनलाल
टोपे, श्री अंकुशराव
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन॰
डेका, श्री प्रबीन
थामस, प्रो॰ के॰ वी॰
थामस, श्री पी॰ सी॰
थुंगन, श्री पी॰ के॰
थोरट, श्री संदीपन भगवान
दलबीर सिंह, श्री
दादाहर, श्री गुरुचरण सिंह
दीवान, श्री पवन
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देशमुख, श्री अनन्तराव
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नायक, श्री जी॰ देवराय
नायकर, श्री डी॰के॰
नारायणन, श्री पी॰जे॰
नेताम, श्री अरविन्द
पद्मा, डा॰ (श्रीमती)
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री उत्तम भाई हारजी भाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पवार, डा॰ वसंत
पाटिल, श्री अन्वरी बसवराज
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटिल, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाणिग्रही, श्री बल्लभ

पायलट, श्री राजेश
पाल, डा० देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वी०आर० नायडू
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
प्रभु झांटये
प्रधानी, श्री के०
फर्नांडीज़, श्री ओस्कर
फारूक, श्री एम०ओ०एच०
बंसल, श्री पवन कुमार
बरार, श्री जगमीत सिंह
बीरबल, श्री
बुटा सिंह, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोंसले, श्री तेजसिंहराव
मनफूल सिंह, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मल्लू, डा० आर०
मल्लिकार्जुन, श्री
माथुर, श्री शिवचरण
मिर्धा, श्री नाथू राम
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०
राजेन्द्रकुमार, श्री एस०एम०आर०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राममूर्ति, श्री के०
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू
राव, श्री जे० चौक्का
रावत, श्री प्रभु लाल
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डय्या यादव, श्री के०पी०
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
व्यास, डा० गिरिजा
वर्मा, कुमारी विमला
वासनिक, श्री मुकुल बाल कृष्ण
विजयराघवन, श्री वी०एस०
विलियम्स, मेजर जनरल, आ०जी०
वेंकटस्वामी, श्री जी०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
श्रीधरण, डा० राजागोपालन
श्रीनिवासन, श्री सी०
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
शिंगडा, श्री डी॰बी॰
सिंधिया, श्री माधवराव
सिद्धार्थ, श्रीमती डी॰के॰ तारादेवी
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह देव, श्री के॰पी॰
सुंदरराज, श्री एन॰
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुखराम, श्री
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरी, श्री के॰डी॰
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोड़ी, श्री मानकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
सौन्द्रम, डा॰(श्रीमती) के॰ एस॰
हरचन्द सिंह, श्री
हाण्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज
कुमार, श्री नीतिश
खान, श्री सुखेन्दु
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चन्द्र शेखर, श्री
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकांत
झा, श्री भोगेन्द्र
तोपदार, श्री तरित बरण
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
दत्त, श्री अमल
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
पटनायक, श्री शिवाजी
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
प्रकाश, श्री शशि
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बर्मन, श्री उधव
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री अनिल
बाला, डा॰ असीम
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मंजय लाल, श्री
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

महतो, श्री बीर सिंह
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुरमु, श्री रूप चन्द
मोल्लाह, श्री हन्नन
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सूर्य नारायण
राम, श्री प्रेमचन्द
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री रवि
राय, श्री हाराधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
रोशनलाल, श्री
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास
*सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री हरि किशोर
सुर, श्री मनोरंजन
सैय्यद, श्री शहाबुद्दीन
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

सभापति महोदय: शुद्धि के अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 163

विपक्ष में : 061**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.52 म०प०

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा

अयोध्या की घटनायें

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे। श्री पी०सी० थापस, अयोध्या की घटनाओं के बारे में 13 जुलाई, 1992 को गृह मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय: कृपया शान्ति रखें। कृपया सदन में कोई और चर्चा न करें। जो सदस्य सदन से जाना चाहते हैं वे बिना शोर किये जाएं।

---

*माननीय सदस्य ने विपक्ष में बटन दबाया था लेकिन बल्ब फ्यूज होने के कारण फोटोग्राफ में यह स्पष्ट नहीं हो पाया।
पक्ष में:— श्री पवन सिंह घाटोवार, एम० बागा रेड्डी, कर्नल राव एम० सिंह, भवानीलाल वर्मा, राम सागर, प्रो० विजय कुमार राजू, कुमारी फ्रिडा, तोपनो और श्री राजेश खन्ना।
**विपक्ष में:— श्री सोमनाथ चटर्जी।

5.52 म० प०

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, अयोध्या का मुद्दा इस समय सबसे अधिक परेशान करने वाला मुद्दा है। माननीय गृह मंत्री ने लगभग चार दिन के स्थगन के बाद कल सभा में एक वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य में कतिपय सकारात्मक पहलुओं का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य के अनुसार उनके अयोध्या जाने से पहले और यहां वक्तव्य देने से पहले उन्होंने कहा था कि उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात एवं विचार विमर्श हुआ था और उस बातचीत में माननीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को कुछ सुझाव दिये थे या कुछ निर्देश दिये थे। यह पता चला है कि मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर सरकार की चिन्ता से अवगत कराया गया था। बाबरी मस्जिद—राम जन्मभूमि ढांचे की सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता, निर्माण कार्य को स्थगित करने की आवश्यकता और यह कि आगे कोई भी निर्माणकार्य केन्द्र सरकार से परामर्श करके ही किया जायेगा आदि ये मुख्य मुद्दे हैं—जिन पर माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री के बीच हुई बातचीत में गौर किया गया था। उन्होंने बाद में...दौरा किया। (व्यवधान)।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपस में बातचीत न करें।

श्री पी०सी० थामस: महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर कल, काफी अधिक चर्चा हुई थी जिसमें कई व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये और विनिर्णय भी दिये गये थे। यहां विचार यह था कि न्यायालय के आदेशों का प्रथम दृष्टांत में उल्लंघन हुआ है और न्यायालय के कतिपय आदेशों का उल्लंघन करते हुए वहां कुछ निर्माण चल रहा है। निःसंदेह यह कहा गया था कि अन्तिम आदेशों की प्रतीक्षा है और यह केवल माननीय गृह मंत्री का विचार है। अब इस संदर्भ में मैं व्यापक रूप से इस मुद्दे के इतिहास का वर्णन करूंगा और उस बात का भी वर्णन करूंगा जिसके संबंध में सारे राष्ट्र के साथ-साथ यहां सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को बहुत चिन्ता है। (व्यवधान)।

यह मुद्दा वर्षों पुराना है। 1949 में यह मुद्दा फैजाबाद में दीवानी अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से शुरू हुआ था। उसके बाद कई मुकदमें चले। मैं उन मुकदमों के विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं उन पर थोड़ा गौर करना चाहूंगा। 23-12-1949 में पहला मामला दर्ज करने के बाद, 16-1-1950 को दूसरा मामला दर्ज किया गया। फिर 1-2-1986 को प्रवेश द्वार के बारे में एक न्यायालय का आदेश जारी किया गया कि इसे खुला रखा जाये और इस पर ताला नहीं लगाया जाये। 3-2-1986 को एक रिट याचिका दायर की गयी जैसे कि 1986 की रिट याचिका 746 इलाहाबाद न्यायालय के समक्ष है, ये सभी मामले इलाहाबाद न्यायालय में एक साथ लिए गये और उन्हें उच्च न्यायालय में 1989 के 1 से 4 तक मामले के रूप में रखा गया। 14-8-1989 को उच्च न्यायालय में एक मामला आया जिसमें अगले आदेशों तक इसकी यथास्थिति बनाये रखने और इस सम्पत्ति के स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन न किये जाने का आदेश पारित किया गया। फिर एक दूसरे मामले में यही यथास्थिति बनाये रखने की बात कही गयी और यह आदेश 7-11-1989 को पारित किया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण आदेश 25-10-1991 को पारित किया गया जिसके अन्तर्गत अधिग्रहण को चुनौती दी गयी थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद निर्माण के विवादित क्षेत्र से लगती हुई 2.7744 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का निर्णय लिया था और इस आशय की अधिसूचना 7 अक्तूबर, 1991 को जारी की गई थी। न्यायालय ने 25 अक्तूबर, 1991 को यथास्थिति बनाये रखने के अन्तरिम आदेश पारित किये और इस आशय का आदेश दिया था। वास्तव में, जब मामला दर्ज किया गया था, तो उस समय न्यायालय को इस आशय की जानकारी दी गई थी कि 30 अक्तूबर, 1991 को परिसर में तीर्थ यात्री आयेंगे। उस समय यह प्रार्थना की गई थी कि एक तुरंत आदेश जारी किया जाना चाहिये जिसमें इस तरह का प्रावधान किया जाये कि

तीर्थयात्रियों के लिये परिसर का प्रयोग उस ढंग से किया जाएगा जैसा कि बताया गया है। इसलिये न्यायालय ने आदेश जारी किया कि राज्य सरकार अधिसूचित भूमि को अपने अधिकार में ले सकती है और अधिसूचित प्रयोजन के लिये व्यवस्था कर सकती है लेकिन वहां पर किसी स्थायी ढांचे का निर्माण नहीं किया जायेगा। यह स्पष्ट किया गया था कि इस प्रयोजन के लिये उस भूमि पर केवल अस्थायी ढांचों का ही निर्माण किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा यह भी निर्णय दिया गया था कि भूमि का अधिग्रहण न्यायालय के आगामी आदेशों के अध्यधीन होगा।

अधिग्रहीत भूमि किसी भी प्रकार से किसी पक्ष को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी। उसके बाद एक दूसरे मामले में अगले ही दिन इस निर्णय अथवा अन्तरिम आदेश में ही एक संशोधन किया गया। इसमें यह दलील दी गई थी कि यथा-स्थिति बनाये रखने का आदेश इस तरह से नहीं है जैसा कि 25 अक्तूबर, 1991 के आदेश में वर्णित है। इसलिए 26 अक्तूबर, 1991 के आदेश में यह संशोधन किया गया कि साक्षी गोपाल मंदिर को उसके 16 कमरों सहित अधिकार में लिया जा सकता है लेकिन प्रतिमा को सुरक्षित रखना होगा।

15 नवम्बर, 1991 को मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया और वर्ष 1991 की दो समादेश याचिकायें याचिका संख्या 972 और 977 को एक साथ लिया गया। तब पुनः न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा पारित किये गये पहले के आदेशों को ध्यान में रखते हुए एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहाः पक्षों को यथास्थिति बनाये रखनी होगी। यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मुख्य ढांचे और बाहरी दीवार के बीच भी कुछ ढांचे बने हुए हैं। यह भी कहा गया है कि ये ढांचे भी उस अधिग्रहीत भूमि अथवा ढांचों में ही आते हैं जिनके बारे में यथास्थिति बनाये रखने की बात कही गई है।

इन आदेशों से यह साफ जाहिर है कि न्यायालयों ने यह कहा है कि अधिग्रहीत भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण, विशेषकर स्थायी किस्म का निर्माण नहीं किया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि किसी भी अवस्था में यह तर्क दिया जा सकता है कि अब जो निर्माण कार्य चल रहा है, वह स्थायी किस्म का नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस अवस्था में वह किसी पक्ष का कोई मामला है। लेकिन एक पक्ष यह कह सकता है कि इससे किसी भी ढंग से न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं है। इस पर मैं विनम्रतः यह दलील देना चाहूंगा कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, अधिग्रहण के मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई है। जब अधिग्रहण के मामले को चुनौती दी गई...

श्री राम कापसे (ठाणे): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य, श्री थामस एक निर्णय के बाद दूसरे निर्णय को पढ़ते जा रहे हैं। इन निर्णयों में से अनेकों प्रश्न किये जा सकते हैं।

स्थायी ढांचे के बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि "स्थायी ढांचे" का अर्थ क्या है? इनको इस बात का किस तरह से पता है कि यह "स्थायी ढांचा' है? मैं समझता हूं कि वह यहां पर ऐसे निर्णय दे रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। **(व्यवधान)**।

सभापति महोदयः इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पी॰सी॰ थामसः मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य के कथन का वास्तविक अर्थ वही है जो उन्होंने समझा है।

मैं किसी भी तरह से मंदिर के निर्माण के विरुद्ध नहीं हूं। मैं किसी भी तरह से राम मंदिर के हितों के विरुद्ध नहीं हूं। मैं यह सुझाव दूंगा कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सभी को, सभी भारतीयों को राम मंदिर के निर्माण के लिये एकजुट होना चाहिये। ऐसी कोई भी बात नहीं है जोकि इसके विरुद्ध हो।

6.00 म०प०

लेकिन प्रश्न तो यह है कि चूंकि वहां का एक हिस्सा विवादग्रस्त है और दोनों पक्षों के बीच विवाद है, एक ऐसी अवस्था के अंत में जबकि मामले का निर्णय होने वाला है, तो क्या मामले का निर्णय होने से पूर्व मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिये?

सभापति महोदय: आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब सभा कल 15 जुलाई, 1992 को 11 म०पू० पर पुनः समवेत लेने के लिये स्थगित होती है।

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 15 जुलाई, 1992/24 आषाढ़, 1914(शक) के ग्यारह म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।